खण्ड–37, अंक–01
बुधवार, 27 भाद्रपद, शक संवत्, 1935
(दिनांक 18 सितम्बर, 2013 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2013)

(खण्ड 37 में 03 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2014

मूल्य

विषय- सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थिति	'क'
वन्देमातरम्	1
प्रदेश में आई दैवीय आपदा में शहीद हुए लोगों के प्रति शोकोद्‌गार	1-2
प्रश्नोत्तर	2-59
नियम-310 के अन्तर्गत प्रदेश में हुई भीषण दैवीय आपदा पर चर्चा	59-114
उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (सदन के पटल पर रखा गया।)	115
उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (सदन के पटल पर रखा गया।)	115
उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) अध्यादेश, 2013 (सदन के पटल पर रखा गया।)	115
उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए "राज्य के वित्त पर" भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन एवं "भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या-1)" तथा भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का " जिला नैनीताल पर भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या-2) (सदन के पटल पर रखे गये।)	115
उत्तराखण्ड लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अनुसार लोक आयुक्त उत्तराखण्ड के वर्ष 2011 का प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया।)	116
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा-8(3) के अन्तर्गत स्थानीय निधि लेखा परीक्षा एवं सहकारी समितियां एवं पंचायतें, वित्तीय वर्ष 2011-2012 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया।)	116
"भारत का संविधान" के अनुच्छेद-323(2) के अधीन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के एकादश वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक) (सदन के पटल पर रखा गया।)	116

विषय	पृष्ठ संख्या

केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–104(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक लेखा विवरण (सदन के पटल पर रखा गया।) 116

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2013 (अधिनियमित होने की घोषणा) 117

उत्तराखण्ड गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2013 (अधिनियमित होने की घोषणा) 117

उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजन विकास और उन्नयन) विधेयक, 2013 (अधिनियमित होने की घोषणा) 117

प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2013 (अधिनियमित होने की घोषणा) 117

विविध अधिनियम विधिमान्यकरण विधेयक, 2013 (अधिनियमित होने की घोषणा) 118

उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2013 (अधिनियमित होने की घोषणा) 118

भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2013 (अधिनियमित होने की घोषणा) 118

उत्तराखण्ड चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 (अधिनियमित होने की घोषणा) 118

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 (अधिनियमित होने की घोषणा) 118

उत्तराखण्ड लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2013 (अधिनियमित होने की घोषणा) 119

उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक विधेयक, 2013 (अधिनियमित होने की घोषणा) 119

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2013 (अधिनियमित होने की घोषणा) 119

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (अधिनियमित होने की घोषणा) 119

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद पिथौरागढ के प्रमुख पर्यटन स्थल मोष्टामानू में निर्माणाधीन बेस चिकित्सालय के रोके गये निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	120
जनपद अल्मोडा के सोमेश्वर विकास खण्ड हवालबाग के कारगिल शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग को ग्राम पंचायत खडाऊं से मुख्य मोटर मार्ग बसौली तक जोडे जाने के संबंध में याचिका (उपस्थापित)	120
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा अम्बाडी के ग्राम बाडवाला, राजावाला में पेयजल नलकूप की स्वीकृति के संबंध मे याचिका (उपस्थापित)	120
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर ग्राम पृथ्वीपुर (अनुसूचित ग्राम बहादुरगढ) की कृषि भूमि की सिंचाई हेतु सिंचाई नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	120
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा मेहूवाला खालसा में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु सिंचाई नलकूप लगाये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थापित)	121
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर के ग्राम सभा बडवा मे कृषि भूमि के लिए सिंचाई नलकूप लगाने के संबध मे याचिका (उपस्थापित)	121
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा अम्बाडी के ग्राम डूमेट में कृषि भूमि की सिंचाई के लिए सिंचाई नलकूप के निर्माण किये जाने के संबंध मे याचिका (उपस्थापित) ...	121
जनपद पौडी गढवाल के पट्टी विचला ढागू मल्ला ढांगू एवं तल्ला ढागू व डबरालस्यूं विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबध में याचिका (उपस्थापित)...	122
जनपद पौडी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के लक्ष्मण झूला, कांडी दुगड्डा 112 कि0मी0 क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग के डामरीकरण के संबंध मे याचिका (उपस्थापित)	122
उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2013 (पुन:स्थापित)	122
कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	123—126
नियम—53 के अन्तर्गत सूचनाए	126—127
नियम—310 के अन्तर्गत प्रदेश मे हुई भीषण दैवीय आपदा पर पुन: चर्चा	127—154
नत्थियां	155—178

'क'

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अजय भट्ट
3—डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्री अरविन्द पाण्डे
6—श्री आदेश चौहान
7—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8—श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9—श्री विजय बहुगुणा
10—श्री गणेश गोदियाल
11—श्री गणेश जोशी
12—श्री चन्दन राम दास
13—श्री चन्द्र शेखर
14—डा0 जीत राम
15—श्री तीरथ सिंह
16—श्री दलीप सिंह रावत
17—श्री दान सिंह भण्डारी
18—श्री दिनेश अग्रवाल
19—श्री दिनेश धनै
20—श्री नवप्रभात
21—श्री नारायणराम आर्य
22—श्री पुष्कर सिंह धामी
23—श्री पूरन सिंह फर्त्याल
24—श्री प्रदीप बत्रा
25—श्री प्रीतम सिंह पवार
26—श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
27—श्री प्रेम सिंह
28—श्री फुरकान अहमद
29—श्री बंशीधर भगत
30—श्री भीमलाल आर्य
31—श्री मदन कौशिक
32—श्री मदन सिंह बिष्ट
33—श्री मनोज तिवारी
34—श्री मयूख सिंह
35—श्री महावीर सिंह
36—श्री माल चन्द
37—श्री मत्री प्रसाद नैथानी
38—श्री यतीश्वरानन्द
39—श्री यशपाल आर्य
40—श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"
41—श्री रसैल वैलेन्टाइन गार्डनर
42—श्री राजकुमार
43—श्री राज कुमार ठुकराल
44—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
45—श्री राजेश शुक्ला
46—श्री ललित फर्स्वाण
47—श्री विक्रम सिंह नेगी
48—श्री विजयपाल सिंह सजवाण
49—श्रीमती विजया बड़थ्वाल
50—श्री बिशन सिंह चुफाल
51—श्रीमती शैला रानी रावत
52—डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
53—श्री संजय गुप्ता
54—श्री सरवत करीम अंसारी
55—श्रीमती सरिता आर्या
56—श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
57—श्री सुबोध उनियाल
58—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
59—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
60—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
61—श्री सुरेन्द्र राकेश
62—श्री हरक सिंह रावत
63—श्री हरबन्स कपूर
64—श्री हरभजन सिंह चीमा
65—श्री हरिदास
66—श्री हरीश धामी
67—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
68—श्री हेमेश खर्कवाल

बुधवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2013 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूँ, आज की कार्यवाही ''वन्देमातरम्'' से आरम्भ करता हूँ।

वन्देमातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।

प्रदेश में दैवीय आपदा में शहीदों के प्रति शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

प्रदेश में बहुत बड़ी दैवीय आपदा आई है, उसमें कई लोग शहीद हुये, बहुत बड़ा नुकसान हुआ और जो लोग हताहत हुए उनकी आत्मा को शान्ति देने की लिए पूरे सदन की तरफ से एक शोक प्रस्ताव मैं पढ़ रहा हूँ उसके बाद फिर दो मिनट का मौन होगा और फिर उसके बाद आगे की कार्यवाही प्रारम्भ होगी।

दिनांक 16 एवं 17 जून, 2013 को उत्तराखण्ड में बादलों के फटने, भू–स्खलन, ग्लेशियरों के पिघलने तथा त्वरित बाढ़ से लगभग 40,000 वर्ग कि0मी0 का क्षेत्र प्रभावित हुआ। यह आपदा पूरब में काली नदी से लेकर गोरी, धौली, पिण्डर, अलकनन्दा, मन्दाकिनी, भिलंगना, भागीरथी और यमुना आदि नदियों एवं घाटियों में एक साथ आई।

इससे प्रदेश के चार जिले उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ विशेषकर प्रभावित हुए। सबसे अधिक क्षति केदारनाथ यात्रा मार्ग तथा केदारनाथ धाम में हुई। केदारनाथ धाम मन्दिर से ऊपर की पहाड़ियों में स्थित चौराबारी सरोवर के फटने के कारण 40 कि0मी0 प्रति घण्टा से आयी जल प्रलय तथा मलबा अपने मार्ग में आने वाली प्रत्येक वस्तु को बहा कर ले गया। जिससे हजारों की संख्या में लोग मारे गये तथा बड़ी संख्या में लापता हो गये। घायलों की संख्या भी बहुत अधिक रही। इस विनाशलीला में उत्तराखण्ड के गांव के गांव तबाह हो गये, बड़ी संख्या में सड़कें जगह-जगह नष्ट हो गईं जिससे अनेक स्थान मुख्य धारा से कट गये। मैं इस सदन की ओर से इस भयंकर प्राकृतिक आपदा में मारे गये लोगों तथा राहत कार्य में शहीद हुए, सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, एन0डी0आर0एफ0 के जवानों तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ साथ ही उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके परिवारों को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे। अब हम दो मिनट के मौन के लिए खड़े होते हैं।

(सभी माननीय सदस्य दो मिनट के लिए मौन खड़े रहे।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

जनपद ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार के किसानों को गन्ने की फसल के मुआवजे का भुगतान

**1-श्री पुष्कर सिंह धामी-

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार में अत्यधिक जलभराव के कारण जिन किसानों की गन्ने की फसल नष्ट हो गयी है उनके मुआवजे के भुगतान हेतु सरकार कोई विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)-

जी हाँ।

शासन के आदेश संख्या-1036, दिनांक 26.08.2013 द्वारा वर्तमान में आई दैवीय आपदा में गन्ने की फसल की क्षति के संबंध में राहत धनराशि सदाबहार फसलें/फलों की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक दिये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता।

नोट:-उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न स्थगित माने गये।

तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड राज्य में 1962 के पश्चात् भूमि बन्दोबस्त

*1—श्री विक्रम सिंह नेगी—

क्या राजस्व मंत्री अवगत है कि उत्तर प्रदेश से विभाजित उत्तराखण्ड राज्य में 1962 के पश्चात् अभी तक भूमि बन्दोबस्त नहीं हुआ है? क्या सरकार भूमि बन्दोबस्त हेतु विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक भूमि का बन्दोबस्त किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व एवं भू—प्रबन्धन, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, सिंचाई, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवाएं, बाढ़ नियन्त्रण, जलागम प्रबन्धन एवं सहकारिता मंत्री: (श्री यशपाल आर्य)—

यद्यपि सम्पूर्ण राज्य में सुनियोजित सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त, हाल बंदोबस्त (1956—1965) के बाद नहीं किया गया है तथापि इसके बाद भी राज्य के लगभग 200 ग्रामों में बंदोबस्त/अभिलेख क्रियायें प्रारम्भ करायी गयी है। 121 ग्रामों में बंदोबस्त/अभिलेख क्रियायें पूर्ण की जा चुकी हैं एवं 75 ग्रामों में बंदोबस्त/अभिलेख क्रियायें गतिमान हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

*2—श्री विक्रम सिंह नेगी—

न्यायालय के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त,

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में रसोई गैस एजेन्सी खोलने पर विचार

*3—श्री विक्रम सिंह नेगी—

क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में रसोई गैस की अत्यंत समस्या है तथा यहां पर घनसाली विकास खण्ड भिलंगना से गैस वितरित की जाती है जिस कारण क्षेत्रवासियों को रसोई गैस की समस्या का सामना करना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में गैस एजेंसी खोलने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री, (श्री प्रीतम सिंह)—

विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर की घनसाली गैस सर्विस एवं मै० विजेन्द्र गैस सर्विस लम्बगाँव से गैस की सुचारू आपूर्ति की जाती है।

आई०ओ०सी० द्वारा प्रतापनगर में नई गैस एजेन्सी खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर में खड़िया लीज धारक व जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई

*4–श्री ललित फर्स्वाण –

क्या राजस्व मंत्री अवगत है कि जनपद बागेश्वर मे खड़िया लीज धारको द्वारा राज्य सरकार व वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर रोप वे का निर्माण किया है? क्या मंत्री जी अवगत है कि अवैध अतिक्रमण से राज्य सरकार को राजस्व हानि हो रही है?

यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में सम्बन्धित लीज धारक व जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाइ अमल में लायी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

पट्टाधारक पर्वतीय माईन्स, बिलाडी एवं श्री कुन्दन सिंह नेगी, शीशाखानी के रोपवे को सीज कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पट्टाधारक शिखर माईन्स, टाडाईजर, पट्टाधारक नौलिंग माईन्स, किडई, पट्टाधारक श्री टेक चन्द्र कपूर सोपस्टोन, बैतोली, पट्टाधारक श्रीमती निर्मला दफौटी सोपस्टोन, पोखरी को नोटिस जारी कर दिये गये हैं एवं सक्षम मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अधिकांश कृषि क्षेत्रों में फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु किसानों को मुआवजा

*5–श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2013 के फरवरी माह के द्वितीय सप्ताह में हुई भारी बारिश एवं हिमपात से प्रदेश के अधिकाश कृषि क्षेत्रो मे मटर एवं सीजनल सब्जियों सहित अन्य फसलो को हुई भारी क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु किसानों को मुआवजा दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

वर्ष 2013 के फरवरी माह के द्वितीय सप्ताह में हुई भारी बारिश एवं हिमपात से जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, देहरादून, हरिद्वार, चमोली, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं नैनीताल में कृषि क्षेत्रों में मटर एवं सीजनल सब्जियों सहित अन्य फसलों को क्षति की सूचना नहीं है।

जनपद ऊधमसिंहनगर की तहसील गदरपुर के 24 परिवारों की फसलों को हुई क्षति के लिए कुल ₹ 1,09,398/– की धनराशि वितरित की गई है। उक्त के अतिरिक्त क्षति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमान्त विधान सभा क्षेत्र खटीमा में स्टेडियम न बनाये जाने का कारण

*6–श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सीमान्त विधान सभा क्षेत्र खटीमा में स्टेडियम बनाये जाने हेतु अनेको प्रयासों के बावजूद भी स्टेडियम न बनाये जाने के क्या कारण हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

नियोजन एवं खेल मंत्री (श्री दिनेश अग्रवाल)–

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण खटीमा, जनपद ऊधमसिंहनगर में स्टेडियम का निर्माण नहीं किया जा सका है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं नगरीय क्षेत्र में मानकानुसार भूमि उपलब्ध होने पर खटीमा में स्टेडियम बनाये जाने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में सरकारी सस्ते गल्ले के लाइसेंस के मानकों में शिथिलता

*7–श्री ललित फरस्वाण–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार पर्वतीय जनपदों में भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर सरकारी सस्ते गल्ले के लाइसेंस के मानकों में शिथिलता प्रदान करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी किये जायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुरूप ही सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को लाइसेंस प्रदान किये जाते हैं।

प्रदेश में डीडीहाट, रानीखेत, कोटद्वार एवं यमुनोत्री चार जिलों के अस्तित्व पर विचार

*8–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में डीडीहाट, रानीखेत, कोटद्वार एवं यमुनोत्री चार जिलों को सह स्वीकृति दी गई है? यदि हाँ, तो ये जिले कब तक अस्तित्व में आयेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य–

शासनादेश दिनांक 08.12.2011 द्वारा वर्ष 2011 में चार नये जनपदों क्रमशः यमुनोत्री, कोटद्वार, डीडीहाट एवं रानीखेत के गठन के सम्बन्ध में प्राथमिक स्वीकृति निर्गत की गई थी। सम्यक् विचारोपरान्त इस शासनादेश को अतिक्रमित कर जिलों के गठन हेतु जिला पुनर्गठन आयोग गठित किया गया है। आयोग की संस्तुतियाँ प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012 13 में जनपदवार अवमुक्त एवं खर्च धनराशि

*9–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में जनपदवार कितनी धनराशि स्वीकृत है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितनी धनराशि अवमुक्त की गई है तथा कितनी धनराशि खर्च हुई है?

श्री दिनेश अग्रवाल–

वर्ष 2012–13 में जिला योजना के अन्तर्गत समस्त जनपदों हेतु कुल धनराशि ₹75000.00 लाख का परिव्यय स्वीकृत है। जनपदवार विवरण संलग्न है। †

कुल अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि ₹43706.47 लाख तथा व्यय धनराशि ₹37678.19 लाख है।

---

† (देखिये नत्थी 'क' पृष्ठ संख्या–155 पर)

उत्तराखण्ड में खेलों के समुचित विकास एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु खेल नीति

*10–श्री मदन कौशिक–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड मे खेलों के समुचित विकास एवं खिलाडियो के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वार खेल नीति बनायी गयी है?

यदि हाँ, तो परिणाम क्या है?

यदि नही, तो क्यों?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी हाँ।

उक्त नीति के अन्तर्गत सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागो तथा शिक्षण संस्थाओ मे कुशल खिलाडियो को 04 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त हो रहा है तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाडियो एवं प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु नगद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त नीति के अन्तर्गत प्रदेशीय क्रीडा संघो, क्लबो एवं अन्य क्रीडा संघों आदि को प्रतियोगिताओ के आयोजन करने एवं खेल उपस्कर क्रय तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं मे भाग लेने वाली उत्तराखण्ड राज्य की टीमों हेतु किट की व्यवस्था हेतु भी अनुदान दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र सरकार की रसोई गैस सब्सिडी के अतिरिक्त प्रदेश सरकार की राहत योजना

*11–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वरा रसोई गैस पर वर्ष भर मे छ: सिलेंडर के बाद सब्सिडी समाप्ति से प्रदेशवासियो को प्रदेश सरकार की ओर से कोई और राहत देने की योजना है ?

यदि हाँ, तो कितने सिलेंडर तक ?

यदि नहीं, तो क्यो नही ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

बाण गंगा के बन्द होने से जनपद हरिद्वार के ग्राम बिशनपुर झरड़ा के भूगर्भ जल स्तर में गिरावट का कारण

*12—श्री संजय गुप्ता—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तहसील व जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत ग्राम बिशनपुर झरडा में गंगा नदी पर बांध बनाकर बाण गंगा का उद्गम क्यों बंद किया गया ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि बाण गंगा के बंद होने से संबंधित क्षेत्र के भूगर्भ जल स्तर में कितनी गिरावट आयी है ?

श्री यशपाल आर्य—

विकासखण्ड बहादराबाद एवं लक्सर के गावों को गंगा नदी की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु वर्ष 1983 में बिशनपुर कुंडी बंध निर्माण से स्रोत बन्द हो गया है।

भूगर्भ जल स्तर में गिरावट की स्थिति ज्ञात करने हेतु भारत सरकार के भूगर्भ जल विभाग को पत्र लिख दिया गया है।

जनपद टिहरी में कैरोसीन तेल की निश्चित समय पर निर्धारित मात्रा की आपूर्ति पर विचार

*13—श्री महावीर सिंह—

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कैरोसीन तेल की आपूर्ति बहुत कम मात्रा में हो रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार कैरोसिन तेल की निर्धारित मात्रा में निश्चित समय पर आपूर्ति कराने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह—

जी नहीं।

जनपद टिहरी गढ़वाल को आवंटित मिट्टी तेल की मात्रा की नियमित समय पर आपूर्ति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़ा खाद्यान्न वितरित किये जाने का कारण

*14–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय जनपदों की जनता के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उठाने से पूर्व इस बात की पुष्टि की जाती है कि, अनाज खाने लायक है ?

यदि हाँ, तो पर्वतीय क्षेत्रों में सड़ा खाद्यान्न वितरित किए जाने के क्या कारण हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

राज्य के किसी भी जनपद से सड़ा खाद्यान्न वितरण किये जाने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंहनगर के रूद्रपुर विकासखण्ड में सिंचाई नहरों का पक्काकरण (लाइनिंग)

*15–श्री राजेश शुक्ला–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंहनगर के तहसील किच्छा के रूद्रपुर विकासखण्ड में स्थित सिंचाई नहरों की पट्टी पर लाईनिंग (पक्काकरण) का कार्य धनाभाव में विभाग नहीं करा पा रहा है ?

क्या सरकार उक्त नहरों के टेल तक स्थित किसानों को सिंचाई हेतु पानी पहुँचाने के लिए इन नहरों के पक्काकरण (लाईनिंग) कराने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी नहीं। राज्य सरकार के पास उपलब्ध संसाधन के अन्तर्गत नहरों को प्राथमिकतावार पक्का करने की कार्यवाही की जा रही है।

जी हाँ।

बजट की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध रूप से कार्य संपादित कराये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र घनसाली में टिहरी बांध (डैम) के ऊपर निर्मित सड़क पर जनसामान्य के आवागमन हेतु सरकारी अनुमति.

*16–श्री भीमलाल आर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली में टिहरी बांध (डैम) के ऊपर निर्मित सड़क पर जनसामान्य को आवागमन की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु सरकार से अनुमति प्राप्त करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो उक्त सुविधा कब तक प्रदान की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

टीएचडीसी द्वारा अवगत कराया गया है कि ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं0 एफ–11/II/2006–एच–1, दिनांक 27.12.2006 के आदेशानुसार टिहरी बांध के आस–पास के क्षेत्र के ग्रामीणों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल/जिला प्रशासन से अनुमति पत्र प्राप्त कर बाँध के ऊपर से पैदल आवागमन का प्राविधान है। मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा टिहरी बाँध के ऊपर से आने–जाने की सुविधा या डैम टॉप के समीप कुछ दूरी पर पुल का निर्माण किये जाने की घोषणा की गयी है। स्थानीय ग्रामीणों को टिहरी बांध के ऊपर से यातायात की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

*17–श्री भीमलाल आर्य–

स्थगित।

जनपद नैनीताल अन्तर्गत भीमताल स्थित सिंचाई विभाग की क्षतिग्रस्त नहरों को ठीक कराने हेतु धन उपबन्ध कराना।

*18–श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की लगभग 12 नहरें बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिसके कारण किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन नहरों को ठीक कराने के लिए धन उपलब्ध करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जून, 2013 में भीषण दैवीय आपदा से प्रदेश में हुई क्षति, जन व पशु हानि का विवरण तथा आपदा प्रबन्धन हेतु व्यवस्था

*19–श्री तीरथ सिंह–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 15–16–17 जून, 2013 को भीषण दैवी आपदा से प्रदेश में कहां–कहां क्षति हुई है एवं कितनी जन व पशु हानि हुई है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि आपदा प्रबन्धन की क्या व्यवस्था हुई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

दिनांक 15, 16 व 17 जून, 2013 को प्रदेश में आयी प्राकृतिक आपदा से समस्त प्रदेश में क्षतियां हुई हैं, जिसमें

1–जनहानि– लगभग 4247 मृत/लापता,

2–पशुहानी– लगभग 5788

3–पक्षी हानी– लगभग 6133 हुई हैं।

1–मानसून से पूर्व सभी जिलों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये व अग्रिम धनराशि जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखी गयी।

2–दिनांक 16.06.2013 को ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस, भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एन0डी0आर0एफ0) को सहायता हेतु बुला लिया गया था।

3–लगभग 35,000 व्यक्तियों को हैलीकाप्टरों की सहायता से निकाला गया।

4–1.50 लाख से अधिक लोगों को सड़क मार्गों से निकाला गया।

5–प्रदेश भर में 71 राहत शिविर संचालित किये गये जिनमें प्रभावितों को भोजन, चिकित्सा व आवास आदि की सुविधा प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा से मृतक/लापता व्यक्तियों, घायल व्यक्तियों, पूर्णतः/आंशिक क्षतिग्रस्त कच्चे एवं पक्के भवनों, क्षतिग्रस्त झोपड़ी/गौशाला, पशुओं/पक्षियों की क्षति, कृषि भूमि की क्षति एवं फसलों की क्षति के लिए राहत राशि का आंवटन किया जा चुका है।

आपदा राहत मानकों के अतिरिक्त प्रभावित परिवारों को मासिक किराया, विधवाओं को विशेष सहायता, प्रभावित किरायेदारों को सहायता, छात्रों को वित्तीय सहायता, घराटों/स्थानीय व्यवसाय, दुकानदारों एवं होटल व्यवसायियों तथा सम्पर्क मार्गों से कटे ग्रामों को निःशुल्क राशन आदि के लिए भी विशेष राहत राशि अनुमन्य की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

दैवीय आपदा की त्रासदी की तिथि में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, व गंगोत्री में यात्रियों की संख्या एवं केदारनाथ में लापता लोगों की संख्या

*20–श्री तीरथ सिंह–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में दैवीय आपदा की त्रासदी किस तिथि को घटित हुई तथा उस दिन कितने यात्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री व गंगोत्री में थे ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि केदारनाथ के आस–पास कितने लोग लापता हैं एवं कितने लोग मलबे में दबे हुए हैं व कितने बाढ़ में बह गये ?

श्री यशपाल आर्य–

राज्य में दिनांक 16–17 जून, 2013 को मुख्य आपदा की घटना हुई व इसके उपरान्त प्रदेश में प्राकृतिक आपदा की विभिन्न घटनायें हुई हैं।

प्राकृतिक आपदा की तिथियों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री व गंगोत्री में यात्रियों की संख्या पंजीकरण व्यवस्था न होने के कारण सही आंकलित करना सम्भव नहीं है।

केदारनाथ एवं अन्य क्षेत्रों में अद्यतन सूचना के अनुरूप लगभग 4116 लोग लापता हैं। इनमें मलबे में दबे या बह गये व्यक्ति भी सम्मिलित हैं।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2012 13 में बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का जनपदवार विवरण तथा लागत

1—श्री नवप्रभात—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2012—2013 में विभाग द्वारा प्रदेश में कितनी बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा उनकी लागत क्या है और इन स्वीकृत योजनाओं का जनपदवार विवरण क्या है ?

श्री यशपाल आर्य—

वित्तीय वर्ष 2012—2013 में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत 65 सं0 बाढ़ सुरक्षा ; ks ukv ks dh Lohd`fr çnku dh x; h gSft udh ykxr ₹ 12843.83 लाख है। जनपदवार विवरण निम्नानुसार है—

क्र0सं0	जनपद का नाम	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	योजनाओं की लागत (लाख ₹ में)
1	2	3	4
1	ऊधमसिंहनगर	16	2017.91
2	नैनीताल	04	679.99
3	बागेश्वर	01	39.79
4	रूद्रप्रयाग	05	430.30
5	पौड़ी	03	590.50
6	चमोली	05	707.06
7	हरिद्वार	01	141.90
8	देहरादून	15	2803.30
9	उत्तरकाशी	15	5433.08
	कुल योग	65	12843.83

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम बथौली में सड़क निर्माण हेतु पहाड़ कटान न किये जाने के कारण

2—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में ग्राम बथौली हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित की गई है?

यदि हॉं, तो कब?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सड़क निर्माण हेतु पहाड़ कटान किन कारणों से नहीं किया जा रहा है?

श्री प्रीतम सिंह—

जी हॉं।

दिनॉक 12.07.2010 को।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मड़मानले—दोबॉस मोटर मार्ग के अन्तिम भाग मे लो0नि0वि0 द्वारा कार्य पूर्ण न किये जाने के कारण दोबॉस—बथौली मोटर मार्ग का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

"गैर राजस्व ग्राम" की परिभाषा तथा प्रदेश में "गैर राजस्व ग्राम" घोषित करने के मानक

3—श्री नवप्रभात—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि "गैर राजस्व ग्राम" की परिभाषा क्या है एवं प्रदेश में गैर राजस्व ग्राम घोषित करने के क्या मानक हैं?

श्री यशपाल आर्य—

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था—1950 की धारा—3 की उपधारा (26) में ग्राम को परिभाषित किया गया है। " गैर राजस्व ग्राम" का इस अधिनियम में उल्लेख नहीं है।

4—श्री नवप्रभात—

स्थगित

जनपद देहरादून के विकासनगर ब्लाक में स्वीकृत रुद्रपुर लिफ्ट सिंचाई योजना पर लागत, निर्धारित सींच क्षेत्र, आधारित जलस्रोत एवं ग्रीष्म तथा शीतकाल में औसत जल उपलब्धता।

5—श्री नवप्रभात—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विकासनगर ब्लाक में रूद्रपुर लिफ्ट सिंचाई योजना स्वीकृत की गयी थी ?

यदि हाँ, तो इसकी स्वीकृत लागत क्या थी ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस सिंचाई योजना का कितना सींच क्षेत्र निर्धारित किया गया एवं यह योजना किस जल स्रोत पर आधारित है तथा इस जल स्रोत मे ग्रीष्म तथा शीत काल मे औसत जल उपलब्धता क्या है ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

योजना की लागत ₹ 60.39 लाख थी।

इस सिंचाई योजना का कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र 30 हैक्टे0 निर्धारित किया गया एवं इस योजना का जलस्रोत गोहना नदी है। इस योजना हेतु ग्रीष्मकाल में 1.50 क्यूसेक एवं शीतकाल में 3.00 क्यूसेक औसत जल उपलब्धता है।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत ग्राम भिनै मे स्वीकृति हेतु लम्बित सिंचाई योजना का निर्माण

6–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि अल्मोडा जिले की सल्ट विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भिनै मे 2009–2010 से प्रस्तावित सिंचाई योजना स्वीकृति हेतु लम्बित पडी है?

यदि हाँ, तो क्या किसानों के हित में सरकार लम्बित योजना का निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

वर्ष 2012 में प्रथम बार योजना गठन की मांग सिंचाई विभाग को प्राप्त हुई।

त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अन्तर्गत लिफ्ट सिंचाई योजना, लागत ₹ 155.24 लाख की गठित की जा चुकी है।

त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृति के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

''मनरेगा'' के अन्तर्गत प्रदेश के विकास खण्डों द्वारा वर्ष 2011-12 व 2012-13 में भेजे गये प्रस्तावित धनराशि के प्रस्ताव और स्वीकृत धनराशि तथा जॉब कार्ड धारकों को रोजगार की उपलब्धता

7–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत है कि भारत सरकार द्वारा ''मनरेगा'' के तहत सभी कार्य करने के इच्छुक लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विकास खण्डों द्वारा 2011–12 व 2012–13 हेतु कितनी धनराशि की योजनाओं के प्रस्ताव भेजे गये और कितनी धनराशि स्वीकृत की गई?

क्या सरकार मांग के अनुसार सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार उपलब्ध करा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

वर्ष 2011–2012 में प्रदेश में समस्त विकास खण्डों द्वारा कुल रू0 582.44 करोड़ की धनराशि के प्रस्ताव प्रस्तावित किये गये, जिसके सापेक्ष रू0 415.87 करोड़ की धनराशि के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये तथा वर्ष 2012–13 में प्रदेश के समस्त विकास खण्डों द्वारा कुल रू0 593.63 करोड़ की धनराशि के प्रस्ताव प्रस्तावित किये गये, जिसके सापेक्ष माह मार्च 2013 तक रू0 315.88 करोड़ की धनराशि के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत लांघा मटोगी मोटर मार्ग की स्वीकृति का वर्ष, सड़क निर्माण तथा रख रखाव एवं डामरीकरण

8–श्री नवप्रभात–

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून की तहसील एवं विकास खण्ड विकासनगर में लांघा मटोगी मोटर मार्ग प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था?

यदि हाँ, तो किस वर्ष में?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उस समय के प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रावधानों में सड़क निर्माण तथा रख रखाव के क्या निर्देश थे?

क्या इस सड़क के डामरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

वर्ष 2004 में।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गाईड लाइन के अनुसार कच्चे स्तर तक (स्टेज–1) मोटर मार्ग का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त दो वर्षा काल के पश्चात स्टेज–2 का कार्य स्वीकृत कर पक्कीकरण किये जाने का प्राविधान है तथा पाँच वर्षों तक अनुरक्षण/रखरखाव का कार्य किये जाने का प्राविधान है।

डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग में वित्तीय वर्ष 2007 के बाद कम्पनी या ठेकेदार द्वारा ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों के रखे जाने का जिलेवार पूर्ण विवरण

9–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई विभाग में ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों को रखा जाता है ?

यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से अब तक कितने श्रमिकों व कर्मचारियो को किन–किन स्थानों पर किस कम्पनी या ठेकेदार के द्वारा लगाया गया ?

क्या सरकार उक्त का जिलेवार पूर्ण विवरण देगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद ऊधमसिंहनगर के नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना।

10–श्री प्रेम सिंह–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर के नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में बन्द पड़ी नहरों को पुनः चालू कराया जाना।

11–श्री मदन कौशिक–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी नहरें पूर्ण रूप से बंद है ?

क्या सरकार उक्त नहरों को पुनः चालू करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

वर्तमान में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में 659 सं0 नहरें एवं 60 स0 लघु डाल नहरें पूर्ण रूप से बन्द हैं।

दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त 524 सं0 नहरों को तथा 57 स0 लघु डाल नहरों को मरम्मत के बाद पुनः चालू कराया जाना प्रस्तावित है।

बजट की उपलब्धता के अनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

12–श्री मदन कौशिक–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विधान सभा क्षेत्रवार आधुनिक सुविधायुक्त स्टेडियम का निर्माण

13–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में राज्य निर्माण के बाद से आज तक कोई भी आधुनिक सुविधायुक्त स्टेडियम नहीं बना है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं,तो क्यों?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों के कमी के कारण राज्य में प्रत्येक विधान सभा वार आधुनिक सुविधा युक्त स्टेडियम का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2007 के बाद ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों के रखे जाने का जिलेवार पूर्ण विवरण

14–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों को रखा जाता है ?

यदि हॉ, तो वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से अब तक कितने श्रमिको व कर्मचारियों को किन–किन स्थानों पर किस कम्पनी या ठेकेदार के द्वारा लगाया गया?

क्या मंत्री जी उनका जिलेवार विवरण देंगे?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

15–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

प्रथम मंगलवार के अता0 65 में स्थना0।

ग्राम्य विकास विभाग में वित्तीय वर्ष 2007 के बाद ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों के रखे जाने का जिलेवार पूर्ण विवरण

16–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियो को रखा जाता है?

यदि हॉ, तो वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से अब तक कितने श्रमिको कर्मचारियो को किन–किन स्थानों पर किस कम्पनी या ठेकेदार के द्वारा लगाया गया?

क्या सरकार उनका जिलेवार पूर्ण विवरण देगी?

यदि हॉ, तो कब तक?

यदि नही, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

ग्राम्य विकास विभाग में मात्र कर्मचारियों को ठेकेदारी (आउटसोर्सिंग) के आधार पर भी रखा जाता है।

विवरण संलग्न है। †

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिए नत्थी 'ख' पृष्ठ सं0–156–158 पर)

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के ब्लाक स्याल्दे में वर्ष 2010 से क्षतिग्रस्त कैहड़गांव गुनसीडा सिंचाई नहर की स्थिति

17–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत है कि जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत सल्ट विधान सभा क्षेत्र के स्याल्दे ब्लाक मे कैंहडगांव–गुनसीडा नहर वर्ष 2010 से क्षतिग्रस्त है जिस कारण नहर का पानी लोगो के घरों में घुस जाता है ?

क्या सरकार शीघ्र उक्त सिंचाई नहर की मरम्मत करायेगी ?

यदि हॉ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत सल्ट विधान सभा क्षेत्र के स्याल्दे ब्लाक मे कैंहडगांव–गुनसीडा नहर वर्ष 2010 से क्षतिग्रस्त है।

जी हॉ।

वर्तमान मे सिंचाई नहर की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, जिसे माह अक्टूबर, 2013 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में वित्तीय वर्ष 2007 के बाद ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों के रखे जाने का जिलेवार पूर्ण विवरण।

18–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग मे ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियो को रखा जाता है ?

यदि हॉ, तो वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से अब तक कितने श्रमिकों व कर्मचारियो को किन–किन स्थानों पर किस कम्पनी या ठेकेदार के द्वारा लगाया गया ?

क्या मंत्री जी उनका जिलेवार पूर्ण विवरण देंगे ?

यदि हॉ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हॉ, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मे उपनल (राज्य सरकार का उपक्रम) एवं पी0आर0डी0 (प्रान्तीय रक्षक दल) के माध्यम से संविदा के आधार पर कर्मचारियो की नियुक्ति की गई है।

वित्तीय वर्ष 2007 से वर्तमान तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में उपनल एवं पी0आर0डी0 के माध्यम से 70 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।

जनपदवार विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	जनपद का नाम	कार्मिकों की संख्या
1	देहरादून	36
2	टिहरी गढ़वाल	07
3	उत्तरकाशी	01
4	पौड़ी गढ़वाल	04
5	नैनीताल	14
6	चम्पावत	02
7	ऊधमसिंहनगर	06
	योग	70

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

राजस्व विभाग में वित्तीय वर्ष 2007 के बाद ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों के रखे जाने का जिलेवार पूर्ण विवरण

19–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों को रखा जाता है? यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से अब तक कितने श्रमिकों, कर्मचारियों को किन–किन स्थानों पर किस कम्पनी या ठेकेदार के द्वारा लगाया गया? क्या मंत्री जी उनका जिलेवार पूर्ण विवरण देंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

प्राप्त जानकारी के अनुरूप राजस्व विभाग के अन्तर्गत कम्पनी/ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों/कर्मचारियों को कतिपय जनपदों में रखा गया है जिसका विवरण निम्नवत् है–

1—नैनीताल

शिकायत प्रकोष्ठ में 01 डाटा इन्ट्री आपरेटर—सेवाप्रदाता फर्म—द ग्लोबल सोसाइटी मल्लीताल व तहसीलों के भूलेख केन्द्रों पर 12 डाटा इन्ट्री आपरेटर—डाटा आपरेटर्स कल्याण समिति, बड़ी मुखानी उत्तरांचल विहार हरिद्वार के माध्यम से रखे गये हैं।

2—टिहरी गढ़वाल

जनपद की 04 तहसील—देवप्रयाग, प्रतापनगर, जाखणीधार, घनसाली एवं उप—तहसील गजा में भूलेख अधिष्ठान में 05 कर्मचारी भूलेख कम्प्यूटर कक्ष में— मै0 बिट्स कम्प्यूटर्स, नई टिहरी के माध्यम से रखे गये हैं।

3—पिथौरागढ़

शिकायत प्रकोष्ठ में 01 कर्मचारी—आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखा गया है।

4—रूद्रप्रयाग

शिकायत प्रकोष्ठ में 01 कर्मचारी—उपनल के माध्यम से रखा गया है।

5—उत्तरकाशी

हिल्ट्रोन के माध्यम से 07 डाटा इन्ट्री आपरेटर, 02 जीप चालक, 01 इलैक्ट्रीशियन, 08 अनुसेवक, 05 चौकीदार व 01 स्वीपर कुल 24 कर्मचारी रखे गये हैं।

6—चम्पावत

शिकायत प्रकोष्ठ में 01 कर्मचारी—उपनल के माध्यम से रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में क्षतिग्रस्त बेलावाला की नहर तथा पैदल मार्ग के पुनः निर्माण की कार्यवाही

20—श्री नवप्रभात—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में उदियाबाग नाले पर बनी बेलावाला की नहर तथा पैदल मार्ग दैवीक आपदा से क्षतिग्रस्त है ?

यदि हाँ, तो इस नहर तथा मार्ग को पुनः बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री यशपाल आर्य—

जी हाँ।

बेलावाला की नहर के सिंचित क्षेत्र को टी–कट नहर द्वारा सुचारू रूप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। मार्ग (पुलिया) निर्माण हेतु ₹ 17.31 लाख की धनराशि की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव का समावेश जिला योजना 2013–14 में कर लिया गया है।

जनपद देहरादून के क्षतिग्रस्त बाड़वाला जुड्डों मार्ग की मरम्मत तथा भारी वाहनों के आवागमन हेतु कार्यवाही

21–श्री नवप्रभात–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून का बाडवाला जुड्डो मार्ग दैविक आपदा से क्षतिग्रस्त है ? यदि हॉ, तो मार्ग की मरम्मत कराकर इसे भारी वाहनों के संचालन के लिए उपयुक्त बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त मार्ग पर भारी वाहनो का आवागमन कब तक सुचारू हो जायेगा ?

श्री यशपाल आर्य–

बाडावाला जुड्डो मार्ग वर्ष 2012–13 में वर्षाकाल के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसे वर्तमान मे भारी वाहनो के आवागमन हेतु खोल दिया गया है।

जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर की क्षतिग्रस्त सिंचाई पाईपलाईन योजना डुंगेली किनारखली पड़ियारना में सिंचाई के लिए की गयी कार्यवाही

22–श्री नवप्रभात–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर की सिंचाई पाईपलाईन योजना डुंगेली–किनारखली–पडियारना दैवीक आपदा से क्षतिग्रस्त हुई है ?

यदि हॉ, तो इस सिंचाई योजना से सुचारू रूप से सिंचाई उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री यशपाल आर्य–

ऐसी कोई योजना सिचाई विभाग के अन्तर्गत विद्यमान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौडी के अन्तर्गत पट्टी हल्दूखाता, सुखरौ, सनेह में राजस्व भूमि की स्थिति तथा कब्जामुक्त करने पर विचार

23–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौडी गढवाल के अन्तर्गत

तहसील कोटद्वार के पट्टी हल्दूखात, सुखरौ, सनेह में राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड सरकार की कितनी भूमि है? क्या आप मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त भूमि पर अवैध कब्जा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उसको कब्जामुक्त करने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य–

जनपद गढ़वाल की तहसील कोटद्वार के अन्तर्गत पट्टी हल्दूखात में राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के नाम 0.081 है0 भूमि, पट्टी सुखरौ में 0.077 है0 भूमि, तथा पट्टी सनेह में 5.402 है0 भूमि दर्ज है तथा उक्त भूमियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

24–श्री नवप्रभात–

विस्तीर्णता एवं अनेक विभागों से संबंधित होने के आधार पर निरस्त।

25–श्री राजय गुप्ता–

चतुर्थ सोमवार का अता0 32 में स्थानान्तरण।

जनपद ऊधमसिंहनगर के तहसील किच्छा में तहसील एवं परगनाधिकारी कार्यालय, आवास आदि बनाने पर विचार

26–श्री राजेश शुक्ला–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि किच्छा जिला ऊधमसिंहनगर स्थित तहसील भवन अंग्रेजों के समय पर जर्जर एवं जीर्ण शीर्ण स्थिति में है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भवन के स्थान पर तहसील एवं परगनाधिकारी कार्यालय, आवास आदि बनाने पर कोई विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य–

तहसील किच्छा, जिला ऊधमसिंहनगर का भवन पुराना है। वर्ष 2011 में तहसील किच्छा में प्रशासनिक अधिकारी कक्ष तथा आवासीय भवन हेतु कुल रू0 3.32 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के समस्त विकासखण्डों में "मनरेगा" के अन्तर्गत जॉब कार्डधारी परिवार का विवरण तथा रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों को मजदूरी का भुगतान

27–श्री महावीर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के समस्त विकासखण्डों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड वार कितने जॉब कार्ड धारी परिवार हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सभी परिवारों को सौ दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है?

यदि हाँ, तो कितने परिवारो को सौ–सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है?

क्या सभी जॉब कार्ड धारक परिवारो को शासनादेश के अनुसार निर्धारित समय अवधि में मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकास खण्डवार जॉब कार्ड धारक परिवारों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	जॉब कार्ड धारक परिवारो की संख्या
1.	भिलंगना	31565
2.	चम्बा	12101
3.	देवप्रयाग	17118
4.	जाखणीधार	15313
5.	जौनपुर	14787
6.	कीर्तिनगर	11911
7.	नरेन्द्रनगर	13821
8.	प्रतापनगर	19094
9.	थौलधार	11258
	कुल योग–	146968

जी नहीं।

जनपद टिहरी में वित्तीय वर्ष 2012–13 में 4298 परिवारों को सौ दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया।

रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों को शासनादेश के अनुसार निर्धारित समयावधि में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर को प्रस्तावित धनराशि आवंटित किया जाना

28–श्री ललित फरस्वाण–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत है कि बागेश्वर जनपद में आयी आपदा से हुये नुकसान के पुनर्निर्माण व क्षतिपूर्ति हेतु जिला प्रशासन द्वारा शासन को प्रेषित 42 करोड रूपये की धनराशि के प्रस्तावों के सापेक्ष जनपद को मात्र 6 करोड की धनराशि आवंटित की गई है ? यदि हॉं, तो मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर को प्रस्तावित धनराशि कब तक आवंटित की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा शासन से ₹ 20.00 करोड की धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया, जिसके सापेक्ष विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु ₹ 12.00 करोड, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत सहायता वितरण हेतु अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान एवं कृषि इनपुट सब्सिडी मद के अन्तर्गत ₹ 3.75 करोड एवं पेयजल आपूर्ति मद में ₹ 25.00 लाख। इस प्रकार कुल ₹ 16.00 करोड (₹ सोलह करोड मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौडी के लैन्सडौन अन्तर्गत मन्दाल नदी पर वर्ष 2010 में आई आपदा प्रभावित परिवारों को देय सहायता राशि तथा क्षतिग्रस्त पुलों के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि.

29–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मन्दाल नदी पर 2010 में आई आपदा से प्रभावित परिवारों, जिनके खेत खलियान बह गये थे, को कितनी सहायता राशि दी गई है ?

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि उक्त बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त एवं बह गये पुलों के निर्माण हेतु समुचित राशि आवंटित की गई ? यदि हाँ, तो कितनी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

लैन्सडाउन विधान सभा क्षेत्र के मंदाल नदी पर 2010 में आयी आपदा से कुल 81 परिवार प्रभावित हुये थे, जिन्हें कुल ₹ 1,84,400/– की धनराशि वितरित की जा चुकी है।

लैन्सडाउन विधान सभा के अन्तर्गत मंदाल नदी पर निर्मित व बाढ़ से क्षतिग्रस्त बंजादेवी झूलापुल के पुनर्निर्माण हेतु ₹ 221.24 लाख अवमुक्त किये गये। ग्राम झर्त के पास क्षतिग्रस्त झूलापुल के पुनर्निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रूप में शासन द्वारा ₹ 12.54 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के लैन्सडौन अन्तर्गत ग्राम पलिगांव, विकास खण्ड जयहरीखाल के विस्थापन हेतु कार्यवाही

30. श्री दलीप सिंह रावत–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी के लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितने गांव भूस्खलन से प्रभावित है ?

क्या सरकार ग्राम पलिगांव विकास खण्ड जयहरीखाल के विस्थापन हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

वर्ष 2010–11 में प्राकृतिक आपदा (भूस्खलन) के कारण 06 गांव (1–सिमलसैंण, 2–ढौरी, 3–द्वारी लगा सीरोगाड, 4–मेलधार/सिद्धपुर, 5–उम्मेद् वाखल, 6–पलिगांव) प्रभावित हैं।

पुनर्वास नीति के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंहनगर की तराई में स्थित आर्टीजन वैल (पाताल कुआं) पर निर्भर किसानों के लिए लघु सिंचाई विभाग द्वारा वैकल्पिक सुविधा कराये जाने विषयक

31–श्री राजेश शुक्ला–

क्या लघु सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर की तराई में स्थित आर्टीजन वैल (पाताल कुआं) गिरते जल स्तर के कारण सूख गये है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि ऊधमसिंह नगर में कुल कितने आर्टीजन वैल है तथा इनमें से कितने पानी दे रहे हैं तथा कितने सूख गये है ?

क्या सरकार सूख गये आर्टीजन वैल पर निर्भर किसानों के लिए विभाग द्वारा वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ, जनपद ऊधमसिंह नगर की तराई में स्थित 14 आर्टीजन वैल जल स्तर गिर जाने के कारण सूख गये हैं।

जनपद ऊधमसिंह नगर में कुल 170 आर्टीजन वैल स्थापित है जिनमें से 156 आर्टीजन वैल पानी दे रहे हैं तथा 14 आर्टीजन वैल सूख गये हैं।

इस पर विचार किया जा रहा है।

प्रदेश की तहसीलों में पटवारियों की कमी को दूर किये जाने हेतु प्रयास

32–श्री राजेश शुक्ला–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में तहसील वार कितने पटवारी सर्किल हैं तथा प्रत्येक तहसील पर कुल सृजित पटवारी सर्किल के सापेक्ष कितने पटवारी तैनात हैं ?

क्या सरकार उक्त पटवारियों की कमी को दूर करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये तथा उसके परिणाम क्या हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य–

प्रदेश में कुल तहसीलवार 1216 पटवारी सर्किल सृजित है जिसके सापेक्ष कुल 930 पटवारी तैनात हैं।

रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा परगना में परगनाधिकारी कार्यालय स्थापित किये जाने तथा एस0डी0एम0 को किच्छा में बैठाये जाने के सम्बन्ध में

33–श्री राजेश शुक्ला–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जिला ऊधमसिंह नगर की किच्छा परगना के

परगनाधिकारी अपने कार्यालय सहित रूद्रपुर में बैठते हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार किच्छा की जनता की माग के अनुरूप किच्छा एस0डी0एम0 को रूद्रपुर से किच्छा भेजने एवं किच्छा में परगनाधिकारी कार्यालय स्थापित करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य–

उप जिलाधिकारी, रूद्रपुर के कार्यक्षेत्र में केवल एक तहसील किच्छा है। जिला मुख्यालय का कार्यालय रूद्रपुर होने के कारण सदर तहसील किच्छा के उप जिलाधिकारी का न्यायालय भी रूद्रपुर जिला मुख्यालय में स्थापित है। किच्छा क्षेत्र की जनता की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए उप जिलाधिकारी, रूद्रपुर सप्ताह में 02 दिन तहसील मुख्यालय किच्छा में बैठकर कार्य कर रहे हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आई0टी0पार्क के निकट नवनिर्मित राजीव गांधी क्रीड़ा मैदान के विस्तार एवं सुधारीकरण की घोषणा के सम्बन्ध में

34–श्री गणेश जोशी–

क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि दिनांक 20 जुलाई, 2012 को राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम के देहरादून स्थित नवनिर्मित मुख्यालय भवन के शुभारम्भ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आई0टी0पार्क के निकट नवनिर्मित राजीव गांधी क्रीडा मैदान के विस्तार एवं सुधारीकरण की घोषणा की गयी थी?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूपक कार्य शुरू कर लिया गया है?

यदि हाँ, तो कितना कार्य हो चुका है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में संयुक्त परिवारों से अलग हो रहे परिवारों को राशन कार्ड जारी करने हेतु की गयी कार्यवाही

35–श्री ललित फरस्वाण–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में संयुक्त परिवारों से अलग हो रहे परिवारों को राशन कार्ड जारी नहीं हो रहे है ?

यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं, प्रदेश में संयुक्त परिवारों का विघटन होने पर उन्हें नये राशनकार्ड जारी किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

डी०आर०डी०ए० के समस्त कर्मचारियों को रेखीय विभाग में समायोजन

36–श्री महावीर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य के सभी जिलों के ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालयों में परियोजना निदेशक, सहायक परियोजना निदेशक तथा डी०आर०डी०ए० के समस्त कर्मचारियों को भारत सरकार ने राज्यों को 1999 में निर्देशित किया था कि डी०आर०डी०ए० के समस्त कर्मचारियों का समायोजन रेखीय विभाग में किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार परियोजना निदेशक, अपर परियोजना निदेशक, सहायक परियोजना निदेशक की भांति डी०आर०डी०ए० के समस्त कर्मचारियों को रेखीय विभाग में समायोजित करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

वर्ष 1999 में भारत सरकार द्वारा डी०आर०डी०ए० के ऐसे कर्मी जो सीधी भर्ती से डी०आर०डी०ए० में नियुक्त किये गये थे, को रेखीय विभागों में समायोजित किये जाने हेतु राज्यों को सुझाव/परामर्श दिया गया था।

डी०आर०डी०ए० में सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मियों को रेखीय विभाग में समायोजित करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत निर्मित सड़कों के विस्तार व डामरीकरण तथा जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की प्रगति.

37—श्री ललित फरस्वाण—

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत निर्मित सडकों का विस्तार किये जाने व डामरीकरण करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में प्रधानमंत्री सडक योजना से निर्मित सडकों की क्या प्रगति है तथा किन–किन सडकों पर कार्य किया जाना है?

श्री प्रीतम सिंह—

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत पूर्व में निर्मित सडकों का वर्तमान में विस्तार किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन डामरीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है।

जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत निर्मित सडकों की प्रगति का विवरण संलग्न है। †

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत कंडारखुवा पट्‌टी, न्याय पंचायत अलमीया काण्डे, विकासखण्ड ताडीखेत में गैस आपूर्ति कराये जाने विषयक

38—श्री अजय टम्टा—

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा, क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत कंडारखुवा पट्‌टी, न्याय पंचायत अलमीया काण्डे, विकासखण्ड–ताडीखेत, जिला–अल्मोडा में गैस, आपूर्ति कब से की जा रही है व कहाँ से की जा रही है ?

क्या सरकार इन उपभोक्ताओं को अल्मोडा से गैस आपूर्ति करने के लिए विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह—

विधान सभा सोमेश्वर के अन्तर्गत कंडारखुवा पट्‌टी न्याय पंचायत अलमीया काण्डे विकासखण्ड–ताडीखेत, जिला–अल्मोडा में, क्षेत्र के उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति उनकी सुविधानुसार रानीखेत गैस सर्विस रानीखेत से, वर्ष 2006–07 से की जा रही है।

---

† देखिये नत्थी 'ग' पृष्ठ संख्या 159–160 पर

इस विषय में, कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद देहरादून के ऋषिकेश विधान सभा के बापूग्राम को राजस्व ग्राम घोषित किया जाना।

39—श्री प्रेमचन्द अग्रवाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र के बापूग्राम को राजस्व ग्राम घोषित किया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

श्री यशपाल आर्य—

बापूग्राम वन विभाग की भूमि पर स्थित है। वन भूमि कि हस्तारण के बिना इसे राजस्व ग्राम बनाया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के मसूरी में अवस्थित भिलाड़ू खेल मैदान को राजकीय स्टेडियम बनाये जाने पर विचार

40—श्री गणेश जोशी—

क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के मसूरी में अवस्थित भिलाड़ू खेल मैदान को राजकीय स्टेडियम बनाये जाने का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त खेल मैदान के विस्तारीकरण के लिये कोई योजना बनाये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिनेश अग्रवाल—

जी हाँ।

नगर पालिका परिषद् मसूरी द्वारा उक्त खेल मैदान की भूमि खेल विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण के पश्चात् ही उक्त स्थल पर राजकीय स्टेडियम बनाये जाने पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

41—श्री गणेश जोशी—

स्थगित।

जनपद देहरादून के ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र में पशुलोक, असेना, डोबरा (विस्थापित क्षेत्र) को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने पर विचार

42—श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश में पशुलोक, असेना, डोबरा (विस्थापित क्षेत्र) को राजस्व ग्राम घोषित करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो सरकार कितने वर्ष के अन्दर राजस्व ग्राम घोषित करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री यशपाल आर्य—

जी नहीं।

वर्तमान में पशुलोक, असेना, डोबरा (विस्थापित क्षेत्र) को राजस्व ग्राम बनाये जाने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं है।

जनपद पौड़ी के लैंन्सडौन अन्तर्गत स्टेडियम/मिनी स्टेडियम बनाने की योजना

43—श्री दलीप सिंह रावत—

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी के लैंन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्टेडियम/मिनी स्टेडियम बनाने की सरकार की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिनेश अग्रवाल —

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के लैंन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्टेडियम निर्माण किये जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद टिहरी के घनसाली विधान सभा क्षेत्र के तहसील घनसाली का पुनर्गठन कर जनहित में नवीन बालगंगा तहसील का सृजन

44—श्री भीमलाल आर्य—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र घनसाली की सिमांत, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील—घनसाली का पुनर्गठन कर व्यापक जनहित में नवीन बालगंगा तहसील का सृजन करने पर सरकार कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य–

तहसील धनसाली के अन्तर्गत नई तहसील नवीन बालगंगा के सृजन हेतु शासन को प्राप्त प्रतिवेदन पर राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश के नगरीय क्षेत्र की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौहल्ला स्वच्छता समिति के माध्यम से सफाई व्यवस्था.

45–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश नगरीय क्षेत्र की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौहल्ला स्वच्छता समिति के माध्यम से सफाई व्यवस्था कराने पर सरकार विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री प्रीतम सिंह–

पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–126/XII/09/86(38)/08 दिनांक 25 फरवरी, 2009 द्वारा प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में "ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता उप समिति" का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के विधान सभा ऋषिकेश में रसोई गैस का कोटा बढ़ाया जाना।

46–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश में जनता को रसोई गैस की कमी की समस्या के निवारण हेतु रसोई गैस का कोटा बढ़ाया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश में रसोई गैस की कमी की कोई समस्या नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बी0पी0एल0/ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति वितरित राशन का विवरण तथा राशन की मात्रा बढ़ाये जाने पर विचार

47–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में बी0पी0एल0/ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति कितना राशन वितरित किया जा रहा है ?

क्या उक्त राशन की मात्रा बढ़ाई जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों हेतु प्रतिमाह 35 किग्रा0 प्रतिकार्ड (गेहूं–10.250, चावल 24.750 कि0ग्रा0 जनपद हरिद्वार हेतु गेहूँ–22.860, चावल–12.140 किग्रा0) ए0पी0एल0 कार्डधारकों को प्रतिमाह 15 किग्रा0 प्रतिकार्ड (गेहूं–10.00, चावल–5.00 किग्रा0) खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।

वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी के लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उपभोक्ताओं तक गैस सिलेण्डर पहुंचाने हेतु नये वितरण स्थलों का चिन्हीकरण तथा विवरण

48–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी के लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उपभोक्ताओं तक गैस सिलेण्डर पहुंचाने हेतु नये वितरण स्थलों को चिन्हित किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो उनका विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

लैन्सडौन विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कार्डोंखाल (कौडिया), पीडा, कंडोली व कामाक्षी गैस सर्विस धुमाकोट के अन्तर्गत स्थान कार्डोंनाला, बजादेवी में नये विस्तार पटल खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के सहसपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में

49–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के सहसपुर विधान सभा क्षेत्र के जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं है उन क्षेत्रों में नलकूप लगाने की सरकार की कोई योजना है?

यदि हाँ, तो नलकूप कब तक लगाये जायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

विधानसभा सहसपुर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 20 नलकूप निर्माणाधीन हैं, जो वर्ष 2014–15 में पूर्ण कर लिये जाने प्रस्तावित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के सहसपुर वि0स0 क्षेत्र के ग्राम सभा शंकरपुर में प्रस्तावित नलकूप का निर्माण

50–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के सहसपुर विधान सभा शंकरपुर में सिंचाई हेतु नलकूप निर्माण प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो कब तक नलकूप लगा दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

ग्राम सभा शंकरपुर में वर्ष 2013–14 में एक मिनी नलकूप लगाया जाना प्रस्तावित है, जो माह मार्च 2014 तक स्थापित किया जाना संभावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लेखपालों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही

51–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में लेखपालों के कितने पद रिक्त हैं?

क्या सरकार खाली पदों पर नियुक्ति करने पर विचार करेगी

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य–

प्रदेश में कुल 112 लेखपालों के पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

उत्तराखण्ड लेखपाल सेवा नियमावली के प्रख्यापन की कार्यवाही शासन स्तर पर गतिमान है। नियमावली प्रख्यापन के उपरांत खाली पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं, उठता।

52–श्री भीमलाल आर्य–

अनेक विभागों से सबंधित होने के आधार पर निरस्त।

53–श्री भीमलाल आर्य–

आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

जनपद पिथौरागढ़ में खेल विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि का चयन

54–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ में खेल विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है?

यदि हाँ, तो क्या भूमि चयन कर ली गयी है तथा निर्माण की प्रक्रिया कब तक प्रारम्भ कर ली जायेगी?

यदि नही, तो क्यों?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी हाँ।

भूमि चयन की कार्यवाही गतिमान है तथा मानकानुसार भूमि खेल विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरित होने के उपरान्त ही जनपद पिथौरागढ मे खेल विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रूद्रपुर अन्तर्गत किच्छा क्षेत्र में दैवीय आपदा से हुए नुकसान हेतु अवमुक्त धनराशि

55–श्री राजेश शुक्ला–

क्या दैवीय आपदा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस वर्ष जून माह में हुई अत्यधिक वर्षा के कारण जनपद रूद्रपुर के अन्तर्गत किच्छा क्षेत्र में दैवीय आपदा से हुए नुकसान की सरकार के पास कोई सूचना है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि किच्छा तहसील में कहां और क्या क्षति हुई है तथा सरकार इसके लिए कितना धन कब तक देगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

तहसील किच्छा के अन्तर्गत माह जून, 2013 में प्राकृतिक आपदा से कोई परिवार प्रभावित नहीं हुआ है। अतिवृष्टि से लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर के 09 मार्गों की सतह को क्षति पहुँची है जिनके पुनर्निर्माण हेतु जनपद स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर की 07 बाढ़ सुरक्षा/मरम्मत योजनाओं हेतु ₹ 108.71 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। इसके अतिरिक्त अधिसूचित आपदाओं में हुई क्षतियों के लिये जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर के निवर्तन कुल ₹ 11.00 करोड़ की धनराशि रखी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के वि0स0 क्षेत्र घनसाली में गैस गोदाम खोलने हेतु कार्यवाही

56–श्री भीमलाल आर्य–

क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र घनसाली के चमियाला में गैस गोदाम खोलने हेतु सरकार कार्यवाही कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक इण्डेन गैस गोदाम (एजेन्सी) खोली जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित, घनसाली गैस सर्विस से चमियाला 08 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। घनसाली गैस सर्विस द्वारा चमियाला में स्थापित विस्तार बिन्दु से चमियाला को गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर में परिवारों के विभाजन के बाद नये परिवारों को राशन कार्ड जारी न किये जाने का कारण

57–श्री राजेश शुक्ला–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर में नये राशनकार्ड बनाने पर रोक लगाई गई है ?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि संयुक्त परिवारो के विभाजन के पश्चात् राशन कार्ड जारी करने की नीति अब बंद कर दी गई है ?

यदि हाँ, तो कब से ?

यदि नहीं, तो फिर परिवारों के विभाजन के बाद नये परिवारों को राशन कार्ड क्यो नहीं जारी किये जा रहे है ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त परिवारों के विभाजन के पश्चात् नये परिवारों को नियमानुसार राशनकार्ड जारी किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवारों के विभाजन होने की दशा में जांचोपरान्त, सही पाये जाने पर राशनकार्ड निर्गत किये जाते हैं।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध निर्माण कर रहे बिल्डरों के विरूद्ध कार्रवाई

56–श्री राजेश शुक्ला–

क्या राजस्व मंत्री अवगत है कि राज्य के विभिन्न जिलों में बिल्डरों द्वारा अवैध रूप से आवासीय कालोनियों का निर्माण किये जाने से कृषि भूमि की निरन्तर कमी हो रही है? यदि हाँ, तो सरकार इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि किच्छा तहसील क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि विनाश अधिनियम की धारा–143 (लैण्ड यूज चेंज) कराकर कुल कितनी आवासीय कालोनियों का निर्माण किया जा रहा है? क्या बिना भूमि परिवर्तन कराये अवैध रूप से कालोनी बना रहे बिल्डरों के विरूद्ध सरकार कोई कार्रवाई करेगी?

यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य–

प्रदेश में जिला देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, टिहरी गढ़वाल, चमोली एवं जिला रूद्रप्रयाग में बिल्डरों द्वारा अवैध कालोनियों के निर्माण की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। जिला हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर में कतिपय अवैध कालोनियाँ प्रकाश में आयी हैं।

तहसील किच्छा में 75 ऐसी कालोनियाँ प्रकाश में आयी है, जिनके द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, इन सभी के विरूद्ध आर0बी0ओ0 एक्ट में कार्यवाही की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

59—श्री भीमलाल आर्य—

द्वितीय मंगलवार के अता0 12 में स्थाना0।

जनपद बागेश्वर के बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र मे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अन्तर्गत मोटर मार्ग व उनके डामरीकरण एवं वन भूमि नामान्तरण की स्थिति.

60—श्री चन्दन राम दास—

60. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र में कितनी सडक प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत आती है तथा इसमें डामरीकरण भूमि नामांतर की क्या कार्यवाही चल रही है?

क्या मंत्री जी उपरोक्त का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री प्रीतम सिंह—

जनपद बागेश्वर के बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र मे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत 22 मोटर मार्ग आते हैं, जिनके डामरीकरण एव वन भूमि नामान्तरण की स्थिति का विवरण संलग्न है। †

जी हाँ।

जनपद बागेश्वर की काफलीगैर (का0पुड़िया) उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा दिये जाने पर विचार

61—श्री चन्दन राम दास—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर की काफलीगैर (का0पुडिया) उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा दिए जाने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, क्यों?

श्री यशपाल आर्य—

जनपद बागेश्वर की काफलीगैर (का0पुडिया) उप तहसील का दर्जा दिये जाने के प्रस्ताव पर शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है, परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिए नत्थी "ग" पृष्ठ सं0 161 पर)

जनपद देहरादून अन्तर्गत ऋषिकेश स्थित तहसील कालोनी में चोक (बन्द) हुए सीवर लाइन व गटर की परेशानी से निजात दिलाने हेतु विचार

62. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश स्थित तहसील कालोनी में सन् 2003 में बनी सीवर लाईन व गटर तब से ही चोक (बन्द) है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार कालोनियों को इस परेशानी से निजात दिलाने हेतु विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश स्थित तहसील कालोनी में सन् 2003 में कोई सीवर लाईन का निर्माण तहसील निर्माण के समय व बाद में नहीं किया गया है। तहसील कालोनी के आवासीय भवनों के गन्दे पानी जैसे बाथरूम/टायलेट को पाईप लाईन से जोड़कर सोकपिट में डाला गया है। वर्तमान समय में तहसील कालोनी का कोई भी सोकपिट भरकर ओवर फ्लो नहीं हो रहा है।

प्रदेश में विकास खण्डों की संख्या एवं विकास खण्डवार ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की नियुक्ति

63–श्री राजेश शुक्ला–

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने विकास खण्ड है तथा विकास खण्डवार कुल कितने ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के पद सृजित हैं तथा प्रत्येक विकास खण्ड में कुल ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के पदों के सापेक्ष प्रत्येक विकास खण्ड कितने ग्राम्य पंचायत विकास अधिकारी नियुक्त है ?

सरकार रिक्त पदों के सापेक्ष ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की नियुक्ति कब तक करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

प्रदेश में विकास खण्डों की कुल संख्या–95 तथा विभाग में प्रदेश स्तर पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के कुल स्वीकृत 1175 पदों के सापेक्ष 419 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कार्यरत हैं।

राज्य के 13 जनपदों के सापेक्ष जनपद देहरादून, बागेश्वर एवं रूद्रप्रयाग में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है तथा शेष जनपदों में नियुक्ति की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल के अंतिम निर्णयानुसार की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिला क्रीडाधिकारी व उप क्रीडाधिकारी के रिक्त एवं आरक्षित पदों का विवरण

64–श्री नन्दन राम द्वारा–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जिला खेल एवं जिला उप क्रीडा अधिकारियों की कमी है?

यदि हाँ, तो इन पदों को भरने के लिए खेल विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में जिला क्रीडा अधिकारी एवं उपक्रीडा अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं एवं आरक्षित पदों का विवरण क्या है?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी हाँ।

रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वर्तमान में जिला क्रीडा अधिकारी के 05 तथा उप क्रीडा अधिकारी के 06 पद रिक्त है। इन पदों के सापेक्ष आरक्षित पदों की स्थिति निम्नानुसार है–

जिला क्रीडाधिकारी– 01 पद (अ0पि0व0)

उप क्रीडा अधिकारी– 02 पद (अनु0 जाति)

65. श्री नन्दन राम द्वारा–

द्वितीय मंगलवार के अता0 04 में स्थाना0

जनपद ऊधमसिंहनगर अन्तर्गत ग्राम रनसाली को राजस्व ग्राम का दर्जा,

66–श्री प्रेम सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के ग्राम रनसाली को राजस्व गांव का दर्जा देने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के अन्तर्गत स्थित ग्राम रनसाली पूर्व से ही राजस्व ग्राम है, जिस कारण राजस्व ग्राम का दर्जा दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव नहीं है।

जनपद ऊधमसिंह नगर के वि0स0 क्षेत्र नानकमत्ता में निहाई नदी के खुदान व पीचिंग कार्य

67–श्री प्रेम सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के ग्राम ऐंचता, बीही, में निहाई नदी का खुदान जे0सी0बी0 मशीन द्वारा एवं पीचिंग लगाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जनपद ऊधमसिंहनगर तहसील सितारगंज में दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत ग्राम ऐंचता में निहाई नदी के चौड़ीकरण हेतु क्यूरेट खुदान व डाईवर्जन कार्य की योजना, लागत ₹ 19.89 लाख व ग्राम बीही मे निहाई नदी के चौड़ीकरण हेतु क्यूरेट खुदान व डाईवर्जन कार्य की योजना, लागत ₹ 19.75 लाख अर्थात् कुल धनराशि ₹ 39.64 लाख के प्राक्कलन जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये हैं।

दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर से स्वीकृत के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में "मौहल्ला स्वच्छता समिति" गठित करने पर विचार

68–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगरीय क्षेत्र की भांति प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो में भी "मौहल्ला स्वच्छता समिति" गठित कर उसके माध्यम से वहां सफाई व्यवस्था कराने हेतु सरकार विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री प्रीतम सिंह–

पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–126/XII/09/86(38)/08 दिनांक 25 फरवरी, 2009 द्वारा प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में "ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता उप समिति" का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

69–श्री नन्दन राम दास–

स्थगित।

जनपद ऊधमसिंहनगर में वि0स0 क्षेत्र गदरपुर में बैरा व हरपुरा जलाशय से सिल्ट मिट्टी हटाने के संबंध में

70–श्री अरविन्द पाण्डे–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र गदरपुर में बैरा जलाशय और हरपुरा जलाशय के अन्दर काफी सिल्ट मिट्टी इकट्ठा हो गई हैं?

क्या सरकार उस मिट्टी को हटाने का प्रबन्ध कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बांधों (Earten Dam) में जमा सिल्ट को निकाला जाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

जनपद देहरादून में बिन्दाल व रिस्पना नदी के तटों पर बाढ़ सुरक्षा हेतु दीवार बनाने पर विचार

71–श्री हरबन्स कपूर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून महानगर क्षेत्र में स्थित बिंदाल नदी के तटों पर नियोजित योजना के अन्तर्गत बाढ़ से सरकार सुरक्षा हेतु दीवार बनायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

देहरादून महानगर क्षेत्र में स्थित बिन्दाल नदी एवं रिस्पना नदी के तटों पर यथावश्यकता बाढ़ सुरक्षा कार्य निर्माणाधीन हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के यमकेश्वर में बाढ़ सुरक्षा हेतु कार्यों का विवरण तथा यमकेश्वर स्थित गंगातट पर तटबन्ध बनाये जाने पर विचार

72–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल में बाढ़ सुरक्षा हेतु क्या–क्या और कहां–कहां कार्य किये गये है ?

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में पड़ने वाले गंगातट की कृषि भूमि व बस्तियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु मजबूत गंगा तटबन्ध बनायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

विधानसभा यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल में वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में 07 सं0 बाढ़ सुरक्षा कार्य कराये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

वर्ष 2011–12

1. तलाई ग्राम की सुरक्षा हेतु नीलकंठ गधेरे पर बाढ़ सुरक्षा योजना धनराशि ₹ 9.91 लाख।
2. ग्राम ताल हेतु बिन्दवासिनी नदी के कटाव की सुरक्षा एवं बाढ़ सुरक्षा योजना धनराशि ₹ 9.72 लाख।
3. ग्राम जोगियाणा की हिवल नदी से बाढ़ सुरक्षा हेतु धनराशि ₹ 9.93 लाख।
4. एस0सी0एस0पी0 मद के अन्तर्गत बैरागढ़ ग्राम की कुल्ताकाटली गधेरे से सुरक्षा हेतु बाढ़ योजना धनराशि ₹ 9.69 लाख।

वर्ष 2012–13

1. एस0सी0एस0पी0 मद के अन्तर्गत हिवल के बायें तट पर कुल्ताकाटली गधेरे पर ग्राम बैरागढ़ की बाढ़ सुरक्षा योजना धनराशि ₹ 9.68 लाख।
2. सतेड़ी नदी से ग्राम सीला ठीगाबाज की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना धनराशि ₹ 9.95 लाख।

3. ग्राम अमोली की सुरक्षा हेतु लाल पानी एवं मालन नदी पर विशेष सहायता मद के अन्तर्गत धनराशि ₹ 103.10 लाख की योजना ₹ 41.00 लाख वर्ष 2012–13 में व्यय किया जा चुका है तथा ₹ 62.10 लाख वर्ष 2013–14 के व्यय हेतु प्रस्तावित किया गया है।

गंगा नदी की बाढ़ से गंगा नदी के तट पर स्थित ग्राम भोगपुर तल्ला की भूमि व बस्ती को सुरक्षा प्रदान करने हेतु योजना प्रस्तावित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी में गठित सहकारी कृषि संसाधन समितियों का विवरण एवं डिफाल्टर समितियों का संचालन तथा समिति सचिवों की नियुक्ति के संबंध में

73–श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में कुल कितनी सहकारी कृषि संसाधन समितियों का गठन किया गया है तथा इनमें से कितनी डिफाल्टर हैं ?

क्या सरकार डिफाल्टर समितियों का संचालन सुचारू रूप से चलायेगी तथा प्रति समिति सचिवों की नियुक्ति भी करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी नहीं।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में सहकारी कृषि संसाधन समितियों का गठन नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद देहरादून के वि0स0 क्षेत्र धनोल्टी के आपदाग्रस्त गांवों के विस्थापन पर विचार

74–श्री महावीर सिंह–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 16, 17 जून को हुई अतिवृष्टि से विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के परोडी, सिजल, पापरा मल्ला व थत्युड़ बाजार आदि आपदाग्रस्त गांव को सरकार विस्थापित करने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ। आपदा से प्रभावित ग्रामों के प्रस्ताव प्राप्त होने तथा विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुरूप पाये जाने पर प्रभावित ग्रामों को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अधीन विस्थापित/पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में सल्ट तहसील का नाम ''खुमाड़ सल्ट'' कराये जाने विषयक

75–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्र संख्या 9368/नौ–आर०ए०/2011–12 दिनांक 07.07.2012 में सल्ट तहसील का नाम ''खुमाड सल्ट'' किये जाने वाले प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या खुमाड के वीर सपूतों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में की गई शहादत का सम्मान करते हुए सल्ट तहसील का नाम ''खुमाड सल्ट'' करायेगी? यदि हां, तो सल्ट तहसील का नाम खुमाड सल्ट कब तक दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य–

तहसील सल्ट का नाम परिवर्तित कर सल्ट खुमाड किये जाने हेतु शासन स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। यथा प्रक्रिया भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही नाम परिवर्तन किया जाना संभव है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के गरूड़ विकास खण्ड में गोमती नदी से सिंचित भूमि एवं गांवों को बहने से बचाने हेतु कार्य योजना।

76–श्री चन्दन राम दास–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत गरूड विकास खण्ड में ग्राम तैलिहाट, माल्दे में गोमती नदी ने काफी मात्रा में कृषि भूमि काट कर अपना रास्ता बदल दिया है?

यदि हाँ, तो गोमती से सिंचित भूमि एवं गावों को बहने से बचाने के लिए सरकार कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

जी हाँ।

सर्वेक्षण एवं उपादेयता के दृष्टिगत परीक्षणोपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के तीनों विकास खण्डों में ग्रामसभा वार मनरेगा की आवंटित धनराशि विवरण

77–श्री चन्दन राम दास–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मनरेगा की धनराशि के आवंटन का कोई निर्धारित मानक है?

यदि हाँ, तो विगत 3 वर्षों से बागेश्वर जनपद के तीनों विकास खण्डों में ग्रामसभा वार धनराशि किस प्रकार से बांटी गयी है?

क्या सरकार धनराशि सहित विवरण प्रस्तुत करने का कष्ट करेगी?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

जनपद बागेश्वर के तीनों विकास खण्डों के ग्राम सभाओं में मांग के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी।

विवरण संलग्न है। †

प्रदेश में ग्राम प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के प्रतिनिधियों को वर्षवार आवंटित मानदेय धनराशि का विवरण

78–श्री चन्दन राम दास–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत व सदस्य जिला पंचायत के प्रतिनिधियों को मानदेय देने का प्रावधान है?

यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों में प्रदेश में कितनी धनराशि वर्षवार आवंटित की गयी है?

यदि नहीं, तो कब तक मानदेय आवंटन का कार्य किया जायेगा ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

---

† देखिये नत्थी 'क' पृष्ठ संख्या 162–173 पर

विगत तीन वर्षों में ग्राम प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत व सदस्य जिला पंचायत के प्रतिनिधियों को आवंटित मानदेय का विवरण निम्न प्रकार है–

ग्राम प्रधान/उप प्रधान/प्रमुख/उप प्रमुख/सदस्य क्षेत्र पंचायत को वर्ष 2010–11 में रू0 7.30.30.800.00, वर्ष 2011–12 में रू0 7.86.18.832.00 तथा वर्ष 2012–13 में रू0 8.58.34.176.00 एवं जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य को वर्ष 2010–11 में रू0 10.36.542.00, वर्ष 2011–12 में रू0 11.22.127.00 तथा वर्ष 2012–13 में रू0 14.98.585.00।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत के बाराकोट उप तहसील को उच्चीकृत कर तहसील का दर्जा देने पर विचार

79–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के बाराकोट उप तसहील को उच्चीकृत कर तहसील का दर्जा देने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य–

जनपद चम्पावत के बाराकोट उप तहसील को उच्चीकृत कर तहसील का दर्जा दिये जाने के प्रस्ताव पर शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है, परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के थल माउन्टेश्वरी विद्यालय के पास रामगंगा नदी पर तटबन्ध बनाने हेतु विचार

80–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के थल माउन्टेश्वरी विद्यालय के पास राम गंगा नदी के कटाव से मकान एवं दुकानों को खतरा बना हुआ है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार भूमि कटान को रोकने हेतु तटबन्ध बनाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

जी हाँ।

सर्वेक्षण एवं उपादेयता के दृष्टिगत परीक्षणोपरान्त।

प्रश्न नहीं, उठता।

81–श्री चन्दन राम दास–

द्वितीय मंगलवार के अता0 03 में स्थाना0।

जनपद बागेश्वर में पृथक सहकारी बैंक की स्थापना पर विचार

82–श्री चन्दन राम दास–

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर जिले में प्रथम सहकारी बैंक बनाने हेतु कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो अलग जिला सहकारी बैंक का दर्जा कब तक मिल जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं, उठता।

बागेश्वर में जिला सहकारी बैंक, अल्मोड़ा की शाखायें पूर्व से कार्यरत हैं। जिले मे पृथक जिला सहकारी बैंक के गठन का प्रस्ताव "राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" (नाबार्ड) को सहमति हेतु भेजा गया था, किन्तु पृथक जिला सहकारी बैंक की स्थापना व्यवहार्य न पाये जाने के कारण नाबार्ड की सहमति प्राप्त नही हुई। नाबार्ड द्वारा पृथक जिला सहकारी बैंक की स्थापना पर आपत्ति व्यक्त करते हुए उक्त प्रस्ताव वापस कर दिया गया है।

जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के मालढुंग जलाशय योजना की प्रगति का विवरण

83–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के मालढुंग जलाशय योजना की प्रगति का विवरण क्या है ?

श्री यशपाल आर्य–

जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत मालढुंग जलाशय के निर्माण से सम्बन्धित प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्यों के लिए ₹ 28.02 लाख का आगणन विभागाध्यक्ष, सिंचाई के कार्यालय के पत्रांक 207/मु0अ0वि0/नियोजन/पी–27 (प्लान), दिनांक 30.01.2013 द्वारा केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली को धनावंटन हेतु प्रेषित किया गया था। केन्द्रीय जल आयोग के पत्र संख्या 2/2/Inv/2013–RMCD/2323–24, दिनांक 11 जून, 2013 द्वारा उक्त आगणन पर लगाई गई आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा पर जनपद बागेश्वर में शामा को उप तहसील बनाये जाने हेतु शासनादेश

84–श्री ललित फरस्वांण–

क्या राजस्व मंत्री अवगत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 13.01.2013 को उत्तरायणी मेला बागेश्वर के उद्घाटन समारोह के अवसर पर शामा को उप–तहसील बनाये जाने की घोषणा की गई है?

यदि हाँ, तो घोषणा पर शासनादेश कब तक जारी होगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत उप–तहसील शामा के सृजन की कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसी संस्था या ट्रस्ट को दान की जा रही भूमि की रजिस्ट्री की अनुमति जिला स्तर पर किये जाने हेतु विचार

85–श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री अवगत है कि प्रदेश में वर्तमान में किसी संस्था या ट्रस्ट को भूमि दान में देने पर रजिस्ट्री कराने हेतु शासन स्तर से अनुमति लेने की वर्तमान व्यवस्था से काफी परेशानी के साथ–साथ काफी समय लगता है?

क्या सरकार दान की जा रही भूमि की रजिस्ट्री की अनुमति शासन स्तर के स्थान पर जिला स्तर पर करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य–

संगत अधिनियम के अन्तर्गत भूमि अन्तरण से सम्बन्धित प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्तावों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप स्वीकृतियाँ निर्गत की जाती हैं।

जी नहीं।

वर्तमान में ऐसा कोई संशोधन प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी से शासन में प्राप्त अथवा लम्बित नहीं है।

जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड नारसन के प्रत्येक ग्राम पंचायत को वर्ष 2012-13 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि

86–श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत विकास खण्ड नारसन के अन्तर्गत मनरेगा योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत को 2012–13 में कितनी धनराशि प्रदान की गयी तथा तत्संबंधी विवरण क्या है?

श्री प्रीतम सिंह–

जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड नारसन में मनरेगा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में 59 ग्राम पंचायतों हेतु कुल रू0 221.865 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

ग्राम पंचायतवार विवरण संलग्न है। †

प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त एन0जी0ओ0 का विवरण

87–श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत कितने एन0जी0ओ0 को अनुदान प्रदान किया गया है?

क्या मंत्री जी अनुदान पाने वाली एन0 जी0ओ0 का नाम एवं पता व प्रदान धनराशि का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री प्रीतम सिंह–

प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत किसी भी एन0जी0ओ0 को कोई भी अनुदान प्रदान नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† देखिए नत्थी 'क' पृष्ठ सं0 174–175 पर

माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा पर शामा एवं धरमघर से गैस गोदाम की स्वीकृति हेतु शासनादेश

88–श्री ललित फरस्वाण–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा सं०–620/2012 से शामा एवं धरमघर में गैस गोदाम की स्वीकृति की घोषणा की गई है?

यदि हाँ, तो घोषणा में शासनादेश कब तक होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

गैस गोदाम के निर्माण हेतु सचिव, तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से गैस एजेन्सी स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है। गैस एजेन्सी स्वीकृत होने के पश्चात् गोदाम निर्माण हेतु भूमि चयन, बजट प्राविधान एवं आगणन इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

89–श्री ललित फरस्वाण–

स्थगित।

माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा पर जनपद बागेश्वर के दैवीय आपदा जोन (कपकोट) में बाढ़ सुरक्षा हेतु धनावंटन

90–श्री ललित फरस्वाण–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा सं० 616/2012 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के दैवीय आपदा जोन (कपकोट) में बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रम हेतु धन आवंटित किये जाने की घोषणा की गई है ?

क्या मंत्री यह भी अवगत हैं कि इस वर्ष भी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है?

यदि हाँ, तो घोषणा के अनुरूप बाढ़ सुरक्षा हेतु धन आवंटित कब तक किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ। क्षेत्र सर्वेक्षणोपरान्त बाढ़ सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा तीन योजनायें धनराशि ₹ 24.91 करोड़ गठित कर ली गयी हैं।

जी हाँ।

स्वीकृति के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के मंगलौर विधान सभा के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय खेल का मैदान बनाने पर विचार

91—श्री सरवत करीम अंसारी—

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार के मंगलौर विधान सभा के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय खेल का मैदान बनाने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिनेश अग्रवाल—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद टिहरी अन्तर्गत बूढ़ाकेदार क्षेत्र में अवस्थित प्राकृतिक जलाशयों (तालों) की उच्च स्तरीय भू वैज्ञानिक जांच तथा सुरक्षा प्रबन्धन एवं सम्वर्द्धन हेतु कार्य

92—श्री भीमलाल आर्य—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार दैवीय आपदा/त्रासदी 2013 से प्रभावित विधान सभा क्षेत्र घनसाली के बूढ़ाकेदार क्षेत्र की उंची पर्वत श्रृंखलाओं में अवस्थित प्राकृतिक जलाशयों (ताल) महासर ताल, सहस्त्रताल, जराललाल, मज्याडताल आदि की उच्च स्तरीय भू–वैज्ञानिक जांच करायेगी ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त तालों/जलाशयों द्वारा भविष्य में भारी प्राकृतिक त्रासदी न हो, इसके लिये सरकार सुरक्षा प्रबन्धन, सम्वर्द्धन पर कार्य करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक?

श्री यशपाल आर्य—

जी हाँ।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र घनसाली में विभिन्न गाड़ों से होने वाले भारी तबाही की रोकथाम हेतु बाढ़ नियंत्रण सुरक्षा कार्य पर विचार

93–श्री भीमलाल आर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दैवीय आपदा/त्रासदी 2013 से प्रभावित विधान सभा क्षेत्र घनसाली के आपदा क्षेत्र आरागढ़ गाड, बालगंगा, धर्मगंगा, कोन्तीगाड, नैलचामी गाड, पौखाल गाड, सेन्ट्रल बाल गंगा, जगदी गाड, कोटी जाख गाड व रोकथाम हेतु सरकार बाढ़ नियंत्रण सुरक्षा कार्य यथाशीघ्र करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ। नैलचामी गाड एवं कोटी जाख गाड की बाढ़ सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा 01 योजना ₹ 1493.28 लाख गठित कर गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना को प्रेषित की जा चुकी है। बालगंगा व धर्मगंगा पर क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत हेतु दैवीय आपदा के अन्तर्गत प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं। शेष क्षेत्रों में स्थलीय निरीक्षण/सर्वेक्षणोपरान्त उपादेयता के दृष्टिगत योजना तैयार किये जाने पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के मल्ला दानपुर में विद्यमान खाद्य सुरक्षा योजना के अतिरिक्त नई योजना

94–श्री ललित फरस्वाण–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के सुदूरवर्ती क्षेत्र मल्ला दानपुर में वर्तमान मानकों में संशोधन कर अतिरिक्त राशन के लिये सरकार द्वारा कोई नई योजना बनायी जा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक योजना लागू की जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कार्यवाही गतिमान है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर में सृजित आपूर्ति निरीक्षक के पदों के सापेक्ष कर्मचारियों की नियुक्ति

95–श्री ललित फरस्वाण–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर में विभाग में सृजित आपूर्ति निरीक्षक के पदों के सापेक्ष कर्मचारी नियुक्त नहीं है व जनपद बागेश्वर आपदाग्रस्त व जोन 5 के अन्तर्गत आता है ?

यदि हाँ, तो रिक्त पदों पर कर्मचारी कब तक नियुक्त किये जायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के चयनित पूर्ति निरीक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र घनसाली में भैलचामी नदी का नहरीकरण व घनसाली संगम पर आस्थापथ निर्माण कार्य

96–श्री भीमलाल आर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र घनसाली में भैलचामी नदी का नहरी करण व घनसाली संगम पर आस्थापथ निर्माण का प्राक्कलन सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया था तथा उस पर वित्तीय स्वीकृति मिल गई है ?

यदि हाँ, तो कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र घनसाली में भैलचामी नदी के दोनो किनारो एवं घनसाली संगम पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु विभाग द्वारा 01 योजना, लागत ₹ 1493.28 लाख गठित कर गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना को प्रेषित की जा चुकी है। घनसाली संगम पर आस्था पथ निर्माण का कोई प्राक्कलन गठित नहीं किया गया है।

भारत सरकार से स्वीकृति के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के कास्तकारों को मुआवजा एवं खाली भूमि देने पर विचार

97—श्री माल चन्द—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला में खाले, नाले, गदेरों द्वारा भी कास्तकारों के खेतों का काफी कटाव हुआ है जिससे क्षेत्र में कास्तकारों की उपजाऊ भूमि बह गयी ? यदि हॉं, तो क्या सरकार उपरोक्त क्षेत्रों का सर्वे कराकर कास्तकारों को मुआवजा देने एवं खाली भूमि देने पर विचार करेगी ?

श्री यशपाल आर्य—

जी हॉं। जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला में खाले, नाले, गदेरों द्वारा भी कास्तकारों के खेतों का कटाव होने एवं उनकी उपजाऊ भूमि बहने पर उन्हें नियमानुसार अनुमन्य राहत राशि दी जा चुकी है। प्राकृतिक आपदा से कृषि भूमि की क्षति पर कृषकों को खाली भूमि देने की योजना नहीं है।

जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र घनसाली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत निर्मित एवं निर्माणाधीन मोटर मार्गों का विवरण तथा निविदा सहित मानकों व गुणवत्ता की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई

98—श्री भीमलाल आर्य—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत कितने मोटर मार्गों का निर्माण कार्य किया गया है तथा कितने निर्माणाधीन हैं?

(मोटर मार्ग का नाम व कार्य तथा वित्तीय स्थिति) क्या है?

क्या सरकार निविदा सहित मानकों व गुणवत्ता की स्थलीय उच्चस्तरीय जांच करवाकर, दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करेगी?

यदि हॉं, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह—

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत कुल—09 मोटर मार्ग निर्मित हैं तथा 6 निर्माणाधीन हैं।

विवरण संलग्न है। †

---

† देखिए नत्थी 'छ' पृष्ठ सं0 176 पर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुणवत्ता की जॉच समान्यतया स्टेट क्वालिटी मॉनिटर एवं नेशनल क्वालिटी मॉनिटर के द्वारा की जाती है। यदि किसी प्रकरण में उच्च स्तरीय जॉच की आवश्यकता होगी तो अवश्य कराई जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम गांजामजरा को राजस्व ग्राम घोषित कर ग्राम पंचायत बनाने पर विचार

99—श्री चन्द्र शेखर—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पचायत खेंडीसीकोहपुर का मजरा गाजामजरा की जनता उक्त गांवों को राजस्व ग्राम घोषित कर अलग ग्राम पंचायत बनाने की मांग कर रही है?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य—

जी हॉं।

सम्प्रति नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जिला स्तर पर परीक्षण उपरान्त पृथक राजस्व ग्राम गठन हेतु यह प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र घनसाली में कराये जा रहे निर्माण कार्यों का विवरण तथा मानकों व गुणवत्ता की उच्चस्तरीय/स्थलीय जांच कर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई

100—श्री भीमलाल आर्य—

क्या ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत विभाग द्वारा कराये जा रहे कितने निर्माण कार्य गतिमान है ? (कार्य का नाम व वित्तीय स्थिति व निविदा)

क्या सरकार मानकों के गुणवत्ता की उच्चास्तरीय/स्थलीय जाच कर दोषियो के विरूद्व कोई कार्रवाई करेगी ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

विवरण संलग्न है। †

यदि कार्य के मानक व गुणवत्ता में उच्चस्तरीय/स्थलीय जांच में कमी पायी जाती है तो दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम 310 के अन्तर्गत प्रदेश में हुई भीषण दैवीय आपदा पर चर्चा

* नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, हम सभी लोग दैवीय आपदा की घटना से बहुत दु:खी हैं। पिछला सत्र भी व्यवस्थित ढंग से नहीं चल पाया था, इसका संदेश भी जनता में गलत गया था। मान्यवर, हमारे पहले के मुद्दे आपस की वजह से दबे जरूर हैं, लेकिन हमने उनको छोड़ा नहीं है, वे मुद्दे आगे आयेंगे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, चूंकि हमेशा यह संदेश जाता है कि विपक्ष सदन में हंगामा करता है या ट्रेजरी बेंच सदन चलाना नहीं चाहता है। चूंकि सदन न चलने से जनहित के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रूक जाते हैं। मान्यवर, आज जो महत्वपूर्ण बिन्दु है, वह आपदा का है, चूंकि आप भी इसके साक्षी हैं। आपने पूरे प्रदेश का भ्रमण किया है। आपने स्वयं देखा है, कैसी स्थितियां हैं, आज भी शव मिल रहे हैं। इससे तात्कालिक और अविलम्बनीय प्रश्न तो कोई और हो ही नहीं सकता है। मान्यवर, न तो हम इस विषय पर हंगामा करना चाहते है और न ही कोई गलत बात कहना चाहते है, मान्यवर, जो सरकार की नाकामियां रही हैं उनको हम उजागर करना चाहते हैं। सरकार से प्रश्न पूछना चाहते है सरकार सदन में इसका उत्तर देगी। मान्यवर, दोनों तरफ से पक्ष आयेगा, यही हमारा मेन उद्देश्य है। इसलिए मैं अति विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करता हूँ कि इस घटना के अलावा कोई तात्कालिक बिन्दु है ही नहीं, यद्यपि यह घटना 16 एवं 17 जून को हुई और लगातार आज तक यह चल रही है। अभी भी लोगों को भोजन, पानी, बिजली और अभी भी प्रभावितों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे है और शवों का लगातार केदारनाथ में निकलना जारी है। इसलिए इस अविलम्बनीय एवं तात्कालिक लोक महत्व के विषय पर सारे नियमों को शिथिल करते हुए और प्रभावित लोगों को याद करते हुए सबसे पहले हमारी नियम–310 के अन्तर्गत जो सूचना है, उसे सुन लिया जाय। मान्यवर, इसमें पक्ष और विपक्ष के सभी लोग भागीदार होना चाहते है, यह मेरा आपसे निवेदन है।

---

† देखिए नत्थी "ज" पृष्ठ सं0 177–178 पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बात रखी है, वह निश्चित रूप से तात्कालिक भी है और समसामयिक भी है। मैं प्रतिपक्ष के लोगों से यह अनुरोध भी करना चाहूंगा कि नियम–310 में आपके आपदा के प्रश्न को इस शर्त के साथ स्वीकार करता हूँ कि भविष्य में आप इसे परम्परा नहीं बनायेंगे। चूंकि प्रदेश के अंदर आपदा आयी है और इस पर सारा सदन चर्चा करना चाहता है, इसलिए इसको मैं नियम–310 के अन्तर्गत स्वीकार करता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि भविष्य में यह किसी प्रकार की परम्परा नहीं बनेगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ठीक है।

श्री अध्यक्ष–

इसकी लिखित सूचना मेरे पास आयी हुई है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमने प्रश्नकाल को स्थगित करने का भी आग्रह किया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम आभारी हैं कि आपने हमारी नियम–310 की सूचना को स्वीकार किया है और वास्तव में यह सूचना नियम–310 के अन्तर्गत स्वीकार करने लायक भी है। मान्यवर, केवल उत्तराखण्ड ही नहीं, बल्कि पूरा देश और विश्व की नजरें इस दौरान उत्तराखण्ड पर लगी रही। मान्यवर, जिस तरह की जल प्रलय 16 एवं 17 जून को आयी, उसने समूचे विश्व को हतप्रभ कर दिया और पूरे देश और प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। मान्यवर, मैं केदारघाटी पर बाद मे आऊंगा, जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है। मै एक–एक चीज आपके सम्मुख लाना चाहता हूँ। यमुनोत्री मे खैरादी नामक स्थान पर, यमुना नदी पूरे खैरादी मार्केट में घुस गयी और वहां पर कम से कम 70 मकान पानी में डूब गये। यमुनोत्री में लोग फसे हुए थे, यहां पर 4–5 मकान जो बच गये थे, उनके पीछे बी0आर0ओ0 द्वारा मकान तोडकर सडक बनायी गयी, तब जो लोग यमुनोत्री में फसे हुए थे, उनको निकाला गया। मान्यवर, यहां पर बहुत ज्यादा जनहानि नही हुई। परन्तु खाद्यान्न की समस्या समेत कई विपरीत परिस्थितियों मे लोगों को यहाँ पर रहना पडा। हनुमान चट्टी क्षेत्र से सेना ने फंसे हुए लोगो को निकाला और उसके बाद वहां धीरे–धीरे जन जीवन सामान्य हुआ। जब हम वहाँ गये तो वहाँ के एस0डी0एम0 ने बताया कि इसको नो मैन्स लैण्ड डिक्लियर कर दिया है। मानव रहित जमीन इसको घोषित कर दिया है। वहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है लेकिन पूजा वहाँ पर धीरे–धीरे चल रही है, यह 27 और 28 जून को उन्होंने बताया। उत्तरकाशी में गंगोत्री, हर्षिल, भटवाडी और मनेरी में बडी संख्या में लोग फंसे हुए थे। चारों तरफ सन्नाटा था। उत्तरकाशी बाजार के

होटलों में कोई व्यक्ति नहीं था। जोशियाडा, तिलोथ बाजार लगभग बह चुके थे और जो गंगोरी क्षेत्र है, वह पूरा असीगंगा ने काट दिया था। ज्ञानसू गॉव पूरा नीचे को खिसक रहा था। मान्यवर, उत्तरकाशी की आपदा के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ, मैंने यह बार-बार अपने बयानों में भी कहा है कि आपदा तो सरकार नहीं लायी है। हमने बार-बार कहा है कि उत्तराखण्ड में हम रहते हैं, आपदाएं तो आएंगी ही, लेकिन इस बार की आपदा अकल्पनीय थी। परन्तु सरकार की तरफ से मिसमैनेजमेंट कैसे होता है, सरकार कैसी लापरवाही करती है, उसका एक उदाहरण मैं उत्तरकाशी में देना चाहता हूँ। पिछली बार भी असीगंगा और भागीरथी जी के कटाव से उत्तरकाशी में भारी तबाही हुई थी। तिलोथ और जोशियाडा बाजार आधा कट गया था और उस समय यह तय हुआ था कि अगर इसको बचाया नहीं गया तो अगली बार पूरा का पूरा बाजार चला जाना है।

मान्यवर, एक साल तक सरकार को वहाँ देखने की फुर्सत नहीं हुई, कोई भी नुमाइन्दा वहाँ नहीं गया। 8 जून के दिन वहाँ पर काम लगाया गया और 12-13 से हल्की वर्षा हुई, 14-15-16 में इतनी बडी विपत्ति आ गयी कि पूरा जोशियाडा बाजार चला गया, उसके बाद तिलोथ चला गया, ज्ञानसू दरक गया और उससे ऊपर गंगोरी आधा दरक गया। इतना ही नहीं गंगोरी राजमार्ग उत्तरकाशी से पूरा ब्लॉक हो गया। वहाँ आने-जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। गंगोरी से आगे गणेशपुर, नैताला, मनेरी, औंजी, सैंज, ल्वाटा, कुमाल्टी और मल्ला भटवाडी, सांगलाई, गंगनानी, सुक्खी, जाला, धराली, हर्षिल से गंगोत्री तक यह पूरा मार्ग बन्द था। मान्यवर, हद तो तब होती है कि जो बी0आर0ओ0 पर रोड साफ करने का दायित्व था, उसके पास उस दिन वहाँ बुलडोजर तक नहीं था और यात्रियों को कैम्प बेस पर गंगोत्री से हर्षिल लाने में जो परेशानी का सामना करना पडा, जिस तरह से यात्री आए, वह भी दूसरी आपदा से किसी मायने में कम नहीं था। मान्यवर, यह स्थिति वहाँ की देखी गयी। नैताला पर आज भी रोड अक्सर बन्द हो जा रही है। केलसू पट्टी के सात गाँव गजोली, नौगाँव, भखोली, अगोडा, दाडसा, संके और ददालका, इस समय भी दुनिया से कटे हुए हैं। आज भी तिलोथ और उत्तरकाशी को जोडने वाले पुल से लोग आर-पार नहीं जा पा रहे हैं। दिगसारी और बिनसर पुल और स्याबा का पुल टूटा होने से लोग आर-पार नहीं जा पा रहे है और दिगसारी आज भी दुनिया से कटा हुआ है। उत्तरकाशी का पिलंग गांव तो ऐसा है कि जहां पर 27 दिन बाद राहत सामग्री पहुंची, उसके तीन दिन पहले हम और हमारे कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे और राहत कार्य किया था, लेकिन सरकार का कोई भी व्यक्ति वहां पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। हमने पिछली बार यह कहा था और तय भी हो गया था, सरकार ने भी माना था कि उत्तरकाशी को बचाने के लिये, जिस तरह से मनेरी भाली फेज-2 में अगल-बगल पक्की दीवारें बनाई गई है, उसकी तरह से यहां भी सीमेंट और कंकरीट की दीवारें दोनों तरफ बना दी जाय और बीचोबीच से भागीरथी जी को जाने दिया जाय तो उत्तरकाशी शहर को बचाया जा सकता है, लेकिन इस ओर किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया और सरकार इस विषय पर सोई रही, उसका परिणाम यह

हुआ कि इस साल जो भी तबाही आई, वह नदी आने से कम, हमारी गलती और लापरवाही से ज्यादा आई। मान्यवर, यहां के लोगों ने गंगोत्री मार्ग और उत्तरकाशी में जी खोल कर जो मदद की है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है लेकिन इसी तरह मीडिया में बात आई, कुछ लोगों ने मीडिया के सामने यह कहा कि मैं अपनी सात पीढ़ियों को यह कहूंगा कि तुम उत्तरांचल मत जाना, इससे पूरे देश में हमारी छवि बहुत खराब हुई, जिससे हम सबको बहुत दु:ख हुआ। इसलिये हमारा यह कहना है कि यह सब बातें हमें सरकार की लापरवाही के कारण झेलनी पड़ी, सुननी पड़ी, क्योंकि जो छोटे हैलीकाप्टर थे, वह चार से अधिक लोगों को नहीं ला पा रहे थे और बहुत देर में मिलिट्री के हैलीकाप्टर आये। उसमें भी जिस मात्रा में उनको आना चाहिये था, उस मात्रा में नहीं आये, इससे पूरे देश में एक गलत मैसेज गया और हम लोग तो दु:ख के अलावा और कुछ व्यक्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि सारा दारोमदार सरकार के हाथ में था। हम लोग जो कर सकते थे वह हमने किया कि हर जगह लोगों के बीच में जाना और उनको हिम्मत देना तथा सरकार को इन सबके प्रति आगाह करना, हमने सरकार को बताया कि यहां पर यह कमी है, यहां पर यह करने की आवश्यकता है। मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और लिखित रूप से भी हमने सरकार को चेताने का कार्य किया। मान्यवर, चमोली जिले में..........।

(माननीय सदस्य श्री विजयपाल सिंह सजवाण के अपने स्थान पर बैठे-बैठे कुछ कहे जाने पर।)

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, माननीय सदस्य बाद में उत्तर दे सकते हैं, मैं तो इस विषय पर करीब चार घण्टे बोलूंगा। आप अपना पार्ट देख लीजिये, जो पार्ट आपके हिस्से आता है। (व्यवधान) मान्यवर, इतना गम्भीर मसला चल रहा है, आप उस क्षेत्र के विधायक है, जो हमारी गलतियां होती है, उनका उत्तर आप दे दीजिये। आप बता दीजिये कि जो मैंने कहा कि 27 दिन बाद वहां पर राहत पहुंची, क्या गलत है। (व्यवधान) ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ, आप ही बोल लीजिये।

श्री हरभजन सिंह चीमा-

मान्यवर, इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार सच्चाई को सुनना ही नहीं चाहती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

जो माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहेंगे, उनको अवसर प्रदान किया जायेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष जो बात कह रहे है, उस बात को आप लोग नोट कर लीजिये, उसका उत्तर आपको तब देना होगा, जब आप अपनी बात को रखेंगे। बीच में अनावश्यक व्यवधान न करें, यह मेरा आप सभी से अनुरोध है।

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, मैं आज भी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि पूरे 27 दिन बाद पिलंग में हैलीकाप्टर से राहत सामग्री भेजी गई। जो माननीय सदस्य वहां के विधायक हों, हम लडाई या झगडा नहीं कर रहे हैं, क्यों गया 27 दिन के बाद हम यह बता रहे हैं। चमोली जिले के घाट गाव की 54 ग्राम सभाएं कई दिनों तक प्रभावित इसलिए रही कि वहां का जो ए0टी0एम0 और बैंक था, वो बैंक डूब गया, वो मलबे मे धंस गया और मलबे में धसने के बाद वो निकाला नहीं जा सका। दो महिने के बाद जब हम चमोली जिले के घाट गांव में गये थे तो वहां पता चला कि लगभग 57 लाख रूपया उसके नीचे दबा हुआ है। हमसे मिलने के लिए वहां पर शिक्षकों का डेलीगेशन आया, और रिटायर्ड फौजियों का डेलीगेशन आया, माताएं-बहनें आयी और विधवाएं आयी कि हम कहां जाएं यहां से, हम अपनी पेंशन तक नही ले पा रहे हैं। जब कारण पूछा तो कारण बताया गया कि बैंक जिससे लेन-देन होता था, इसको खोजने वाला कोई नही है। मैंने वहीं से कमिश्नर, गढवाल को फोन किया। ये तो हद हो गयी, जब हम एक बैंक को नहीं खोज पा रहे हैं, तो कैसे यहां का काम चलेगा। तो हमने यह बात जब रखी तो तीसरे दिन मेरे पास फोन आया कि अब बैंक का खुदान प्रारम्भ हो गया है, लेकिन अभी मैने सुना है कि वहां पर जो मकान मालिक हैं, उन्होंने यह बोल दिया है कि जब तक मेरा मुआवजा नहीं आ जाता है तब तक हम बैंक नहीं चलने देंगे। स्थिति की स्पष्ट जानकारी नही है क्योंकि दूरभाष पर किसी से सम्पर्क उस इलाके मे नहीं हो पा रहा है। तो जो 54 ग्राम सभाएं हैं, वो बहुत ज्यादा प्रभावित थी। नारायण बगड जहां बाजार था, वहां आज नदी बह रही है। कुल 56 आवासीय मकान, 40 खोखे छोटी दुकानें, ये सब बह गयीं। 123 साल पुराना पुल जो बहा हुआ है, मैं जब स्थिति देखने गया तो खुद मुझे भी ताज्जुब हुआ कि खाली पुल का खम्बा वहां पर बीचों बीच नदी मे खडा था। मैंने पूछा कि ये खडा क्यों है, उन्होंने कहा कि यहां तक यहां पर बाजार था।

मान्यवर, देखने लायक मंजर था कि नदी ने कितनी ज्यादा वहां पर बरबादी की है। जयदीप भण्डारी नाम के एक ड्राईवर ने रात में अपनी गाडी की लाईट लगाकर लोगो को घरों से भगाया, सीटी बजायी और पुल के दूसरे छोर में जब पुल टूटा नही था, उसने गाडी खडी की और लोगों को कहा कि भागो-भागो। दूसरे लोगों ने छोटे लाउडस्पीकर लगाकर लोगों को भागने के लिए कहा। 116 लोगों की वहां पर जान बचायी गयी। साथ ही दुकानदारों का व्यवसाय समाप्त हो गया है, आज वो दर-दर की ठोकरें खा रहे है। इन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया है। नारायण बगड में डा0 के0सी0 पाण्डे का चार मंजिला मकान क्लीनिक समेत बह गया, बिजेन्द्र सिंह रावत जी की 30 दुकानें व तीन आवासीय मकान बह गये। 172 परिवार इस बाजार में प्रभावित हैं, परन्तु मात्र 17 लोगो को आज तक मुआवजा दिया गया है। लोग खाद्यान्न, मिट्टी तेल एव

गैस व चीनी के लिए परेशान है। नारायण बगड के डुंगरी गांव का बिरजू लाल, पुत्र गोपाल लाल 21 साल की आयु का, उल्टी दस्त से इसलिए मर गया, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं था उनके गांव में। मैं डुंगरी गाव भी लिख रहा हूँ। यदि मेरी बात गलत हो तो संशोधन कर लेंगे। जो मैंने वहां जाकर पाया, जो मुझसे मिलने के लिए वहां के लोग आये थे। माननीय अध्यक्ष जी, जब स्वास्थ्य की स्थिति यह होगी, मैं चमोली जिले की एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीमान्त जिला है, जो चाईना बार्डर से लगा हुआ है, वहा की स्वास्थ्य की स्थितियॉं यह हैं कि 10 से 12 किलोमीटर लोगो को अस्पताल के लिए आना पड रहा है पैदल रास्ते से, तब कही छोटी–मोटी दवाईयॉं ले पाते हैं और जो वहां सडक पर अस्पताल हैं, उनमें भी दवाईयो का अभाव बना हुआ है। 140 स्वीकृत पद डाक्टरों के हैं पूरे चमोली जिले में, जिसमें से मात्र 28 डाक्टर वहां पर है। 03 डाक्टरों का वहां से अभी तबादला फिर हो गया है। 25 डाक्टरों से इतना बडा जिला वहा पर चल रहा है। क्या स्थिति स्वास्थ्य की आपदा के समय हो रही होगी, यह माननीय अध्यक्ष जी, विचारणीय प्रश्न है।

केदार बगड एवं राडी बगड में सडक बह गयी है, यहॉं के मकानो में जाने का रास्ता नही है, मकानों की नींव हिल गयी है। धराली के दुकानदारों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। छिनका गाव की हालत बहुत खराब है। थराली मे नासीर बाजार मे मस्जिद मार्केट पिण्डर की ओर लगातार खिसक रहे हैं। घरों को छोडकर लोग टैंटो मे रह रहे हैं। मकान चटक गये हैं और थराली में लगभग 30 दुकानों का बहना मुझे ज्ञात हुआ है, जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रूद्रप्रयाग जिले मे बाद में आऊॅंगा, वहॉं के सीमी गॉंव की बात भी बताऊॅंगा। लेकिन जो थराली का मस्जिद मार्केट पिंडर की तरफ से बह रहा है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने बहाया है, या सरकार के द्वारा कोई ऐसी टेक्निक की गई हो कि मकान खिसक रहे हों। मकान खडा है और बडा भारी मकान है, मकान के लोग देख रहे है और वह टेन्ट मे हैं, लेकिन उनका मकान जिस स्टेज में था वैसे ही टेढा होते हुए नीचे को जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रकृति की इतनी बडी मार है। हम तो थराली जा भी नहीं पाये, बाद में हमने जब बहुत रिक्वेस्ट करी तो जो आपका जे०सी०बी० होता है उसके आगे वाले पोर्सन में बैठकर ड्राईवर ने पार कराया। क्योंकि वहॉं पर जॉंघो से ऊपर कमर तक कीचड उसमें भरा हुआ था, वहॉं बहुत खराब स्थिति थी। मीक गधेरे मे, चमोली में, एक स्थान का नाम है मीक गधेरा, वहॉं पर 17 ग्राम पंचायतों ने आन्दोलन इसलिए किया, वह आन्दोलनरत् इसलिए थे कि हमें खाद्यान्न दे दो, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हम भूखे मर जायेंगे। हमारे पास खाद्यान्न नहीं है और वह फ्री नही मांग रहे थे। रोड ब्लॉक थी, खाद्यान्न जा नहीं रहा था, स्थितियॉं खराब थी, वह कह रहे थे पैसा है, सब कुछ है लेकिन हम पैसे को नहीं खा सकते हैं, यह बात वहॉं के लोगों ने हमसे कही। मीक गधेरे के लोग इस तरह से आन्दोलनरत थे।

मान्यवर, अध्यक्ष जी, एक बात वहाँ पर देखने को मिली इसमें सत्यता कितनी थी मैं नहीं जानता हूँ। जब मैं लोगों के बीच वहाँ पर बैठा था तो वहाँ पर यह कहा गया कि जन प्रतिनिधि दलगत भावनाओं के आधार पर मकानों का आवंटन कर रहे हैं। अगर यह कोई दूसरे दल का व्यक्ति है, मकान टूटा है तो कहा गया कि इसको पहले नहीं देना है और इसको देना है। अगर यह बात हुई है, इसमें सत्यता है तो इससे शर्मनाक बात और कोई हो ही नहीं सकती है। मैंने वहाँ के जिलाधिकारी को कहा कि वहाँ के जितने भी सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जो गाँवों से डायरेक्ट जुड़े लोग हैं, उनमें भी इसमें राय ली जानी चाहिए और जो सोलर लालटेन वगैरह एक रिकमेन्डेशन पर किसी के घर में दो-दो, तीन-तीन और किसी को एक भी नहीं दिया जा रहा था यह बहुत खेदजनक था। पता नहीं, किस तरह से बाद में वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, जिलाधिकारी ने देखा, इसकी जानकारी मुझे अभी तक नहीं मिल पाई है। जोशीमठ से बद्रीनाथ तक इसी जिले में आता है, मुझे पैदल भ्रमण करने का मौका मिला, उस समय जब रस्सी पकड़कर लोग जा रहे थे। गोविन्दघाट के पहले दो किलोमीटर ऊपर जाकर के फिर नीचे उतरना पड़ता था, फिर गोविन्दघाट के मार्केट में गये, फिर गोविन्दघाट के पाण्डुकेश्वर के लिए जंगल के रास्ते, फिर पाण्डुकेश्वर से थोड़ा आगे गाड़ी से, फिर उसके आगे जानकीचट्टी, जानकीचट्टी से फिर लामबगड़। लेकिन गोविन्दघाट जिसने देखा होगा, आज वह गोविन्दघाट को पहचान नहीं सकता है। जो हेमकुण्ड साहिब और फूलों की घाटी को जाने वाला पुल था वह टूट गया, हैलीपैड बह गया। हेलीकाप्टर बह गया और जो गुरूद्वारे की सात मंजिला बिल्डिंग थी, वह बिल्डिंग जैसे डबलरोटी पैक होती है वैसी पैक होकर नीचे झूल रही थी। मैं समझता हूँ माननीय नेता सदन अभी गये होंगे तो उन्होंने भी वहाँ देखा होगा और जो माननीय सदस्य वहाँ के होंगे उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से झूल रही थी और और अलकनन्दा जी नीचे से काट रही थी और दूसरा जो मैन गर्भ गृह था उसमें इतने बड़े पेड़ और पत्थर, रेता भरा था, वह अकल्पनीय था। उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारे यहाँ सरोपा चढ़ाते है, उसके थान के थान थे, बाद में लेबर लगाकर के उनको नदी में डाल रहे थे कि यह अब बेकार हो चुके हैं। इसके पीछे की सारी दुकानें रेते से पट गई थीं, वहाँ पर रहने लायक नहीं था। वहाँ पर 25 या 30 गाड़ियाँ फंसी हुई थीं और वह गाड़िया आज तक भी वहाँ से नहीं निकल सकती हैं और निकलेंगी भी नहीं, क्योंकि जो गुरूद्वारे को जाने वाली सड़क थी वह पूरी बह गई, जो मुख्य सड़क से जोड़ती थी वह बीच का रास्ता जब तक नहीं बन सकता है। जब तक वहाँ एक छोटी सी सड़क निकालकर उन गाड़ियों को नहीं निकाला जा सकता है तब तक नहीं निकलेंगी। मान्यवर, पाण्डुकेश्वर का भी यही हाल है। हेमकुण्ड साहिब और फूलों की घाटी को जोड़ने वाले पुल के टूटने से लगभग 800 खच्चर एवं घोड़े फसे हुए थे और लगभग 250 या 300 तक इनके मालिक भी फंसे हुये थे, ये लगभग दो महीने तक फसे रहे। ल्यूड़ार एवं फूलना

गांव के 78 परिवार एवं गोविन्दघाट के 15 परिवार जोशीमठ में आज तक शरणागत की तरह जीवन व्यक्ति कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कपड़े नहीं थे, कपड़े नहीं होने के कारण दैवीय आपदा पीड़ित प्रकोष्ट से लेकर और कई संस्थानों ने वहां पर कई सामग्री भेजी, क्योंकि हम लोग वहां पर थे। वहां पर अच्छे-अच्छे घरों के लोग भी थे, उनका वहां पर होटल एवं अन्य जो भी व्यवसाय था वह पूरी तरह से खत्म हो गया। इसलिए वहां पर इनका भी शरणार्थी की तरह जीवन व्यतीत हो रहा था। गोविन्द घाट में 68 बड़े होटल, 136 दुकानें, 15 कुटिया, 15 आवासीय मकान, एक झूला पुल एवं एक हैलीपैड जो पूरी तरह से बह गये थे। पाण्डुकेश्वर में 11 साधुओं की कुटिया, पौराणिक मन्दिर, धर्मशाला एवं बद्रीनाथ जी का पैदल मार्ग, जो वर्षों से नहीं टूटा था, वह भी इस बार नदी मे समा गया है। आज भी पूरे पाण्डुकेश्वर गांव को खतरा है, अलकनन्दा लगातार गावों को आज भी काट रही है और गांव नीचे की ओर खिसक रहा है। पाण्डुकेश्वर में 15 आवासीय भवन, होटल पूर्ण रूप से बह गये हैं, 42 भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। अगर पहले किसी ने लामबगड़ बाजार देखा हो तो आज वहां पर नदी बह रही है। जे0पी0 का पॉवर प्रोजेक्ट बह गया है और शिव मन्दिर का जो मैदान बना हुआ था वह भी धंस गया है।

मान्यवर, हमारी टीम को जे0पी0 हैलीपैड में रस्सी पकड़ के जाने का मौका मिला और उसमें हमारे दस लोग थे, तो एक मात्र रास्ता भी वही था, वह हैलीपैड बिल्कुल ठीक था। वहां पर बहुत सारी राहत सामग्री रखी हुई थी। लेकिन उसको ले जाना वाला कोई नहीं था। हैलीकाप्टर से लामबगढ़ एवं उस क्षेत्र के अन्य गॉव के लिए राहत सामग्री उतारी गयी थी। हम लोग ने वहां के भ्रमण के बाद लौटते समय देखा तो वहां पर इस तरह से बर्बादी हो रही थी। हमने अपनी टीम से कहा कि आप पानी पी लो और इसमें जो सब्जियां सड़ रही थीं उसको अलग कर दो और वह सब्जियां अलग करायी और वहां पर जो आटा, चावल पानी में भीग रहा था, उसको अलग से रख दिया। जब हमने वहां के लोगों से चार दिन बाद पूछा तो उन्होंने बताया कि वहां पर अभी तक कोई सामान उठाने वाला नहीं आया है। मान्यवर, इस तरह से वहां पर राशन एवं आपदा सामग्री की बर्बादी हुई है। लामबगढ़ का वह ऐतिहासिक पुल जो बद्रीनाथ से लगा हुआ था, वह भी मार्ग से कट गया है यानी वह अलकनन्दा में पूरी तरह से समा गया है। बद्रीनाथ का बामडी गांव ऋषि गंगा से कट रहा है और भारत का अंतिम गांव माणा अलकनन्दा से कट रहा है, उस समय मुझे बहुत कष्ट हुआ। माणा गाव के कुछ लोगों ने चाहे आक्रोश में कहा हो या नाराजगी में कहा हो, उन्होंने कहा हमारे लिए चाहे भारत हो या चीन हो वह बराबर दूरी पर है तो उस समय मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उन लोगों को समझाया और कहा कि ऐसा नहीं है और आप लोग चिन्ता मत करें तो तब मैंने यह बात वहां प्रशासनिक अधिकारी को बतायी और राशन की व्यवस्था तत्काल किये जाने के लिए

कहा। मुझे उसके बाद वहां के ज्येष्ठ प्रमुख मिले और उन्होंने बताया कि अभी भी हमारी सड़क नहीं जुड़ी है, तब हम साढ़े दस बजे रात, सारे लोग वहां पर गये तो वहां पर जितने भी धर्म पुरोहित लोग थे वह माला लेकर खड़े थे। हमने कहा कि इस आपदा के समय माला पहनाने का कोई औचित्य नहीं होता है तो उन्होंने कहा कि यह एक आशीर्वाद स्वरूप है तो वहां के लोग बहुत डरे हुए थे और उन्होंने कहा कि आपने घाटी के रास्ते पैदल आने की हिम्मत की है और किसी ने नहीं की है, आप यहां के रास्ते आये है इसलिए हम खड़े है। बहुत देर तक हम लोग उनसे मिले और वहा की कहानी बहुत दुखद थी। मान्यवर, केदारनाथ में भी वही हाल था, बद्रीनाथ में भी लोग खड़े रहे और पत्नी अपने बच्चों को लघु शंका-दीर्घ शंका के लिए बाहर ले जाती थी और पति वहीं पर जगह न घिर जाए इसलिए खड़े रहते थे, फिर पति जाते थे पत्नी रहती थी, क्योंकि इधर वाले हैलीपैड पर जो हैलीकॉप्टर था, वह सिर्फ 4 आदमियों को ला पा रहा था और आगे वाला जो आर्मी का था वह भी बहुत नाकाफी था, उसमें भी बहुत मारा-मारी थी, लोग चीख रहे थे, बिलख रहे थे, रो रहे थे तो यह स्थिति वहाँ की थी। कोई व्यवस्था नहीं थी और वहाँ के लोगो ने बताया कि जो लोग पूड़ी दे रहे थे, उन्होंने कहा कि जान बचाने के लिए पूड़ी दे रहे है, पेट भरने के लिए नहीं दे रहे है, खाते हो तो खाओ नहीं तो पीछे हो जाओ। मान्यवर, वहाँ कई दिनो तक ईधन नहीं गया, मिट्टी का तेल नहीं गया जबकि मिट्टी के तेल की वहाँ पर बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पर मिट्टी के तेल को हल्के मे लेते हैं क्योकि यहाँ पर गैस, लकड़ी आदि कई चीज मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर कोई विकल्प नहीं है। अभी ढाई महीने बाद दो सौ गैस सिलेण्डर बड़ी मुश्किल से वहाँ पर गये, आर्मी वाले कन्धे पर लगाकर ले गये और वहाँ भी लड़ाई हो गई और आर्मी वालों ने कहा कि हम इनको नहीं दे पायेंगे, हम मन्दिर समिति को देंगे और मन्दिर समिति ने कहा कि हम नहीं लेंगे, हम किसको बाटेंगे, यहाँ तो पाँच सौ गैस सिलेण्डर की जरूरत है। जिसको बांटना था वह एजेंसी नहीं मिल पाई तो यह स्थिति बद्रीनाथ की थी। मान्यवर, लौटते समय एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने लाख कोशिश की कि हम पैदल न जाकर हैलीकॉप्टर से जाये, जबकि हम हैलीकॉप्टर मे न जाकर दोबारा पैदल इसलिए आए क्योकि वहाँ पर लोगो का मनोबल बढ़ाना बहुत आवश्यक था। लामबगड से ऊपर जो लोग रस्सी पकड़कर गये और जो लोग ऊपर से नीचे को हनुमान चट्टी से आये वे पहले अपना ब्रीफकेश लाये, अपना बैग लाये, अपना जैकेट लाये और अपने बच्चों को लाये और जैसे ही उन्होंने रस्सी पकड़कर जंगल के अन्दर प्रवेश किया तो गिरना शुरू हो गए। कहीं बच्चे गिरे कहीं पत्नी गिरी, कहीं पति गिरे। कई जगह तो हम खुद गिर रहे थे तो मुझे यह लग रहा था कि देश के लोग इसमें कैसे चले गये होंगे। मरता क्या नहीं करता की स्टाईल में वे लोग जान बचाने के लिए भागे, उन्होंने जंगल मे अपने ब्रीफकेश फेंक दिये, अपने बैग फेंक दिये, अपने बदन के जैकेट फेंक दिये,

फिर किसी तरह से जोशीमठ पहुँचे, तब उसने बयान दिया कि हम सात पुश्तों से कहते है कि कभी उत्तराखण्ड मत जाना। जब इस तरह के बयान आने लगे तब हमारी छवि को बहुत बड़ा धक्का लगा।

मानानीय अध्यक्ष जी, इसी तरह से जनपद पिथौरागढ की दो तहसीलें मुनस्यारी और धारचूला में गोरी और काली गंगा ने भारी तबाही मचाई थी। मैं समझता हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी, आप वहाँ के लास्ट बार्डर तक गये थे, इस सदन के कई पक्ष–विपक्ष के लोगों का भी जाना मुझे ज्ञात हुआ है कि वहाँ पर भी काफी तबाही मचाई है, जितनी नेपाल में मचाइ है उससे ज्यादा भारत में भी मचाई है। गोरी नदी मिलन ग्लेशियर से निकलकर जौलजीवी में काली नदी से मिलती है और इसके बाद टकनपुर से आगे शारदा हो जाती है। जनपद पिथौरागढ मे भारी तबाही के कारण सभी सड़क मार्ग कई दिनो तक बन्द रहे और जब हम मुनस्यारी और धारचुला दोनों तहसीलो मे पहुँचे तो वहाँ पर काफी तबाही थी और वहाँ के माननीय विधायक तो घूम ही रहे थे, हम लोग भी वहाँ पर गये और हमारे पूर्व अध्यक्ष, माननीय श्री बिशन सिंह चुफाल जी भी थे और माननीय निशक जी, प्रदेश अध्यक्ष समेत काफी हमारे लोग वहाँ पर गये और जो तबाही का वहाँ पर मंजर था वह अकल्पनीय है। भारत नेपाल को जोड़ने वाला जौलजीवी का पुल पूरी तरह से ध्वस्त होने से हमारे देश में जो नेपाली बच्चे लगभग पौने दो सौ या दो सौ के करीब जो पढ़ते थे उनका आना–जाना बन्द हो गया है, व्यवसाय बन्द हो गया, भारत और नेपाल का सम्पर्क पूरी तरह से कट गया और जो वहाँ पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार है, जहाँ पर भारत–नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय मेला लगता है वहाँ पर पेयजल टैंक, मच, बी0आई0पी0 शौचालय, विकलांग शौचालय, सामान्य शौचालय, एस0एस0बी0 गार्ड रूम, शिशु भवन तथा शव दाह गृह भवन समेत कई महत्वपूर्ण भवन नष्ट हो गये। पुल टूटने के कारण भारत–नेपाल का व्यापार बिल्कुल समाप्त हो गया है। भारतीय व्यापारी यहाँ पर काफी आर्थिक संकट से गुजर रहे है, यह मुझे वहाँ के लोगों ने बताया। मुनस्यारी विकास खण्ड का तल्ला दूमर गाँव गोरी नदी की तरफ लगातार खिसक रहा है। जब हम वहाँ पर गये तो कम खिसक रहा था और माननीय विधायक जी को पता होगा, वहाँ के लोगो को पता होगा कि वह अभी भी खिसक रहा है। मान्यवर, यह अब वहां के माननीय विधायक जी को पता होगा कि दूमर गाव का खिसकना अभी चालू है या नहीं। मान्यवर, यहा पर स्थिति यह थी कि मकान तो खड़े थे, लेकिन आंगन नीचे को खिसक रहे थे। यहा पर जमीन ऐसी धंस रही है जैसे सांप ने अपना मुह खोल दिया हो। यदि आप जमीन के ऊपर पैर रख रहे हैं तो आपका पैर जमीन से, कम से कम एक–दो फुट नीचे जा रहा था। इस तरह बहुत ही खराब दृश्य गांव का था, यदि आप साइट मे जायेंगे तो यह पता चलेगा। मान्यवर, उस समय इस गांव के लोग आंगनबाड़ी और केन्द्रीय पंचायत घर में शरण लिये हुए थे। मान्यवर, इसी तरह मल्ला, धामी, तामाखाणी और मदकोट के 270 परिवारों को उस दिन का राशन नहीं मिल पाया था, जिस दिन हम गांव में गये थे।

मान्यवर, माणी ग्राम पंचायत में अभी भी राशन नहीं मिल रहा है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन विद्युत मंत्री श्री सुनील शास्त्री जी द्वारा बनायी गयी स्वींग गाड जल विद्युत परियोजना बह गयी है। मान्यवर, इस परियोजना का नामोनिशान नहीं है। मेरी भी जिम्मेदारी थी जिस विद्युत परियोजना ने 1986 में मुनस्यारी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की है तो अपनी क्योरिसिटी के कारण मैं उस परियोजना का हाल देखने को गया। मान्यवर, जब हम गदेरे में गये तो वहां पर एक भी चीज नहीं थी। मौके पर यह लग ही नहीं रहा था कि यहां पर स्वींग गाड परियोजना होगी। यह प्राकृतिक मार ऐसी आयी कि परियोजना का नामोनिशान ही मिट गया। मैं सरकार को इसमें कहीं भी दोष देना नहीं चाहता हूँ। मान्यवर, जहां पर सरकार की ओर से कमियां हुई हैं, उन पर हम बाद में आयेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने संक्षेप में तीन जिलों के बारे में आपको बताया, इस पर हमारे बहुत से साथियों को बोलना है, इसलिए मैं ज्यादा विस्तृत में नहीं जा रहा हूँ।

मान्यवर, अब मैं केदार घाटी की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जोकि आपदा के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। मान्यवर, यहां पर 16 एवं 17 जून को जो तांडव हुआ है, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा तांडव दुबारा कहीं पर भी न हो। मान्यवर, यहां पर जब दो बहिनें, उसका एक भाई, उनके पिता बह गये तो एक बहिन को थोड़ी देर बाद होश आया तो उसने अपना पर्स ढूढ़ा और उसमें से मोबाईल निकाला और उस मोबाईल की टार्च से अपनी बहिन को ढूंढ़ा, अपने पिता को ढूढ़ा, अपने भाई को ढूढ़ा, भाई मृत मिला, फिर नदी को देखा नदी कहां से आ रही है और फिर तीनों ने एक निर्णय लिया कि भाई को नदी में लुढ़का दो और फिर भाग जाते हैं, नहीं तो सब मारे जाते हैं, कैसी हृदय विदारक स्थिति होगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के एक आई0एफ0एस0 अधिकारी को केदारनाथ में हार्ट अटैक पड़ा तो उसकी पत्नी ऊपर से नीचे हैलीपैड को दवाई हेतु आयी और बच्चे को कहा कि आप छतरी पकड़ कर यहीं पर रहना मैं नीचे से दवाई लेकर आती हूँ। पत्नी को गुप्तकाशी लाया गया और बच्चा तीन दिन तक वहीं पर पिता के सामने रहा और बाद में बच्चे को लाया गया और पिता को वहीं छोड़ा गया, कितना हृदयविदारक दृश्य रहा है वहां का। वहां जो-जो लोग गये है उन्होंने सारी स्थितियां वहां पर देखी हैं। मान्यवर, मैं पुन: अपने शब्दों की पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कहीं पर भी सरकार पर यह दोष नही है कि आपदा सरकार लायी है और हमारे सभी साथी भी यही कह रहे है कि आपदा सरकार नहीं लाई है, लेकिन आपदा के बाद सरकार द्वारा जो लापरवाही बरती गई सरकार द्वारा बिल्कुल अपने हाथ-पांव छोड़ दिये गये। सरकार द्वारा कुछ भी देखा नहीं गया, सरकार का कोई मैनेजमेंट नहीं था और कोई बताने को तैयार नहीं था कि एन0डी0आर0एफ0 की टीम कहां जायेगी। एन0डी0आर0एफ0 की टीम चक्कर लगा रही थी। मान्यवर, पुलिस का एक अदना सा सिपाही और रिवेन्यू विभाग का कोई आदमी भी नही था। महावीर प्रसाद, जो वहां पर थे, जब वे बीच में जाने लगे तो लोगों को लगा कि यह एस0डी0एम0 या अन्य अधिकारी है। जो सफेद कपड़े पहन कर जा रहे थे, उन पर तो लोग झपट रहे थे, तो महावीर प्रसाद को लोगों ने कहा कि

तुम बार–बार इधर–उधर भाग रहे हो, तुम क्या हो? तो उन्होंने कहा ठीक है, जो भी बात है, मुझे बताओ। लोगों ने पूछा एस0डी0एम0 कौन है, उन्होंने कहा, मान लो मैं ही हूँ, तो लोगों ने कहा कि मान लो कह रहे हो, तो हमारे लिए ये व्यवस्था करो, वो व्यवस्था करो। तो उस एक व्यक्ति ने वहाँ पर जाकर सारे लोगों को गाइड किया कि एन0डी0आर0एफ0 के 25 जवान फलानी जगह जाने है, इतने गौरीकुण्ड जाने हैं, ऊपर इतने जाने हैं और भोजन तथा अन्य सामग्री भी उनके लिए पैक करके दी। जब गाडियों को भेजने वाला वहाँ पर कोई नहीं था, तो उसने वहाँ पर जो गाडियाँ आयी थीं, उनको लगाने की व्यवस्था करी। यानि कि सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति वहाँ पर था ही नहीं। सबसे बडी बात क्या रही कि 16 जून की शाम को आपदा आ गयी थी, उसमें काफी बर्बादी हो गयी थी, पुल उसमें बह गया था, कुछ लोग उसमें मर भी गये थे लेकिन 17 तारीख को फिर अकल्पनीय हुआ। एक व्यक्ति जो वहाँ तिमंजिले में था, मैं उनके घर गया, जिनके 2 भाई खत्म हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे बच गए, उन्होंने कहा हम तिमंजिले में थे, हमको लग रहा था, हम भी चले जाएंगे। लेकिन जो दुमंजिले में थे, वे चीख रहे थे,चिल्ला रहे थे, बचाओ–बचाओ, हम उनको बचा नहीं पाए। मैंने पूछा आपने क्या देखा। उन्होंने कहा, केदारनाथ जी के ऊपर एक बहुत जबरदस्त धमाके की आवाज हुई, लगभग 10–15 मीटर ऊपर पानी उछला। मैंने ऊपर देखा और फिर नीचे देखने तक पानी केदारनाथ मंदिर में आ गया था। जहाँ–जहाँ आदमी जा रहे थे, पानी उनके पीछे–पीछे भाग रहा था। हम दुमंजिले में चढे हुए थे, तिमंजिले में जाने तक दुमंजिला भर गया था और दुमंजिले के लोग चिल्ला रहे थे, बचाओ–बचाओ। जमीन में जो लोग थे, वे तो लोप हो गये। उन्होंने बताया, कम संख्या में लोग नहीं थे, हजारों की संख्या में थे। हमने पूछा कि कितने लोग मरे होंगे, तो उन्होंने कहा, अकल्पनीय है, 10–15 हजार से भी ज्यादा लोग मरे होंगे। जिस तरह से वहाँ पर टि्डडी दल में आदमी था और ऐसे कट रही थी बिल्डिंगें, जैसे कोई तलवार मार रहा हो और सीधे बहती चली जा रही हों, पता ही नहीं था किसी का। वहाँ पर एस0डी0एम0 विक्षिप्त से हो गये थे। चण्डी प्रसाद भट्ट जी, जो वहाँ पर हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उनसे मैंने पूछा कि मैंने सुना है कि एस0डी0एम0 को निकाल लिया गया है, क्या उनको निकाल लिया गया है तो उन्होंने बताया कि हाँ, निकाल लिया गया है, लेकिन अभी वे बहकी–बहकी सी बातें कर रहे हैं क्योंकि अभी उनकी जान बचा कर ला रहे हैं। मैंने पूछा कि वे कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि यहीं हमारे साथ ही हैं, पुलिस स्टेशन के पास। मैंने पूछा कि क्या वे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बात तो कर रहे है लेकिन बहुत बहकी–बहकी सी बात कर रहे हैं। नैचुरल बात है, जो आदमी इस तरह आपदा से बच कर आया हो, वह बहकेगा नहीं तो और क्या करेगा ? मैंने पूछा कैसे हैं, तो उन्होंने कहा, ठीक हूँ, भोलेबाबा ने बचा दिया, मैंने ताण्डव करते हुए देखा है, मैंने नन्दी को पकड लिया था। मैंने पूछा कि बता पाएंगे कि कितने मरे होंगे, तो उन्होंने कहा 10–15 हजार

से भी ऊपर, मुझे बचा दिया, मुझे बचा दिया गया। वे बोलते गए। वास्तव में वे विक्षिप्त थे। आज वे ठीक हैं, उन्होंने उस समय बोला, मन के उनके उद्गार निकले। जो भी लोग वहाँ से बच कर आए, उनमें से एक–आध ने तो कहा कि मरने वालों का आंकड़ा 5–6–7 या 10 हजार का ही नहीं है, इतने लोग चले गये हैं कि अकल्पनीय है।

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारे पास इसकी जानकारी 17 तारीख को ही आ गयी थी। 16 तारीख की तो हल्की–फुल्की जानकारी आयी थी, लेकिन 17 तारीख की सुबह पूरी जानकारी आ गयी थी। हमारे पास जानकारी कैसे आयी, सब लोग पूछना चाहेंगे कि आपके पास जानकारी कैसे आयी? हमारे पास जानकारी आने का एक जरिया था, हमारे कार्यकर्ता और जिला पंचायत अध्यक्ष, उन्होंने कहा, केदार घाटी तबाह हो गयी है। वहाँ बहुत सारे लोग काल के गाल में चले गये हैं।.. क्योंकि रामबाड़ा पूरा का पूरा चला गया है और गौरीकुंड ध्वस्त हो गया है केदारनाथ में कुछ बचा नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आपकी सूचना का सोर्स क्या है, तो उन्होंने बताया कि एक आदमी का फोन वहां पर काम कर रहा था, उसी ने सूचना दी है और अब उसका फोन भी नहीं मिल पा रहा है। 4500 खच्चरों को हमने वहां पर लाइसेंस दिये हैं और डांडी–कंडी वाले अलग हैं, एक खच्चर के साथ एक आदमी रहता है और एक डोली के साथ चार लोग होते हैं। उन्होंने कहा कि भाईसाहब ऐसी स्थिति में आप जान लीजिए कि यह छोटी–मोटी घटना नहीं है, आप जल्दी से सेना को बुलाइये और हमने इस संबंध में मे 17 तारीख को ही सरकार को पत्र भेज दिया था, जिसमें हमने सेना को बुलाने के लिए कहा था। उसके बाद जब हमारी 18 तारीख को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें नेता सदन भी उपस्थित थे, कई अन्य लोग भी थे, तो उस समय भी हमने कहा था कि बिना सेना के इसका उपचार नहीं होना है। मैंने माननीय सुषमा स्वराज जी को भी इस संबंध में टेलीफोन करके बताया कि केदार घाटी तबाह हो गई है, उन्होंने देश के गृह मंत्री को फोन पर बताया और सुषमा जी को कई लोगों ने बताया कि आप अफवाह फैला रही हैं, उनका दोबारा मेरे पास फोन आया कि अजय, यह तो गलत हो गया कि मैंने ट्वीट किया था और मेरे ट्वीट के खिलाफ बहुत सारी बातें आ रही हैं और कह रहे है कि 12 या 13 लोग मरे हैं और कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा कि भारत के गृह मंत्री जी को गलत सूचना है, उनको सूचना कैसे नहीं गई, यह मैं नहीं बता सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने गृह मंत्री जी से कहा है कि आप तुरंत सेना भेजिए, वहां पर बचाव कार्य करिये और अपनी नॉलेज को अप–टू–डेट करिये। मैंने इस बार भी लोक सभा में सुषमा जी को सुना था, उन्होंने गृह मंत्री जी से कहा भी था कि मैंने आपको सूचना दी थी। यानि कि सूचनाओं का आदान–प्रदान ही नहीं था, सरकार के लोगों का पता ही नहीं था कि वहां पर क्या हो रहा है। इस संबंध में कितनी लापरवाही हुई है, उसका एक नमूना एक पत्र के रूप में सदन को बताना चाहता हूँ।

मान्यवर, "अभिसूचना मुख्यालय, उत्तराखण्ड, पत्र संख्या–300–4/विविध/13, दिनांक 15 जून, 2013, 1–समस्त जिलाधिकारी/समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड, 2–पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी, अभिसूचना विभाग, पौडी/हल्द्वानी, कृपया इस मुख्यालय के पत्र, दिनांक 14–06–2013 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो आगामी वर्षाकाल मे भारी वर्षा के कारण, विभिन्न नदियों के जल स्तर में वृद्धि होने के कारण बाढ तथा मैदानी क्षेत्रों में जल भराव होने से दैवीय अथवा प्राकृतिक आपदा से निपटने हेतु, जनपद में जो भी आपदा प्रबंधन एजेंसी और पुलिस प्रशासन को सतर्क किये जाने के संबंध मे है।" यह बहुत लम्बा पत्र है, इसमें साफ–साफ लिखा है कि यह अभियोजन विभाग का अति गोपनीय और अति आवश्यक पत्र है, जो यह पत्र हमें मिला है, वह सरकार का पत्र है, अभियोजन एवं सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड का यह पत्र है। उन्होंने आगाह कर दिया था और आगाह करने के साथ ही यह भी बता दिया था कि यात्रायें रोक दी जायें, यात्रियों को जाने न दिया जाय, यात्रा बढनी नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको माना नहीं गया, जो एक गम्भीर विषय है। मान्यवर, मेरे संज्ञान मे यह भी आया है कि जो गाँधी सरोवर है, उसके बारे में कम से कम 10–15 साल पहले से वैज्ञानिकों की यह राय थी कि यह कभी भी फट सकता है, बडी तबाही हो सकती है। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं कि हम उसे देख नहीं पाये। परन्तु सबसे बडी जिम्मेदारी है कि इन्टैलीजेंस डिपार्टमेंन्ट का पत्र आता है और उसके बाद उस पर कोई गौर नहीं फरमाया है, यह सबसे बडी बात है, बडी दुखद बात है। यहां पर गलती क्या हुई, सेना को तुरन्त बुलाया जाना चाहिए था, एन0डी0आर0एफ0 के जवानों को मंदिर परिसर में भेजा जाना चाहिए था, मल्टी डायमेंशन काम होना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या कारगिल से कठिन स्थिति केदारनाथ की थी। कारगिल मे लगातार शहीद हुए लोग, ऊपर से तोपें छूट रही थी, हम डाउन में थे पर हमारे जवान नीचे से ऊपर जाकर पाकिस्तान पर फतह करके आये। उनके शवों को घरों–घरों, गाँव–गाँव मे भेजा गया। लेकिन जो बॉडी वहां पर थी, उसको सरकार ने क्यों नहीं निकाला, सडने क्यों दिया, किसकी गलती थी, कीडे पडने को मजबूर क्यों किया और सरकार द्वारा कहा गया कि हम इसकी सारी देख–रेख करेंगे, वैदिक रिवाज से जलाएंगे। जलाया कैसे,जो तीर्थ पुरोहित है उनके मकान तोडे, गद्दे निकाले, दरवाजे तोडे, उनका सामान भी प्रयोग किया और मकान के सामने एक बॉडी को जला दिया, मुर्दाघाट बना दिया हर मकान के सामने। इसके सबूत आज भी वहां पर है। यह सरकार की गलती है। एक तो कहा कि वैदिक रिवाज से करेंगे, धोखा दिया पूरे लोगों को, और अधजली लाशों की क्लिपिंग भी यहां पर आयी है। यह स्थिति वहां पर थी, इसके लिए जिम्मेदार कौन था। 03 दिन के बाद सेना बुलायी, 04 दिन के बाद एन0डी0आर0एफ0 के जवान भेजे गये। 03 दिन तक उन्हें कोई काम बताने वाला नहीं था। 18 तारीख को पहला हेलीकाप्टर

सेना का उड़ा, विधिवत कार्य 19 तारीख से प्रारम्भ किया गया। यदि सूचना मिलने के दिन ही कुशल अधिकारी वहां उतार दिये जाते तो कई जिन्दगियाँ बच जातीं। मैंने अपने पत्र में साफ-साफ सरकार को कहा था कि दूसरे जिलों से, क्योंकि मैं आपदा प्रबन्धन मंत्री रहा हूँ, इस प्रदेश का पहला और भारत का भी पहला क्योंकि पहले आपदा प्रबन्धन मंत्रालय कहीं नहीं था। तो उस समय पढ़ने का शौक होने के कारण खूब पढ़ाई करी इसमें, समय कम था इसलिए लागू नहीं कर पाये। तो केदारनाथ में हमने कहा था कि मल्टी डायमेंशनल काम होना चाहिए। तो फिर एन०डी०आर०एफ०, सेना, आई०टी०बी०पी० के जवानों को वहां पर भेजना चाहिए जो वहां पर बॉडी इकठ्ठा भी करे और सड़ने भी न दिया जाय, कीड़े न पड़ने दिया जाय, इस पर स्प्रे कर दिया जाय और ऐसे रसायन आज चल गये हैं माननीय अध्यक्ष जी, कि आप एक घन्टे में आधा लीटर रसायन डाल दीजिए, वो बॉडी को बिल्कुल गला देती है। कम से कम घोड़े, खच्चरों को तो गला देते, वहां पर महामारी तो न होती। ये जो स्थिति वहां पर आयी, भूख और ठंड से लोग वहां पर मरते रहे, ये सारा आरोप सरकार पर जाता है। 03 दिनों में लोग बचाये जा सकते थे। आई०टी०बी०पी०, एयर फोर्स, पी०डब्ल्यू०डी०, बी०आर०ओ०, आपदा प्रबन्धन विभाग, राहत कार्यों के लिए जो जिम्मेदार थे, उनमें तालमेल नहीं था माननीय अध्यक्ष जी, उन विभागों के अन्दर कोई तालमेल नहीं था, उनको कोई बताने वाला नहीं था। 03 दिन बाद तक रूद्रप्रयाग, केदारनाथ जैसे त्रासदी हुई, बिना जिलाधिकारी के जिला रहा। जिलाधिकारी वहां पर नहीं थे। एक जिलाधिकारी की तबियत खराब हुई, दूसरे को भेजा गया, फिर तीसरे को भेजा गया, अब वही इस समय तक है। तो इस सरकार में क्विक निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी कोई निर्णय वहां पर ठीक तरीके से लिया नहीं गया। 29 दिन बाद 04 जिलों में 1-1 अतिरिक्त जिलाधिकारी बनाकर, अलग-अलग जोन बनाकर आई०ए०एस० भेजे गये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहता हूँ, मैंने तब भी कहा था कि जोन बनाये जायें। मेरा पत्र यदि यहां रखा हो सरकार के पास, तो देखें कि बाहर से अधिकारी मंगायें। मान्यवर, दो दिन, तीन दिन, चार दिन हफ्ता दस दिन में मैनेजमेंट हो जाता है, लेकिन 29 दिन तक आपका मैनेजमेंट नहीं हुआ। वहाँ पर आपने जो चार जिलाधिकारी बनाये है, चमोली के लिए, उत्तरकाशी के लिए, पिथौरागढ़ के लिए और रूद्रप्रयाग के लिए, 29 दिन के बाद वहाँ पर दूसरे आई०ए०एस० को भेजा गया। भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम 4-5 दिनों तक उत्तराखण्ड में घूमती रही। उनको हैलीकाप्टर नहीं दिया गया और वह नाराज होकर दिल्ली लौट गये, जिसने वहाँ पर सारा सर्वे करना था। मान्यवर, कुछ लोग आपदा के समय भी वहाँ पर गुलछर्रे उड़ा रहे थे, कुछ लोगों ने आपदा राहत की सामग्री को उल्टाया, उल्टाने के बाद मित्रों को दे दिये, कुछ लोगों ने मरे हुए शवों पर भी पिकनिक मनाई और उनकी क्लिपिंग करी। जो हैलीकाप्टर में जाने के इनटाइटिल नहीं थे, उनको भी हैलीकाप्टर में जाने दिया। ई०पी०आई०एल० इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लि० नामक कम्पनी को मलवा हटाने का ठेका दिया गया, यह कम्पनी ब्लैक लिस्टेड है। मान्यवर, वैसे भी हमारे पास इतनी एजेन्सियाँ है, इसमें

प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं कराई गई, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए थी, कौन सी एक्सपर्टीज है इसके पास, कौन सी विशेषज्ञता है इनके पास, कितना काम आज तक इन्होंने किया है, दो महीना हो गया है आज तक इन्होने क्या काम किया है, सरकार को इसका उत्तर आज सदन में देना चाहिए। आज इसको ठेके दिये कम से कम डेढ़ महीना हो गया है। कोई काम आज तक इन्होने वहाँ पर नहीं किया है। तीन जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय में सभी यात्रियो को निकालने संबंधी गलत एफीडेविट दिया गया, झूठा एफीडेविट दिया गया। शपथ पत्र के बाद 6–7–2013 तक पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील की ओर व्यास, दारमा और चौदास घाटी से यात्री निकाले गये तथा शपथ पत्र देने के चार दिन बाद तक श्री बद्रीनाथ जी से यात्री निकाले गये क्योंकि इसी दिन कुमाऊँ कमिश्नर ने धारचूला और मुनस्यारी क्षेत्र में 632 लोगों के फंसे होने की बात कही और बद्रीनाथ में तीन सौ लोग इस दिन भी फंसे थे, यह वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट है, जिन्हे तीन दिन के बाद निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट मे जो हलफनामा दिया गया उसकी संख्या 822 बताई गई, इसी दिन आपदा की नियमित बुलेटिन में यह संख्या 560 दर्शायी गई यानि कि आपस में भी कोई तालमेल नहीं था ।

मान्यवर, 40 दिन के बाद आपदाग्रस्त क्षेत्रों को अभिसूचित किया गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, आपदाग्रस्त क्षेत्र अभिसूचित ही नहीं थे, चिन्हित ही नही थे, भारी दबाव देने के बाद, सभी लोगों ने भारी दबाव दिया। मैं समझता हूँ कि पक्ष के विधायकों ने भी और हम तो लगातार कह रहे थे कि चिन्हित करिये, इस तरह 40 दिन बाद आपदाग्रस्त क्षेत्रों को अभिसूचित किया गया। सड़के बनाने के लिए बी0आर0ओ0 को तीन सौ करोड़ दिये गये है, यह सुनने में आ रहा है। उन्होने तीन सौ करोड़ रूपये की डिमान्ड की थी, सरकार को इसकी जानकारी है कि नहीं, सीधे बी0आर0ओ0 को गया है या कहाँ गया हमें इसकी जानकारी नही है। परन्तु इसकी विभिन्न जानकारी है कि बी0आर0ओ0 ने पिछली देनदारी 270 करोड़ देनी है, जो पिछली आपदा का है। अगर तीन सौ करोड़ दे भी दिये है तो 270 करोड़ बी0आर0ओ0 अपना चुकायेगा, इस तरह से मात्र 20 करोड़ रूपये मे ये सड़कें बन नहीं सकती हैं, यह ऊँट के मुँह में जीरा है। आज सरकार ने एक बहुत बड़ी बात देश के सामने झूठ बोली कि हमने चप्पा–चप्पा देख लिया है। जब वहाँ के लोगों ने कहा हमें केदारनाथ जाने की इजाजत दे दीजिए, हमें पता है कि हमारे लोगो का अन्तिम क्षणों में यहा से फोन आया था। अन्तिम क्षणो में यह फोन आने के बाद बन्द हुआ था, उन्होंने हमें बताया था कि हम फलानी चट्टी फलानी जगह पर हैं, हमें जाने दीजिए। सरकार ने कहा, चप्पा–चप्पा छानमारा है वहाँ एक भी व्यक्ति नही है। आप चिन्ता मत करिये आपके साथ कोई अनहोनी नही होनी चाहिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और हमारा विश्वास करिये वहाँ पर कोई नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, 31 तारीख के बाद, चार दिन के भ्रमण के बाद, अपनी टीम के साथ केदारघाटी मे गया था।

मान्यवर, जनसत्ता में भी एक रिपोर्ट छपी थी और उन घोड़े वालों के गाँव जाना चाहा और वह लोग मुझे मिले और उन्होंने कहा कि वास्तव में वहां त्रिजुगी नारायण बासुकी वाले रास्ते पर लाशें गिरी हुई हैं, हम उनके ऊपर पैर रखकर आये है। जब उस रिपोर्ट की पुष्टि हुई तो मैंने मीडिया के माध्यम से बताया कि दुबारा से मृतकों की गणना होनी चाहिए और मैंने जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को भी कहा कि बात ऐसी है तो देखना चाहिए। मैंने कहा कि वह रिपोर्ट भी गलत नहीं है, उसके साथ ही घोड़े वाले ने भी इसकी पुष्टि की है। मान्यवर, जब सरकार ने कहा कि अब वहां पर कुछ भी नहीं है तो फिर सरकार बताये कि यह 185 लाशें कहा से निकाली हैं। इस सरकार ने वहां के लोगो को ठण्ड और भूख से लगभग दो महीने तक मारा और मरने के लिए उन लोगो को छोड़ दिया, हमारा सरकार पर यह आरोप भी है और सरकार ने पूरे देश में भी झूठ बोला है। हमने इसलिए कहा था कि यह सरकार हत्यारी है। इस सरकार पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। मान्यवर, यह हमने बिल्कुल कहा था और हम खुले आम आज भी कह रहे है। इस पर सरकार सदन मे जवाब दे कि इतने दिनों के बाद भी इतनी लाशे कैसे मिल रही हैं? जब कि सरकार ने कहा था कि हमने चप्पे-चप्पे पर लाशें देख ली हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री शिंदे महाराज यहा पर आये थे, उस समय उन्होंने 22 जून को केदारनाथ की सफाई हेतु जे0सी0बी0 पहुंचाने का आदेश दिया था। परन्तु आज तक वहा पर कोई जे0सी0बी0 नहीं पहुची है। उनका वह आदेश हवाई आदेश हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया समय का भी ध्यान दें।

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, यह सदन दो-तीन दिन के लिए आहूत कर रखा है और हमने सरकार से कहा है कि जो अनुदानवार मांगे रखी हैं, उनको पास कराने की जिम्मेदारी हमारी भी है। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है, इसमें सरकार का भी वक्तव्य आयेगा, यदि आप नेता प्रतिपक्ष के नाते मुझे बैठने के लिए कहेंगे तो मैं बैठ भी जाऊंगा। परन्तु मैं इस पर थोड़ा और बोलूँगा। मैं आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाहूँगा और वह है कि सरकार द्वारा एक बयान दिया गया था कि जो भी व्यक्ति उत्तराखण्ड जाये, वह अपनी जिम्मेदारी पर जाये। उत्तर प्रदेश की सीमा जैसे ही खत्म होती है तो दिल्ली मे वहां पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाये गये हैं और उन पर लिख दिया गया कि उत्तराखण्ड की स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ पर जो जाये वह अपने जिम्मेदारी पर जाये। (बैठे-बैठे कई माननीय सदस्यगणों के एक साथ बोलने पर व्यवधान हुआ।) सरकार का जो पश्चिम बंगाल में ट्रेड फेयर लगा हुआ था उसमे गाड़ी को डूबते हुए चित्र दिखाया गया है। यहां पर माननीय पर्यटन मंत्री जी कह रहे हैं कि कहां लिखा हुआ था, (बैठे-बैठे कई माननीय सदस्यगणों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान हुआ।)

पर्यटन एवं उद्यान मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

मान्यवर, आप कह रहे हैं कि दिल्ली वाले मार्ग पर लगा हुआ था तो बतायें कहां पर लगा हुआ था?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, गाजियाबाद के बार्डर पर लगा हुआ था। (बैठे–बैठे कई माननीय सदस्यगणों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान हुआ।) ठीक है। आप कह रहे हैं कि नहीं लगा है तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन कलकत्ता के ट्रेड फेयर में।...

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, वहां पर मैं तो नहीं गयी थी। इस बात की जानकारी मुझे नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप तो विभाग के मंत्री हैं, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी (बैठे–बैठे कई माननीय सदस्यगणों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान हुआ।) मान्यवर, मैं सही बोल रहा हूँ।..

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, महिलाओं से बहस नहीं करते हैं, आप भी कहाँ भिड़ गये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ये महिला नहीं हैं ये तो गुरू माँ हैं। मान्यवर, मैं अपनी बात पर फिर जोर देता हूँ, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ कि गाजियाबाद में आपके बोर्ड लगे हुए थे और यही नहीं ट्रेड फेयर में डूबती हुई बसें दिखाई गई और उसमें कहा गया कि उत्तराखण्ड को आपकी सहायता की दरकार है तो उसके बाद से जो इस समय बंगाली सीजन हमारा चलता था वह सरकार के एक बयान से पूरे प्रदेश का चौपट हो गया है। यह किस मंत्री ने बोला वह मंत्री खुद जाने, कि उत्तराखण्ड की स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ जायें या न जायें, यह या तो माननीय नेता सदन ने बोला या ट्रेजरी बैंच की तरफ से किसने बोला, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सरकार शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, यह सरकार जाने। तो सरकार की तरफ से जब यह बयान आया कि वहाँ कि स्थितियां ठीक नहीं हैं, कई लोगों ने तो यह तक कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उनके अगर टीवी के फुटेज निकाल दिये जायेंगे तो उनको उपलब्ध करा दिये जायेंगे और कुछ चीजें तो हम आज भी अभी उपलब्ध करायेंगे। मान्यवर, उसके बाद से यहाँ का चाय वाला, यहाँ का पान वाला, बीड़ी–सिगरेट बेचने वाला, मूँगफली बेचने वाला, पकौड़ी बेचने वाला और जिन्होंने लोन लिया था ट्रक चलाने के लिए, छोटी टैक्सी चलाने के लिए, उनकी किश्तें जानी बन्द हो गयीं, मक्खियाँ भिनक रही हैं, होटल बन्द हैं, सूनसानी है। मान्यवर, उसमें

यह बात जानी चाहिए थी कि जरूर यहाँ पर चार धाम यात्रा में अभी रास्ता दुरस्त नहीं है, परेशानी है। परन्तु यहाँ पर हरिद्वार खुला है, मसूरी खुला है और मसूरी में तो बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है आप लोग भागिये तो भाग गये। जो इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, जिनके पास यह मंत्रालय है उनको यह भी पता नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर एनाउन्स किया था कि मसूरी खाली करो हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ कि यह बोलकर भी हमारा फायदा नहीं है। यहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मसूरी के किसी भी व्यक्ति से पूछिये, मैं प्रूफ दे रहा हूँ क्योंकि जब मैं वहाँ पर गया था तो सारे लोगों ने कहा कि सारा खाली करा दिया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एनाउन्स हुआ है।

*श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप अपनी बात को कह लीजिएगा। मान्यवर, मैं फिर दोबारा जोर देकर कह रहा हूँ कि मैं जब मसूरी गया तो लोगों ने मुझे बताया, मैं उनके नाम कोड करके भी बता सकता हूँ। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने एनाउन्स कराया, चाहे वहाँ की नगर पालिका ने कराया या किसी ने कराया या नगर पालिका के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कराया, तो मंशा गलत नहीं हो सकती है। जब मौसम विभाग ने कहा कि फिर बारिश हो सकती है तो उसके पहले दिन वहाँ एनाउन्स कराकर होटल खाली कराये गये और होटल खाली कराने के बाद लोग चले गये, जबकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मान्यवर, मैं जिस दिन जोशीमठ में था तो द्रोणागिरी होटल के मालिक, श्री राम किशन रावत थे तो उनके होटल में मैं नाश्ता ले रहा था तो वे किसी से कह रहे थे कि आज मैंने चार का भेज दिया है और भेज दूँगा। तो मैंने पूछा कि आखिर बात क्या है तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ औली के लिए लोग आते है तो अब सरकार की ओर से बयान आ गया है इसलिए सभी लोगों ने पैसे वापस मंगा लिए हैं। मान्यवर, जितने दिन कावड़ चला उसको छोड़ दीजिए तो आज भी हरिद्वार के जितने होटल हैं उनको देख लीजिए, मसूरी सूनसान चल रहा है, ऋषिकेश बिल्कुल सूनसान चल रहा है। मान्यवर, ऋषिकेश बिल्कुल सुनसान चल रहा हैं और औली में पर्यटकों के जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मान्यवर, हल्द्वानी, नैनीताल, कौशानी, अल्मोड़ा, धनोल्टी, बागेश्वर, चौकड़ी आदि जितने भी हमारे पर्यटक स्थल हैं, जहां पर बंगाली पर्यटक चलते थे, वे स्थान बिल्कुल सूनसान पड़े हुए हैं। पर्यटक व्यवसायियों की किस्तें नहीं जा पा रही हैं। जो लोग छोटी–मोटी दुकान करके, पर्यटक के आधार पर उनकी आजीविका चलती थी, आज उनकी कमर टूट गयी है। मान्यवर, मेरा सरकार को सुझाव है कि बड़े–बड़े होर्डिंग लगाकर के कोई फायदा नहीं है। मान्यवर, पूरे देश को अभी भी एक मैसेज देने का अवसर है। सरकार की छवि को सुधारने के लिए प्रायोजित न्यूज की टी0आर0पी0 बढ़ने की बात चल रही है। मान्यवर, नेशनल न्यूज में आना चाहिए कि उत्तराखण्ड चार धाम के रास्ते अभी भी वास्तव में सही नहीं है, लेकिन शेष स्थानों पर

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

पर्यटक हेतु सभी लोगों को आमंत्रित करता है, ये स्थान बिल्कुल ठीक हैं इन स्थानों पर पर्यटक आराम से आ जा सकता है। यह मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए, तभी उत्तराखण्ड की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। मान्यवर, केदार घाटी में आपदा आने के बाद इतने लोग हताहत क्यों हुए, इसका एक कारण यह भी है कि जब कोई राजा का आदेश उसकी प्रजा नही मानती है तो वह आदेश, आदेश नहीं रह जाता है। इसका मतलब यह है कि राजा की पकड ढीली हो गयी है और राजा को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नही है। मान्यवर, मैं इसलिए इस बात को यहा पर कह रहा हूँ क्योंकि केदार घाटी में तीन आई0ए0एस0 अधिकारियों को राहत आयुक्त बनाकर भेजा गया, परन्तु इन तीनो अधिकारियों ने वहाँ जाने से मना कर दिया। मैं उन अधिकारियो का नाम यहा पर लेना उचित नहीं समझता हूँ। मान्यवर, इसके बाद, 35 दिन बाद, 25 जुलाई को देहरादून के जिलाधिकारी को वहां आयुक्त बनाकर भेजा गया, उन्होने हिम्मत की और वहा चले गये। मै यहा पर ऐसे अधिकारियों को बधाई भी देना चाहता हूँ, जिन्होंने आपदा के समय दिल खोलकर कार्य किया है। मान्यवर, जिस प्रदेश के अधिकारी अपनी सत्ता का कहना नहीं मानते हो तो मै समझता हूँ कि ऐसे अधिकारियों और ऐसी सरकार को एक मिनट भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। मान्यवर, एन0डी0आर0एफ0 की भटिंडा बटालियन कई दिनो तक देहरादून में रूकी रही। मान्यवर, छः दिनो बाद उनको कार्य पर लगाया गया। एक ओर तो इतनी बडी आपदा आयी और दूसरी ओर जो राहत सामग्री आयी, उस पर एक दल विशेष के लोगों के चित्र चिपके हुए थे और आपदा राहत भी प्रचार का माध्यम बन गया था, इससे घटिया और कोई बात नही हो सकती है। मान्यवर, राहत सामग्री पर जो चित्र लगाये गये थे, वे मुस्कराते हुए चित्र लगायें गये थे, इस पर जब हम लोगों ने और जनता ने बहुत विरोध किया तो तब वे मुस्कराते हुए चित्र हटायें गये।

*श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, किसके चित्र लगे थे, यह तो बताया जाय।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जब हम नाम नही बता रहे है कि किसके चित्र थे तो फिर माननीय सदस्य नाम क्यों बुलवाना चाह रहे हैं। इसलिए आप अभी साईलेंट रहिये। यदि आप आगे कहेगे तो बता देंगे। मान्यवर, सरकार के पास मृतको की वास्तविक संख्या नही है, दबे हुए लोगों की वास्तविक संख्या नहीं है। आपदा के समय में भी गुप्तकाशी के गोदाम मे राहत सामग्री सड रही थी। रूद्रप्रयाग के नाला गांव वालों ने तो राहत सामग्री लेने से भी मना कर दिया था। माननीय गृह मंत्री जी ने पत्रकार वार्ता में कहा था कि यहा पर 30 हजार लोग फंसे हुए हैं, थोडी देर बाद सरकार की तरफ से बयान आया कि 22 हजार लोग फंसे हुए हैं। माननीय शिंदे जी की बैठक मे आर्मी और एयरफोर्स के बीच समन्वय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न होने की बात सामने आयी थी। एयरफोर्स ने कहा था कि उनके हेलीकाप्टर को ईंधन नहीं मिल रहा है, जिससे उड़ान भरने में दिक्कत आ रही है, लेकिन सेना ने इस बात से इंकार किया है। मान्यवर, एक व्यक्ति के घर से लगभग 800 बोरे हरियाणा सरकार द्वारा जो राहत सामग्री भेजी गयी थी वह लक्सर में पकड़े गये और मामले को दबाया जा रहा है। इसमें तरह–तरह की बातें की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें राशन की स्मगलिंग हो रही थी, स्मगलिंग पकड़ी गयी। मान्यवर, उत्तराखण्ड में शराब की स्मगलिंग होती है, रेता–बजरी की स्मगलिंग होती है, लेकिन यहां पर राशन की स्मगलिंग नहीं होती है। राशन यहां पर पर्याप्त मात्रा में होता है। मान्यवर, जिस आढ़ती के यहाँ से पकड़ा गया, वह सत्ता पक्ष के लोगों से जुड़ा हुआ आढ़ती बताया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

भट्ट जी, अब समाप्त कीजिए।

(माननीय संसदीय कार्यमंत्री श्रीमती इन्दिरा हृदयेश द्वारा बैठे–बैठे कुछ कहने पर।)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अध्यक्ष जी की एक बजे प्रेस वार्ता रखी हुई है। यह पहले से तय था। कल हमारा यहाँ पर प्रदर्शन भी है। इस वजह से अध्यक्ष जी से हमने पहले ही कहा था कि आप एक बजे चले जाएंगे। अगर सरकार ने हमारी बात मान ली तो हम भी साथ आ जाएंगे और अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम आज कम से कम 4 बजे तक बोलेंगे। मेरे पास इतना मैटर है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप कहेंगे तो मैं नहीं बोलूँगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, औरों का भी ध्यान रखिए। आपके दल के और कोई माननीय सदस्य इसके बाद नहीं बोल पाएंगे। उनके लिए भी समय रखिए।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने अपनी तरफ से सरकार को सहयोग देने में कोई कोर कसर एक लम्बे समय तक नहीं रखी। सरकार कहीं पर भी यह नहीं कह सकती कि हमने आपदा के समय राजनीति करने की कोशिश की, जो बार–बार यहाँ पर ब्लेम लगता है। मैं आपके सामने वह पत्र पढ़ना चाहता हूँ जो राज्य सरकार को शुरूआत में हमने दिया था, "माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार, प्रदेश में हुई भयंकर त्रासदी से हम सभी दु:खी है। दु:ख की इस घड़ी में पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। पूरे देश में भा0ज0पा0 द्वारा निर्धारित जेल भरो राष्ट्रीय कार्यक्रम को भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्थगित करने के निर्देश दिये हैं, जिसे स्थगित कर दिया गया है। भा0ज0पा0 के सभी राष्ट्रीय

नेता इस घटना से चिन्तित हैं। इस समय हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि शिविरों में जो लोग हैं, उन्हें समय पर खाद्य सामग्री, कपड़े और दवाईयाँ पहुँचाई जाय तथा मृतकों को उनके परिजनों तक पहुँचाने का प्रबन्ध यथाशीघ्र किया जाय तथा फंसे हुए लोगों को हेलीकाप्टर अथवा किसी भी तरह से निकाला जाय। जंगलचट्टी में कुछ लोग फंसे हुए है, उनके पीछे और आगे दोनों तरफ नदी लगातार काट रही है। किसी तरह एक–दो लोगों ने टॉप तक भाग कर दूरभाष से सहायता मांगी है, उन्हें बचाने के पूरे प्रयास करने आवश्यक है तथा खाद्यान्न एवं गरम कपड़े तथा कम्बल हेलीकाप्टर से वहाँ गिराये जाने जरूरी है। रास्ता न होने के कारण उन तक कोई आदमी नहीं पहुँच पा रहा है। अतः किसी प्रकार से वैकल्पिक मार्ग बनाकर बचाव कार्य प्रारम्भ किये जाने चाहिए। अगस्त्यमुनि में शिशु मन्दिर समेत मन्दाकिनी के किनारे से लगे सभी घर एवं दुकानें बह चुकी हैं। केदारघाटी में मंदाकिनी से लगे सारे पुल टूट चुके है। केदार घाटी पर बड़े पुल पर लगातार पानी अटैक कर रहा है। रामबाड़ा एवं गौरीकुण्ड पर आज मकानों के नामोनिशान नहीं रहे है। रामबाड़ा पूरी तरह तबाह हो गया है। गौरीकुण्ड से कुछ बसें और जीप बहते हुए देखे गये हैं। नारद शिला पानी से भर गयी है तथा वहाँ के पुजारी के कमरे ध्वस्त हो गये है। गंगोत्री मार्ग, उत्तरकाशी, श्री बद्रीनाथ मार्ग, केदारघाटी समेत उत्तराखण्ड के विभिन्न स्थानों पर लोग फंसे हुए हैं। जोशीमठ के नीचे अलकनन्दा में जिस तरह से गाय, भैंस, घोड़े एवं खच्चर बहते देखे गये हैं, इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि इन क्षेत्रों के गाँवों में काफी तबाही हुई है। इसी प्रकार केदारघाटी में कल 7 जून, 2013 की सुबह 08 बजे से किसी से कोई सम्पर्क नहीं होने की बात सामने आयी है। केदारनाथ मन्दिर के ऊपर से बादल फटने एवं नदी का रूख मन्दिर की ओर होने से वहाँ के लॉज ध्वस्त होने की खबर है। 08 बजे कुछ सिपाहियों ने गरम कपड़ों की मांग की थी, उसके बाद उनसे कोई सम्पर्क नहीं हो पाया है।''

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप में आशय बता दीजिए। पत्र तो लम्बा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, शेष पत्र पढ़ा हुआ मान लिया जाय। मैं पत्र दे दूँगा।

(पत्र का निम्नलिखित अंश पढ़ा हुआ माना गया।)

(''केदारनाथ में गौरीकुण्ड से केदारनाथ के बीच जो दुकान चलाते थे, उनका कोई पता नहीं तथा जिला पंचायत रूद्रप्रयाग में पंजीकृत 4500 खच्चरों एवं उनके मालिकों का कोई अता–पता नहीं है। केदारनाथ मन्दिर तक पहुँचने के सभी मार्ग ध्वस्त हो गये हैं। रूद्रप्रयाग से गौरीकुण्ड तक मन्दाकिनी के किनारे बसे मकान नदी में समा गये हैं। केदारनाथ मन्दिर की स्थिति का ठीक से अभी पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि

वहाँ तक पहुँचने के सभी मार्ग समाप्त हो गये हैं। यह भी सुनने में आया है कि एक बड़ा ग्लेशियर टूट कर मन्दिर के पिछवाड़े आ गिरा है। ऐसे में सेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा सैनिकों को वहाँ उतार कर ड्राप कर ही वहाँ पर राहत कार्य चलाये जा सकते है, तभी इस क्षेत्र की वास्तविकता का पता लगाया जा सकता है। केदारनाथ जी को जाने वाले सारे पुल ध्वस्त हो गये हैं। ऐसे में सेना द्वारा तत्काल बनाये जाने वाले फोल्डिंग पुलों से वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। एक किस्म से केदारघाटी का पूरे प्रदेश एवं देश से सम्पर्क कट चुका है। इस तरह के हालात बद्रीनाथ जी में भी हैं। नुकसान की जो खबर मीडिया में आ रही है, नुकसान उससे कई गुना अधिक होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिला चमोली में बद्रीनाथ जी से लेकर कर्णप्रयाग में 30 हजार आदमी फंसे पड़े है तथा भ्यूंडार, पुलना तथा गोविन्दघाट की स्थिति भयानक है। यहाँ पर कोई सम्पर्क नहीं हो पा रहा है। उत्तरकाशी में पूर्व की आपदा के समय बनाये गये सभी निर्माण कार्य बह गये हैं तथा असीगंगा के किनारे के सारे लॉज एवं होटल बह चुके हैं। उत्तरकाशी में जोशीयाड़ा, तिलोथ और ग्यानसू में खतरा बना हुआ है। यह अच्छा हुआ कि उत्तरकाशी में जनहानि का कोई समाचार नहीं है। लगभग 20 हजार यात्री यहाँ फंसने का अनुमान है। उत्तरकाशी में स्थानीय लोगों ने अनाज एवं खाद्य सामाग्री जमा कर लोगों को शिविर में खाना एवं भोजन उपलब्ध कराया। उत्तरकाशी से धरासू तक कम से कम 10 जगह सड़क बन्द होने का समाचार है और इसी तरह उत्तरकाशी से गंगोत्री तथा उत्तरकाशी से ऋषिकेश एवं उत्तरकाशी से केदारनाथ तीनों मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त एवं बन्द हैं, ऐसे गाँवों का सम्पर्क पूरी तरह से टूट गया है। गाँव तक पहुँचने के लिए सम्पर्क मार्ग भी समाप्त हो गये हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ एवं गंगोत्री क्षेत्र में भी सम्पर्क मार्ग बन्द हो गये हैं। इसी प्रकार की खबर प्रदेश के अन्य जिलों की भी है।

पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी, धारचूला एवं झूलाघाट से भी सम्पर्क टूट चुका है। झूलाघाट का आधा बाजार तबाह हो चुका है तथा झूला पुल भी बह गया है। गोरी नदी के सारे झूला पुल बह चुके हैं। जौलजीवी का मेला स्थल पूरी तरह से बह गया है। एन०एच०पी०सी० के सारे क्वार्टर बह चुके हैं तथा दुकानें भी बह चुकी है। साथ ही सोभला गाँव पूरी तरह तबाह हो चुका है। जगह-जगह कुमाऊँ क्षेत्र में भी सड़कें टूटी पड़ी हैं। सम्पर्क न होने से खाद्यान्न संकट भी उत्पन्न हो गया है। वर्तमान में फंसे हुए यात्रियों को निकालने, घायलों का उपचार एवं दवाई देने और जगह-जगह राशन एवं पीने के पानी की बोतलें हेलीकाप्टर से ड्रॉप करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। रास्तों एवं सड़कों को तुरन्त खोलने हेतु युद्ध स्तर पर काम करना भी आवश्यक है। केन्द्र सरकार से भी आर्थिक पैकेज तुरन्त माँगना चाहिए।")

श्री अजय भट्ट-

मैं सुझाव पढ़ देता हूँ। अतः मैं निम्न सुझाव आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ।

1. तत्काल प्रभाव से राहत एवं बचाव कार्यों हेतु सेना बुलायी जाय।
2. जहाँ-जहाँ यात्री फसे हैं, वहाँ से प्राथमिकता से यात्रियों को निकाला जाय।
3. जिन स्थानों से हेलीकाप्टर से यात्री निकाले जा सकते हैं, उन स्थानों पर हेलीकाप्टर सेवा प्रारम्भ की जाय।
4. खाद्य सामाग्री एवं पीने के पानी की बोतलें हेलीकाप्टर से जगह-जगह फसे यात्रियों के बीच छोड़ी जायं।
5. जहाँ-जहाँ का सम्पर्क कट चुका है तथा खाद्यान्न की कमी हो गयी है, वहां भी हेलीकाप्टरों से खाद्यान्न एवं पानी की बोतलें, दवाएं गरम कपड़े गिराये जायं। मृतकों और घायलों को तुरंत नियमानुसार आर्थिक मदद मुहैया कराई जाय। नुकसान का पूरा आंकलन तैयार किया जाय, यदि आपदाग्रस्त क्षेत्रों मे कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी हो, तो अन्य क्षेत्रों से अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाया जाय, यह हमने साफ लिखा था। दवाईयों की पुख्ता व्यवस्था की जाय और जहां-जहां पुल टूटे या बह चुके है, वहां सेना द्वारा बनाये जाने वाले फोल्डिंग पुलों से सम्पर्क किया जाय, वैकल्पिक व्यवस्था की जाय। मार्ग में फंसे लोगों के लिए शौचालयों की व्यवस्था की जाय, क्योंकि दो दिन से लोग शौच इत्यादि नहीं जा पा रहे हैं। प्रदेश में आई इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाय, ताकि इसका सम्पूर्ण खर्चा केन्द्र सरकार वहन करे और एक विशेष राहत पैकेज विभिन्न क्षेत्रों के लिए मांगा जाय। यह सुझाव हमने समय पर दे दिये थे।

श्री अध्यक्ष-

आपके सुझाव मान भी लिये गये थे।

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, मै यह कहना चाहता हू कि इतनी बड़ी आपदा यहा पर आई कि पूरा देश इससे कराह रहा है आज भी लोग अपने परिजनों के आने की आस लगाये हुये बैठे है, कि हो सकता है कि कोई मिरेकल हो जाय, भगवान की कृपया हो जाय, अभी भी बचकर आ जाय और कई बहनो ने अपना बरेऊ और चूड़ी, जो सुहाग का प्रतीक होते है, उतारे नहीं हैं, वह इस आशा मे है कि अभी भी वह कहीं से आ जाय। अजय अरोड़ा, जो एस०डी०एम० थे, उनको जबरन काल के मुह मे धकेला गया कि जा मर, इस स्टाईल मे। उसने कहा कि मेरी तबियत खराब है, मैं अभी वहा से आया हूँ और जाने की स्थिति मे नही हूँ। तो भी डर दिखाकर धकेला गया, जब मैं उसके घर गया तो उसके

ससुर ने मुझे बताया कि अभी हमें वह सपनों में कहीं पर फंसा हुआ दिखता है और सहायता के लिए चिल्लाता है, उन लोगों में आज तक ऐसी भावनायें हैं। हमारा पूरा प्रदेश आहत है, देश आहत है, जनमानस आहत है, सभी लोगों ने उस समय राहत सामग्रियाँ भेजी, लेकिन किस तरह से वह सामग्री खराब होती रही, यह किसी से छुपा नहीं है, हरिद्वार में तो कई दिनों तक रिसीव करने वाला ही नहीं मिला। जब यह सब कुछ हो रहा था तो सरकार को शराब की फैक्ट्री का लाइसेंस देने की याद रही और दे दिया गया सितारगंज में। रेता–बजरी की जिस खनन प्रणाली को हमने हटाया था, उसका ठेका देने का पूरा प्रबंध हो गया। इसके लिये मैं माननीय नित्यानन्द स्वामी जी को याद करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, वह इस सदन के नेता रह चुके हैं और मैं उनके मंत्रिमण्डल में रहा था और हमारे साथी, कपूर साहब, निशंक जी, चुफाल जी और बंशीधर जी उनके मंत्रिमण्डल में रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने यह कहा था कि रेता बजरी का एकाधिकार खत्म करना है, क्योंकि एक वांछित किस्म के व्यक्ति को यह कारोबार दे दिया गया था, वह व्यक्ति अब इस संसार में नहीं रहा इसलिए मैं उसका नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। उस समय सारी नदियों में गैंगवार प्रारम्भ हो गयी थी। वह एक गाड़ी का लाइसेंस लेते थे, जिसको रमन्ना कहते हैं, जिससे राजस्व की प्राप्ति होती है और एक ही ऐसी गाड़ी जाती थी और बाकी दस गाड़ियां बिना रमन्ने के जाती थी। सरकार को कोई राजस्व नहीं मिलता था, उन्होंने अपने धर्मकांटे लगवा दिये थे, जबकि धर्मकांटे सरकार लगवाती थी।....

*श्री नवप्रभात–

मान्यवर, यह विषय तो आपदा का चल रहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपदा के ही कनेक्शन में बोल रहा हूँ। (व्यवधान) मान्यवर, तो ऐसे समय में माननीय नित्यानद स्वामी जी ने एक ऐतिहासिक काम इस प्रदेश में किया था। मैं इसलिए उनको यहां से श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर 10 हजार मजदूरों को तुरन्त रोजगार मिल गया। इतना ही नहीं 07 हजार जो हमारे छोटे व्यवसायी, जिन्होंने अपनी गाड़िया खरीदीं थीं, उनको रोजगार मिल गया और जो अशांति का वातावरण हो गया था, आलू मूली की तरह लोग काट देते थे, ऊधमसिंहनगर में तो आज भी हत्याएं हो रही हैं। कई जगह पर इस मामले में गैंगवार छिड़ा हुआ है। इस पर पूरी रोक लग गयी थी, लेकिन आज सरकार आपदा के समय क्यों ऐसा डिसीजन ले रही है, क्या इसके पीछे हाथ है? हमारा तो आरोप है कि रेता, बजरी के जो बड़े लोग हैं, उनसे हाथ मिला लिया है सरकार ने। सरकार जवाब दे इसका कि आखिर किस कारण से सरकार रेता, बजरी के ठेकों को देना चाह रही है। सरकार के उत्तर में इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए। पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि आखिर यह व्यवस्था फिर से क्यों आयी? जैसे ही उस समय रेता, बजरी का ठेका कुमाऊँ मण्डल विकास निगम,

---

*सदस्य ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम, वन विकास निगम को दिया गया मात्र 06 महीनों में मान्यवर, धर्मकांटे से 10 करोड़ रूपये की इन्कम सरकार को हुई थी। क्या सरकार को अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर भरोसा नहीं है, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, गढ़वाल मण्डल विकास निगम पर भरोसा नहीं है, क्यों नहीं है, ये हमारे व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, हम इनको कमजोर क्यों करना चाहते हैं, अगर इनकी इन्कम होगी तो सरकार की इन्कम होगी, क्योंकि ये सरकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति दुकान खोलता है या फार्म खोलता है, तो उसकी इन्कम, उस व्यक्ति की इन्कम होती है। वैसे ही इन प्रतिष्ठानों की इन्कम सरकार की इन्कम है। आपदा के समय भी यह कैसे लिया गया, मेरी समझ से परे है।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, विकास नगर में यदि यमुना नदी से खनन हुआ होता तो आज यमुना के किनारे 03 हजार बीघा जमीन कटती नहीं। 2009 में आप ही के शासनकाल में यमुना का खनन बंद किया गया जो कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा किया जाता और उससे हमें 03 हजार बीघा जमीन का नुकसान हुआ है। इसे केन्द्र सरकार ने नहीं राज्य सरकार ने रोका था और उन्होंने पर्यावरण की अनुमति नहीं ली। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, कृपया अब समाप्त करिये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ, प्रदेश में आपदा चल रही है, शव आज भी निकल रहे हैं, लोगों को बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, सड़कें टूटी हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और कई स्थानों पर आंदोलन चल रहे हैं। उत्तरकाशी में इस समय आंदोलन चल रहा है, इसी तरह से अभी धारचूला में कुछ लोग आंदोलन पर बैठे थे, जगह–जगह लोग आपदा से निजात पाने के लिए, आपदा राहत के लिए जगह–जगह आंदोलित हैं। तो मैं यह कहता हूँ कि कल रात यहां पर एक पार्टी में एक माननीय मंत्री जी के घर पर गोली चली है। आपदा के मौके पर, आपदा जब चल रही है तो कैसी पार्टी, पार्टी का क्या मतलब है। चलिए आप पार्टी करिये, हमें कोई लेना–देना नहीं है आपकी पार्टी से, लेकिन जो गोली चलायी गयी है, जो गोली चली है, वह साधारण बात नहीं है। और उन लोगों द्वारा गोली चलाई गई है जिन लोगों के ऊपर प्रदेश को सम्भालने की जिम्मेदारी है। प्रथम सूचना बेनाम के नाम से दर्ज होती है, सब जानते हुए, पुलिस को दबाया जाता है और पुलिस के ऊपर दबाव दिया जाता है। मान्यवर, इस तरह से कैसे लॉ एण्ड आर्डर चलेगा। ऊपर पांडियाली आँसू और यहाँ [X X X] की पार्टियाँ, शबाब और कबाब, किस तरह से चलेगा यह प्रदेश। आखिर गोली किसने चलाई। (व्यवधान)

नोट: [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि [X X X] को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कोई सामान्य व्यक्ति इस तरह से गोली नहीं चला सकता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि जो भी सत्यता है उसी पर आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अनर्गल शब्दों का प्रयोग करना मैं समझता हूँ कि सदन की गरिमा को गिराना है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कोई सामान्य व्यक्ति इतनी बार गोलियाँ नहीं चला सकता है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में शोक चल रहा है, उसमें गोलियाँ चल रही है, गोलियाँ तो खुशी में चलती हैं। गोलियाँ चलाने का अधिकार इस तरह से किसी को नहीं है। कभी–कभी जब कोई शादी में खुशी से फायरिंग करते हैं, निशाना साध करके नहीं करते हैं। एक आदमी अस्पताल में चला गया हो, एक आन्दोलनकारी को गोली लगी हुई है, जिसने इस प्रदेश के लिए आन्दोलन किया, उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरह के लोग इस सदन में आयेंगे और इस प्रदेश का बंटाधार करेंगे। उसके बाद ट्रेजरी बेंच के लोग इस तरह की बात करते हैं, कौन इस प्रदेश का रखवाला है। मान्यवर, आपके माध्यम से हम प्रदेश की सुरक्षा चाहते हैं, हमें पूरा पता हो गया है कि सरकार इरादतन ये खराब काम करा रही है, क्योंकि सरकार ने अभी तक इसकी इन्क्वारी नहीं कराई है। हमने इसमें कहा कि इसकी जुडिशियल इन्क्वारी होनी चाहिए। यह छोटी–मोटी बात नहीं है। कौन था, किसने गोली चलाई, क्यों चलाई, क्यों इकट्ठा हुए थे, क्या कारण था जब आपदा के बीच में, जब लोग मर रहे हैं, कराह रहे हैं, तो खुशी में पार्टियाँ हो रही है, पार्टी होने का औचित्य क्या था, यह बताना पड़ेगा। मैं इसमें और एक बात कहना चाहता हूँ। मान्यवर, क्या आपदा के अलावा और विषय हम कल लेंगे, क्या नियम–310 हमको फिर लाना पड़ेगा? अभी जब यहां पर बोल रहे हैं और उसी नियम के सम्बन्ध में ही बोल रहे हैं। लॉ एण्ड ऑर्डर है वह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है लेकिन इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ। हम इस विषय को फिर लेंगे और यहां पर जो बातें बता रहा हूँ वह सप्रमाण बता रहा हूँ।

नोट–[X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप भी कह रहे हैं कि अपनी बात समाप्त करें। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं, सरकार इस पर कितना गौर करेगी, उसको हम कह नहीं सकते है। लेकिन हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते है कि इस घटना के पूरे खोखे सील होने चाहिए, जो ब्लड नीचे गिरा था वह भी सील होना चाहिए और टेलीविजन पर जो फुटेज निकल रहे है उस आधार पर कार्यवाही होनी चाहिए, चाहे प्रदेश का कोई भी व्यक्ति हो, वहां पर आन्दोलनकारियों पर गोली चली है, आन्दोलनकारियो को हम चिन्हित नहीं कर पा रहे है तथा एक आन्दोलनकारी आज वहां पर पड़ा है। मान्यवर, इस उत्तराखण्ड कि आज कैसी स्थिति हो गयी है, यह बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। (अपनी जगह पर बैठे–बैठे कई माननीय सदस्यगण अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में व्यवधान हुआ।) अगर यहां पर कोई वाणी निकल भी गयी हो, लेकिन हम गलत नहीं कहते हैं। आप लोग अपनी सरकार से लड़ें और उनके खिलाफ हाथ पर फीता बांधें। (व्यवधान)

*श्री हरीश धामी–

माननीय भट्ट जी, जो लोग बोल रहे है, आप उसको कहें। आप यहां पर फीता बांधने वाली बात क्यों कह रहे हैं?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम किसी से नहीं कह रहे हैं।

श्री हरीश धामी–

मान्यवर, [X X X] (कई माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में व्यवधान हुआ।) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपने–अपने स्थान पर बैठ जायं। माननीय सदस्य के शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, ये माननीय नेता सदन नही हैं, यदि ऐसे विवाद होगा तो सदन कैसे चलेगा? माननीय सदस्य के इस प्रकार के जवाब ठीक नही है। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जायें।

नोट–[X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया.

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हम तो अपने स्थान पर बैठ जायेंगे, हम गलत कहां बोल रहे हैं। मान्यवर, अगर हाउस में दादागिरी चलेगी तो ऐसा कैसे होगा? (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपने–अपने स्थान पर बैठ जायें।

कृपया शान्त रहें, मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों से अनुरोध कर देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसके बीच में कोई टोकाटाकी नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, जिसको जवाब देना होगा उसको पूरा समय दिया जायेगा, जितना समय वे मांगेंगे उतना समय दिया जायेगा और जो सदन की गरिमा है उसके अनुरूप ही शब्दों का प्रयोग करें, उससे बाहर कोई न जाये।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष से यह कहना कि [XXX], यह ठीक नही है, यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष को [XXX] नहीं है तो किसको [XXX] है, तो इससे इस सदन की क्या परम्परा जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह की शब्दावली इस सदन में हो गयी है तो इससे यह सदन सदन नहीं रह जायेगा, यह आपके लिए भी खेदजनक है।

श्री अध्यक्ष–

इस शब्द को निकलवा दिया गया है और मैंने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है और भविष्य के लिए भी निर्देश भी दे दिये है और उस शब्द को कार्यवाही से निकलवा भी दिया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई माननीय सदस्य अपने घर या अपने इलाके मे अपनी सरकार की दादागिरी दिखाये और हमको इस तरह से दबाने का प्रयास न करें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कह देना चाहता हूँ कि मैं इस सदन का नेता प्रतिपक्ष हूँ और मेरे ऊपर इस प्रदेश की जिम्मेदारी है और मुझे एक–एक बात इस सदन मे लाना है और माननीय नेता सदन उस बात का उत्तर देंगे। हर व्यक्ति जिस तरह से उत्तर दे रहा है वह उत्तर देने के लिए ऑथराइज्ड भी नहीं है और जिनको प्रजातांत्रिक चीजें नही आती हैं तो अपना पुनर्विचार करें और पहले अच्छी तरह से सीख लें।

नोट–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये।

श्री अध्यक्ष–

समय काफी हो गया है, अब आप समाप्त करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं थोड़ी चीजें और कह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। मान्यवर, सरकार द्वारा आपदा के समय 11 तारीख को पूजा का प्रबन्ध किया गया और जब सरकार ने घोषणा की थी तो पूरा देश खुश था, हम खुश थे, हम सब लोग वहाँ जायेंगे, पूजा करेंगे, वहाँ पर बम–बम भोले के नारे गूँजेंगे, लेकिन उस समय हताशा हुई जब फाटा से आगे जाने ही नहीं दिया, पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया। जो वहाँ के पुजारी थे रावल जी, उनकी 6.30 बजे अन्तिम फ्लाइट उड़ी जबकि एयर ट्रैफिक कन्ट्रोल के मुताबिक वह समय उचित नहीं था, जब उन्होंने कहा कि चाभी मेरे पास है और मेरे अलावा कैसे मन्दिर खुलेगा, तब अफरा–तफरी का माहौल हुआ और मीडिया में ये बात आई तब उनको अन्तिम समय में ले जाया गया। तो यह तो सीधे–सीधे सरकारी पूजा थी, उत्तराखण्ड के लोग पूरे देश को संदेश देते है और बाहर के लोग हमारे चरण छूते है कि चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की भूमि से हम लोग आये है, दक्षिण भारत ही नही, पूरे देश मे यहाँ का कोई भी चला जाए, किसी जाति का बंधन नही है, बस उत्तराखण्ड का रहने वाला है तो बाहर के लोग चरण छूते हैं और वहाँ हम गलत पद्धति डाल रहे हैं। पूरे तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध किया था, हमारा पूजा से कोई विरोध नहीं, पर यह कैसी सरकारी पूजा, जिससें रास्ता नहीं, कहते हैं पुलिस से पास लेकर जाओ, कुछ लोग कहते हैं कि रास्ता ठीक है और कुछ लोग कहते है कि रास्ता ठीक नहीं है।

मान्यवर, माननीय नेता सदन कहते हैं कि रास्ता ठीक नही है जाने नहीं दिया जायेगा, लोगों को जोखिम हो सकता है। सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी का बयान आता है कि रास्ता ठीक है तो कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। वहाँ के तीर्थ पुरोहितों को नही जाने दिया जाता है, बिना धाम के पुरोहित नहीं और बिना पुरोहित के धाम नहीं, शंकराचार्य की व्यवस्था के अन्तर्गत तीर्थ पुरोहित की और रावल जी की व्यवस्था वहाँ पर की गई थी। मान्यवर, उनके मकान टूटे हैं, उनके मकानो से जनरेटर निकाल दिये है सामान निकाल दिया है और उनका जो रजिस्टर है जिसमे 7–7 सौ साल के रिकार्ड होते हैं, वे इतिहासकार है भारत का कोई भी व्यक्ति जाये और 3–4–5–6–7 सौ साल की अपनी वंशावली देख लेता है। मान्यवर, उनके रजिस्टर वहां पर गिरे पड़े हैं, कुछ के रजिस्टरों का कोई पता नहीं है। आखिर इनको वहां पर क्यो नही जाने दिया गया, यदि ये लोग वहां पर नही जायेंगे तो वहाँ पर कौन लोग जायेंगे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय निशंक जी वहाँ पर पैदल गये हैं, उन्होंने आकर बताया कि वहाँ पर रास्ता किस तरह का है, सुनकर रूह कांप रही है। मान्यवर, निकट भविष्य मे हम लोग भी वहां पर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं और देखेंगे कि सरकार वहां पर किस तरह की व्यवस्था कर रही है। मान्यवर, आप वहां पर हट्स बनाना चाहते हैं और कह रहे है कि हम एक ऐसा केदारनाथ बनाना चाहते हैं जो लगभग 100 साल तक टिका रहेगा।

इस सम्बन्ध में आपकी क्या सभावनाए हैं, किस आधार पर आप ऐसा कह रहे हैं, वहाँ के तीर्थ पुरोहित के मकान आप कैसे तोड़ेंगे, जबकि उनके नाम पर वे मकान हैं, उनके नाम बेनामे हैं, नक्शे हैं, सारी चीजें उनके नाम पर है। आप उन मकानों को कैसे हटायेंगे, इस पर विचार होना चाहिए। मान्यवर, केदार विकास प्राधिकरण आपने बना दिया, इसका क्या औचित्य है, इसका उत्तर सरकार को देना चाहिए। मान्यवर, माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने जिस समय कहा था कि हमें केदारनाथ सौंप दो तो उस समय सरकार ने कहा था कि नहीं-नहीं इसके लिये हमारी मंदिर समिति सक्षम है। क्या मंदिर समिति के अधिकारों का अतिक्रमण करके केदारनाथ विकास प्राधिकरण का गठन किया है।

मान्यवर, जब आपने प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक जिलाधिकारी को बना दिया है तो जिलाधिकारी तो मंदिर समिति मे भी होते हैं। अब आपदा प्रबन्धन मंत्रालय क्या करेगा, जिसके पास आपदा का इतना बडा सेटअप है। मंदिर समिति इसमें अब क्या निर्माण करायेगी, यह विचारणीय प्रश्न है। मान्यवर, इसमें सिर्फ 9 जगहों को आपने चिन्हित किया है, जबकि अगस्तमुनि से लेकर गौरीकुण्ड तक नदी के दोनों ओर ध्वस्त हुआ है। मान्यवर, जिन लोगों के दस-दस लाख रू0 के मकान ध्वस्त हो गये उनको मात्र दो-दो लाख रू0 दिये जा रहे है, यह कैसे मानक हैं। मान्यवर, मैंने तो पहले भी सरकार से कहा था कि कम से कम जो सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, वे हमारे प्रहरी हैं, इनके मकान, इनके घर, इनके मवेसी, इनके खलिहान जो बरबाद हो गये हैं, इनको पुनर्स्थापित करें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो यहां पर भी जम्मू-कश्मीर की स्थिति हो जायेगी। मान्यवर, सीमाएं खाली होंगी तो देश को खतरा होगा। यह बात हम बार-बार मीडिया के माध्यम से भी कहते आये हैं। मान्यवर, पहाड़ में एक परिवार में चार भाई होते है, मकान एक होता है। मान्यवर, इसमें सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक में आया था कि हम ऐसे लोगों को पूरा मुआवजा देंगे, लेकिन कई जगहों पर रूद्रप्रयाग और चमोली में ऐसा नहीं हुआ है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि अब तक ऐसे कितने मकान बह गये है, जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मेरा आरोप है कि सरकार ने आपदा के समय आपदा राहत में भी बहुत बड़ा घोटाला किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक सीडी आपको उपलब्ध कराना चाहता हूँ, और सदन में जो कोई भी इस सीडी को लेना चाहता है, उसे भी देना चाहता हूँ।

(माननीय अजय भट्ट जी द्वारा माननीय अध्यक्ष जी को सीडी उपलब्ध करायी गयी।)

मान्यवर, सरकार द्वारा आपदा के समय एक किट बनायी गयी, इस किट की छानबीन मैंने रूद्रप्रयाग में की तो वह किट मुझे वहां पर नहीं मिली है, जहाँ के लिए यह किट भेजी गयी थी। मान्यवर, किट में अरहर दाल-5 किलो, रिफाईण्ड-2 लीटर, जीरा विक्टर-100 ग्राम, पिसी हल्दी गोल्डी-100 ग्राम, पिसी हुई मिर्च गोल्डी-100 ग्राम, धनियां पिसी गोल्डी-100 ग्राम, टाटा नमक-01 किलो और माचिस होम लाईट-06 डिब्बियां, इस तरह से कुल 8 नग इस पैकेट में रखे गये थे। मान्यवर, इसको खरीदने

के लिए क्रय समिति बनायी गयी, जिसमें सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य) गढ़वाल सम्भाग तथा देहरादून, सहायक आयुक्त खाद्य, पौड़ी, सम्भागीय विपणन अधिकारी गढ़वाल सम्भाग तथा सहायक सम्भागीय लेखाधिकारी (खाद्य) को रखा गया। मान्यवर, इस समिति को बाजार का सर्वेक्षण कर तीन कोटेशन लेकर दिनांक 16 जुलाई के दिन में ही तीन बजे तक कोटेशन खोलने का आदेश दिया गया और 16 जुलाई, 2013 को कोटेशन लेने की अंतिम तिथि भी रखी गयी। मान्यवर, इसमें कोटेशन आमंत्रित किये गये जिसमें मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स लाजपत राय रोड ऋषिकेश का एल–01 यानि कि सबसे लोएस्ट टेण्डर निकाला 625 रूपये प्रति किट और अधिकारियों के नैगोसिएशन करने के बाद यह 620 रूपये हो गया। 600 पेटी का इनको आर्डर भी दे दिया गया। मान्यवर, इस सप्लाई को जो भी व्यक्ति करेगा, उसके पास एक तो टिन नम्बर होना चाहिए, व्यापार कर का प्रमाण–पत्र होना चाहिए, केन्द्रीय बिक्रीकर सी0एस0सी0 का रजिस्ट्रेशन उसके पास होना चाहिए, उसका मण्डी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और खाद्य संरक्षण एवं मानक अधिनियम के अनुसार रजिस्टर्ड होना चाहिए, फूड सेफ्टी एवं स्टैण्डर्ड एक्ट, 2006 के अनुसार लाइसेंस होना चाहिए। यह एक गम्भीर बात है कि अग्रवाल ट्रेडर्स की तो कोटेशन हुई परन्तु बिना कोटेशन के राजा ट्रांसपोर्ट से 25 हजार किट सप्लाई करवाई गयी, उसके बाद और भी आदेश दिया गया। जबकि एल–2 कोटेशन जय गंगा का था। यदि एल–1 अग्रवाल ट्रेडर्स सप्लाई नहीं करता तो एल–2 मै0 जय गंगा ट्रेडर्स से सप्लाई करवा ली जाती। परन्तु बिना कोटेशन के राजा ट्रांसपोर्ट कैसे और कहाँ से आया, जबकि ये तेल के व्यापारी हैं। उन बेचारों ने अपने बयान में भी कहा है कि मैं तेल का व्यापारी हूँ, मैं सप्लाई कर ही नहीं सकता था, जब सरकार ने कहा तो मैंने कर दिया। इसके पास टिन नम्बर समेत तमाम आवश्यक कागजात नहीं हैं। यानि कि टिन नम्बर नहीं है, व्यापार कर नहीं है, केन्द्रीय बिक्री कर सी0एस0सी0 नहीं है, मण्डी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, खाद्य संरक्षण एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नहीं हैं, फूड सेफ्टी एवं स्टैण्डर्ड एक्ट, 2006 के अनुसार लाइसेन्स नहीं है। ये बिना कोटेशन के दिया गया है। इसमें दो करोड़ रूपये आपदा प्रबन्धन से रिलीज किये गये हैं।

मान्यवर, 15 जुलाई को एक आदेश हुआ है, सम्भागीय खाद्य निरीक्षक, गढ़वाल संभाग, देहरादून की ओर से, इन्होंने कहा है कि जो यह 4 लोगों की क्रय समिति बनाई है, यह क्रय समिति बाजार का सर्वेक्षण करेगी तथा जो फर्म उक्त वस्तुओं के विपणन में दक्ष हो, उनसे 3 न्यून कोटेशन दिनाँक 16–07–2013 तक प्राप्त करेगी और उसी दिन सांय 03.00 बजे समिति कोटेशन खोल कर अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी। यानि कि दक्ष हो, मतलब ये जो 4–5 लाइसेंस हैं, ये उसके पास होने चाहिए। तो जो दक्ष ही नहीं है, उसको किस आधार पर सरकार ने दे दिया? यह बहुत गंभीर मामला है। यह खाद्य किट जो 620 रूपये में क्रय की गयी है, बाजार में 460 रूपये में मिल रही है। हम भी गये दुकान में, हम भी इसको खरीद कर लाए हैं। खाद्य मंत्री जी ने कहा यह मामला

आपदा मंत्रालय का है। आपदा मंत्रालय ने किसी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता सदन का इसमें बयान आया है, उन्होंने कहा इसमें मेरा कुछ लेना–देना नहीं है। बुधवार को मीडिया के पूछताछ करने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह मामला खाद्य विभाग से जुड़ा हुआ मामला है और खाद्य मंत्री जी से ही मालूमात करने की सलाह दी गई। दूसरी ओर खाद्य मंत्री जी ने इस पर दो टूक कहा कि इससे उनके मंत्रालय का कोई मतलब नहीं है। खाद्य विभाग ने कोई खरीद–फरोख्त नहीं की है, जो किया है, वह सब पारदर्शी है और सबके सामने है। यह खरीद–फरोख्त आपदा राहत की तरफ से की गयी है। यानि कि ज्वाइंट और सेवरल लाइबिलिटी होती है, किसी भी गवर्नमेंट में। संयुक्त और पृथक–पृथक उत्तरदायित्व होता है, किसी भी गवर्नमेंट का। खाद्य मंत्रालय शिफ्ट करता है, नेता सदन की बात शिफ्ट होती है और दूसरे मंत्री किसी दूसरे पर शिफ्ट करते हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है 140 रूपये प्रति किट ज्यादा पेमेण्ट करने के लिये, कैसे यह कार्य अकुशल व्यापारी को दिया गया, यह जांच का विषय है। जब यह बात उठी थी, इसकी सी0डी0 भी हमारे पास है, यदि किसी को देखना हो, तो वह हमसे ले सकता है। जब यह व्यापारी उत्तरकाशी पेमेण्ट लेने गया तो वहां से डी0एस0ओ0 द्वारा पांच लाख रूपया घूस मांगे जाने की शिकायत उसने सरकार में की। उसने बयान दिया है कि डी0एस0ओ0 ने कहा कि पहले घूस दो, तब तुम्हारा पेमेण्ट करेंगे। जिलाधिकारी उत्तरकाशी का कहना है कि व्यापारी का कहना गलत है और इसने किट ही सप्लाई नहीं की है, तो जब किट ही सप्लाई नहीं हुई तो जितना भी पेमेण्ट हुआ, वह कैसे हो गया। मुझे उम्मीद थी कि जैसे ही हम बात को उठायेंगे, क्योंकि हम एक जागरूक प्रहरी की तरह काम करते हैं, जितने भी लोग आज विपक्ष में बैठे हैं, यह कोई लड़ाई–झगड़े के लिए नहीं हैं, सरकार को डाऊन करने या ऊंचा करने के लिये नहीं हैं। आगाह करने की जिम्मेदारी हमारी है, चेताने की जिम्मदारी है। हमें उम्मीद थी कि जब हम मामला उठायेंगे तो कम से कम वह अधिकारी सीधे पनिश होंगे, जिन्होंने ऐसे समय में ऐसा जघन्य अपराध किया है। एक–एक चीज का कोटेशन कैसे हुआ, टेण्डर कैसे हुआ, किसने आदेश दिया, यह अग्रवाल ट्रेडर्स का क्या है, यह राजा ट्रेडर्स का क्या है। इसने कैसे एक पन्ने में मांग रखा है, यदि आप चाहें तो यह मैं आपके अवलोकन के लिए प्रस्तुत भी कर सकता हूँ। इसमें सरकार की तरफ से एक और बात आई कि इस किट का मूल्य माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता सदन जी की देख–रेख में तय हुआ है।

*मुख्यमंत्री (श्री विजय बहुगुणा)–

मान्यवर, ऐसा किसने कहा है, दिस इज नॉट करेक्ट।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपको अवलोकन के लिये दे सकता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विजय बहुगुणा–

मान्यवर, छपवा दिया गया होगा। (हँसी)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपका खण्डन आ जाता तो अच्छा होता।

श्री विजय बहुगुणा–

मान्यवर, मैं सदन में इसका खण्डन कर रहा हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह अखबार में ही नहीं, हर चैनल पर आया है। तो मेरा कहना यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सरकार ने उन लोगों को क्लीन चिट कैसे दे दी। जो क्रय समिति ने इतना बड़ा अत्याचार किया, लोगों के पेटों पर लात मारी और वहां तक अभी किट नहीं पहुंचे हैं, यह किट कहां गई ? जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ने कहा है कि किट आये ही नहीं है। वह पैसा ज्यादा मांग रहा था, इसलिए हमने उसे पैसा नहीं दिया। इसकी इन्क्वायरी कौन करेगा, मैं नेता सदन से चाहता हूँ कि आपदा में हुई इस तरह की घटनाओं की उच्चस्तरीय जांच की घोषणा आज वह सदन में करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

मान्यवर, मैंने कई बातें आपके सामने रखी हैं और भी कई रोचक तथ्य आयेंगे। मैं कुछ सुझाव भी आपके माध्यम से सरकार को देना चाहता हूँ कि हिमालयी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुये अलग नीति बनाये जाने की आवश्यकता है, इसके लिये हम लोग लम्बे समय से चिल्ला रहे हैं और अन्य लोग भी इससे सहमत होंगे। एक और बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से विदेशों के पर्वतीय क्षेत्रों में आल वैदर रोड बनायी जाती है, चाईना और जापान में यह बनाती हैं। कम से कम हमारे यहां से इसके निरीक्षण के लिये टीमें जानी चाहिये। नेता सदन बैठे हैं, चाहें तो भारत सरकार को भी लिख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिये, कम से कम उत्तराखण्ड के लिए मान्यवर, यह साबित हो गया है कि ये सड़कें ज्यादा टिकाऊ नहीं हो सकती हैं। चाहे सुरंग से निकाले या नदियों के ऊपर से आप कोई फ्लड डाल कर निकालें, या झूला पुलों से रोड निकालें, ऑल वेदर रोडों की आज सख्त जरूरत हो गयी है। एन0डी0आर0एफ0 की तरह राज्य के अंदर जवान तैयार किये जाए, वो आपने कहा भी है कि तैयार करेंगे और शांतिकाल में सेना जैसे एक्सरसाईजेज करती है, उस तरह से इसके भी एक्सरसाईजेज चालू रहने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है मैं जब बद्रीनाथ जा रहा था तो रास्ते में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, मैंने समझा कि पहाड़ गिर गया है। सब लोग सन्नाटे में थे, लेकिन जो वहां के लोकल आदमी थे, उन्होंने कहा कि घबराईये मत। अंधेरा होने लगा था, वो जो नीचे मिले थे,

उन्होंने डायनामाईट फिट किया था, वो कह रहे थे कि अभी हम ऊपर को ही आ रहे हैं। तो पूरा पहाड़ थर्रा गया था मान्यवर, इसलिए डायनामाईट बिल्कुल बंद होना चाहिए। ऐसी मशीनें आ गयी हैं जिनसे 05 मीटर तक भी कम्पन नहीं होता है। इन्हीं मशीनों का प्रयोग, यदि वास्तव में आप केदारनाथ को वास्तव में बचाना चाहते हैं, जैसा आपने कहा है कि हम केदारनाथ को बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें लानी चाहिए। पूरे प्रदेश से हमको सम्पर्क करना चाहिए। डायनामाईट से पहाड़ों में दरारें पड़ती हैं, दरारों में पानी भरता है, पानी भरने के बाद पर्वत चिटक जाते हैं। डॉप्लर रडार तुरन्त लगाये जाने चाहिए। जो कुछ न कुछ चेतावानियों देकर पहले ही पूर्वाभास कर सकता है। सेटेलाईट फोन आपदा के समय लगते हैं। जबकि आपदा प्रबन्धन के नियमों के अनुसार इनका जगह–जगह होना बहुत आवश्यक है। हमने अपने जमानें में जब स्टार्ट किया था, खैरियत रिपोर्ट मंगाने का एक सिस्टम बनाया था। खैरियत रिपोर्ट में पटवारी से रिपोर्ट आती थी, उसके यहां एक रेडियोग्राम देने की व्यवस्था कर रहे थे हम, फिर तो आ नहीं पाये उसके बाद से, कि सब खैरियत है और वो कानूनगो के माध्यम से तहसीलदार, तहसीदार के माध्यम से एस0डी0एम0 और एस0डी0एम0 के माध्यम से डी0एम0 और डी0एम0 के माध्यम से सचिव, आपदा या मंत्री के पास सूचना आयेगी कि जिले में सब खैरियत है और जहां भी ऐसा डिजास्टर आयेगा सैकेण्डों में पता चल जायेगा कि यहां खैरियत नहीं है। खैरियत रिपोर्ट मंगाने की भी हमने कोशिश की थी। पूरे उत्तराखण्ड में यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन काउन्टर का पता चल सके। पूरे उत्तराखण्ड क्षेत्र की जी0आई0एस0 मैपिंग होनी चाहिए, जिसकी सी0डी0 जिले के समेत सभी आपदा प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारियों के पास उपलब्ध हो। जिससे क्षेत्र की पूरी तस्वीर की जानकारी हो कि कहां पर स्कूल है, कहां पर सड़क है, कहां हैलीपैड है, कहां फील्ड है, जहां पर हम लोगों को आपदा के समय रख सकते हैं, कहां अस्पताल है। ताकि आपदा के समय प्रभावित लोगों को इन स्थानों पर ले जाया जा सके।

आपदा प्रबन्धन मंत्रालय का ढांचा स्वीकार कर सभी कर्मचारियों, अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इतने सालों से भी हम आपदा प्रबन्धन मंत्रालय को सक्षम नहीं बना पाये हैं और इसका परिणाम हमको भुगतना पड़ रहा है। विभाग में भू गर्भ शास्त्री और जी0एस0आई0 रिपोर्ट सेंसिंग से संबंधित वैज्ञानिक रखने भी अनिवार्य है ताकि हम दूसरे वैज्ञानिकों पर आधारित न रहें क्योंकि हमको अलार्म कर दिया है प्रकृति ने, अब आपदा प्रबन्धन मंत्रालय को हाथ पर हाथ पर रखने की आवश्यकता नहीं है। दूर–दराज के गांवों में हैलीपैड बनाये जायें, ग्राम सभा स्तर पर आपदा से निपटने हेतु सेमीनार लगाये जायें। एक गांव के स्वयंसेवी लोगों को ऐसे वक्त में कार्य करने के लिए टीम बनायी जाय, उनको प्रशिक्षित किया जाय। यात्रियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाय

तथा बाहर से आने वाली गाड़ियों को हरिद्वार व ऋषिकेश में रोकने का प्रबन्ध किया जाय। हरिद्वार व ऋषिकेश से पर्वतीय क्षेत्र के लिए किराये की टैक्सियाँ दिलाने पर भी विचार किया जा सकता है। नदियों का वैज्ञानिक ढंग से चुगान का कार्य बरसात प्रारम्भ होने के बाद एवं बरसात के बीच के समय में, यानि सितम्बर से मई के बीच में अनिवार्यतः किया जाना चाहिए ताकि नदी में भर रहे रेता, बजरी आदि को हटाया जा सके। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्की जमीन का सर्वे कराया जाय ताकि विस्थापित होने वाले गांवों को इसमें बसाया जा सके। मैं इसलिए कह रहा हूँ मान्यवर, रूद्रप्रयाग का सिमी गाँव, जो मैंने कहा था, जो भी वहां गये होंगे वो भी बिल्कुल ऐसे सरक रहा है। जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग ने मुझे बताया कि मैं 05 दिन पहले आया था, मान्यवर, तब यह होटल खड़ा था, आज यह होटल बैठ गया है। यहाँ के जो माननीय विधायक हैं उनको पता होगा कि सिमी गाँव लगातार नीचे को खिसक रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ यह बात सही है, माननीय विधायक जी को पता है। अब वहाँ बात क्या हुई ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं नीचे से गाँव सरक रहा हैं मंदाकिनी में। जिन लोगों को टेन्ट हाउस में रखा गया था, वह भी सरकने लग गया है। अब सरकार की तरफ से दो हजार रूपये देकरके उनसे कहा जा रहा है कि जाओ, किराये पर रहो। कैसी संवेदनशीलता है सरकार की, उस गाँव से अपने बच्चों को, अपने मवेशियों को लेकर अपने साथियों को लेकर कौन से मकान में जायेंगे, कहाँ मकान है, किस घर में घुसेंगे। यह नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है कि इस तरह से अपने कामों की इतिश्री न करें कि हमने दो हजार रूपये दे दिया। सरकार को सदन में इसका उत्तर देना होगा। पर्यटक हमारे उस समय फंसे हुए थे, दो–दो हजार रूपये उस समय भी दिया था, किनको दिया उनके नाम पते क्या है, बहुत बड़े घपले की शिकायत है। इस पर एक श्वेत पत्र जारी करें, देश का कितना पैसा आया है, उसको कहाँ लगाया है कितना यूज हो गया है, किस मद में कितना आया है, यह सरकार को यहाँ पर बताना चाहिए। पूरे लोगों को बताना चाहिए क्योंकि प्रदेश जानना चाहता है। मैंने सिमी गाँव का उदाहरण इसलिए दिया ऐसे गाँव को, मैं तो सरकार को एक सुझाव और देना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर कालागढ़ में दो हजार मकान खाली होने की बात आई है, मुझे अभी–अभी पता लगा है। क्योंकि सिंचाई विभाग के वहाँ पर जो इंजीनियर थे उनको शिफ्ट कर दिया गया है। तो तब तक के लिए सरकार को, यहाँ हम सरकार को आगाह कर रहे है और सुझाव भी दे रहे है। ऐसे लोगों को सरकार को तब तक के लिए इनवरवारी करके बसाया जाना चाहिए। यह नहीं कि दो हजार रूपये दे दिये। लोग रो रहे हैं, लोग कहाँ जायेंगे। कौन किराया देगा उनका, इतने मकान कहाँ हैं। इसको सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिए। सीमाओं तक जाने के लिए सड़क शीघ्र बनाई जानी चाहिए। क्योंकि सीमा के दूसरी पार तक चायना ने अपने यातायात के साधनों को चुस्त दुरूस्त कर दिया है।

बद्रीनाथ जी में आज भी लगभग एक हजार वाहन फंसे हुए है जिनको निकालना अभी सम्भव नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालय जो पक्के स्थानो पर है, में एक बहुउद्देशीय हाल जरूर बनाना चाहिए आज की आपदा को देखते हुए, क्योंकि जब गाँव के लोग भागें तो कम से कम उस हाल में शरण तो ले लें, जब कभी ऐसी आपदा आये। मान्यवर, यहाँ के किसानों, व्यापारियों, युवकों आदि के सभी ऋण माफ किये जाने चाहिए। क्योंकि उनसे सबंधित व्यवसाय ही नहीं रहा तो वह ऋण की वापसी बिल्कुल नही कर सकते हैं। ऐसी स्थितियाँ आ गई हैं, उनके परिवारों में भुखमरी की स्थिति आ गई है। बी0आर0ओ0 को अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई जायें ताकि सड़कों का कार्य शीघ्र हो, नुकसान कम हो और मशीने आपदाग्रस्त क्षेत्रो में और जिलो में पूर्व से ही रहें। आपदा प्रबन्धन की नई टैक्नीक और नये उपकरण इस समय आ गये हैं। जो उस समय के लिए उपयोगी होते है, जमीन के अन्दर जीवन कहाँ तक बसा है उसको भी बताने की मशीनें आज आ गई हैं। इसको खरीदने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

आपदा अभी उत्तरांचल में रूकी नहीं है इसलिए वर्गीकरण अध्यापकों का जो इस समय किया गया है और उनकी बदली होने लग गई है। कोई व्यक्ति उत्तरकाशी रहकर आया है फिर आपदा के समय उसको वही भेजा जा रहा है। क्योंकि उस समय दुर्गम था और आज सुगम हो गये है। इसको भी कम से कम देखा जाये। मान्यवर, कई डाक्टर आयुर्वेद के जो बाहर हो गये हैं, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जहाँ डाक्टर की कमी है, उनको तुरन्त अप्वायमेंट कर देना चाहिए। उनको उसी दर जो हम दे रहे है उनका अप्वायमेंट करके, ताकि लोगों को कुछ स्वास्थ्य की सुविधा तो मिले। इसलिए हमने जो कहा ये सारी आपदा के बाद की जो घटनायें हुई है इसमें सारा आरोप हमारा सरकार के ऊपर है, सरकार की बदइन्तजामी की वजह से, मिस मैनेजमेंट की वजह से आपसी सामंजस्य न होने की वजह से हजारों जानें इस देश की गई हैं। इसका परिणाम सरकार को भुगताना पड़ेगा। मान्यवर, मैं इस विषय पर बोलना तो बहुत चाह रहा था। इस समय आपको भी बहुत जल्दी है, इस विषय पर और सदस्यगण भी बोलना चाह रहे है। मान्यवर, आपने इस विषय पर मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि माननीय नेता सदन सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को रखने के बाद ही इस पर जवाब दें।

श्री विजय बहुगुणा-

मान्यवर, मैं आपकी भावनाओं से, अपनी बात को भी जोड़ता हूँ और माननीय अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इस आपदा से हर क्षेत्र प्रभावित है। इसमें सभी माननीय विधायकगण अपनी भावनाओं को यहां पर रखना चाह रहे होंगे। अतः इस पर दिनभर चर्चा होने दीजिए और कल मैं इस पर जवाब दे दूँगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, आप अपनी पार्टी के लोगों की सूची दे दें, जो इस पर बोलना चाहते हैं और सत्ता पक्ष की ओर से भी सूची दे दें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नियम–310 की इस सूचना में सभी माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, इसलिए हमारे दल के सभी माननीय सदस्यगण इस पर बोलेंगे।

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि महामारी यानी आपदा, मानसून और माननीय मंत्री कब आ जायें इनका कोई पता नहीं रहता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऊपर जो घटना हुई है वह भगवान के हाथ में थी। लेकिन इस पर सरकार की जिम्मेदारी है और उसमें सरकार की लापरवाही रही है। सरकार को इस पर माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऊपर से जो सारा पानी नीचे की ओर आया है, वह सारा पानी लक्सर विधान सभा क्षेत्र में घुस गया है और उसमें थोड़ी देर के लिए माननीय मंत्री श्रीमती इन्दिरा जी एवं प्रभारी मंत्री जी वहां पर गये थे और देखकर आये थे, लेकिन उन्होंने वहां के लिए कुछ किया नहीं है। माननीय आपदा मंत्री श्री यशपाल आर्य जी, उस स्थान पर अभी तक गये ही नहीं है, लेकिन यहां से उस स्थान के लिए वह गये थे परन्तु वह खानपुर विधान सभा क्षेत्र में चले गये और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर केवल हवाई दौरा ही किया, जबकि वहां पर हमारी हजारों जनता मौजूद थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऊपर जो मर गये वह बहुत दुख है, लेकिन जो नीचे मरने जा रहे है उनको तो बचाओ, वह आपके हाथ में है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की हजारों हेक्टेयर जमीन गंगा जी ने काट दी है, जिसमें 7 ग्राम सभायें है और 13 गांव हैं। उनकी फसल बिल्कुल नष्ट हो गयी है। माननीय निशंक जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय तीरथ सिंह रावत जी अपनी आंखों से वहां पर देख आये है। वहां के लोग वहां से पलायन करके दूसरी जगह पर रह रहे हैं, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। वहां पर जो जमीन कट गयी है, उससे वे लोग मजदूर एवं बेरोजगार हो गये हैं और उनके खाने को कुछ भी नहीं बचा है। एक वक्त की रोटी उनके पास नहीं है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उन किसानों के सभी प्रकार के कर्ज माफ होने चाहिए, दूसरी बात यह है कि कर्जे तो माफ नहीं हो रहे हैं लेकिन उनके गन्ने का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। सरकार इसको गम्भीरता से ले और जो 7 ग्राम सभायें हैं और 13 गांव है उन किसानों के सभी प्रकार के कर्ज माफ होने चाहिए और गन्ने का भुगतान शीघ्र होना चाहिए, जिससे लोग रोटी खा सकें। माननीय अध्यक्ष जी, एक दिन तो लक्सर के बारे में बताने में लग जायेगा और आपने तीन दिन रखे हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि कुछ समय और बढ़ा दें।

श्री मदन कौशिक–

मानजीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद कि आपने नियम–310 में मुझे बोलने की अनुमति दी है, मैं अपने आप को माननीय नेता प्रतिपक्ष से सम्बद्ध करते हुये कुछ बिन्दु रखना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, यह जो 16–17 तारीख को आपदा आई थी तो निश्चित रूप से बहुत कठिन स्थिति थी प्रदेश के लिए, लेकिन मौसम विभाग ने सरकार को पहले से ही चेतावनी दी थी और मौसम विभाग की उस चेतावनी को सरकार ने नजरअंदाज किया था। उस चेतावनी में स्पष्ट था कि 15 तारीख के बाद इस प्रदेश में कोई ऐसी स्थिति बन सकती है कि बहुत भारी बरसात होने की सम्भावना है और उस भारी वर्षा के कारण जो यात्रायें हैं उनको रोक दिया जाय, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया और यात्रायें चलती रहीं। 16 तारीख को खासतौर से केदारघाटी में जब आपदा आई तो उस समय कहीं न कहीं यह निर्णय हुआ कि यात्रा में जो ऊपर केदारघाटी में थे उनको वहीं रोक दिया गया और नीचे से लोग लगातार जा रहे थे। यह पूरे प्रदेश में जो घटना घटी है चाहे उत्तरकाशी में हो, केदारघाटी में हो, बद्रीनाथ में हो, पिथौरागढ़ में हो, इसके बारे में माननीय श्री अजय भट्ट जी ने विस्तार से अपनी बात को रखा है। लेकिन आपदा के 2–3 दिन बाद भी ऐसे अफरा–तफरी का माहौल था कि कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था। किसी से भी ऐसे पूछा जाए, चाहे वे अधिकारी हों, चाहे वे सरकार के नुमाईंदे हों, कोई बताने की स्थिति में नहीं था कि क्या हो रहा है प्रदेश के अन्दर और पूरे देश में ऐसा माहौल बना कि लगातार लोग अपने परिचित के बारे में फोन करके पूछना चाह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास, माननीय नेता प्रतिपक्ष या अन्य किसी सदस्य के पास फोन आया तो वे भी लगातार प्रयास कर रहे थे कि उस जिले के डी0एम0 से बात करें या सरकार से बात करें, लेकिन उनके पास भी उस वक्त कोई जवाब नहीं था और यह स्थिति 16–17 के बाद 18,19,20 तारीख तक रही। जब यह संकेत आने शुरू हो गये कि केदारघाटी में बड़ी तबाही हुई है तब सरकार की तरफ से माननीय नेता सदन का बयान आया कि बहुत बड़ी तबाही नहीं हुई केवल 50–55 लोग मरे होंगे, यह उन्होंने टी0वी0 के सामने बयान दिया। मान्यवर, ऐसी परिस्थिति में प्रदेश के मुखिया का बयान आता है तो उसको निश्चित रूप से देश के अन्दर एक सच्चाई के रूप में देखा जायेगा, लेकिन जब पूरे देश के विभिन्न प्रदेश के लोगों को मीडिया ने दिखाना शुरू किया तब जाकर पता चला कि बहुत बड़ी आपदा थी और स्थिति बहुत खराब थी। विपक्ष की तो जिम्मेदारी है और विपक्ष कहता है तो मान लीजिए और यदि नहीं मानते हैं तो क्या सत्तापक्ष की माननीय विधायक श्रीमती शैलारानी जी की बात को भी झुठलायेंगे, वे टी0वी0 के सामने रो रही थीं और कह रहीं थीं कि मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी तबाही हुई है। हुआ कुछ नहीं, सरकार झूठ बोल रही है, अधिकारियों के बयान झूठे हैं, मंत्री जो बयान दे रहे हैं, उनमें सच्चाई नहीं है और

यह हम नहीं कह रहे है। क्षेत्र की माननीय विधायक लगातार 3–4 दिन तक रोती रहीं और पुकारती रहीं कि कुछ सहायता तो कीजिए। मान्यवर, टी0वी0 पर डा0 हरक सिंह जी का बयान आया कि मैं पहले वहाँ पहुँच गया था सरकार को जरूर जाने में चूक हुई, इसे उन्होंने जरूर स्वीकार किया और माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन आपको भी बधाई देना चाहता है कि आप पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वीकार किया कि केदारघाटी में दस हजार से ज्यादा लोग मरे है। मान्यवर, जब आपने स्वीकार किया तो उसके बाद सरकार से कहीं न कहीं लोगों को आशा बंधी और सरकार को आगे आना पड़ा। मान्यवर, इस प्रदेश में आपदा आयी कोई बात नहीं, जब आपदा आती है तो उसका सामना भी किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश के अन्दर सरकार के सारे लोग आपदा का कार्य देख रहे थे सिवाय आपदा प्रबन्धन मंत्री के, उनका नंबर ही नहीं आ रहा था। वे कई बार हैलीकाप्टर मांगते रहे, परन्तु अन्य लोग उड़ते चले गये। मान्यवर, आपदा के समय मैंने फोन पर कई बार माननीय आपदा मंत्री जी से बातचीत की, मैंने उनसे मिलकर भी बातचीत की तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं मैं तो चाहता हूँ कि ये सारे कार्य हों।

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

माननीय कौशिक जी, कृपया झूठ न बोलें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आज भी वे स्वीकार करेंगे, इतनी आपदा से सम्बन्धित योजनाएं बनी है, लेकिन उनके हाथ में क्या है, यह देखा जा रहा है। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपदा प्रबन्धन मंत्री जी जवाब दे देंगे। मान्यवर, माननीय आपदा मंत्री जी को छोड़कर सारे माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी आपदा प्रबन्धन का कार्य देख रहे हैं।

श्री यशपाल आर्य–

माननीय कौशिक जी, झूठ न बोलें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी–अभी कह कर गये है कि मैं सारे सवालों का जवाब कल दे दूंगा। मान्यवर, मुझे लगता है कि यहां पर भी माननीय आपदा मंत्री जी का नम्बर आने वाला नहीं है। मान्यवर, सरकार का कोई भी आदमी नहीं पहुँचा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जोकि इस समय यहां पर मौजूद नहीं हैं, वे सबसे पहले श्रीनगर पहुचे तो श्रीनगर में उन्होंने जो स्थिति देखी वहीं से उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं से कहा कि स्थिति बहुत ही खराब है। उन्होंने सरकार से भी बात करनी चाही। मान्यवर, माननीय निशंक जी सबसे पहले केदारनाथ पहुंचे, उनके साथ हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय बलराज पासी जी, सुरेश जोशी, ज्योति प्रसाद गैरोला जी थे।

माननीय निशंक जी ने वहां से मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाही, लेकिन नहीं हो पायी। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात की, जैसा कि उन्होंने बताया है और प्रधानमंत्री जी से जब उन्होंने बात बतायी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इतना बड़ा हादसा उत्तराखण्ड में हुआ है। शायद उस समय तक प्रधानमंत्री जी तक सही जानकारी नहीं पहुंच पायी थी। मान्यवर, यह बिल्कुल सच्चाई है। मान्यवर, जब सरकार की तरफ से बयान आ रहे थे कि इतनी बड़ी घटना घटी है, यह कैसी विडम्बना है। मान्यवर, सरकार का कोई भी आदमी नीचे से लेकर ऊपर तक सही स्थिति बताने को तैयार नहीं था। मान्यवर, जिलाधिकारी तक यह बताने को तैयार नहीं था कि अब इसमें होना क्या है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कहना चाहता हूँ कि गुजरात से मेरे पास फोन आया कि हमारे 29 लोग हर्षिल में फँसे हुए हैं, हमें उत्तरकाशी आना है तो कैसे आयें। मैंने डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट से बात की, तो उन्होंने वहां पर जो नेपाली थे उन्होंने कहा कि हम प्रति व्यक्ति एक हजार रू0 लेंगे और हर्षिल से पैदल रास्ते से भटवाणी तक छोड़ने का, लोगों ने वह पेमेंट की और वे भटवाणी तक आये और भटवाणी से वे लोग उत्तरकाशी तक आये। तब तक गुजरात के वे लोग अपनी बस लेकर हरिद्वार पहुंच गये और वे अपने आश्रम हरिद्वार से ऋषिकेश में काली की ढाल तक पहुंचे तो सी0ओ0 ने उन्हें रोक दिया और कहा की सरकार की तरफ से आदेश हैं कि कोई ऊपर बस लेकर नहीं जा सकता है। वे लोग वहीं धरने पर बैठ गये और उन्होंने कहा कि या तो हमें जाने दिया जाय, ताकि हम अपने लोगों को बचा कर ले आयें, या हमें यहीं पर अरेस्ट करें। मान्यवर, वे वहाँ से ऊपर को गये और अपने लोगों को बचाकर के ले आये।

मान्यवर, केवल इतना भी हो जाता कि जो फोन आ रहे थे और फोन पर यदि सूचना मिल जाती कि अमुक व्यक्ति कहां है तो काफी लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनी। कोई भी तालमेल किसी जिले में नहीं था कि आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में पटवारी तक कोई बातचीत करने को भी तैयार नहीं था। यदि कोई पुलिस वाला ही बात करता था तो बड़ी सहानुभूति मिलती थी। मान्यवर, आपदा आये हुए आज काफी वक्त गुजर गया है, लेकिन आज भी सरकार की तरफ से सही जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। आज दो प्रश्न लगे हुए है और दोनों के जवाब में अलग-अलग जानकारी दी गयी है। मान्यवर, एक तारांकित प्रश्न संख्या-19 के उत्तर में बताया गया है कि 4227 मृतक और लापता है और दूसरा प्रश्न संख्या-20 है और इसमें बताया गया है कि केदारनाथ एवं अन्य क्षेत्रों में आज जो सूचना मिली है, उसके अनुसार वह 4116 लोग हैं। मान्यवर, कितने लोग है ये, यह तो सरकार जाने लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, यह आंकड़ा ठीक नहीं है। साधु-सन्तों की तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। बहुत से साधु-सन्त ऐसे होते हैं, जो किसी आश्रम या अखाड़े से सम्बन्धित नहीं होते हैं, उनके कोई आंकड़े नही हैं। जो भिखारी थे, उनके कोई आंकड़े नही हैं। ऐसे लोग थे,

जिनका पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, उनकी तरफ से कोई एफ0आई0आर0 दर्ज कराने वाला नहीं है, इस तरह के बहुत से आंकड़े है। मैं समझता हूँ कि सरकार के आंकड़े ठीक नहीं हैं। सरकार की तरफ से उस समय जिम्मेदारी के साथ बयान आया था कि पूरे क्षेत्र की जो स्थिति है, चारों धामों में 80 हजार के लगभग लोग फसे हैं। आज सरकार की तरफ से जवाब आया है कि 1 लाख 85 हजार लोगों को हमने वहाँ से निकाला। 35 हजार लोगों को हैलीकाप्टर से बचाया और 1 लाख 35 हजार लोगों को पैदल मार्ग से बचाया। उस समय सरकार की तरफ से 80 हजार का बयान आया है। कौन सी बात ठीक है और कौन सी नहीं, यह तो सरकार ही बता पाएगी।

माननीय अध्यक्ष जी, हजारों लोग ऐसे थे, जो आपदा आने पर जंगल की ओर भागे थे, अगर उस समय थोड़ी सक्रियता होती, केवल ताल–मेल हो गया होता तो मैं समझता हूँ कि हजारों लोगों के प्राण बचाए जा सकते थे। जो जंगल में भागे थे, जिनको रास्ता नहीं पता था, जो बाहर के राज्यों के रहने वाले थे, उनको तो जहाँ रास्ता मिला उधर को भाग गए, वहाँ पर स्थिति ऐसी थी कि कहीं कोई उनको रास्ता बताने वाला नहीं था। अगर थोड़ी भी सक्रियता होती तो वे हजारों लोग बच सकते थे। 22 तारीख को दिल्ली के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी हैं उनके लिए कांग्रेस के एक सांसद हैं, उनका मेरे पास फोन आया, क्योंकि वे हरिद्वार में थे। हरिद्वार में मैं उनसे निष्काम सेवा ट्रस्ट में मिलने गया। हम लोग बातचीत कर रहे थे, वे बेचारे बुजुर्ग थे, रो रहे थे कि मेरा बेटा, पुत्रवधू और दो पोते हैं, उनसे आखिरी बार 16 तारीख को मेरी बात हुई है, उसके बाद आज तक मेरी बात नहीं हुई है। हम बैठे बात कर रहे थे, तभी जो ड्राईवर उनको गाड़ी में लेकर गया था, वह आया और उनका सामान देकर कहा कि वे अभी तक तो वापस नहीं आए। मैं बहुत दिन इंतजार करने के बाद यह सामान आपको लौटा रहा हूँ। आप समझिए, यह स्थिति एक के साथ नहीं थी, यह स्थिति हर उस व्यक्ति के साथ थी जिनका परिवार आपदा में वहाँ फंसा हुआ था। लेकिन क्या सरकार की तरफ से इतना नहीं हो सकता था, क्या गाँव वालों की सहायता, या और लोग जो वहाँ जा सकते थे, उनकी सहायता नहीं ले सकते थे, कि आप जाइये। हमारे पास हजारों फोन आए तो कार्यकर्ताओं को लगाया गया। हमारे अनेक कार्यकर्ताओं ने फोन पर बातचीत कराई। हमने फोन नम्बर लिया और अपने जो पदाधिकारी वहाँ पर थे, उनको दिया, वहाँ पर वे गये और जिस रूप में जो लोग थे, उनकी बात कराई कि अभी आने की स्थिति नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, यदि सरकार की तरफ से यह योजना होती तो सारी स्थिति बनाई जा सकती थी लेकिन ऐसी योजना बनाई नहीं गयी। अभी तक एक नहीं अनेकों, गुजरात में बड़ौदा की रहने वाली प्रजा कुमारी, जिनकी आयु 51 साल है, 22 जून को सेना ने उनको बचाया, यह फोटो उनका लगातार अखबार में भी आया, लेकिन वे अभी तक घर नहीं पहुँची हैं। बीना रोहित, 54 वर्ष, भी घर नहीं पहुँची हैं, उनका भी फोटो आया। उनके घरवालों ने रिट दायर की। हाईकोर्ट ने वहाँ की पुलिस को सख्त निर्देश दिया कि आप इनको ढूँढिए, जब ये 22 तारीख को जिन्दा थी तो 22 तारीख के बाद इनकी

मृत्यु कैसे हुई। माननीय अध्यक्ष जी, यह स्थिति है। अगर सरकार उस समय थोड़ी भी जागरूक होती तो जिन लोगों को रेस्क्यू में बचाया गया था, वे तो घर पहुँच जाते। माननीय अध्यक्ष जी, अभी ग्वालियर हाईकोर्ट का एक आदेश आया है, उन्होंने भी कहा है कि विमला पराशर नाम की एक महिला है, वह जिन्दा देखी गयीं, दिखाया गया कि रेस्क्यू में उनको बचाया गया, लेकिन आज तक घर नहीं पहुँची। हाईकोर्ट ने कहा कि आप देखिए कि वे कहाँ हैं। मान्यवर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? किससे बातचीत की जाए? कौन आदमी इस रूप में जिम्मेदार बैठा है? यह स्थिति केवल एक जगह नहीं है, यह स्थिति हर जगह बनी लेकिन कहीं भी यह बात नहीं आयी कि सरकार की कोई योजना फलाने क्षेत्र के लिए है, यदि ऐसी कोई योजना होती तो मैं यह समझता हूँ कि कहीं न कहीं इसको कम किया जा सकता था। आज की क्या स्थिति है,? जो स्कूल उस समय बन्द हुये थे, मुझे नहीं लगता कि वह खुल पाये होंगे। जो योजना सरकार ने बनाई थी, वह आज भी जिलों के सामने नहीं आई है, हॉस्पिटल की स्थिति क्या है,? स्कूलों की स्थिति क्या है? बिजली कितने गांवों में आई है? पानी वहां पर है कि नहीं है। आज तीन महीनें बाद भी सरकार उसी रूप में खड़ी है, इन्होंने पूजा कराई, हमने विरोध नहीं किया, विपक्ष ने नहीं कहा कि पूजा नहीं होनी चाहिये, हमने कहा कि आम लोगों को भी वहां जाना चाहिये। लेकिन हमारे उस क्षेत्र के आदरणीय सांसद ने कहा कि पूजा शास्त्र सम्मत नहीं है, मैं उन्हीं के विचार यहां पर रख रहा हूँ (व्यवधान) जो पंडित जी ने बतलाया, वही उन्होंने कहा, लेकिन सरकार को कोई निर्णय लेना हो तो इस रूप लेना चाहिए, आप विपक्ष की बात मत मानिये। (व्यवधान) मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कौन गया और कौन नहीं गया (व्यवधान) यह वहां के सांसद महोदय ने कहा और पंडित जी के अनुसार कहा। हमारी केदारनाथ की विधायक जी यहां पर हैं, उनसे पूछिये, उन्होंने आठ दिन बाद तक कहा कि यहां पर कुछ नहीं है, सरकार नहीं है, सब फेल है, कोई काम नहीं हो रहा है। आप हमारी बात मत मानिये, हमारी वहां की विधायक बहिन जी की बात मानिये। (व्यवधान) हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, यदि झूठ बोल रही होंगी तो वही बोल रही होंगी, हम तो उनसे सुनी बात को यहां पर कह रहे है। माननीय भण्डारी जी यहां पर बैठे है, गुस्से में थे उस समय, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने कहा था कि यहां पर यह हो क्या रहा है। आप विपक्ष की बात को झुठला सकते है, लेकिन अपने लोगों की बात पर आपको क्या कहना है।

मान्यवर, अभी हमारे संजय जी बोल रहे थे कि लगभग 25 हजार एकड़ जमीन बाढ़ की चपेट में है, जो उनके क्षेत्र में आती है, वह आंकड़ा आपका भी है और भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे कराया, उसका भी वहीं आंकड़ा है। लेकिन हो यह रहा है कि अलग–अलग रूप में बड़े–बड़े बोर्ड लग जाते है कि माननीय सरकार और मुख्यमंत्री जी

को बधाई कि किसानों को आपदा से हुये नुकसान का मुआवजा तीन गुना कर दिया गया है, वह तीन गुना कहां पर हुआ है? किसने किया है? बस बोर्ड लगे रह गये। यह भी कहा गया कि गन्ने मे 50 परसेन्ट अधिक देंगे, लेकिन बयान आ रहा है कि तीन गुना कर दिया गया है। कहा गया कि सदाबहार से गन्ने में 50 प्रतिशत अधिक देंगे, लेकिन यह धरातल पर कहीं नही है, केवल मंत्रियो के बयान आ रहे हैं। मान्यवर, बजरीवाला मे पूरा पानी भर गया है और वहां पर 500 गरीब परिवार झोपडी बनाकर रह रहे थे। 500 के 500 झोपडियों में पानी भर गया और अहेतुक सहायता केवल 125 को ही मिली। मैंने हरिद्वार की डी०एम०, एस०डी०एम० आदि को बुलाकर कहा कि आखिर इन बचे हुये लोगों को कसूर क्या है? तो ऐसे अवसरों पर राजनीतिक आधार पर देखने की आवश्यकता नहीं है। इस आपदा में सभी लोग प्रभावित हुये हैं, चाहे वह किसी भी दल के हों, वह इस राज्य के नागरिक हैं, इसलिये आवश्यकता आज इस बात की है कि बडे मन के साथ सभी को सहायता दी जाय।

श्री अध्यक्ष–

कृपया, समाप्त करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, रंजीतपुर गाव है, गंगदासपुर है, चौपटी है, पंडितपुरी है, नन्दगांव है, आज ऐसे 20 से 25 गांव है जो पानी मे डूबे हुये हैं। लेकिन स्थिति यह है कि आज वहां पर कोई जाकर देखने वाला नही है। माननीय अध्यक्ष जी, आज जो स्थिति बनी है, उन स्थितियों में कहीं न कही जो आवश्यकता इस समय है, वह आवश्यकता इस रूप मे है कि जो प्लान, जो योजना हम लोग बनाना चाहते हैं, उस योजना को अब उस रूप मे बनानी पडेगी कि उस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास हो। आज हम केवल केदार घाटी के केदार प्राधिकरण की बात करते हैं, लेकिन यही हादसा बद्रीनाथ मे भी हुआ है, उत्तरकाशी से आगे जाने की स्थिति नहीं है। आज पिथौरागढ में अभी माननीय भट्ट जी ने कहा वहाँ स्थिति ठीक नही है। लेकिन यदि हम क्षेत्र के हिसाब से नहीं बनाएंगे तो इस आपदा में भी चाहे हम जितना भी काम करें, आने वाले समय मे फिर से वही स्थिति हमारे सामने खडी हो जायेगी। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय अजय भट्ट जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उस पर बल देते हुए कहना चाहूँगा कि आज जो जरूरी है जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कैसे भी उनके स्कूल जाने की व्यवस्था हो, चाहे स्कूल आप किसी भी रूप में चलायें। रूद्रप्रयाग में 12 स्कूल बिल्कुल खत्म हैं, बच्चे जाएं तो कहाँ जाए। इसी प्रकार से चमोली में 43 है, पिथौरागढ में 05 हैं जहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जो आपदा आयी है, उसमें यह सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि यदि सरकार समय रहते चेत जाती, कोई योजना बनाती तो ये जो हजारों हत्याएं हुई है, मैं इसे हत्या इस रूप मे कह रहा हूँ

कि इनको बचाया जा सकता था। इनको कम किया जा सकता था। कहीं न कहीं इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेदार है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, भविष्य में उस रूप में योजनाएं बननी चाहिए और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात न रखते हुए जो छोटी से छोटी बात कोई भी माननीय सदस्य कहता है, उसको गम्भीरता से लेना चाहिए। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती शैला रानी रावत-

मान्यवर, आज आपदा के विषय पर सबसे ज्यादा आपदा केदारनाथ विधान सभा के लोगों ने झेली है। कुदरत का यह कहर हमसे हमारे परिजनों को बहुत दूर ले गया है। लेकिन उत्तराखण्ड के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो कि हमें इस चुनौती का सामना किस तरह से करना है। मैं सबसे पहले यहां पर स्थानीय लोगों की बात करूँगी कि स्थानीय लोगों ने किस तरह उस समय लोगों की मदद की, उसके बाद 01 लाख से अधिक लोगों को सरकार ने निकाला और सबसे बड़ी समस्या हमारे पास आयी संचार व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गयी थी। इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। सेना की बात आती है, आई0टी0बी0पी0 की बात आती है, पुलिस की बात आती है और मंदिर समिति के लोगों ने भी हमारी मदद करी, एन0डी0आर0एफ0 ने हमारी मदद करी और देश के हर क्षेत्र से हमको सहयोग मिला। मैं जरूर परेशान थी क्योंकि हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कथा-कहानियों में भी ऐसा नहीं सुना या पढ़ा था कि इस तरह का भी कुदरत का कहर होता है। मैंने भी बहुत सुनहरे सपने अपनी विधान सभा के लिए बनाये थे, लेकिन आज हम उजड़ गये हैं और फिर से हमें बसाने की बात है। इसमें मैं जरूर यह कहूँगी कि बहुत सारे लोग हमसे दूर चले गये थे, एक तरफ हमारे घर बह गये थे, हम कुछ नहीं कर पाये। आज आपदा के विषय पर बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। लेकिन मैं यह जरूर कहूँगी कि सरकार ने आपदा राहत, राहत का मतलब है थोड़ी-बहुत राहत लेकिन, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, हटकर काम हुआ है, शासनादेशों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और हमारा क्षेत्र यह महसूस कर रहा है कि सरकार की तरफ से कोई कमी या कसर नहीं रही। खाद्यान्न की बात अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कही, पर्याप्त खाद्यान्न है। मान्यवर, रांसी, बौंड़ा, दूरस्थ कालीमठ के क्षेत्र मे लोगों ने हाथ जोड़कर विनती की है हमें खाद्यान्न न दें बल्कि हमारे पुल और सड़कें ठीक कर दें। माननीय अध्यक्ष जी, मौसम अभी साथ नहीं दे रहा है लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस पर जल्दी ही काम होगा। वहाँ के 80 प्रतिशत लोग केदारनाथ यात्रा व्यवस्था पर निर्भर थे। इससे 80 प्रतिशत लोगों की रोजी-रोटी छिन गई है। इसके लिए वहाँ के लोगों ने माँग की है कि उनको नि:शुल्क खाद्यान्न और सोलर लालटेन चाहिए, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति भी दी है। मैं यह जरूर कहूँगी कि जो अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा सड़क के बारे में कुछ बातों से मैं उनसे सहमत हूँ कि बी0आर0ओ0 की प्रगति बहुत शून्य है। हम क्यों बी0आर0ओ0 को ही महत्व दें, कोई और

नाई कम्पनी हो सकती है, हमारी कोई निर्माण एजेंसी हो सकती है, पी0डब्ल्यू0डी0 क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि प्रगति धीमी है। हमने लाशों के ढेर देखे है, राजनीति शवों पर नहीं होनी चाहिए। मैं नेता प्रतिपक्ष जी से इससे सहमत नहीं हूँ कि रासायनिक प्रक्रिया से उन शवों का दाह संस्कार किया जाना चाहिए था।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, शवों का नहीं, मैंने जानवरों का कहा था।

श्रीमती शैला रानी रावत–

मान्यवर, आपने कहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, शवों का नहीं कहा है, आप भी अपना संशोधन कर लीजिए। मेरा रिकार्ड दिखवा लीजिए।

श्रीमती शैला रानी रावत–

मान्यवर, हमारे परिजन बिछड़ गये हैं और आज भी लोग माँग कर रहे है कि किसी तरह से हमारे जो मृत लोग हैं उनके शव हमको मिले और हम उनका दाह संस्कार करें। आपने घोड़े–खच्चर की बात कही। वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा, वह आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं। चार हजार का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। लेकिन वह दो हजार ही दे पा रहे हैं। उनके लिए भी सरकार ने जो शासनादेश लागू किया है कि घोड़े खच्चर पर कितना पैसा दिया जाना चाहिए तो लोग उससे संतुष्ट हैं। आपने कहा कि कारगिल से ज्यादा क्या हुआ होगा, लेकिन आप सेना से पूछिये कि वहाँ पर कारगिल से भी ज्यादा था। वहाँ पर सेना के जवान भी थक गये थे। इतना बीहड़, इतना दूर, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि पैदल चलकर भी आप नहीं देख सकते कि लोग कितनी दूर जा चुके थें। जहाँ बुग्याल होता है वहाँ पर कोई नहीं जा सकता है। ऐसी जगह लोग चले गये थे। सेना भी एक युद्ध लड़ सकती थी जितना कि केदारनाथ में त्रासदी हुई। इसके अलावा मौसम विभाग ने कोई पत्र दिया होगा, मैं जरूर सहमत हूँ, लेकिन इसका प्रचार–प्रसार उनको भी करना चाहिए। लोग टी0वी0 देखते हैं, लोग समाचार पत्र पढ़ते है। हमने तो नहीं पढ़ा था। हमारे पास अगस्त्यमुनि में यह बात आई थी कि नदी में एक मीटर पानी बढ़ रहा है। मैंने वहाँ पर अपनी आँखों से देखा कि 24 फिट पानी बढ़ गया, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। मौसम विभाग और हमारी टैक्नोलॉजी इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की त्रासदी न हो और मैं यह कहूँगी कि संख्या की बात आप कर रहे है। मैं इसमें आपकी बात भी कह रही हूँ कि शव मिल रहे हैं। लेकिन लापता लोग जो हैं उनके कंकाल निकल रहे हैं, अब तो शव की स्थिति नहीं है। अगर आप एक महीने के बाद भी किसी खण्डहर मकान को देखेंगे तो उसमें भी कुछ न कुछ कंकाल मिलेंगे। आप लोग देश को गलत संदेश दे रहे हैं कि आज भी वहाँ शव मिल रहे हैं।

आप एक हजार साल बाद देखेंगे तो कंकाल ही मिलेंगे। अभी तो वहाँ पर रास्ता बनाना भी कठिन है इतने बीहड़ में सेना के जवान भी नहीं जा पा रहे हैं। जहाँ तक संख्या की बात है रजिस्ट्रेशन व्यवस्था होनी चाहिए, जो नहीं हो पाई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए श्राइन बोर्ड या विकास प्राधिकरण आप इसको कोई भी नाम दे, कोई ऐसी एथोरिटी होनी चाहिए जो वहाँ का जिम्मा ले। वर्षों पहले यात्रा बहुत कम होती थी और इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज बहुत जरूरी हो गया है कि फिर से इस तरह की जनहानि न हो। मैं यह बात आपसे जरूर कहूँगी कि हमारे बहुत से लोग हम से दूर हो गये। हमारे एन0डी0आर0एफ0 के जवान मरे। एस0डी0एम0 हमारे वहाँ पर सेवा करते-करते चले गये। मान्यवर, लेकिन जो बात आप कह रहे है, उस रास्ते से और उस पुल से मैं भी गयी हूँ। उस समय वहां पर स्थिति बहुत खराब थी और आज आप यहां पर हंसी-मजाक कर रहे है, जो बिल्कुल शोभनीय नहीं है। एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि हमारे एक एस0डी0एम0 को इस तरह से, वहां पर लोग अपने भाव से गये, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों को जबरदस्ती भेजा गया, दूसरी तरफ आप सरकार को कह रहे हैं कि तीन-तीन आयुक्त थे, उन आयुक्तों को भी तो सरकार जबरदस्ती भेज सकती थी। लेकिन वहां पर लोग मन से गये हैं और कई कर्मचारी अधिकारी तो बी0पी0 के मरीज थे, परन्तु वहां पर केवल स्वस्थ आदमी ही काम कर सकता था और सरकार ने स्वस्थ आदमी को ही वहां पर भेजा। वहां पर आई0टी0बी0पी0 ने हैलीपैड बनाये। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने यहां पर कहा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। मान्यवर, मेरे पास भी वहां की बहुत सारी दुख-दर्द की कहानियां हैं किसी मां का दर्द है और किसी बाप का दर्द है। वहां पर एक पिता तीन दिन तक अपने मरे बच्चे के साथ रहा, जब वहां के लोग गये और वह बहुत कठिन जगह पर था। जब मैं उस गांव मे गयी तो उस आदमी ने कहा कि सरकार से कहें कि इस बारे मे नीति बनाओ गांव मे लाकर किसी का दुःख दूर नहीं होगा। इसके अलावा दो पति-पत्नी अपने बच्चों के साथ जा रहे थे और आई0टी0बी0पी0 के पास फोन आया था कि हमें यहां से निकालें, उस जगह पर जाने में आई0टी0बी0पी0 भी अक्षम थी तो कोई सरकार कैसे जा सकती थी। वहां पर तीनों तरफ से नदी और चट्टान थे, उसके बाद वहां पर क्या हुआ उसको मैं नहीं जानती हूँ।

एक प्रधान की वह कहानी जो आपकी कहानी से भी ज्यादा गम्भीर है। हमारे पड़ोस के गांव के एक प्रधान के बच्चों ने कह दिया कि अब मैं नहीं चल सकता हूँ और वहां पर प्राण त्याग दिया। उसके मां बाप ने बेटे को वहीं पर छोड़ दिया तो आप लोग सोचें कि उस बच्चे को कैसे छोड़ा होगा? थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी ने भी कह दिया कि मैं नहीं चल सकती हूँ और वहाँ पर प्राण त्याग दिये तो वही आदमी दोनों शवों पर शॉल डालकर घर आया। मैं जिस दिन चैक देने वहां पर गयी तो उस आदमी ने कहा

कि मै आपके पैर पड़ता हूँ मुझे वहा पर शवों का दाह संस्कार करने दे,लेकिन उस समय ऐसा नहीं हो सकता था। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जब वहा पर एक भी व्यक्ति जाता है तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण हो और हम जब केदारनाथ गये तो हमारा भी पूरा स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। लेकिन वहा जाने पर सरकार ने बन्द नहीं किया था, वहां पर लोग जाते रहे हैं। मैं वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी पर जरूर नाराज हुई थी। अभी भी निर्माण कार्य में देरी होगी तो हम नाराज होंगे। वहां के लोगो ने हमें भेजा है। मैं आपको कह रही हूँ कि उस बात को भी स्वीकार करना चाहिए। सरकार ने लीक से हट के भी काम किया है। इसमें विपक्ष का सकारात्मक सहयोग चाहिए। हमारे जो वहां पर शव है उन पर राजनीति न करें। क्योकि बहुत दुःख होगा और उन कारणों की जांच भी होनी चाहिए। हम गये और हमारे डा0 हरक सिंह रावत जी गये, आपदा मंत्री माननीय यशपाल आर्य जी वहां पर गये। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां पर गये हैं। हमने लोगों से कहा कि वहां पर लॉज है आप वहां पर किराये में रहें और सरकार ने तीन हजार रूपये किराये देने की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से वहां के लोगो ने कहा कि आप जल्द बाजी में हमें ऐसी मदद दें। हम तो सरकार से कह रहे हैं जो आप हट बना रहे हैं हम तो उसको लेने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हमें तो पत्थर के घर चाहिए, हमे पुरानी पद्धति के घर चाहिए। ताकि वहां के लोगो को रोजगार मिल सके। हम किसी कम्पनी के पास कहां जायेंगे। आज मन्दिर की बात आ रही है तो वह पुरानी पद्धति का मन्दिर था इसलिए वह बच गया। इसमें गुप्तकाशी और ऊखीमठ को भी खतरा है। वहां पर एक एक्शन प्लान की जरूरत है। आज केदारनाथ धाम केवल उत्तराखण्ड का ही नही बल्कि पूरे देश की विरासत है और पूरा देश देख रहा है कि वहां पर लोग क्या कर रहे है। आपने कहा कि वहां पर पूजा का समय सही नहीं था। आपने कहा कि ज्योति निरन्तर जलनी चाहिए थी। वहां पर हमेशा अखण्ड ज्योति जलती है। जब आदमी के ऊपर खतरा आता है तो वह भी अपने घर की तरफ आता है। इसलिए भगवान जी का भी छः महीने के लिए ऊखीमठ मे अपना घर होता है। मान्यवर, हमारी सरकार ने खण्डित पूजा को फिर से प्रारम्भ किया है। यह देश के लोगों के लिए एक अच्छा संदेश था। आप लोग इस पर टीका–टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन वहां पर जो दुर्घटना हुई उस घटना मे दो हजार लोग और बचाये जा सकते थे। मान्यवर, आप उस समय में जाएं जब अतिक्रमण हुआ था, पहले नम्बर में आता है कि किसके कार्यकाल मे हुआ और दूसरा नेशनल जियोग्राफी से रात 12 बजे मेरे पास फोन आया कि इसको देखें कि अभी भी वहां बहुत खतरा बताया गया है और तीर्थ पुरोहितों की बात कर रहे हैं, लोगो की बात कर रहे है, क्या आप फिर से उनको मौत के मुँह में ढकेलना चाहते हैं छोटी सी राजनीति करने के लिए, इस समय आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह हम नहीं कह रहे हैं, इस बारे में तीर्थ–पुरोहितों ने हमें लिखित में दिया है, वे भी वही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है, वे गलत नहीं कह रहे हैं।

श्रीमती शैला रानी रावत–

मान्यवर, तीर्थ–पुरोहितों ने कह दिया है तो आप भी उनको समझाइये, आपकी भी मॉरल ड्यूटी बनती है, आप भू–गर्भ वैज्ञानिकों की बात सुनिये।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, माननीय सदस्या अपना विषय रखें, जवाब न दें।

श्रीमती शैला रानी रावत–

मान्यवर, वर्ष 2004 के दैनिक जागरण में एक भू वैज्ञानिक ने कहा था कि वहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है, तो वर्ष 2004 में किसकी सरकार थी, क्यों नहीं इस पर रूख किया गया और एक–दूसरे पर क्यो टिप्पणी कर रहे है। कहीं न कहीं यह चुनौती हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है उत्तराखण्ड के लिए, पूरे देश के लिए। मैं आपसे यह जरूर कहूँगी कि हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए इसका मैं समर्थन करती हूँ और इसके अलावा मैं यह कहूँगी कि दो हजार लोग कैसे बचाये जा सकते हैं, उन बिन्दुओं को ढूंढिये। अभी आपने कहा कि एस०डी०एम० जी खराब स्थिति में हैं, क्यो गये थे वहाँ पर, किसने धरना दिया था, कहाँ गई अनीता शुक्ला जी, क्यो गई थीं, इसका जवाब दीजिए। किसने गौरी कुण्ड में हमारी महिलाओं की चूड़ियाँ तोड़ी थीं, वो कौन लोग थे, यात्रा पर नहीं जाने देना चाह रहे थे और हैली सेवाओं का विरोध कर रहे थे और जब हैली सेवाओं ने मदद की तो सबसे पहले वही लोग उसमें आये जो लोग विरोध कर रहे थे। मैं तो कहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और इस हाऊस से भी, कि उन लोगो पर एफ०आई०आर० दर्ज होनी चाहिए, कि प्रदेश में जो देश की राष्ट्रीय धरोहर है वहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम न किये जाएं, महिला यात्रियों से पूछिये उनकी धोतियां खींची गई, उनकी चूड़ियां टूट गई तो उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब मैं 18 तारीख को गुलाबराय में आई तो उस दिन स्थानीय लोगों द्वारा पम्पलेट छपे थे कि उन लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिन्होंने वहाँ पर धरना दिया था। और आप हैली सेवाओं की बात कर रहे हैं तो हैली सेवाओं ने एक लाख से ज्यादा लोगों को बचाया है, हो सकता है मुझे न मिला हो तो मैं नाराज थी कि मुझे वहाँ उतार दें, आप का भी मन होता कि क्षेत्र की जनता के बीच में जायें, लेकिन क्या मजबूरी रही कि नहीं मिला। मान्यवर, क्षेत्र के लोग चाहे मारें या पीटें। मुझे पहले साधन नहीं मिला इसमें क्या मजबूरी रही होगी, यह मुझे पता नहीं। लेकिन इसके अलावा मैं यह बात जरूर कहूंगी कि जो हत्यारे लोग हैं या जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चाहे वे लोग किसी भी पार्टी के क्यों न हों?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह कार्य तो सरकार का है, इसमें हम आपका समर्थन करते हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसमें एफ०आई०आर० दर्ज होनी चाहिए।

श्रीमती शैला रानी रावत–

माननीय भट्ट जी, हो सकता है, उम्र में हम बराबर हों, लेकिन इस सदन के सदस्य के रूप में आप हमसे सीनियर है, लेकिन असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ जो बात आपने आज कही है ''शबाब और कबाब'' आप जैसे माननीय लोगों को शोभा नहीं देता है। ये शब्द आपको वापस लेने चाहिए। एक महिला होने के नाते मुझे इन शब्दों पर बहुत सख्त आब्जेक्शन है। आप हमसे सीनियर हर मामले में हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यहां पर कोई भी बात असंसदीय होगी तो वह कार्यवाही से निकाल दी जायेगी।

श्रीमती शैला रानी रावत–

मान्यवर, यदि दोनो तरफ से सड़कें होतीं तो इतने बड़े हादसे से काफी कुछ राहत मिल सकती थी। आज भी चौमासी, गौरीकुण्ड और गुप्तकाशी के लोग कहते हैं कि दोनों तरफ से सड़कें होनी चाहिए, लेकिन आज तक सड़क दोनों तरफ से नहीं है। जंगलो में जो हमारी पुरानी पगडंडियां थीं वे टूटी हुई हैं, इनको भी हमें सुधारना होगा, सड़कें मजबूत बनानी होगी। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो क्षेत्र से लोगों का पलायन होगा और हम लोग आपस में ऐसे ही टीका–टिप्पणी करते रहेंगे, जो कि प्रदेश और देश के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। हम चाहते हैं कि विपक्ष का सकारात्मक दृष्टिकोण रहे और हमारे इस पुनर्निर्माण की चुनौती में सहयोग करें। इस समय सभी के सहयोग की आवश्यकता है। मैं चाहती हूँ कि हमें इस घटना से सबक सीखना चाहिए और संयुक्त स्तर पर हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम आपदा–प्रबन्धन को मजबूत बनायें। मान्यवर, त्रिजुगीनारायण से मुझे प्रधान जी का फोन आता है कि हमें रस्से चाहिए, चूंकि पेड़ से हम नदी पर पुल बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास समुचित व्यवस्थाए नहीं थीं। हम कहां पर खड़े है, इस चुनौती का सामना करने के लिए, यह देखना होगा। इसके लिए पिछली सरकारे भी जिम्मेदार हैं। मान्यवर, हमारी सरकार का सपना है एक अच्छा उत्तराखण्ड बने, इसी उद्देश्य से हम कार्य कर रहे हैं। आप लोगो ने भी अपने खोये है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विषय पर राजनीति न हो और आगे के लिए एक ठोस व्यवस्था बने, इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं अपराह्न 3.00 (तीन) बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई.)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी ,आपने नियम–310 की सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, 16–17 जून को जनपद रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ समेत पूरे प्रदेश मे जो जल–प्रलय और भू–स्खलन हुआ, उसमें हजारो की संख्या में लोग मलबे में दबे गये थे और बहुत सारे लोग बह गये थे, हजारों की संख्या मे लोग बेघर हो गये थे और हजारों की संख्या में लोगों से रोजगार छिन गया था। माननीय अध्यक्ष जी, 3 दिन के बाद सरकार को पता चलता है और 3 दिन के अन्दर सरकार को पूरी सूचना नहीं मिल पाती। यदि 3 दिन के अन्दर सरकार को पूरी सूचना मिलती तो समय पर मिलिट्री और आई०टी०बी०पी० बुलाई जा सकती थी और जो लोग भूखे–प्यासे और बीमारियों से पीड़ित होकर जंगलो मे भटक रहे थे, उन लोगो को बचाया जा सकता था। जहाँ तक राहत–सामग्री बांटने की बात है, सरकार का केवल एक ही वक्तव्य होता था कि मौसम खराब है, हैलीकाप्टर नहीं उड़ पा रहे हैं। लेकिन सरकार ने इसमें वैकल्पिक व्यवस्था नहीं सोची। हमारे यहाँ वैकल्पिक रास्ते भी है, प्रदेश में भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं। जब लोग 25 किलोमीटर पैदल चल कर राहत–सामग्री लेने के लिए आ सकते हैं, तो क्या हम 25 किलोमीटर दूर तक राहत–सामग्री नहीं पहुँचा सकते थे? आज से 15–20 साल पहले की बात है, उत्तराखण्ड मे जो ज्यादा ऊंचाई वाले स्थान थे और वहां पर हमारे खाद्यान्न के गोदाम थे, जहा खच्चर भी नही जा पाते थे, तो वहाँ पर भेड–बकरियों के माध्यम से खाद्यान्न पहुचाया जाता था। हमने इस आपदा के बाद भी सुझाव दिया था कि भेड–बकरियो के माध्यम से आपदा पीडितों को राशन भिजवाईये, क्योंकि वहां पर 25 दिन से राहत–सामग्री नही पहुच पाई थी। लोग वहां से 25 किलोमीटर पैदल चलकर राहत–सामग्री लेने आ रहे थे, लेकिन सरकार वहां नहीं पहुंच पा रही थी। इसके अलावा जहा तक पुनर्वास की बात है तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज भी जी०आई०सी० धारचूला मे 125 परिवार रह रहे है और एक ही कमरे में तीन–चार परिवार रह रहे हैं लेकिन सरकार ने यह भी नहीं सोचा कि इस दौरान बच्चे कहां पर पढ़ेंगे। बच्चे खुले मैदान मे पढ रहे हैं, वहा पर हजारो की छात्र संख्या है। इसी प्रकार आश्रम पद्धति विद्यालय बलुवाकोट में वहां के प्रभावित परिवार रह रहे है, इसी प्रकार से पट्टाबगड मे 35 परिवार टैंटो में रह रहे है, अब ठण्ड बढ़ने लगी है, सरकार ने क्या यह सोचा है कि ठण्ड में यह लोग टैंट में कैसे रहेंगे। 2007 में भी आपदा आयी थी, मुनस्यारी मे पूरदम गाव है, वहां पूरे गाँव मे

भू–स्खलन था, उस समय हमने कहा था कि जो वन भूमि है, उसमें टिन शेड बनाया जाय और आज भी वह लोग उसी टिन शेड में रह रहे हैं, आपदाग्रस्त इलाकों में लोग टेंट देने को तैयार थे, स्वयंसेवी संस्थाओं का कहना था कि आप हमें जमीन दे दो, हम वहां पर टिन शेड बना देते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि हम पुनर्वास करेंगे, वनभूमि में लोगों को बिठायेंगे, लेकिन कब बिठायेंगे? आज तीन महीने हो गये हैं।

मान्यवर, विशेष रूप से मैं गोरी और काली नदी के बीच की बात करना चाहता हूँ कि वहां पर तीन–चार झूला पुल और ट्रालियां बह गई थीं, लेकिन अभी तक वहां पर ट्रालियां नहीं लग पाई हैं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि वहां पर ट्राली लगे। अगर सरकार चाहती तो 15 दिन के अन्दर ट्राली लग सकती थी। पिछली आपदा की बात है, मेरे क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूँ, हमने 15 दिन के अन्दर ट्राली लगवा दी थी, मैंने विभाग से कहा कि आप ट्राली लगाइये, पैसा नहीं मिलेगा तो हम विधायक निधि से देंगे। जब सतगढ़ के पास कौली ग्राम सभा में 15 दिन के अन्दर ट्राली लग सकती है तो आज क्यों नहीं लग सकती। कौली के ही पास एक गांव है घुलड़ी, वहां पर तीन महीने बाद भी ट्राली नहीं लग पाई है। मान्यवर, इस आपदा में काली नदी से जितना नुकसान हमारी तरफ हुआ, उतना ही नुकसान नेपाल की तरफ भी हुआ था, लेकिन नेपाल में पैदल रास्ते बन गये हैं, लेकिन हमारे यहां पर स्थिति जस की तस है। एक गांव है ड्योडा, जो नेपाल की सीमा पर लगा हुआ है, ड्योडा और अमतड़ी के बीच की दूरी 500 मीटर है, जिसमें 100 मीटर का रास्ता टूट गया है, जिस कारण प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चे पांच किलोमीटर की दूरी तय करके दूसरी तरफ से स्कूल जा रहे है। गांव वालों ने अपने आप रास्ता बना लिया है, लेकिन सरकार ने रास्ता नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि काम मेरे आदमी को मिलना चाहिये जबकि होना यह चाहिए कि सरकार को विभाग को पैसा देकर यह कहना चाहिए कि आप रास्ता खोलिये, उनकी ड्यूटी है कि रास्ते को कैसे खोलना है। लेकिन सरकार ने यह सोच लिया कि हमने अपने लोगों को काम देना है। मान्यवर, आपदा में 10 लाख रूपया एक बन्द सड़क को खोलने के लिये मिला था, उसका एक टेंडर लगना चाहिये था, लेकिन आपने अपने लोगों को काम दिलाने के लिए, 2–2 लाख के पांच टेंडर कर दिये, क्योंकि दो–दो लाख के शार्ट टेंडर है। लेकिन इसको अखबार में देना नहीं है। तो इस प्रकार से बंदरबांट हो रही है। दैवीय आपदा का पैसा केवल सत्ता पार्टी के लोगों के काम करने के लिए नहीं है, यह पैसा लोगों को राहत–सामग्री पहुँचाने के लिए है, जो विकास के कार्य अधूरे हैं, उनके लिए है, यह आपस में बांटने के लिए नहीं है। यह पैसा दैवीय आपदा का पैसा है मैं बता रहा हूँ, कौन सी रोड है, कहाँ पर है, किनको काम मिला, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। किसके दबाव में यह हो रहा है, उसे मैं बताना चाहता हूँ। इस प्रकार से यदि काम होगा तो जो पैसा दैवीय–आपदा के लिए मिला है, वो वहां पर खर्च नहीं हो पायेगा, क्योंकि उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हमने सुझाव दिया था, कि आप जिस प्रकार से हेलीकाप्टर की बात कर रहे हैं,

हेलीकाप्टर से राशन गिराया जाता था, कई–कई बार तो नदी–नालों में राशन गिर जाता था। कौली ग्राम सभा की बात है, वहां पर रोपाई चल रही थी, वहां पर 25–30 महिलाएं रोपाई कर रही थीं, हेलीकाप्टर ने देखा कि यहां पर लोग इकट्ठा हैं और उसने वहीं पर राहत सामग्री गिरा दी। राहत –सामग्री सीधे रोपाई के खेतों में गिरी और कीचड़ में सन कर बर्बाद हो गयी। इस प्रकार जो राहत सामग्री बांटी गयी, उसका दुरूपयोग हुआ। आज भी सभी लोगों को सामग्री नहीं मिल पा रही है। जिनके मकान टूट गये, उनके विषय में भी सरकार को पूरी जानकारी नहीं है। जबकि सरकार को तत्काल जानकारी होनी चाहिए थी और राहत सामग्री वहां तक पहुँचनी चाहिए थी। विषम परिस्थितियों को देखते हुए टीन शैड की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

मान्यवर, जिस प्रकार से उत्तरकाशी में 2012 में भू–स्खलन हुआ था और उसके कारण नदी के दोनों तरफ के मकान, होटल खतरे में थे, यदि वहां पर सुरक्षा दीवार बनायी जाती, तटबंध बनाये जाते तो इसे आज बचाया जा सकता था। आप जब धारचूला जाएंगे, बहुत सारे लोग गये होंगे, प्रभारी मंत्री गये होंगे, जौलजीबी, गौरी नदी के पास आज से 15–20 साल पहले से वहां पर सुरक्षा दीवार बनी हुई है। यदि उसका एक पत्थर भी निकल जाता तो सैकड़ों परिवार बह जाते। मान्यवर, काम होना चाहिए। धारचूला में जिस प्रकार से काम हुआ था, तटबंध बने थे, उसी ने धारचूला शहर को बचाया। यदि इसी प्रकार से उत्तरकाशी में काम हुआ होता, उत्तरकाशी में 2012 में काम किया होता, जो काम सरकार द्वारा किया गया था, वह पहली बारिश में ही बह गया। केवल पैसा कमाने को एक पत्थर आगे लगा दिया, पीछे मिट्टी लगा दी और पूरा बना दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दैवीय आपदा में जो भी पैसा मिला है, उससे जल्दबाजी में काम न कराया जाय। तीन महीने बीत गये हैं, लेकिन जितना भी काम हो उसमें विभाग को आपकी ओर से सही निर्देश जाने चाहिए कि जौलजीबी की तरह काम होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जौलजीबी में सुरक्षा दीवार के ऊपर मकान बने है। एक किलोमीटर तक नदी बहती है, लेकिन आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो नदी के किनारे के गांव हैं, पहले उनको बचाने की बात होनी चाहिए। जो होटल नदी के किनारे हैं, उनको कैसे बचाया जाय, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि आप जानते हैं कि 16 और 17 जून को उत्तराखण्ड मे बहुत बड़ी एक आपदा आयी और ऐसा नहीं है कि जैसी आपदा इस बार आयी, पहले कभी ऐसी आपदा नहीं आयी थी। इससे थोड़ा कम 2010 मे, 2011 में और जून 2012 मे भी अतिवृष्टि के कारण उत्तराखण्ड की नदियों में बाढ़ आयी थी, भू–स्खलन हुआ था और कई गांव, शहर और नदी के किनारे बसे हुए कस्बे क्षतिग्रस्त हुए थे। मान्यवर, कई गॉव नदी के किनारे बसे हुए नष्ट हो गये, क्षतिग्रस्त हुए थे। लेकिन इस बार जो 16–17

जून को आपदा आई वह कल्पना से परे एक ऐसी आपदा थी कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इस तरह की आपदा आयेगी। यह बहुत ही भयावह स्थिति थी। हमारे चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन चारों धामों में देश से यात्री आते हैं। लेकिन हमने, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया कि हमारे प्रदेश के जो चार धाम है बरसात के मौसम में पूरे देश के यात्री यहाँ पर आते है आपदा लगातार दो तीन वर्षों से यहाँ पर आ रही हैं। इसके लिए जो आपदा प्रबन्धन के इन्तजाम होने चाहिए थे वह नहीं किये गये हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार आपदा को लाई है, लेकिन जो आक्रोश सरकार के प्रति है, वह आपदा के बाद या आपदा के पहले, जो डिजास्टर मैनजमेंट होना चाहिए था वह नहीं किया गया, इसके लिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं हैं, लेकिन पिछले अगस्त में मैंने एक पत्र लिखा था और मैं खुद उनसे मिली थी और अनुरोध किया था कि हमें आपदा प्रबन्धन के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, नहीं तो जैसे उत्तरकाशी में आपदा आई थी, जो अभी चुफाल जी कह रहे थे कि उत्तरकाशी में इतनी भयानक आपदा और बाढ आई थी कि लोग देखकर कॉप गये थे उसको देखकर हमने सीख नहीं ली, वह पहला संकेत था, उस संकेत को हमने नहीं पहचाना। उसके लिए कोई भी इंतजाम न तो पूर्व की जो आपदा आई थी उसको ठीक करने के पुख्ता इतजाम हुए और ना आने वाले जो संकेत हमें मिले थे उसके लिए कोई मैनेजमेंट किया गया। अभी जब आपदा आई तो तीन चार दिन तक कोई भी राहत वहाँ पर नहीं दी गई। सरकार कहती रही कि कुछ नहीं हो रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आता है क्योंकि सडकें टूट गई है, मौसम बहुत खराब है तो कैसे राहत पहुँचायें। आपदा में जो अव्यवस्थायें हुई हैं जो लोग मरे है उनके लिए कैसे आपदा पहुँचायें। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूँ कि उत्तराखण्ड एक पहाडी प्रदेश है और यहाँ पर आज नहीं कई वर्षों से कई बार ऐसी आपदायें आती रही है और आती रहेंगी। अगर हम उसके मैनेजमेंट के लिए व्यवस्था करेंगे तो यही सोच कर करेंगे कि आपदा के बाद सडकें भी टूट जायेंगी, हमारी ऐसी मजबूत सडकें नहीं है और मौसम भी खराब होगा कि हेलीकाप्टर की सेवा भी तुरन्त नहीं दी जा सकेंगी। लेकिन जब किसी आपदा के बाद जो दो तीन दिन जीवन को बचाने के लिए महत्वपूर्ण होते है उन दो तीन दिनो में सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया और इतनी बडी संख्या में लोग मारे गये, जिनका कि हम जीवन बचा सकते थे। मान्यवर, इतना ही नहीं मौसम विभाग ने इस बारे में जानकारी दी थी। मेरे पास उसकी एक कॉपी भी है। जो सरकार को लिखा हुआ था कि 16 और 17 जून को बहुत वर्षा होगी। हमारी जो चार धाम की यात्रा है वह यात्रा को कम से कम चार दिन के लिए रोक दिया जाय। अभी हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था कि मौसम विभाग ने सरकार को जानकारी दी थी लेकिन सरकार ने कहा कि हमको जानकारी मिली ही नहीं यानी किसी अधिकारी के टेबल में पडी रही होगी, जिसका संज्ञान नहीं लिया गया था। अगर सरकार को चिन्ता होती कि हमारे चार धाम बडे सेंस्टेटिव जोन में हैं और यहाँ पर बहुत बडी आपदा आ सकती है। इस यात्रा में पूरे देश के लोग यात्रा के सीजन में यहाँ पर आते हैं तो निश्चित रूप से इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए था। लकिन सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया।

अगर इस बात की ओर ध्यान दिया होता तो यहां पर जो मौतें हुई हैं, वह मौत नहीं होती। मान्यवर, सरकार ने इस पर सही आकंड़े पेश नहीं किये। माननीय अध्यक्ष जी, एक आप हैं जिन्होंने बहुत सही आंकड़े दिये थे जो अब जाकर सही आ रहे है और वह आकड़े आज लोगों के द्वारा एकत्रित हुए हैं, बल्कि सरकार के आंकड़े सब झूठे हैं। मान्यवर, हमारा यह कहना है कि जो यह आपदा आयी है और आगे भी आती रहेगी, उन आपदाओं को रोकने के लिए सरकार को तुरन्त कोई अच्छा निर्णय लेना चाहिए, उसमें सरकार विफल रही है। यह भी संज्ञान में आया है कि सेना को भी वहां पर तीन दिन के बाद बुलाया गया। जबकि इस प्रकार की आपदा आने में सेना को तुरन्त बुलाया जाता है और सेना की मदद ली जाती है। क्योंकि सेना के पास ऐसे हैलीकाप्टर हैं जो खराब मौसम के बाद भी रैस्क्यू करते रहते हैं, सेना के लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। वह ऐसे स्थान में जाकर लोगों को बचा सकते थे और इस आपदा में लोगो की जान बच सकती थी, वह सरकार ने नहीं बचायी है। वहां पर सरकार के प्रयासो से बहुत सारे लोगो को भूख से, प्यास से और ठण्ड की बीमारी से भी हम बचा सकते थे लेकिन सरकार ने इन लोगो को भी नहीं बचाया, जिसको अभी केदारनाथ की सम्मानित विधायक कह रही थीं कि उस समय इनको जरूर परेशानी हुई होगी और कह रही थीं कि सरकार ने काफी मदद की है और की भी होगी। लेकिन उन्होंने एक बात की कि जो लोग वहां पर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। निश्चित रूप से पहले हो जानी चाहिए थी। इस पर सरकार ने पहले क्यो ध्यान नहीं दिया? ऐसी जगह पर लोग धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं और हैलीकाप्टर की सेवा को बन्द कर रहे थे और वहां पर जो आन्दोलन चल रहा था क्या इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? आन्दोलन को तुरन्त से बन्द करना चाहिए था। मान्यवर, उसको तुरन्त बन्द करते, वह करना चाहिए था, क्योंकि वह ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर धरना-प्रदर्शन किया जाय और अगर उनको तुरन्त नहीं हटाया गया तो इसमें भी सरकार की विफलता थी। जो उन लोगों की मांग थी तो उनको समझाकर वहाँ से धरना उठाया जाता और वहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा हो गये थे तो उनको जल्दी से नीचे लाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया यह सरकार की लापरवाही का एक जीता जागता उदाहरण है कि सरकार जनता के प्रति कितनी जवाबदेह है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र के कई गांव भू-स्खलन की चपेट में हैं, लोग वहीं रहने के लिए विवश है, लेकिन उनको विस्थापित करने की कोई योजना सरकार ने अभी तक नहीं बनाई है। उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना बहुत जरूरी है। नदियो के किनारे बाढ़ आती है तो कई मकान और गांव बह जाते हैं, लोग विस्थापन के लिए चिल्लाते हैं और आंदोलन करते है, लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। मान्यवर, हमारा जो आपदा-प्रबन्धन विभाग है उसको और मजबूत करना होगा और आगे जो निर्माण कार्य हों वे वैज्ञानिक दृष्टि को ध्यान में रखकर निर्माण कार्य करने होंगे, क्योंकि हमको अपने चारों धामो को सुरक्षित रखना होगा क्योंकि ये पूरे देश की विरासत हैं, इसलिए हमको अपने धामो में रास्तों आदि का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्माण कार्य करने होंगे

ताकि आगे इतना नुकसान न हो। इस ओर सरकार को ध्यान रखना चाहिए और अच्छी योजना बनाकर सरकार को कार्य करना होगा। मान्यवर, पिछले वर्ष मैंने, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि एक सर्वदलीय कमेटी आपदा के विषय पर बनाई जाए जो कि हमारे आपदा प्रबन्धन के कार्य की समीक्षा करे और वर्षा के 2–3 महीने में ही आपदा आने की सम्भावना होती है तो हम उन सम्भावना को तलाशें कि हम किस तरह से लोगों को ट्रेनिंग दे सकते है, सड़कों का निर्माण कैसे करें और ऐसे कई कार्य है जिनको देखने की जरूरत है, तो सर्वदलीय समिति बने और उसमें सभी क्षेत्र के सदस्य होंगे। मान्यवर, माननीय सांसदों और विधायकों को अपने क्षेत्र की ज्यादा जानकारी होती है कि किस तरह से उनके क्षेत्र में आपदा आती है। इस बार पूरे प्रदेश में आपदा आयी है चाहे वह पिथौरागढ़ का धारचूला हो, चाहे वह केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हो, इसके अतिरिक्त प्रदेश के कई अन्य स्थानों पर भी छोटी–छोटी आपदाएं अन्य वर्षों की तुलना में इस समय बहुत ज्यादा आयी हैं। हमें इसको ध्यान में रखना होगा और आपदा से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। इस हेतु हमें एक सर्वदलीय समिति का गठन करना चाहिए, यदि ऐसा नहीं होता है तो पुनः आपदा आयेगी और उस समय भी यही हाल रहेंगे जो वर्तमान में हैं और इसमें हमारे पास पुनः पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। मान्यवर, पुख्ता इंतजाम न होने के कारण आपदा के समय जो लोग बाहर से यहां आये हुए थे, वे बहुत परेशान थे किसी की समझ में यह नहीं आ रहा था कि अब हम कहां जायं और क्या करें और कैसे अपने परिजनों को ढूंढे। लोगों को सही जानकारियां नहीं मिल पा रही थीं। मान्यवर, पिछले सत्र में मैंने अपनी विधान सभा क्षेत्र में स्थापित नीलकंठ मंदिर के बारे में एक प्रश्न के माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से पूछा था कि क्या नीलकंठ मंदिर में आने वाले लोगों का पंजीकरण किया जाता है? उस समय माननीय मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया था कि पंजीकरण किया जाता है या नहीं किया जाता है। मान्यवर, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमारे इतने बड़े धाम हैं, जहां पर करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन पंजीकरण की कोई व्यवस्था नहीं की गयी और उसका नतीजा है कि आज हमें प्रभावितों की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। प्रदेश में आपदा के समय कितने लोग आये थे, कितने लोगों को हम बचा पाये हैं और कितने लोगों की जानें गयी हैं, यह सही–सही आंकड़ा सरकार के पास नहीं हैं। मान्यवर, अब सरकार को इस दिशा में सही कदम उठाते हुए पंजीकरण की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें आपदा प्रबन्धन के पुख्ता इंतजाम करने होंगे और इस हेतु एक सर्वदलीय समिति बनाकर इस पर निगरानी रखनी चाहिए। जो भी आपदा प्रबन्धन के कार्य हों, उनका निर्वहन सही तरीके से होना चाहिए, यही मेरा कहना है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2013

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) अध्यादेश, 2013

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) अध्यादेश, 2013 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए "राज्य के वित्त पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन" एवं "भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या 1)" तथा "भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का" जिला नैनीताल पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या 2)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 (2) के अधीन भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए "राज्य के वित्त पर भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन" एवं 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए "भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या–1)" तथा 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए "जिला नैनीताल पर भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या–2)" को सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तराखण्ड लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) के अनुसार लोक आयुक्त उत्तराखण्ड के वर्ष 2011 का प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अनुसार लोक आयुक्त उत्तराखण्ड के वर्ष 2011 का प्रतिवेदन, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित सदन के पटल पर रखती हूँ।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा 8 (3) के अन्तर्गत स्थानीय निधि लेखा परीक्षा एवं सहकारी समितियां एवं पंचायतें, वित्तीय वर्ष 2011 2012 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा–8 (3) के अन्तर्गत स्थानीय निधि लेखा परीक्षा एवं सहकारी समितियां एवं पंचायतें, वित्तीय वर्ष 2011–2012 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखती हूँ।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अधीन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के एकादश वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–323 (2) के अधीन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के एकादश वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक) सदन के पटल पर रखती हूँ।

केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2011 2012 के वार्षिक लेखा विवरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–104 (4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2013

अपर सचिव, विधानसभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का चौदहवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2013

अपर सचिव, विधानसभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का पंद्रहवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजन विकास और उन्नयन) विधेयक, 2013

अपर सचिव, विधानसभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का सोलहवां अधिनियम बन गया।

प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2013

अपर सचिव, विधानसभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

विविध अधिनियम विधिमान्यकरण विधेयक, 2013

अपर सचिव, विधानसभा–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि विविध अधिनियम विधिमान्यकरण विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का अठारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2013

अपर सचिव, विधानसभा–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2013

अपर सचिव, विधानसभा–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013

अपर सचिव, विधानसभा–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनाक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का इक्कीसवा अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013

अपर सचिव, विधानसभा–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनाक 21 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का बाईसवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2013

अपर सचिव, विधानसभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का तेईसवा अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक विधेयक, 2013

अपर सचिव, विधानसभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अप्रैल, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2013

अपर सचिव, विधानसभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अप्रैल, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का पच्चीसवा अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

अपर सचिव, विधानसभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड तकनीकि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का छब्बीसवा अधिनियम बन गया।

जनपद पिथौरागढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल मोष्टामानू में निर्माणाधीन बेस चिकित्सालय के रोके गये निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में याचिका।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पिथौरागढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल मोष्टामानू में निर्माणाधीन बेस चिकित्सालय के रोके गये निमार्ण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में श्री जीताम्बर गुरूरानी, निवासी ग्राम–रतवाली, पो०–नाकोट, जनपद पिथौरागढ़ एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद अल्मोड़ा के सोमेश्वर विकास खण्ड हवालबाग के कारगिल शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग को ग्राम पंचायत खड़ाऊं से मुख्य मोटर मार्ग बसौली तक जोड़े जाने के संबंध में याचिका।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अल्मोड़ा के सोमेश्वर विकास खण्ड हवालबाग के कारगिल शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग को ग्राम पंचायत खड़ाऊं से मुख्य मोटर मार्ग बसौली तक जोड़े जाने के संबंध में श्री बलवन्त सिंह बिष्ट, प्रधान, ग्राम पंचायत खड़ाऊ, विकास खण्ड–ताकुला, जनपद–अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा अम्बाड़ी के ग्राम बाड़वाला, राजावाला में पेयजल नलकूप की स्वीकृति के संबंध में याचिका।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा अम्बाडी के ग्राम बाडवाला, राजावाला में पेयजल नलकूप की स्वीकृति के संबंध में श्री मदनपाल सिंह, निवासी–ग्राम सभा अम्बाडी, विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर के ग्राम पृथ्वीपुर (अनुसूचित ग्राम बहादुरगढ़) की कृषि भूमि की सिंचाई हेतु सिंचाई नलकूप लगाये जाने के संबंध में याचिका।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर के ग्राम पृथ्वीपुर (अनुसूचित ग्राम बहादुरगढ़) की कृषि भूमि की सिंचाइ हेतु सिंचाई नलकूप लगाये जाने के संबंध में, श्री कुंवरपाल सिंह, निवासी–ग्राम पृथ्वीपुर, विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा मेहूंवाला खालसा में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु सिंचाई नलकूप लगाये जाने के संबंध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा मेहूंवाला खालसा में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु सिंचाई नलकूप लगाने के संबंध में, श्री आशाराम, निवासी ग्राम सभा मेहूंवाला खालसा, विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा बड़वा में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु सिंचाई नलकूप लगाये जाने के संबंध में याचिका।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा बडवा में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु सिंचाई नलकूप लगाये जाने के संबंध में, श्री कुवर सिंह निवासी ग्राम–बडवा, विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा अम्बाड़ी के ग्राम डूमेट में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु सिंचाई नलकूप लगाये जाने के संबंध में याचिका।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा अम्बाडी के ग्राम डूमेट में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु सिंचाई नलकूप लगाये जाने के संबंध में, श्री अतर सिंह, निवासी ग्राम सभा अम्बाडी, विकास खण्ड, विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(मद संख्या–22 पर माननीय सदस्य श्री राजेश शुक्ला का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जनपद पौड़ी गढ़वाल के पट्टी विचला ढांगू मल्ला ढांगू एवं तल्ला ढांगू व डबरालस्यूं, विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में याचिका।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पौड़ी के पट्टी विचला ढांगू मल्ला ढांगू एवं तल्ला ढांगू व डबरालस्यूं, विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में श्री भगवती प्रसाद जुयाल, निवासी ग्राम नैरूल, पो0 सिलोगी, जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के लक्ष्मण झूला, कांडी दुगड्डा 112 कि0मी0 क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग के डामरीकरण के संबंध में याचिका।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के लक्ष्मण झूला, कांडी दुगड्डा 112 कि0मी0 क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग के डामरीकरण के संबंध मे श्री सत्य प्रसाद काला, निवासी ग्राम पोस्ट गूम (पौखाल), जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2013

*परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री सुरेन्द्र राकेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 सितम्बर, 2003 की बैठक में दिनांक 18 सितम्बर, 2013 से दिनांक 20 सितम्बर, 2013 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है–

सितम्बर, 2013

18 बुधवार (1) औपचारिक कार्य।

(2) अध्यादेशों का सदन के पटल पर रखा जाना

19 गुरूवार (1) अनुदानवार अनुपूरक मांगों का प्रस्तुतीकरण।

(अपराह्न 4:00 बजे)

(2) अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान

20 शुक्रवार (1) विधायी कार्य (आधा दिवस)।

(2) असरकारी कार्य (आधा दिवस)।

निम्नलिखित असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा–

1. श्री मदन कौशिक "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य मे आवश्यकता के अनुसार बिना किसी भेदभाव के समान रूप से योजनायें बनाकर विकास किया जाये।" (15 मिनट)

2. श्री हरबन्स कपूर "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि देश में स्वशासन को वास्तविकता प्रदान करने में पंचायती राज व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है।

और, चूंकि शहरी क्षेत्र स्थानीय निकायों का गठन इस व्यवस्था को शहरों में मूर्तरूप देने के लिए किया गया है,

और, चूंकि संविधान के भाग है, IX–(A)– "नगर निकाय" के अन्तर्गत इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है,

और चूंकि नगर निकायों की निधि तथा कर आदि संबंधी प्राविधान संविधान के अनुच्छेद–243(X) के अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल द्वारा विधि बनाकर उपबन्धित किया जाता है,

और, चूंकि नगर निकायों के कार्यक्षेत्र में आधुनिक समय की आवश्यकताओं को देखते हुए कार्य को सुगम बनाने के लिए कतिपय सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है।

अतएव यह सदन संकल्प करता है कि स्थानीय नगर निकायों के सदस्यों को ग्राम पंचायत सदस्यों की भांति अपने कार्य के प्रभावी कुशल तथा यथोपेक्षित निष्पादन के लिए मानदेय, यात्रा भत्ता, संचार भत्ता, सचिवीय भत्ता आदि सुविधाएं प्रदान करने हेतु संबंधित अधिनियमों में यथावश्यक संशोधन किया जाय।'' (15 मिनट)

3. श्री बिशन सिंह चुफाल ''यह सदन संस्तुति करता है कि प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपदों में स्थानीय लोगों के पलायन को रोकने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध किये जाने के लिए अलग से सीमान्त क्षेत्र विकास योजनाएं बनाई जायें।'' (15 मिनट)

4. श्री भीमलाल आर्य ''यह सदन संस्तुति करता है कि विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित असेना के 16 अनुसूचित जाति परिवारों को पुनर्वास/विस्थापन के आवासीय भूखण्ड एवं 48 अनुसूचित परिवारों को कृषि भूखण्ड यथाशीघ्र आवंटित किये जायें।'' (15 मिनट)

विगत सत्र के असरकारी संकल्प

1. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा।(15 मिनट)

''इस माननीय सदन की सर्व सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थायी राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थायी राजधानी घोषित किया जाय।''

2. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा।(15 मिनट)

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।''

विगत सत्र के नियम–105 के प्रस्ताव

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा। (15 मिनट)

"यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाय।"

2. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा। (15 मिनट)

"यह माननीय सदन रेल मंत्रालय केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य जनपद देहरादून के धर्मावाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृति दी जाय।"

3. श्री हरिदास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा। (15 मिनट)

" उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान मे प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।"

विगत सत्र की नियम–54 की सूचना

1. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा। (15 मिनट)

"प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।"

2. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा। (15 मिनट)

"जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने के सबंध में।"

3. श्री हेमेश खर्कवाल, श्री मयूख महर एवं श्री गणेश गोदियाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा। (15 मिनट)

"वनो को संरक्षित करना एवं सस्ते गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराना जनहित में अति आवश्यक है।"

4. श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा। (15 मिनट)

"विधान सभा धारचूला के अन्तर्गत कम ऊँचाई के क्षेत्र में मृग विहार बनाने से ठप्प हो रहे विकास कार्य के दृष्टिगत मृग विहार बनाने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाय"

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, इसमें दो चर्चायें ऐसी हैं श्री मदन कौशिक जी की और श्री हेमेश खर्कवाल जी की, जो एक ही विषय से संबधित हैं।

श्री अध्यक्ष–

दोनों को एक साथ सम्मिलित कर लेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं.

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री मदन कौशिक, श्री दान सिंह भण्डारी, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री गणेश जोशी, श्री माल चन्द, श्री अजय टम्टा, श्री बिशन सिंह चुफाल तथा श्री राजकुमार ठुकराल की कुल 08 सूचनाए प्राप्त हुई है। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री दान सिंह भण्डारी की सूचना जो कि जनपद नैनीताल के भीमताल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत काला पातल–ल्वेशाल एवं कस्यालेख–सूपी पाटा रोड के बन्द होने से जनता

को हो रही परेशानी के संबंध में है, को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिये तथा माननीय सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल की सूचना जो कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मूनाकोट के प्राथमिक विद्यालय खूना के क्षतिग्रस्त भवन के पुनर्निर्माण के संबंध में है, को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

*श्री राजकुमार ठुकराल-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी नियम-53 की सूचना को स्वीकार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसमें नियम के अनुसार दो ही सूचना आती हैं।

चर्चा पुनः प्रारम्भ की जाती है।

नियम 310 के अन्तर्गत प्रदेश में हुई भीषण आपदा पर पुनः चर्चा.

*श्री विजयपाल सिंह सजवाण-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे उत्तराखण्ड की भीषण दैवीय आपदा पर चर्चा का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। हमारे जनपद की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि सन् 1991 में भूकम्प की त्रासदी से और सन् 2010 और 2012 में भीषण बाढ़ तथा 2013 में आई भीषण बाढ़ की त्रासदी से पूरे जनपद और पूरे उत्तराखण्ड में जो जनहानि और धन हानि हुई। मैं अपनी सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इस आपदा की घड़ी में, हमारी सरकार ने जो काम किया, मान्यवर, मैं मानता हूँ कि इस विषम परिस्थितियों में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और 16-17 जून को प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। उस समय हमारी आई०टी०बी०पी० और वायु सेना के जवानों एवं हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। (कई माननीय सदस्यगण बैठे-बैठे अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में व्यवधान हुआ।) (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग शान्त रहें।

श्री विजयपाल सिंह सजवाण-

मान्यवर, इस त्रासदी में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। इस समय प्रदेश में बहुत सारी सड़कें, पुल और तटबंध बह गये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज भी 60 गांव ऐसे है जहाँ सड़कें और पुल नहीं हैं, फिर भी हमारी सरकार वहां पर राशन पहुंचा रही है। इसलिए वहां के लोगों ने सरकार पर विश्वास किया है। पिछली सरकार के आपदा में जो मानक थे, आज हमारी सरकार ने आपदा के उन मानकों में भी परिवर्तन किया है। वर्ष

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

2010 में हमारा भटवाड़ी का पूरा का पूरा कस्बा दैवीय आपदा के चपेट में आ गया था तो उस समय की सरकार ने उन कस्बों में कुछ भी काम नहीं किया, आज भी वे लोग परेशान हैं। इस समय हम और आप लोगों को मिलकर इस आपदा से निपटने का काम करना चाहिये। (व्यवधान) मान्यवर, पूर्व की भाजपा की सरकार ने मकानों के क्षति होने पर जो 35 हजार रूपये का मुआवजा किया था वही मुआवजा हमारी सरकार ने 2 लाख रूपये कर दिया है और पूर्व की सरकार ने जो मुआवजा 63 सौ रूपये किया था आज हमारी सरकार ने वह मुआवजा 80 हजार रूपये कर दिया है और जो मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, उन मकानों के लिए हमारी सरकार ने 10 हजार रूपये से बढ़ाकर 15 हजार रूपये कर दिये है। (व्यवधान) जो नुकसान इस आपदा में लोगों का हुआ है उसको तो पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन उन परिवारों के लिए हमारी सरकार द्वारा जो काम किया जा रहा है वह बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, उनके घाव में मरहम का काम किया जा रहा है। हमारी सरकार का जो तात्कालिक राहत का काम था, उसमें हम लोग सफल रहे हैं। (व्यवधान) मान्यवर, इस सदन में सच्चाई आनी चाहिए, मैं कहता हूँ कि सरकार ने उस दौरान जो अच्छे काम किये वह सामने आने चाहिए। मैं मानता हूँ कि पूर्व की सरकार के जो आपदा के मानक है वह आपदा के मानकों का मुआवजा हमारी सरकार ने बढ़ाया है। मान्यवर, जो बाढ़ पिछली बार आई थी, वह बाढ़ के मानकों में न आने के बावजूद उसके लिए बजट भारत सरकार से मांगा गया था, मैं मानता हूँ कि उसमें कुछ देरी हुई और नुकसान हुआ, इसलिए मेरा अनुरोध है कि पिछली बार की स्थिति से सबक लेते हुये जो नदियों में मलबा आ गया है उसका कार्य शीघ्र किया जाये जिससे कि आने वाले समय में और कोई दिक्कत न आये और दूसरा मेरा यह कहना है कि वर्षा के बाद 6 महीना हमारे पास होता है और उस 6 महीनों में सुरक्षा के कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, उसके लिए बजट की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पहले किसानों को प्रति नाली मुआवजा चार सौ रूपये मिलता था आज वह पाँच हजार कर दिया गया है। मान्यवर, खासकर हमारे चार धामों की जो आजीविका थी, पर्यटन का जो उद्योग था वह आज नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सभी को उनके पुनर्वास और पुनर्निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना होगा, इसके लिए सरकार को ऐसी कार्ययोजना बनानी होगी जिसमें देश की ऐसी तमाम एजेंसी को बुलाकर अच्छी तकनीकी का प्रयोग किया जाए जिससे उस क्षेत्र में आने वाली बाढ़ से बचाव किया जा सके। मान्यवर, मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि अभी हमारी माननीय प्रतिपक्ष जी ने कहा था कि हेलीकाप्टर से सैर सपाटा करवाया गया था तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस समय बहुत ही विषम परिस्थितियों में कार्य किया और आप कह रहे है कि हैलीकाप्टर में चार लोगों को लाया गया तो मैं तो गवाह हूँ कि उसमें चार की जगह सात आठ लोगों को लाकर सुरक्षित जगह पर पहुँचाया जा रहा था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी जो कार्य हैं उनको प्राथमिकता दें। धन्यवाद।

श्री दलीप सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह आपदा केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री में आई। (व्यवधान) मान्यवर, मैं इस पर एक बात बता दूं ऐसी घटना राजा जनक के राज में हुई तो उसमें विद्वानो के बीच में अष्टावक्र बीच में आ गये, तो उनको देखकर सब लोग हंस रहे थे तो वह भी हंसने लगा और फिर लोगों ने उनसे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो तुम आठ जगह से मुड़े हुये हो तो उसने कहा कि [X X X] तो मुझे कभी–कभी बड़ा दु:ख होता है कि जिस तरह से इस सदन में गम्भीर विषय पर हंसी ठिठोली होती है और गम्भीरता कम होती है तो यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और उत्तराखण्ड की जनता हमारी ओर देख रही है हमें इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। मान्यवर, चूंकि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, हमारे सनातन धर्म की आस्था का एक केन्द्र है और यहां पर आयी आपदा में जो लगभग 80 प्रतिशत लोगों की जीवन लीला समाप्त हुई है, इसमें 80 प्रतिशत लोग हिन्दू धर्मावलम्बी थे और इसलिए मैं इस बात पर फोकस करता हूँ। मान्यवर, मैं पहले सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूँ और सुझाव भी देना चाहता हूँ कि आज जब सरकार केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री को सरकारी मशीनरी के थ्रो चला रही है, वह निश्चित रूप से हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मान्यवर, जो हिन्दू मतावलम्बी हैं या हिन्दू धर्म को मानने वाले है वे यह चाहते हैं कि इन मंदिरों को धर्मावलम्बियो के माध्यम से ही संचालित किया जाना चाहिए। इसका कारण यह भी है कि जब केदारनाथ के कपाट खुले थे तो तब कई धर्माचार्यों ने इस पर आपत्ति की थी कि पंचक के दिनों में केदारनाथ धाम के कपाट खोले गये है। यदि हम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते है तो हमें धार्मिक आस्थाओं की भी कद्र करनी चाहिए, जिसमें सरकार का कोई नियंत्रण न हो और सरकार केवल दिशा–निर्देश दे, लेकिन इसका नियंत्रण धर्माचार्यों के पास ही हो। मान्यवर, यदि हम धर्माचार्यों की बात को मानते और गलत समय पर कपाट न खोलते तो शायद इस समय ऐसी स्थिति न होती।

मान्यवर, मैं आपदा का कारण कुछ हद तक गलत मुहूर्त में केदारनाथ के कपाट को खोलना भी मानता हूँ। मान्यवर, यहां पर गम्भीरता से किसी चीज को नहीं लिया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब सरकार धर्माचार्यों से दुबारा पूजा करने की बात पूछ रही है तो सरकार मुहूर्त निकालने का समय क्यों नहीं पूछती है? आधी–अधूरी जानकारी बहुत हानिकारक होती है। यदि आप वैज्ञानिकता को मानते है तो धर्म को न माने, यदि धर्म का आधा–अधूरा ज्ञान लेंगे तो इसकी परिणति यह होगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ कि कभी किसी के घर में शादी होती है तो इसमें पूछा जाता है कि कितने मेहमान आयेंगे फिर उसी हिसाब से

नोट–[X X X] यह अंश मा० अध्यक्ष द्वारा दिनांक 19.09.2013 के उपवेशन में दिये गये आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

इंतजाम किया जाता है। परन्तु यहां पर प्रदेश का दुर्भाग्य यह रहा कि यात्रियों की संख्या का सही ज्ञान सरकार को नहीं रहा और न ही सरकार के पास इनका कोई खाका रहा है। ये यात्री चाहे केदारनाथ में आयें, बद्रीनाथ में आयें, गंगोत्री में आयें, यमुनोत्री में आयें या हेमकुण्ड साहिब में आयें, इन यात्रियों का खाका सरकार के पास होना चाहिए था। मान्यवर, वर्तमान में यदि आप जम्मू-कश्मीर में वैष्णों देवी के दर्शन हेतु चले जायें, अमरनाथ यात्रा में चले जायें तो वहा पर पहले यात्रियों का पंजीकरण होता है। यदि वहा पर किसी यात्री के साथ कोई दुर्घटना होती है तो तुरन्त पता चल जाता है कि वह यात्री कौन था, कहां से आया था। जो कि हमारे प्रदेश में नहीं है। पंजीकरण की व्यवस्था न होने के कारण ही आज आम आदमी का पता नहीं चल पा रहा है। मान्यवर, यह भी पता नही चल पा रहा है कि वहां पर कितने व्यापारी थे, कितने मजदूर थे, कितने घोड़े वाले थे। मान्यवर, यात्रियों का वेरीफिकेशन होना चाहिए था, चूंकि हमारा एक सीमांत प्रदेश है और वर्तमान स्थिति को देखते हुए यहा पर उपद्रवी तत्व भी आ सकते हैं।

मान्यवर, इन सारी कमियों के कारण ही इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। यदि प्रदेश में यह सरकार एक अच्छी व्यवस्था कर देती तो इतनी मुश्किलों का सामना आज हमें न करना पड़ता। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस आपदा के साथ-साथ एक और आपदा आ रही है इस ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर, यह किताब "पर्वत जन" है, इसमें लिखा गया है कि [X X X] मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात भी कहना चाहता हूँ। प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आयी और इस आपदा से आज कोई भी विधान सभा क्षेत्र ऐसा नहीं है, जो कि प्रभावित न हुआ हो, प्रभावित क्षेत्र कम मात्रा में और ज्यादा मात्रा में हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षेत्र प्रभावित हुए है। मान्यवर, कम ज्यादा मात्रा हो सकती है लेकिन सब प्रभावित हुए हैं। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2010 में मेरे क्षेत्र में बाढ आयी थी, उस समय तत्कालीन मुख्य सचिव, जो आज भी मुख्य सचिव है, उन्होंने उस बाढ को देखा था, यह भी देखा था कि रिखणीखाल ब्लाक में, मन्दालघाटी में कम से कम 7 बड़े-बड़े पुल बह गये और बहुत से गाँव तबाह हो गये लेकिन आज तक वे पुल नही बने। अभी वर्तमान में जो आपदा आयी है, उसमें इन पुलों का स्थान दो गुना और तीन गुना हो गया है क्योंकि उस समय उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इन क्षेत्रों के साथ-साथ मेरे क्षेत्र पर भी ध्यान दिया जाय। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 6 गाँव ऐसे हैं, इनकी सूचना मैं आपको दे दूँगा। मैंने इसमें आपके माध्यम से प्रश्न पूछा था, उसमें विभाग की तरफ से जानकारी दी गयी कि 6 गाँव विस्थापन की स्थिति में हैं। उनमें चारों तरफ से कभी भी कोई त्रासदी हो सकती है लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक न वहाँ पर कोई पुनर्वास की समिति देखने गयी, न ही वहाँ के लिए कोई व्यवस्था की गयी। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि केदारनाथ

नोट-[X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया.

और अन्य क्षेत्रों के साथ ही उन क्षेत्रों को भी देखा जाय, उन क्षेत्रों की ओर भी ध्यान दिया जाय। मान्यवर, आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में 2010 और उसके बाद आपदा से जो भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाय और आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण किया जाय। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे समय दिया।

श्री अजय भट्ट–

मानानीय अध्यक्ष जी, एक बात माननीय सदस्य श्री दलीप सिंह रावत जी ने बहुत गंभीर कही कि ईसाई मिशनारियाँ यह कर रही हैं कि तुम्हारा भगवान तुमको नहीं बचा पाया। इसलिए तुम हमारे भगवान के पास आ जाओ, यह अकेला बचा लेगा। यह बहुत गंभीर बात है। यह पूरे सदन के लिए गंभीर बात है, इसमें पक्ष–विपक्ष की कोई बात नहीं है। रामदेव जी ने वहाँ के बच्चों को लिया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में 100–150 बच्चे पढ़ रहे है, ऋतम्भरा जी अपने यहाँ इन बच्चों को लाई है और यह भी बात संज्ञान में आयी है कि ईसाई मिशनारियाँ हमारे बच्चों को उठा कर ले जा रही हैं, उनको ईसाई बनाने के लिए, दूर–दराज के क्षेत्रों में, वहीं प्रशिक्षित भी करेंगे, जो अनाथ बच्चे हैं। इसलिए सदन की तरफ से और मैं विपक्ष की तरफ से भी यह मांग करता हूँ कि इसको गंभीरता से देखकर ऐसी मिशनरियाँ जो वहाँ काम कर रही हों, उनके लिए आपकी तरफ से एक नोटिस या निर्देश सरकार को चला जाए कि उनको गंभीरता से हटाया जाय। जिस समय इतनी बड़ी आपदा आयी, उस समय ये लोग नहीं पहुँचे। वहाँ के विधायकगण गये, यहाँ के विधायकगण गए, उत्तराखण्ड के लोग गये। लेकिन ईसाई मिशनरियाँ आज इस तरह से लोगों को बरगलाकर लोगो की गरीबी का फायदा उठा रही है। यह बहुत शर्मनाक है, खेदजनक है। इस पर आपकी तरफ से कोई निर्देश सरकार को जरूर जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती शैलारानी रावत–

मान्यवर, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, यह जो प्रकरण है, जिसमें दो तबको की बात की गयी है, यह हमारे संविधान की परिधि के बाहर है, इस तरह की बाते इस सदन में नहीं की जा सकती है।

(सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर–घोर व्यवधान)

*खेल एवं नियोजन मंत्री (श्री दिनेश अग्रवाल)–

मान्यवर, इसमें कोई जाति का प्रश्न नहीं है। किसी मैग्जीन का संज्ञान लेकर यहाँ पर कोई बात नहीं की जा सकती है। (व्यवधान) मान्यवर, माननीय शैलारानी रावत जी कह रही हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। (व्यवधान) मान्यवर, यह मुद्दे को भटकने की बात है...(व्यवधान) यह सदन आर०एस०एस० की तर्ज पर नहीं चलेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, क्या सोनिया गांधी के हिसाब से सदन चलेगा?

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, चूंकि सदन में किसी समाचार पत्र या पत्रिका का संज्ञान नहीं लिया जा सकता, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर जो भी सदन में कहा गया है, उसे कार्यवाही से हटा दिया जाय।

श्रीमती शैला रानी रावत–

मान्यवर, बाबा रामदेव वहां से करोड़ो रूपये ले जा रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, जो यह बच्चे ले जाये जा रहे है, उनका रजिस्ट्रेशन किस अधिकारी, किस कार्यालय में कराया जा रहा है ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यही तो हम कह रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, अभी प्रतिपक्ष के साथियों ने कहा कि साध्वी ऋतम्भरा और बाबा रामदेव बच्चों को ले जा रहे है, यह सदन आर०एस०एस० की नीतियों से नहीं, संसदीय परम्पराओं से चलेगा।

श्री अध्यक्ष–

सदन के अन्दर किसी समाचार पत्र या पत्रिका का संज्ञान नहीं लिया जाता है, इसलिए अखबार की बात का संज्ञान लेकर के जो वक्तव्य माननीय सदस्य द्वारा दिया गया है, उसे कार्यवाही से हटा दिया जाय।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र से एक बच्चा दो दिन से गायब है और उसकी एफ0आई0आर0 भी लॉज कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष–

नवप्रभात जी, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–310 पर चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इस हेतु आपका धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मदन कौशिक, माननीय चुफाल जी ने जो बातें यहां पर कहीं उससे भी मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, देवभूमि उत्तराखण्ड में जिस तरह की दैवीय आपदा आई और हजारों लोग उसमें काल कवलित हो गये, उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि भी व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय दलीप जी की रखी बात पर ही कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनकी बात पर या समाचार–पत्रों का संज्ञान नहीं ले रहा, बल्कि अपनी जानकारी के अनुसार कह रहा हूँ कि वहां जो हो रहा है, भले ही वहां के सत्ता पक्ष के लोग ऊपर बैठे लोगों को खुश करने के लिये कुछ भी बोलें, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से धर्मांतरण का षडयंत्र इस प्रदेश में हो रहा है। मान्यवर, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फायदा होने वाला नहीं है। (कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय बंशीधर भगत जी, दैवीय आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय को भटका करके आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जो दैवीय आपदा आयी है,उससे बड़ी दैवी आपदा इससे आ सकती है। इससे मेरा ही दल प्रभावित नहीं होगा, पूरा देश प्रभावित होगा, मान्यवर, मैंने अपनी भावना आपके सामने रखी, दर्ज की। दैवी आपदा आयी, मैं नहीं कहता कि सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का दोष है। ऊपर वाले की कृपा थी जैसा होना था, हो गया। लेकिन जिस प्रकार से मौसम विभाग ने बता दिया था कि दैवी आपदा आने वाली है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि कोई कटोरा लेकर वहां आपदा को रोकने के लिए खड़ा हो जाता, लेकिन, ये तो हो सकता था कि जो लोग ऊपर हैं, उनको निकाला जाय पहले। लेकिन उल्टा हुआ, उल्टा यह हुआ कि केदारनाथ के लोगों को तो वहां पर रोक दिया गया और गौरीकुंड से ऊपर को जाओ, यह जारी रहा। तो एक बड़ा भारी समूह वहां पर इकट्ठा हो गया और सरकार कहती है कि 30–40 आदमी मर गये हैं। उस दिन, जिस दिन घटना हुई, 16, 17 जून को उत्तराखण्ड ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के लोगों को यह पता था कि बहुत भारी घटना हो गयी है। लेकिन यहां की सरकार 10, 20 लोग शहीद हो गये हैं, 10, 20 लोग मर गये हैं, यह कहती रही। कैप्टन भूपेन्द्र सिंह, जो एक पायलट हैं, वो मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे अधिकारियों को मैंने बता दिया है, वहां तो बिल्कुल सब सफाया हो गया है, लेकिन उसके बाद भी गम्भीरता नहीं है। गम्भीरता इसलिए नहीं हुई क्योंकि उस दिन इस देश के एक युवराज का जन्मदिन था, हेलीकाप्टर केदारनाथ जाने के बजाय दिल्ली पहुँच गया और वहां जाकर पता चला कि जन्मदिन मनाने वाले जन्मदिन विदेश में मना रहे हैं। (कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) उन्हें जानकारी ही नहीं थी कि मेरे प्रदेश में हो क्या रहा है। जब डॉक्टर को नहीं मालूम कि बिमारी क्या है तो मान्यवर, उसका इलाज क्या होगा। सेना को बुलाने के लिए आग्रह किया गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भी पत्र लिखा। 03 दिन बाद सेना आती है और 03 दिन तक उसे काम पर नहीं लगाया जाता है। सेना का सदुपयोग कराने के बजाय, उनको रोका गया। मैं यह कहना चाहता हूँ और आरोप भी लगाना चाहता हूँ सरकार पर, कि जो दब गये, बह गये, उनके अतिरिक्त भी हजारों लोग ऐसे थे जो जान बचाने के लिए पहाड़ पर चढ़ गये। उनको बड़ी आसानी से बचाया जा सकता था, उनको हेलीकाप्टर के माध्यम से या कैसे भी लाया जा सकता था। जो आज मरने की सूचनाएं आ रही हैं या बॉडी मिल रही है, ये निश्चित रूप से वही लोग हैं जो वर्षा से नहीं मरे, ये भूख, प्यास और ठंड से मरे, इनको बचाया जा सकता था। जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि सरकार पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, मैं उस बात पर बल देना चाहता हूँ कि ये एक प्रकार की हत्या है। उनको बचाया जा सकता था, मान्यवर, सरकार ने अनदेखा किया उनको बचाने का प्रयास नहीं किया, जिसके कारण से वह मरे। मरने वालों की संख्या के लिए सरकार का एक प्रतिनिधि एक बात करता है और दूसरा प्रतिनिधि दूसरी बात करता है। आप यहाँ बैठे है आपने हिम्मत जुटाकर 10 हजार तक तो आकड़ा पहुँचाया। वरना यह तो 10,20 50 में ही निपटा रहे थे। धीरे–धीरे आपके 10 हजार कहने के बाद सरकार को थोड़ी हिम्मत बंधी या कहो अपनी इज्जत बचाने के लिए चार हजार तक ये पहुँच गये। जबकि मेरी पुख्ता जानकारी है, बहिन जी, वहाँ से जब मैं इनको देख रहा था, भाई राजेन्द्र जी को टी0वी0 पर देख रहा था, यह बहुत गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

बीच में बोलने की कोशिश न करें।

श्री बंशीधर भगत-

मान्यवर, यहाँ इनकी मजबूरी हो सकती है क्योंकि सरकार में बैठे है, सरकार की तारीफ करना मजबूरी हो सकती है।

श्रीमती शैलारानी रावत-

मान्यवर, हमारी कोई मजबूरी नहीं है।

श्री बंशीधर भगत-

मान्यवर, लेकिन वास्तविक चित्रण उस दिन हो गया जिस दिन इन्होंने टी0वी0 पर बोला। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ पर लगभग साढ़े चार हजार घोड़े खच्चर है तो एक में एक भी बैठा होगा तो 09 हजार तो ये हो गये।

श्रीमती शैलारानी रावत-

मान्यवर, सब नहीं गये, घोड़े खच्चर भी दो ढाई हजार गये। हम हर घर में गये। उनको मुआवजा भी दिया गया।

श्री बंशीधर भगत-

मान्यवर, आप बोले नहीं कि इतने घोड़े खच्चर वाले थे, मैंने बता दिया। इस तरह 09 हजार तो ये लोग गये। बाकी उस दिन जो भीड़ थी जिसकी कल्पना भी नही की जा सकती। अभी आपने कहा किसी का हाथ दिख रहा है और किसी का पाँव दिख रहा है। ये सरकार सरकारी पूजा करने को तो तैयार, जो दब गये है, जो मर गये है उनको निकालने को तैयार नहीं है। मान्यवर, 10 हजार आपने स्वीकार कर लिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि 15-20 हजार से कम नही है। इतनी बड़ी त्रासदी होने पर भी किसी ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया। मान्यवर, मैं हल्द्वानी की बात बताता हूँ तीन बसों में लोग गये और वहाँ पर फंस गये। वहाँ से उन्होंने अपने घरों में संवाद किया और यहाँ से मैने सूचनायें जहाँ दे सकते थे वहाँ दी, जिलाधिकारी जी को भी सूचना दी, जिलाधिकारी जैसा महत्वपूर्ण अधिकारी जो पैदल केदारनाथ को लगे हुए थे। मैंने उनको गाँव बताया इस गाँव में इस जगह पर लोग है। 4-5 दिन के बाद उनके पास लोग पहुँचे वह भी आर्मी के लोग पहुँचे, तब उनको वहाँ से लाया गया। इस तरह से 7-8 दिन के बाद वे लोग हल्द्वानी पहुँचे। एक विधायक बता रहा है कि मेरे क्षेत्र के लोग वहाँ पर फसे है, उसके बाद भी यह हाल है। दवाईयों की बात कर रहे है, वहाँ पर दवाई देने वाला कोई नहीं है।

140 डाक्टरों के स्थान पर 25 डाक्टर पूरे क्षेत्र मे काम कर रहे हैं तो क्या इलाज करेंगे? क्या डाक्टर दवा देगा? क्या मरीजों को देखेगा? ऐसी दयनीय स्थिति है, वहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार की तबाही आयी है। मेरे पर्वतीय क्षेत्र के अलावा जब हम नीचे को उतरते हैं, हरिद्वार का जिक्र कर रहे थे, संजय गुप्ता जी ने बताया हरिद्वार मे इतनी भयंकर त्रासदी आई है, इन्होंने गाँव बताये है कावलपुर, रामपुरराय घट्टी मान्यवर, वहां पर तमाम क्षेत्र में जल भराव हुआ है और सबसे बड़ा खेद का विषय यही है कि वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकाप्टर से गये और वापस आ गये और आपदा मंत्री गये वह दूसरी जगह चले गये। (व्यवधान)

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, आप लोग वहा क्यों नहीं आये? आपको वहां की जनता कोई पकड थोडी रही थी। अभी माननीय आपदा मंत्री जी ने बाहर कहा कि वहां पर हजारों आदमी बैठे हुए थे। (हंसी) (व्यवधान) वहां पर मैडम गयी, वह वहा तो गयी सही। लेकिन मैडम ने भी वहां की जनता के लिए कुछ नहीं किया।

श्री मगनलाल शाह–

मान्यवर, इतनी त्रासदी के बाद भी कोई गया नहीं और उपचार की कल्पना तो कर ही नहीं सकते हैं। मान्यवर, जिस प्रकार से यह लापरवाही की गयी और वहां पर बहुत कुछ सम्भाला भी जा सकता था। वहां पर लोगों को भोजन एवं कपडे नहीं मिल पाये। यह सरकार बिल्कुल अनदेखा कर रही है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि इन बातों का संज्ञान लेते हुए जहां पर भी, चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो वहां पर राहत कार्य यथाशीघ्र करें। अभी तक सरकार ने राहत–सामग्री नहीं पहुंचाई है। वहा पर राहत–सामग्री पहुंचाई जाय और आगे के लिए मैं सुझाव भी देना चाहता हूँ अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारी सरकार ने मुआवजा बढाया है। मुझे इनकी बात पर तरस आया। (व्यवधान) मान्यवर, इनकी सरकार केन्द्र में, और इनकी सरकार यहा पर, और प्रदेश की हालत इस प्रकार की हुई है। एक बार सौभाग्य से केन्द्र में हमारे माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी की सरकार थी और यहां पर आपकी सरकार थी तो उन्होंने दिल खोलकर आपकी सरकार की मदद की थी। आज वहां पर तुम्हारी सरकार है लेकिन यहां राहत के लिए सामग्री भी नहीं ला पा रहे हो। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

*श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, आपने माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा नियम–310 की सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं आपका अन्तरमन से धन्यवाद देता हूँ यद्यपि पूरा देश इस उत्तराखण्ड मे आयी त्रासदी से त्रस्त है। यहा के पर्यटन, होटल और धार्मिक व्यवसायी सभी लोग इस त्रासदी से परेशान हैं। मगर जिस दरियादिली से आपने इस विषय पर

*सदस्य ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नियम–310 में चर्चा कराने के लिए इस सदन को मौका दिया इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद दूँगा। मान्यवर, हास–परिहास भी चल रहा है परन्तु यह बहुत गम्भीर व चिन्ता करने का विषय है। सभी लोगों ने यहां पर यह कहा है कि प्रदेश में जो आपदा आयी उसके लिए यह सरकार जिम्मेदार नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ वास्तव में यह दैवीय आपदा थी। इस आपदा में नर तो नर नारायण भी दु:खी हैं। परन्तु सरकार ने जिस तरीके से आपदा आने के बाद जो काम करना चाहिए था। मान्यवर, जो दरियादिली दिखानी चाहिए थी, जो तीव्र गति से बचाव का काम करना चाहिए था, उसमें सरकार टोटली फेल हुई है। मान्यवर, मैं धन्यवाद दूँगा एयरफोर्स के जवानों को, आई०टी०बी०पी० के जवानों को, एन०डी०आर०एफ० के जवानों को।

श्रीमती शैला रानी रावत–

मान्यवर, वे सरकार के अंग हैं।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, आज यह हो रहा है कि प्रदेश में जो किया तो वह सत्तापक्ष की ओर से और जो नहीं किया तो विपक्ष की ओर से। मान्यवर, जब सब एयरफोर्स ने कर दिया, एन०डी०आर०एफ० ने कर दिया, यहाँ के अर्धसैनिक बलों ने कर दिया तो सरकार ने क्या किया, इसका इस सदन में जवाब देना पड़ेगा।

श्रीमती शैला रानी रावत–

मान्यवर, उन्होंने सरकार के आदेश में किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यदि यही वातावरण रहेगा तो मैं इस चर्चा को समाप्त कर दूँगा। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जब कोई भी माननीय सदस्य बोल रहा है तो बीच में कोई भी न बोले और न ही टोके। ना सत्तापक्ष का ना विपक्ष का।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में आपदा आई और देश के प्रधानमंत्री जी को खबर लग गई, मगर इस प्रदेश के मंत्रीमण्डल को और यहाँ के मुख्यमंत्री को खबर नहीं लगी। यदि कोई काम शुरु हुआ तो वह चार दिन के बाद जब हेलीकाप्टर आये तब हुआ, इस प्रदेश का आपदा तंत्र और सरकार पंगु बनी रही, इसका जवाब जनता को भी देना पड़ेगा। मान्यवर, मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिथौरागढ़, कपकोट में गया और पूरे क्षेत्र में आप भी गये। मान्यवर, मेरे यहां माननीय कुँजवाल जी आये पर माल कुछ भी नहीं लाये, माननीय यशपाल आर्य जी आये, माननीय दुर्गापाल जी आये पर माल कुछ भी नहीं लाये।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक बघाली गाव है 90 दिन से 12 परिवार काटा तहसील में शरण लिए हुए हैं, हमारे यहाँ का कपकोट का कुवारी गाव जिस पर 65 परिवार हैं जो कि पूरे के पूरे प्रभावित है। कुवारी और पूरे पिण्डर क्षेत्र के गांव आज भी विस्थापन की मांग कर रहे है और मेरी विधानसभा क्षेत्र का चाहे पईयां हो, चाहे कुडाऊँ हो, चाहे महगाल हो, चाहे जिनखुला हो उनकी स्थिति यह है, अभी यहाँ कह रहे थे कि हमारी सरकार ने बहुत बड़ा खजाना खोल दिया है, ठीक है खोला है पर उसको बांटने वाला कौन है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री, डीएम का आर्डर कोई नहीं देख रहा है। मान्यवर, यदि उस क्षेत्र के पटवारी ने भी लिख दिया तो समझो भगवान ने लिख दिया और उस पटवारी को जब तक पाँच हजार रूपया न दो तब तक वह लिखने को तैयार नही होता। मान्यवर, मैं अपना उदाहरण आपको देता हूँ कि मेरे क्षेत्र में 15 तारीख की बारिश में एक बच्चा बहकर गिरा, 17 तारीख को लाश आई मगर उसे दैवीय आपदा में मानने को प्रशासन तैयार नहीं है, एक आदमी सिलेण्डर सहित नदी मे गिर गया तो सिलेण्डर मिल गया और लाश नही मिली तो उसको दैवीय आपदा में मानने को तैयार नहीं है, कई मकानो को केवल 19 सौ रूपया देकर टाल दिया गया, जबकि पूरा मकान ध्वस्त दिखाया गया मगर कह दिया कि यह अनावासीय है। मान्यवर, हम सब जन प्रतिनिधि बताते हैं कि आपके मकान को खतरा हो रहा है आप इसको खाली कर दो तो जब वह मकान गिरता है तो उस मकान को अनावासीय मकान दिखा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह आदमी न घर का रहता है और न घाट का रहता है।

मान्यवर, हमारे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां विस्थापन की बहुत आवश्यकता है। प्रदेश मे आपदा आ गयी है तो मैं चाहता हूँ कि प्रदेश के अंदर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को दूर रखते हुए उत्तराखण्ड के नव निर्माण हेतु पुनः हमको संकल्प लेना पड़ेगा। मान्यवर, जितनी भी पुरानी गल्तियां है उनको भूल करके हमारा प्रदेश फिर से कैसे देवभूमि बने, इस दिशा मे सामूहिक प्रयास करना होगा। मान्यवर, विडम्बना यह है कि विगत छः माह से आप किसी भी विभाग मे चले जाईये और पूछिये कि कहां है सचिव साहब, कहा है जिलाधिकारी जी, कहां है एस0डी0एम0 जी, सबका एक ही जवाब है, साहब मीटिंग में हैं, यह है प्रदेश का हाल। विगत छः माह से केवल मीटिंग ही मीटिंग करके सेटिंग कर दी गयी है। मान्यवर, मीटिंग का मतलब तो यह है कि प्रदेश में जो आपदा आयी है, हम अपने आपदा–प्रबन्धन को कैसे ठीक करे इस दिशा में होना चाहिए था, परन्तु अभी तक तो आपदा–प्रबन्धन के सम्बन्ध में हमारा कोई प्रबन्ध ही नहीं है। मान्यवर, लोगो में किस तरह से विश्वास पैदा किया जाय, इस दिशा में हमने कोई नीति ही नहीं बनायी है। मान्यवर, प्रभावित लोगों के लिए जमीन का चिन्हीकरण अभी तक नही किया गया है, मकानों के लिए पैसा नहीं दिया गया है। मान्यवर, इस दिशा मे हमें कार्य करने की आवश्यकता है। सरकार के लोग कहते हैं कि उत्तराखण्ड के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में हम बहुत गम्भीर हैं, सरकार इस दिशा में कितनी गम्भीर है इसका मैं एक

जीता-जागता उदाहरण देना चाहता हूँ कि वित्तीय वर्ष का छठा महीना लग गया है और इस सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए मात्र 22 प्रतिशत धन का आवंटन ही किया है और सितम्बर माह तक मात्र 16 प्रतिशत धनराशि खर्च हुई है, यह है प्रदेश के नवनिर्माण का नमूना और इससे पता चलता है कि यह सरकार प्रदेश के विकास के लिए कितनी प्रयासरत है, यह है इस सरकार के लोगों द्वारा प्रदेश के विकास के मद में धन खर्च करने की दरियादिली का एक नमूना। मान्यवर, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। भारत सरकार से भी पैकेज आ गया, लोगों ने दरियादिली दिखायी और बाहर के राज्यों ने भी यहां पर पैसा दिया है। मैं चाहता हूँ कि यह धनराशि उत्तराखण्ड के पीड़ितों के लिए आयी है और यह पीड़ितों के आंसू पोंछने के ही काम आनी चाहिए। यहां के विस्थापन के लिए यह धनराशि खर्च होनी चाहिए, इनके विकास के लिए यह राशि खर्च होनी चाहिए। मान्यवर, अब नदियों का कटाव न हो, नदियों को बचाने की दिशा में कार्य होना चाहिए। दैवीय आपदा फिर न आये ऐसी पॉलिसी यहां पर बनाने की आवश्यकता है। मान्यवर, आपने नियम-310 के अन्तर्गत हमें बोलने का मौका दिया, सदन के माध्यम से यह सरकार जागे। चूंकि हम विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग एक प्रहरी के रूप में होते है और एक प्रहरी के रूप में हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि यदि आज आपके हाथ में सत्ता की चाबी है तो उसका सदुपयोग करें दुरूपयोग न करें। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

*श्री जीत राम-

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश के अंदर जो आपदा आयी और आपदा की चर्चा मे मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, पूरा उत्तराखण्ड आपदा से प्रभावित है और विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत साढे चार ब्लाक है और उन साढे चार ब्लाको मे भयंकर तबाही हुई है। मेरा कोई भी क्षेत्र ऐसा नही है, जिसमे हानि न हुई हो। मान्यवर, आपदा का इतिहास यह कहता है कि हमारा एक वर्तमान है और एक बीता हुआ कल है। मान्यवर, 2010 मे इस प्रदेश मे आपदा आयी थी। उसकी तीव्रता आज की आपदा की तीव्रता से कम थी लेकिन उस समय हमने कोई सीख नही ली। अगर उस समय कोई भूमिका बंधी होती, उस समय कोई तैयारी की होती, तो आज की जो आपदा है, उसकी तीव्रता को हम कम कर सकते थे क्योंकि उत्तराखण्ड का एक बहुत बडा भू-भाग पहाडी क्षेत्र है और इसमे आपदा की संभावना हमेशा बनी रहती है। मेरे क्षेत्र मे कई कार्य ऐसे हैं, जिनका आगणन 2010 मे बनाया गया, आपदा का पैसा वापिस गया, अनयूटिलाईज रहा लेकिन 2010 की आपदा के कार्य नहीं हुए। वही फिर 2011 में रिपीट हुआ, वही 2012 मे रिपीट हुआ जो आपदा की इंटेसिटी 2010 में कम थी, वह आज विकराल रूप लिए हुए है। तो मेरा मानना है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, यहाँ पर प्रदेश की एक करोड जनता की आकांक्षाएं है, आशाएं हैं कि यह सदन उनके विकास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की बात करे, उनकी सुरक्षा की बात करे, चाहे वह पक्ष में हो या विपक्ष में हों क्योंकि आप सोचने के लिए विवश हैं कि हमारे प्रदेश में साल दर साल आपदाए आ रही हैं और उन आपदाओं से हमें किस तरह निपटना है। आज मैं यहाँ पर देखता हूँ कि आरोप और प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं है। हमारे पास 2010 था, 2011 था, लेकिन वह काम नहीं हुए। 2012 आया फिर 2013 आया और 2013 में आपदा आयी, हम आरोप लगाते हैं कि इन्होंने 2010 में तैयारी नहीं की, इसकी भूमिका 2010 से बंध जानी चाहिए थी। मैं सोचता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत से कार्य ऐसे थे कि यदि पिछले 20–25 सालों में उनको बनाने के लिए भूमिका बनी होती, उनके प्रोटेक्शन के लिए भूमिका बनी होती तो आज यह त्रासदी देखने को नहीं मिलती। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बताया कि धराली में नासीर बाजार धीरे–धीरे धंस रहा है। पिछले इतने सालों में वहाँ पर किसी ने सुरक्षा के लिये कोई कार्य नहीं किया। हम वहाँ पर माननीय आपदा मंत्री से बाढ़ सुरक्षा के नाम पर 2 करोड़ रूपया ले गये, वह काम इसी साल शुरू होना था, लेकिन इसी साल वह धंस गया। अगर ये पहले से बने होते तो इस समय हमको इतनी त्रासदी नहीं देखनी पड़ती। बाजार नहीं धंसता।

मान्यवर, हमको इतिहास भी देखना पड़ेगा कि हमारे जो पूर्ववर्ती लोग थे उन्होंने किस तरह से इस प्रदेश के विकास की योजनाए रखी और वर्तमान सरकार को भी कि भविष्य के लिए किस तरह की योजनाएं बनानी है। मैं सरकार का धन्यवाद करूँगा, मेरा क्षेत्र बहुत प्रभावित रहा, मैं धन्यवाद दूँगा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, कि मेरे क्षेत्र में आए, माननीय महाराज जी आए, माननीय अमृता रावत जी आई, तीरथ सिंह रावत जी भी आए, आपको भी धन्यवाद, माननीय नेता प्रतिपक्ष भी आए, आपने देखा होगा कि धराली विधान सभा के अन्तर्गत भीषण आपदा आई। सड़के नहीं खुल पाई। पूरा प्रयास किया गया, सरकार की ओर से पूरा प्रयास था, बी0आर0ओ0 की ओर से पूरा प्रयास था लेकिन किलोमीटर की किलोमीटर सड़कें पानी में समा गयीं। यह दैवीय आपदा है, इसमें हमारा कोई जोर नहीं है। हम आरोप–प्रत्यारोप के अलावा कैसे इससे निपटें, इसकी तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए योजनाएं बनानी चाहिए। आज सरकार के भरसक प्रयास से बन्द सड़कें खुल चुकी है, जो रास्ते कट गये थे, सरकार ने उनमें हेलीकाप्टर के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों तक राशन पहुँचाया। पिण्डारी, कपकोट एरिया है, माननीय ललित फर्स्वाण जी यहाँ हैं, मेरा क्षेत्र उनसे लगा हुआ है और सुदूरवर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर मेन रोड कट–अप हो गयी। उसमें सरकार द्वारा प्रयास किया गया कि हर जगह, चाहे कपकोट हो, चाहे धराली विधान सभा हो, चाहे दूसरी विधानसभाएं हो, वहाँ पर सरकार ने त्वरित कार्यवाही करके लोगों को राहत–सामग्री पहुँचाई। वहां पर सरकार ने हेलीकाप्टर के माध्यम से लोगों तक राहत–सामग्री पहुँचाई और उसके बाद निर्माण के कार्य शुरू हुये। यहां पर बार–बार बात आ रही है, विस्थापन की, इस समय सरकार का ध्यान दैवीय आपदा पर था, आपदा से हुई क्षति का आकलन करना था, लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गये थे, गौशालायें क्षतिग्रस्त हो गई है, लोगों के पशु मर गये हैं, लैंडस्लाईड हो रहा है, सड़कें खुलवानी है, पेयजल योजनाओं की मरम्मत होनी है, ऐसे तमाम कार्य होने हैं,

जिसे सरकार प्राथमिकता पर कर रही है। विस्थापन की कार्यवाही इसके बाद शुरू होगी, जिले में जिला प्रशासन है, तहसील प्रशासन है, यह प्रशासन की ड्यूटी है, मैंने प्रशासन से कहा कि भूमि का सर्वेक्षण करवाईये, जहां लोगों का विस्थापन होना है, वहां पर भू गर्भ सर्वेक्षण कराइये और लोगों से भी मैंने कहा कि आस-पास जो रहने लायक जमीन है, आप बताइये, हम उसका भी भू-गर्भ सर्वेक्षण करायेंगे। मेरे क्षेत्र में कई गावों मे भू-गर्भ सर्वे का कार्य शुरू हो गया है कुछ गांवों का सर्वे हो चुका है। ऐसा नहीं है कि सरकार चुपचाप देख रही है, सरकार अपना कार्य कर रही है, जनता सरकार के काम से खुश है, 35 हजार की राशि को बढाकर आज दो लाख कर दिया गया है, यह दैवीय आपदा का मुआवजा है, पूरा नहीं दिया जा सकता है, मदद की जा सकती है। यह सरकार की ओर से राहत है, चाहे वह खेती का हो, चाहे हेलीकाप्टर का हो, चाहे पशु के मरने का हो या जनहानि का हो, तो सरकार ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है। आपदा मे जो अहेतुक राशि 2700 रूपया थी, उसे आठ हजार रूपया कर दिया गया है। आज हम सभी को भी सोचना चाहिये, क्योंकि यह हमारी ज्वाइंट रिस्पांसबिलिटी है और संयुक्त प्रयास होना चाहिये कि इस उत्तराखण्ड राज्य में जिसका अधिकांश भू-भाग पहाडी क्षेत्र है और उससे लगा हुआ हमारा तराई का क्षेत्र है, हम उसमें सामंजस्य कैसे बैठाये, कैसे हम आपदा से निपटें कैसे यहां पर नियोजन करें। क्योंकि पहाड से सिर्फ पहाड ही प्रभावित नहीं होता है। हमारे पास एजेंसिया हैं, भू गर्भ के लिए वाडिया इस्टीट्यूट है, हमारे पास यूसैक है, अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र हैं, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, जिससे हम यह देख सकते हैं कि भूमि के अन्दर कहां पर पानी है, कहां पर रॉक है और कहां पर बसावट हो सकती है, कहां से सडके कटनी चाहिये, यह सब तकनीक के साथ मिलकर काम होना चाहिये।

मान्यवर, इसके अलावा हमारे क्षेत्र मे आपदा के दौरान सडकें क्षतिग्रस्त हो गई थीं, हमने इमीडियेटली सरकार से उन्हें दुरूस्त करने को कहा, इसी प्रकार से वहां पुल टूट गये थे, पुल बनने मे काफी समय लग जाता है, इसलिए हमने वहां पर तत्काल ट्राली लगाने के लिये कहा, ट्राली लग चुकी है। मेरे क्षेत्र मे पोडागाड में ट्राली लग गई है और चार जगह लग चुकी है, भीमगाड में ट्राली लग चुकी है। मेरे क्षेत्र मे 10 पुल बहे थे, जिसमे दो जगह ट्राली लग गई है और चार जगह लग रही है। मेरे क्षेत्र में धराली तहसील के अन्तर्गत 478 लोगों को राहत राशि मिल चुकी है और एक करोड सड़सठ रूपया घाट विकास खण्ड में बांटा जा चुका है। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपदा की इस घडी में उन्होंने लोगों को इस तरह से सहायता प्रदान की, लेकिन हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम लोग उस चीज को जनता तक पहुचायें, यदि प्रशासन सही काम नहीं कर रहा है तो उससे करवायें। हम लोग जन प्रतिनिधि हैं, इस बारे मे डी0एम0, एस0डी0एम0 को कह सकते है कि इसको क्रियान्वित करें। अभी एक विधायक जी कह रहे थे कि पटवारी रिपोर्ट नहीं बना रहा है तो आप एस0डी0एम0 को कह सकते

है कि भाई रिपोर्ट क्यों नहीं बन रही है। इसके लिये सरकार ने जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति भी बना रखी है, जिसमें डी0एम0 और कंसर्न विधायक सदस्य है, जिस व्यक्ति को राहत नहीं मिल पा रही है, भले ही वह क्षतिग्रस्त का हो या पूर्ण क्षतिग्रस्त का हो। मान्यवर, अगर किसी को कोई शिकायत है, क्षतिग्रस्त मकान, या पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है या कोई उसमें डिस्पैरिटी है तो वो कमेटी उसको तय करे, प्रत्येक क्षेत्र का विधायक उसका सदस्य है। जो प्रभावित परिवार है, जो प्रभावित व्यक्ति है, उसको सहायता पहुँचे। हमने माननीय प्रभारी मंत्री जी से निर्देशित कराया, उन्होंने निर्देशित किया कि अगर जांच में किसी की शिकायत सही पायी गयी तो उस अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जायेगी। यह सब प्रयास सरकार के द्वारा किये जा रहे हैं लेकिन इसे कैसे इम्प्लीमेंट कराना है, यह हमारी जिम्मेदारी है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए माननीय अध्यक्ष जी को मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और सरकार की ओर से बहुत कम लोग सदन में उपस्थित हैं।

*श्री तीरथ सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–310 पर बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान अजय भट्ट जी ने, श्रीमान बंशीधर भगत जी ने, श्रीमान मदन कौशिक जी ने, श्रीमान चुफाल जी ने अपना वक्तव्य दिया, उससे अपने को जोड़ते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह एक प्राकृतिक आपदा है, दैवीय आपदा है, यह किसी के हाथों में नहीं है। हो सकता है किसी और की सरकार होती, हम होते या कोई और होता, तब भी आती, लेकिन जहां तक व्यवस्था की बात है, आपदा ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन उस आपदा से निजात पाना और पीड़ितो को निजात दिलाना, तत्काल उसमें क्या व्यवस्था हो सकती थी, यह एक सोचने का विषय है। मैं सोचता हूँ कि जो होना चाहिए था, वह समय पर नहीं हुआ। जिसके कारण हजारों–हजार परिवार स्वाहा हो गये। तीन–तीन पीढ़ियाँ समाप्त हो गयीं। मैं बड़कोट मे गया। एक फर्स्वाण परिवार है, तीन पीढ़िया उनकी समाप्त हो गई। ऐसे बहुत सारे हैं। समय पर आपदा से निपटा जा सकता था। जो अभी विषय आया कि यह सब कुछ भू गर्भीय व्यवस्था, पुनर्वास, विस्थापन ये सब इसमें लगे हैं। बहुत कुछ टूट–फूट हुआ है, इसमें समय लगेगा। विस्थापन, पुनर्वास में समय लगेगा। लेकिन जो परिवार उस समय यात्रा में थे उनके सामने तो यह स्थिति पुनर्वास, विस्थापन की नहीं थी, उनको बचाया जा सकता था। हमने टी0वी0 पर वो सारी चीजे देखी हैं। वो किस तरह से बिलखा रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनको तो छोड़िये आप। मैं जनप्रतिनिधि की बात करता हूँ, किस

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

प्रकार बिलख रहे थे वो आपकी सरकार पर यानि कुल मिलाकर बड़ा निराशा का वातावरण था। 16 तारीख को घटना घटती है। 12, 13 में मौसम विभाग कह देता है कि बादल फटेगा, पानी बरसेगा, हम चेते नहीं हैं और मैं यह कह सकता हूँ कि आज मौसम विभाग जो कह रहा है, वो सही निकल रहा है। आनन्द शर्मा जो भी कहता है, पहले तो वह सही नहीं होता था, लेकिन आज तो वह सही निकलता है और वो मैंने प्रत्यक्ष देखा है। मैं एक बार जब कुमाऊँ के दौरे में जा रहा था, शुरू-शुरू में अध्यक्ष बना था। दो दिन से बहुत बारिश हो रही थी। मैंने कहा कि मैं जाऊँगा, कार्यक्रम तय है। लोगों ने कहा कि मत आईये, स्थिति ठीक नहीं है, आनन्द शर्मा ने कहा है कि बारिश होगी, वर्षा होगी। मैं गया, मान्यवर, लेकिन मुझे धामपुर से वापस लौटना पड़ा, काशीपुर और जसपुर में पूरा तालाब बना था। फिर 23-24 को मेरा चमोली का दौरा था, पता चला कि बारिश आयेगी, मैंने कहा तब तो रूकना पड़ेगा। मैं यह कहता हूँ कि जब मौसम विभाग ने यह सब कुछ कह दिया था तो यात्रा रोकी क्यों नहीं, यात्रा को रोकना चाहिए था। यहीं नहीं डिजास्टर मैनेजमेंट जिसके लिए बनाया गया है। वह भी हाथ खड़े कर रहा है, वह कह रहा है कि हमको किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं थी। जबकि हमने भी आगाह कर दिया था, डिजास्टर मैनेजमेंट कह रहा है कि यह होने वाला है यह होगा। समय-समय की रिपोर्ट और सूचना हमने आपको दी, तब भी आप चेते नहीं। आपने अपने ही विभाग को दरकिनार कर दिया उस पर कोई विश्वास नहीं किया। आप अपने विभाग पर तो विश्वास करते। 16 को घटना घटती है रात को, और 17 को सरकार के नुमाइन्दों को वहाँ पहुँचना चाहिए था। कैसे भी हो, हेलीकाप्टर की चिन्ता नहीं करनी चाहिए थी, आपको वहाँ जाना चाहिए था। आखिर यह उत्तराखण्ड बना किस लिए। यानी हम पैदल रूट मार्ग से सारे कुछ करते, एक बार आया था ऊखीमठ के अन्दर फॉटा के पहले बहुत बड़ा पहाड़ गिरा था, हमारे अजय भट्ट जी वहाँ पहुँचे और हमने तत्काल वहाँ व्यवस्था की, आप वहाँ पैदल पहुँच गये थे। मान्यवर, कोई भी ऐसा नहीं रहा जिसने सोचा होगा कि हम उस ओर बढ़े। 17 को मैं पहुँचा हूँ, जब मैंने श्रीनगर में देखा एस0एस0बी0 की 65 करोड़ की बिल्डिंग धराशाई हो गई। 18 को मैंने मीटिंग सुबह ली, 17 को मैं वहाँ पहुँचा हूँ पौड़ी से हो करके। (व्यवधान) मैं 17 को डी0एम0 और एस0पी0 के साथ बैठा था और उनसे बात की है। मैंने उनसे पूछा कि क्या हालात हैं तो उन्होंने बताया 16 परिवार दबे हुए हैं। सुबह जब मैं पूरे क्षेत्र में उतरा तो मैंने गिन करके दिखाया कि 60 परिवार हैं। एस0एस0बी0 भी मैं गया। (व्यवधान) (माननीय सदस्य श्री गणेश गोदियाल जी द्वारा बैठे-बैठे कुछ कहने पर) माननीय, गोदियाल जी, एस0पी0 और डी0एम0 तो आपका है। आप डी0एम0 और एस0एस0पी0 से पूछिये कि 17 तारीख को क्या बातचीत हुई। सदन को झुठलाने वाली बात करते हैं। आपका बोलने का समय आयेगा तो आप तब बताईये।

मान्यवर, 18 तारीख को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी ऊखीमठ गुप्तकाशी पहुँच जाते है। वर्तमान मुख्यमंत्री जी, जिनकी तरफ आस लगाये बैठे हैं, वह दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। दिल्ली में ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ा। सामने पीड़ित पड़े हैं, लाशें पड़ी हैं, पूरा देश का यात्री यहाँ आया पड़ा है। (व्यवधान) मान्यवर, मैं 18 तारीख की बात कर रहा हूँ। (व्यवधान) मान्यवर, 18 तारीख को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय निशंक जी आपदा क्षेत्र मे जाते है और आपके मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं। 18 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान हरिद्वार में आकर कैम्प करते हैं वह केन्द्र सरकार की तरफ झोली नहीं फैलाते है कि उत्तराखण्ड में आपदा आयी है हमको पैसा दे दो, हम उत्तराखण्ड को जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उसी दिन माननीय चौहान जी 5 करोड़ रूपये की घोषणा करते है और यही नहीं 20 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते है और 21 तारीख को माननीय मोदी जी आते है। लेकिन यह विषय यहा पर आया कि कौन कहां पर था यानी कुल मिलकर आपदा से निजात दिलायी जा सकती थी। उस पर हम लोगों ने विचार नही किया।

मान्यवर, बिहार के माननीय मंत्री श्री चौबे जी जब केदारनाथ जा रहे थे तो मैंने उनको देहरादून से गाड़ी करके वहां भेजा। जबकि यह सरकार की व्यवस्था थी, लेकिन कोई बात नहीं। वह 14 तारीख को गुप्तकाशी पहुंचे और फिर आगे पहुँचे। उसमें चौबेजी के परिवार के लोग थे, जिसमें से 8 लोग बचे और और 5 लोग लापता हो गये थे। उनके दो लोगों की लाश मन्दिर परिसर के बाहर पड़ी मिली। जब वे पांच दिन बाद वहां से लौटकर आये तो उस बीच में उनसे हमारा लगातार सम्पर्क बना रहा। (व्यवधान) मान्यवर, मैं यहां पर संगठन की बात लाऊँगा तो उस समय हमने वहा पर क्या किया और क्या नही किया आपके नजर में आ जायेगा। 18 तारीख को लौटने के बाद मैंने अपने संगठन के महामंत्रियों की बैठक की, उसमें सभी को हमने हर जगह भेजा है। जिसमें चुफाल जी को पिथौरागढ़ भेजा और मदन जी को हरिद्वार जिला दिया और हमने उस समय हैल्पलाईन खोली थी। (व्यवधान) यह विषय आप लोग लाये है तभी यह बात आ रही है। (व्यवधान) मान्यवर, इस काम के लिए इच्छा शक्ति है ही नहीं। आप लोगो ने वहाँ जाने की हिम्मत नही की है। इस हैल्पलाईन से हमने पूरे देश को जोड़ा और पूरे प्रदेश को जोड़ा तथा अपने केन्द्रीय कार्यालय को भी जोड़ा था। माननीय अजय भट्ट जी ने बोला है कि हमने तत्काल सूचना हर जगह पर पहुँचाई। (व्यवधान) वहां पर लोगो के मोबाईल की बैटरी खत्म हो गयी थी हमने अपने लोगो से कहा कि तुम लोग अपने मोबाईल की बैटरी उनको दो और उन लोगो के परिवार वालो से बात कराओ। इस प्रकार के काम हम लोगो ने वहां पर किये थे। हम अपनी सारी बातें यहां पर कहने लग जायेंगे तो तो घन्टो लग जायेंगे(व्यवधान) उस समय हमने यह कहा कि हम लोगो को हैलीकाप्टर से वहां पर जाने की परमीशन दो हम उन लोगों को अपने आप निकाल लायेंगे, लेकिन इस सरकार ने

उसकी भी परमीशन नहीं दी। वहां पर एक बहिन तो अपनी साड़ी में अपने बच्चे की लाश ला रही थी लेकिन उनको भी लाने नहीं दिया गया। फिर वहां पर क्या हालत हुई वह सभी लोग जानते हैं। हम अपने दल के कार्यकर्ताओं को भी वहां पर लगाये थे, आप लोगों ने भी देखा होगा। (व्यवधान) यदि वहां पर चंदे की बात आयी है तो उसकी भी जांच करायी जाय। यह तो वहां की जनता आने वाले समय में बतायेगी कि किसने क्या किया? (कई माननीय सदस्यगण बैठे-बैठे अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हुआ।)

श्रीमती शैला रानी रावत-

मान्यवर, टी0वी0 पर एडवरटाइज आ रहा है, हमारे अनाथ बच्चों के लिए इतना बड़ा चन्दा इकट्ठा किया जा रहा है, हम क्यों नहीं बोलेंगे, हमारे 80 अनाथ बच्चों के स्वाभिमान की बात है, उनके पीछे करोड़ों रुपये लिये जा रहे हैं।

श्री तीरथ सिंह-

मान्यवर, आपने स्वामी रामदेव जी के बारे में कह दिया। आप ऋतुम्भरा जी के बारे में भी कह दें। (व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"-

श्रीमन्, सभी माननीय सदस्यों को मौका मिला है तो इस सदन की इतनी मर्यादा रहनी चाहिए और आपका आदेश है कि सबको मौका मिलेगा, तो यह आपस में चर्चा करने का समय तो नहीं है, यह कोई सभा मंच तो नहीं है। श्रीमन्, आपके आदेश का इस सदन के अन्दर लगातार उल्लंघन होता है, यह हमको भी अच्छा नहीं लगता है। कोई माननीय सदस्य बोल रहे हैं और उनकी बात किसी को काटनी है तो उनको बोलने का मौका दीजिए तब बोलें और आदेश भी किया है कि सबको मौका मिलेगा। तो मेरा कहना है इसमें सदन का समय खराब होता है और इतने गम्भीर और महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें कहीं की बात कही चली जाती है।

श्री अध्यक्ष-

रावत जी, बोलिए।

श्री तीरथ सिंह-

मान्यवर, सच हर किसी को कड़वा लगता है, मैं वहाँ पर था और मैंने सबको देखा कि क्या कर रहे थे, इन्होंने रामदेव जी के लिए कहा तो मैं ऋतुम्भरा जी कहूँ तो उन्होंने तय किया कितने बालक और बालिकाओं के लिए तय किया कि उसी क्षेत्र में इनके लिए आवासीय विद्यालय खोलूँगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय रावत जी, आप पीठ की ओर देखकर बोलें।

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, आर0एस0एस0 वाले 17 तारीख को चले गये थे। मान्यवर, गाँव–गाँव जाकर परिवारों को चिन्हित करके खाद्यान्न और रसद पहुँचाया। मान्यवर, जब गौरीकुण्ड तबाह हो गया था, मैं गौरी गाँव में गया तो उसी गौरी गाँव के छोटे से क्षेत्र में 7–8 हजार लोगों ने अपना रैन बसेरा वहाँ पर किया और वे किस हालत में वहाँ रहे। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी लगातार फोन पर बात हुई। 17 की रात को मेरी बात हुई, उन्होंने बैठक आहूत किया तो मैंने कहा कि मैं तो यहाँ पर हूँ यहाँ की स्थिति खराब है। मान्यवर, मेरा कहना है कि जिस तरह से आपदा से निपटना चाहिए था, उस तरह से नहीं निपटा गया। यदि फौज और एन0डी0आर0एफ0 के लोग नहीं आते तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वे हमारे भी मुख्यमंत्री है, हम उनसे फोन पर लगातार बात करते रहते हैं। मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली के लिए रवाना हो गये हैं। मान्यवर, यदि व्यवस्थाए सही ढंग से की जाती, तो हजारों लोग बच सकते थे, लेकिन सरकार द्वारा समुचित व्यवस्थाए तुरन्त नही की गयी, जिसके कारण हजारों लोगों को अपनी जान गवांनी पड़ी। कई लोगो को समय पर खाना और पानी नहीं मिला, इस कारण भी जाने गयीं हैं। प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली के कारण ही लोग कोर्ट मे रिट दायर करने की बात कर रहे है, यदि सही समय पर इंतजाम कर लिये गये होते तो यह नौबत ही नहीं आती। मान्यवर, गौरी गांव में हजारों हजार लोग पाँच–छः दिन तक रुके रहे और प्रभावित लोग ही एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आये और इन्हीं लोगों ने गौरी गांव में हैलीपेड भी बनाया। मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग के कैम्प करने वाले भी वही लोग हैं। मान्यवर, इन लोगो ने व्यवस्थाए की हैं। तीन दिन बाद वहा पर आर्मी गयी है और तब आर्मी ने व्यवस्था संभाली है। मान्यवर, यहां के लोगों ने क्या किया, मैंने स्वयं जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर देखा है, एक माननीय मंत्री जी ने जिनको ले जाना चाहिए था, उनको अपने साथ नहीं ले गये, बल्कि अन्य को ले गये। यह कैसी बात है, क्या यह आपदा गुलछर्रे उड़ाने के लिए और मौजमस्ती के लिए है। (घोर व्यवधान)

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, गुलछर्रे शब्द असंसदीय है। इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय। (कई माननीय सदस्यो के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, सच्चाई कड़वी होती है। मान्यवर, यही हाल पूजा–पाठ में भी हुई। पूजा–पाठ हेतु जिस रावल को ले जाना चाहिए था, उन्हें पहले नहीं ले जाया गया। मान्यवर, मेरी बात पूरी आने दें। पूरा समय तो विवादों में लग रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया है उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। पौड़ी के जिलाधिकारी ने अच्छा काम किया है, उन्होंने बहुत बड़ी आपदा को सम्भाला है। माननीय सुभाष कुमार जी, नारायणबगड़, थराली, पिण्डर घाटी में 14–15 किलोमीटर पैदल गये। यह बात वहां के लोग कह रहे थे कि मुख्य सचिव, सुभाष कुमार जी यहां आये थे, यदि वे यहां न आते तो यहां की स्थिति बहुत ही दयनीय होती। इसके लिए सुभाष कुमार जी भी प्रशंसा के पात्र है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, सुभाष कुमार जी भी सरकार के ही आदमी है। (घोर व्यवधान)

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, जो अच्छा कार्य करेगा, उसकी अच्छाईयों की प्रशंसा हम करते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा कहा गया कि सुभाष कुमार जी, इतनी तेजी के साथ चले कि यहां के जनप्रतिनिधि और माननीय मंत्री जी भी उतनी तेजी के साथ नहीं चले हैं। मान्यवर, यह बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यह बात स्थानीय लोगों द्वारा कही गयी है। मान्यवर, यदि कोई मंत्री या कोई अधिकारी अच्छा कार्य करेगा तो हम उसे अच्छा ही कहेंगे और यदि बुरा कार्य करेगा तो हम उसे बुरा ही कहेंगे। लेकिन जो बात वास्तविक हो उसको झुठलाना नहीं चाहिए। अब हमें आगे क्या करना है यह सोचना होगा। मान्यवर, आपदा को आये हुए आज तीन माह व्यतीत हो गये है, हम कह रहे हैं कि आज कहीं भी पगडंडियां और सड़क मार्ग नहीं खुले हैं। मान्यवर, कम से कम खाद्यान्न सुविधा तो उन तक पहुँचे। आज अगस्त्यमुनी में लोग धरना दिये हुए हैं, धारचूला में धरना दिये हुए हैं। मैं तो पूरे उत्तराखण्ड में घूमा हूँ, एक–एक जगह पैदल गया हूँ। माननीय अजय भट्ट जी ने जिन–जिन गाँवों के नाम लिए, उन सभी गाँवों में गया हूँ। यहाँ तक कि धारचूला मे भी गया हूँ। धारचूला में तो आपकी संचार व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि वहाँ पर टेलीफोन सीधे नेपाल तो पकड़ रहा है लेकिन आपका संचार केन्द्र फेल है। मेरे साथ जो लोग वहाँ पर थे उन्होंने बताया कि एक सैकेण्ड के 100 रूपये कटे है, जिस कम्पनी का मोबाईल उनके पास था, उन्होंने उस कम्पनी को सूचित किया तो फिर उन्होने वह पैसे वापिस किये। यानि कि आपकी इंटेलीजेंस भी फेल है। नेपाल की संचार व्यवस्था आपकी संचार व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त किये हुए है। नेपाल में फोन हो रहा है और धारचूला जो उत्तराखण्ड का हिस्सा है, वहाँ पर संचार व्यवस्था ठप है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप कीजिए।

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, मैं तो बहुत संक्षेप करना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने टोक दिया। मैं सोचता हूँ कि वहाँ पर समस्याओं से तत्काल निजात दिलानी चाहिए। रास्ते खुलने चाहिए और रसद पहुंचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी हो पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए और जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग दुःखी है, उनको राहत पहुंचानी चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह आपदा केवल उत्तराखण्ड के लिए नहीं आयी थी, यह आपदा पूरे देश के लिए आयी थी। पूरे देश का यात्री यहाँ पर था। आकड़े किस प्रकार झूठे दिये जा रहे थे, पहले तो डेढ़ सौ से ऊपर आप बढ़ ही नहीं रहे थे। मेरे पास आंकड़े हैं, एक–एक क्षेत्र का, एक–एक जिले का पैदल मार्च करके हम यह आकड़े लाए हैं। इसमें एक–एक रिपोर्ट सही है। मान्यवर, आप भी वहाँ पर गये, धीरे–धीरे करके सरकार 10 हजार तक बढ़ी। नहीं तो डेढ़ सौ–तीन सौ से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे थे। आज भी वहाँ पर कंकाल मिल रहे है। पूजा–पाठ करने के लिए जनता को जाने नहीं दिया। अपना कारनामा दबाने के लिए सरकार द्वारा यह सब किया जा रहा था। मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के लोग इससे प्रभावित हुए हैं। आपने शुरु में कहा 30 जून तक हम सही आंकड़े दे देंगे, जो नहीं मिला उसको लापता, मृतक घोषित कर देंगे। 30 जून तक जब आप नहीं कुछ कर पाए, तो आपने उसे और आगे बढ़ाया, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। शुरू में आपने कहा कि जो मृतक होंगे उनको 3 लाख रूपया देंगे लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद आप मुकर गये, आपने कहा कि अन्य प्रदेश के जो लोग थे, जो यात्री थे, उनको हम नहीं देंगे। केवल अपने यहाँ वालों को 5 लाख देंगे, वह भी जब हम सब लोगों की डिमाण्ड थी। कितना गलत संदेश गया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, एक तरफ तो पैसे के लिए आपने हाय तौबा मचा रखी है। प्रमुख सचिव, शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, यहाँ से न जाने कितनी बार केन्द्र में दौड़ लगाई होगी। इस्टीमेट बनाते–बनाते इनके हाथ थक गये होंगे। ना जाने क्या बनाया होगा, उसका तो भगवान मालिक है। भगवान ही जाने कितना सही होगा और कितना गलत होगा। पैसों का भी आंकड़ा आना शुरू हो गया है। बाद में आपने कहा कि बाहर के लोगों को हम नहीं देंगे, कितना गलत मैसेज गया। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल 10 करोड़ रूपये की घोषणा आपके लिए करता है, 25 करोड़ रूपया बगल में बैठा मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव आपको देता है। शिवराज सिंह चौहान जी ने 5 करोड़ रूपया दिया। इतना ही नहीं मोदी जी ने कहा, तीरथ यहाँ के सारे लोगों को तो हम ले जा लेंगे, उनकी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई और उन्होंने कहा कि केदारनाथ का पुनर्निर्माण मैं कराऊँगा, वह पूरी तरह हमको दे दीजिए। आपने कहा कि हम हैलीकाप्टर उतरने नहीं देंगे, क्योंकि कहीं मोदी जी श्रेय न ले जाएं।

अरे मोदी जी तो पीडितों के बीच जाना चाहते थे, उसके बाद भी वे पीडितो के बीच बाई रोड गये। उन्होंने 3 दिन यहाँ रह कर सारा सर्वे किया। अगले दिन जब राहुल जी आए तो उनके लिए आपने कैसे परमीशन दे दी? उनके लिए आपने गोचर में आई0टी0बी0पी0 का बंगला खाली करा कर, उनका सारा सामान बाहर निकाल कर व्यवस्था कर दी और उन्होंने जहाँ उतरना चाहा, उनको वहाँ उतारा। मोदी जी से ऐसा कौन सा खतरा था। वे तो पीडितों की सहायता के लिए आए थे, उत्तराखण्ड में। उन्होंने मेरे से कहा, तीरथ, पूरे देश के यात्री तो निकल जाएंगे, जो रह जाएंगे उनको भी निकाल दूंगा लेकिन सैकेण्ड चुनौती तुम्हारे लिए बहुत दुःखदाई है।

माननीय अध्यक्ष जी, इसको सुन लीजिए, अगला आदमी तो पीडितों की मदद की बात कर रहा है, उन्होंने कहा कि सैकेण्ड चुनौती यह होगी कि गौरी गाँव जहाँ के लोगो ने यात्रियों के लिए अपना जो पूरा चना, कुरकुरा और चावल था, वह जुटा दिया। लेकिन अब उनकी व्यवस्था क्या होगी, सोचना इस बात का है। जो लोग बेघर हो गये, पाच करोड–दस करोड का आदमी भी सामान्य व्यक्ति की तरह जमीन पर आ गया, उनका क्या होगा। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न की चिन्ता मत करो, इसकी व्यवस्था तो मैं करूंगा ही और उनका बडप्पन देखिये कि उन्होंने राहत राशि पार्टी फड में नहीं दी, बल्कि सीधे सरकार को दिया। 22 बोगियां ट्रेन की साढ़े बारह करोड रूपये का राशन और 45 आईटम उस किट के अन्दर थे, उनके लिये झपटा–झपटी हुई, मैं उस दिन धारचूला में था, मैंने वहां भी पूछा कि यह किट यहा पहुंची कि नहीं। उन्होंने बताया कि कैम्प में तो है, लेकिन पीडितों तक नहीं पहुंचा है। हमने आपसे कहा था कि मजदूरों की ध्याडी को बढा दो, स्थानीय आधार पर उन्हें कीमत दो, वे अपने आप लेकर जायेंगे, आपने वह भी नहीं किया। हमने कहा कि घोडे–खच्चरो के रास्ते खोल दो, आपने वह भी नहीं किया। आर0एस0एस0 और स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगो ने अपने कन्धे पर बोझ को रखकर पीडितो तक पहुंचाया। हमने यह भी कहा कि जो लोग बेघर हो गये हैं और उनके बच्चे बी0टैक0 या एम0टैक0 जो भी कर रहे हैं, उनकी पढाई रूकनी नहीं चाहिए, वह बरकरार रहे। अभी कल ही मेरे पास सिल्ली, अगस्त्यमुनि के दो बच्चे आये थे, आप उनको चिन्हित ही नहीं कर पाये, वह लोग भागादौडी कर रहे है। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इनकी चिन्ता हम करेंगे और इसके लिए व्यवस्था करेंगे। हम लोग तो ऐसे लोगो को चिन्हित करके उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, हमारी पार्टी ने केन्द्र से हमें पांच–पाच लाख रूपया दिया, इसी प्रकार से जो सेना के जवान रेस्क्यू में शहीद हुये, जिसमें उत्तराखण्ड के भी तीन लोग थे, उनको भी सहायता प्रदान की। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम एक भी पैसा बाहर के लोगों को नहीं देंगे यह गलत है। आपने कहा कि उनका प्रदेश देगा, आपने तो पांच लाख दिया, उत्तर प्रदेश 10 लाख रूपये दे रहा है। माननीय वसुंधरा राजे जी, जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने कहा कि तीरथ,

मैं तो झोली लेकर जयपुर की बाजार पर निकली और तीन करोड़ रूपये जमाकर के भेजे, मैंने किसी बिल्डर से या उद्योगपति से पैसे नहीं लिये। आम लोगों से कहा कि वहां पर आपदा आई है, हमारे लोग भी फंसे थे, मदद करें, ऐसे समय में जब सब लोग आपके साथ खड़े हुये और आज आप कहते है कि हम उनको कुछ नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, ऐसा करके इस सरकार ने इस प्रदेश को कलांकित कर दिया, आज भी हालत जस की तस है, लेकिन आप लोग जश्न मना रहे है। कल एक मंत्री के यहां पर गोलियां चली हैं, यह क्या है, मैंने तो कहा था कि इसे भी उठाना चाहिये, लेकिन यह विषय पहले आ गया। आप क्या संदेश दे रहे है, जनता आपसे उम्मीद रखती है कि आप उनकी सुरक्षा करेंगे, आप हमारे हितों की रक्षा करेंगे। आपने उसको दरकिनार करते हुए जश्न मनाया और गोलियां चलाई। आप गोलियां की बौछार कर रहे है,[X X X] मना रहे हैं।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य असंसदीय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, उस भोज मे हमारी महिला सदस्य भी शामिल थीं, यह ऐसा कहकर उनका अपमान कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री तीरथ सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, स्वयं इस घटना में बाल–बाल बचे। लेकिन हम इस प्रदेश को और कलंकित नहीं होने देंगे और कलंकित होने से बचायेंगे। आपदा की घड़ी मे लोगो के साथ खड़े होंगे न कि आपकी तरह से गुलछर्रे उड़ायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री तीरथ सिंह रावत जी द्वारा कहे गये शब्द [X X X] को कार्यवाही से हटा दिया जाय।

नोट–[X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राज कुमार ठुकराल–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने आपको नेता प्रतिपक्ष माननीय अजय भट्ट जी एवं माननीय तीरथ सिंह रावत जी से सम्बद्ध करता हूँ। दैवीय आपदा में सरकार ने जो कुछ भी किया, वो पूरा जनसामान्य जानता है। सरकार बिल्कुल फेल्योर हुई, लेकिन जो दुर्घटना हुई उसमें सरकार अपने सबोर्डिनेट की रक्षा नहीं कर पाई। एक रूद्रपुर का बच्चा जो अल्मोड़ा में तैनात था, जो 15 दिन से वहाँ पर ड्यूटी कर रहा था, उसको एक सरकार के अधिकारी ने यह कहा कि आप दोबारा वहां पर जाईये। उसने कहा कि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है। उसने मेडिकल लगाया तो उस अधिकारी ने उससे कहा कि तेरा निलम्बन का आदेश मेरी टेबिल पर रखा हुआ है। मजबूरी में वो आदमी गया और उसकी डेथ हो गई। मैं सदन से मांग करता हूँ कि ऐसे अधिकारी के विरूद्ध कड़ा स्टेप उठाया जाय और जिस अधिकारी की मृत्यु हो गयी, जिसका शव अभी तक नहीं मिला, उसको शहीद की संज्ञा दी जाये। मान्यवर, दैवीय आपदा के चलते हमारा क्षेत्र पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि वो नेशनल हाईवे के अन्तर्गत आता है, लेकिन जिम्मेदारी बनती है सरकार की भी कि वो उच्चाधिकारियों को इस बात को बताएं क्योंकि कुमाऊँ मण्डल के सभी विधायक उसी मार्ग से यहां पर आते हैं जो मार्ग पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। तीसरी बात इस सरकार ने दोहरा मापदण्ड अपनाया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी आते हैं और मोदी जी कहते हैं कि पूरे केदारनाथ को हम लोग डेवलप करेंगे, वो मदद करना चाहते हैं, वो राजनीति करने के लिए नहीं आये थे। उनको हवाई मार्ग से यहां नहीं उतरने दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ अपने युवराज को वी0वी0आई0पी0 ट्रीटमेंट दिया गया। सारे नियमों को दरकिनार करते हुए दोहरी मानसिकता का परिचय दिया सरकार ने, ये बहुत गलत बात है, मैं इसकी निन्दा करता हूँ और ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं चाहता हूँ कि इसकी व्यापक जांच करायी जाय।

*श्री गोपलाल आर्य–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का सुअवसर दिया, मैं आपका ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूँ। देश और दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी, जो जून में उत्तराखण्ड राज्य के अंदर हुई और आज उस त्रासदी को हुए तीन महीना होने जा रहा है, लेकिन श्रीमन्, उत्तराखण्ड के लोकतंत्र में यह कृत्य, कितनी बड़ी त्रासदी होने के बावजूद और तीन महीने बाद यह सदन आहूत किया जाता है। तो कहीं न कहीं पूरे देश और दुनिया के अंदर उत्तराखण्ड की इस व्यवस्था का बहुत बुरा संदेश जा रहा है। श्रीमन्, यह तो वही कहावत परिलक्षित करता है हमारा उत्तराखण्ड का यह सदन, कि "निकल पड़े सड़क पर खुला सीना ताने, जाना कहाँ है, मंजिल कहाँ है, ऊपर वाला जाने।" श्रीमन्, यह उचित परिलक्षित होती है उत्तराखण्ड के हम जनप्रतिनिधियों पर। श्रीमन्, जहां उत्तराखण्ड राज्य भयावह त्रासदी से त्रस्त है। कई तरह से उतार–चढ़ाव इस त्रासदी में उत्तराखण्ड

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

और देश–दुनिया की प्रभावित जनता ने देखा। हमारी सरकारों के और जैसे जनप्रतिनिधियों के कारनामे देखे, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के कारनामे देखे और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ मैं 15 जून को अपने क्षेत्र भ्रमण पर निकला और दुर्भाग्यवश उत्तराखण्ड में देश और दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी 17 जून से शुरू हुई और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस त्रासदी के दौरान मैं अपनी महान जनता के दुख–दर्द मे शामिल हुआ। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस सदन के माध्यम से अपने तहसील के उपजिलाधिकारी श्री जगदीश लाल जी को कि 16 तारीख तो 02 बजे रात को मैं घनसाली वन विभाग के गेस्ट हाउस मे था। हमारे एस0डी0एम0 और मै स्वयं, इस त्रासदी में घनसाली बाजार और घुत्तु बाजार, बूढ़ा केदार बाजार में बाल गंगा ने और भिलंगना नदी ने जो प्रलय किया, 2.00 बजे रात हमारे उपजिलाधिकारी बहुत निर्भीकता के साथ जनता के बीच गये, प्रभावितो के बीच गये। हमने पूरा घनसाली बाजार, घुत्तु बाजार और चमियाला बाजार खाली कराया। श्रीमन्, इतनी बड़ी त्रासदी होने के बावजूद जनपद टिहरी गढ़वाल में घनसाली, जो सीमान्त और विश्व प्रसिद्ध टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित विधान सभा क्षेत्र, जहाँ चीन और तिब्बत सीमा से लगे हुए गंगे गिवाली क्षेत्र जहाँ हम देश और दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि उत्तराखण्ड साईनिंग हो गया। वो पिनसाड गाँव, जो इस त्रासदी से 18 किलोमीटर बूढ़ा केदार तबाह हो गया और 18 तारीख को 2.00 बजे रात मैं उस गाँव मे गया तब से लगातार हमने टिहरी जिले के जिलाधिकारी से इस बात को कहा, लेकिन वह जिलाधिकारी इस सरकार का तोता है, उसने जहमत नहीं उठाई। जहाँ बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, कोई आला अधिकारी उस पिनसाड गाँव में नही गया। श्रीमन्, मै बता देना चाहता हूँ इस सदन के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ घनसाली की महान जनता का, कि घनसाली चारधाम यात्रा का केन्द्र बिन्दु है और देश–विदेश से आये तीर्थ यात्री घनसाली से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, जब केदारनाथ में इस तरह की घटना हुई और वहां के जो बचे–खुचे लोग थे हमारे देश विदेशो के तीर्थ यात्री थे वे घनसाली में आये और घनसाली की महान जनता ने देश और विदेश की प्रभावित जनता का साथ दिया।

मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमको जनता को निराश करने का अधिकार नही दिया है। अगर हमको जनता ने अधिकार दिया है चाहे वह प्रदेश का अधिकारी हो, चाहे वह प्रदेश का नेता हो, अगर हमको अधिकार मिला है तो वह केवल जनसेवा का अधिकार मिला है। हमको यह अधिकार नहीं मिला है कि हम क्षेत्र भ्रमण मे जायें और प्रभावित हमसे अपना दुखड़ा रोयें और उसके बाद हम उनकी कोई सहायता न करे, यह अधिकार हमको जनता ने नहीं दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते है कि विगत कई वर्षों से मेरी विधान सभा क्षेत्र दैवीय आपदा से प्रभावित है और हजारो हजार कृषि भूमि, सिंचित और असिंचित भूमि, तमाम मोटर मार्ग, पैदल मार्ग और पुल और बाल गंगा भिलंगना नदी के किनारे बसे हुए टिहरी गढ़वाल का हृदय जिसे कहा जाता है कृषि के क्षेत्र मे, वह तबाह हो गया। यही नहीं श्रीमन्, जब हमने इसकी जाँच की बात

की तो जिलाधिकारी का कहना होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना होता है कि अभी घनसाली में कुछ नहीं हुआ, इसकी मैं सदन के माध्यम से घोर निन्दा करना चाहूँगा। आप क्या चाहते थे कि उत्तराखण्ड में दूसरी त्रासदी हो जाये। आप क्या चाहते हो घनसाली भी तबाह और बरबाद हो जाये। मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से उस परमात्मा से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हे परमात्मा, तूने जो कुछ किया उत्तराखण्ड में दोबारा ऐसा न हो, मैं यह प्रार्थना करता हूँ। श्रीमन्, इस सरकार ने जब केदारनाथ में पूजा का श्रीगणेश किया तो प्रदेश का मुखिया प्रदेश के मुख्यमंत्री उसमें सम्मिलित नहीं हो पाये तमाम संसाधनों के बावजूद भी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय निशंक जी उस पूजा में सम्मिलित होने के लिए रात 2.00 बजे वहाँ पहुँचे इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि 29 गाँव इस त्रासदी से भूस्खलित हुए है। मेरी विधान सभा क्षेत्र के 18 किलोमीटर पैदल पिनसाड गाँव, खरास गाँव, केंवर, बदरियापुजा, जंदोली, बजींडा, और सात गाँव प्रभावित हैं टिहरी बांध परियोजना से और जो टिहरी बांध की झील बन रही है जब उससे दैवीय आपदा से भारी जल प्रवाह होता है तो उससे भी ये तमाम सात गांव प्रभावित हुए है। यही नहीं श्रीमन्, टिहरी बांध परियोजना से मेरी विधान सभा क्षेत्र का मुख्य मोटर मार्ग गढ़ो टिहरी गढ़ोलिया, घनसाली है मान्यवर, दैवीय आपदा से पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाने के बावजूद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गौंजियाडा गांव की आज भी क्या स्थिति है आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। दैवीय आपदा से इस समय जो भी मोटरमार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं वह मोटरमार्ग पहले टिहरी बांध निर्माण से खनन होने के बाद वह गांव तबाह हो गया है। उसके बाद भी यह सरकार दुबारा टिहरी बाँध निर्माण परियोजना के लिए खनन करने की अनुमति दे रही है। श्रीमन्, वहां की महान जनता ने आखिर में इस सरकार का क्या बिगाड़ा है? इतना अन्याय मेरी जनता के साथ और दुबारा खनन भी इस टिहरी बांध के लिए करा रही है। जबकि मेरा यह विधान सभा क्षेत्र पूर्ण रूप से टिहरी बांध और दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त हो चुका है। मान्यवर, घनसाली के लिए जो हमारी रोड है वह भी दैवीय आपदा से प्रभावित है। हमारी जनता ने मांग की है, मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि टिहरी बांध के ऊपर से हमारी जनता को आने–जाने की सुविधा दी जाय। आखिर में हमारी टिहरी की महान जनता ने इस सरकार का क्या बुरा किया है? विश्व प्रसिद्ध टिहरी बांध निर्माण में टिहरी की जनता ने अपना योगदान दिया। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस सदन के माध्यम से और यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीच में दैवीय आपदा के नाम पर पक्ष के विधायकों की एक बैठक बुलाई थी। श्रीमन्, हमारा संरक्षण कौन करेगा? प्रभावितों का संरक्षण कौन करेगा? हालांकि उस बैठक में कोई भी निर्णय हो, मुझे उस बात से कुछ भी नहीं लेना है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या दैवीय आपदा केवल सत्ता पक्ष पर ही आयी है, क्या दैवीय आपदा सत्तापक्ष पर परिलक्षित होती है? मान्यवर, दैवीय आपदा की इस

घड़ी में केवल यह उद्देश्य होना चाहिए चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो, इसमें आपदा से प्रभावित लोगों को लाभ मिलना चाहिए। मान्यवर, उस बैठक में सभी माननीय विधायकों को बुलाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया इसलिए मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। मैं यह भी मांग करना चाहता हूँ इस सदन के माध्यम से, कि देश व दुनिया के तमाम विशेषज्ञ लोग यह कर रहे हैं कि चार धाम को जाने वाले मोटरमार्ग, नदियों के किनारे से होकर जा रहे है, इसलिए यह मोटरमार्ग सुरक्षित नहीं हो सकते है। अतः बद्रीनाथ को जोड़ने वाला त्रिजुगीनारायण मोटरमार्ग का निर्माण यथाशीघ्र किया जाय, इससे सुरक्षित तथा संरक्षित मोटरमार्ग और कोई नहीं हो सकता है। मान्यवर, उत्तराखण्ड के तमाम मोटरमार्ग नदियों के किनारे से जा रहे हैं। सरकार मेरी विधान सभा क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय कर रही है और इस अन्याय के खिलाफ मेरा कल विधान सभा के सामने धरना-प्रदर्शन का कार्यक्रम है। मान्यवर, यदि इस सदन के अन्दर मुझे न्याय नहीं मिला तो आखिर हम जायें तो कहां जायें? प्रदेश की जनता तथा मेरी विधान सभा क्षेत्र की जनता ने मुझे इस सदन के अन्दर भेजा है कि उनका विकास हो। मैं इस विधायक निधि से ठेकेदार नहीं बनना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र की महान जनता के साथ न्याय नही किया तो उस महान जनता की रक्षा के लिए और हितो के लिए मै किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अंत मे मैं अपनी बातो को विराम देते हुए कहना चाहता हूँ कि इस दैवीय आपदा मे जो लोग हताहत हुए हैं, उनकी आत्मा की शान्ति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी के शिष्टमण्डल ने सायं 6.00 बजे महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने का समय लिया है। इसलिए इस पर चर्चा कल रख ली जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

अब हम कल सुबह 11 बजे तक के लिए उठते हैं।

(सदन की कार्यवाही 5 बजकर 44 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून
दिनांक- 18 सितम्बर, 2013,

जगदीश चन्द्र,
अपर सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड,

नत्थी "क"

(देखिए तारांकित प्र०सं०-9 का उत्तर पृष्ठ सं०-06 पर)

अनुपूरक सामग्री

जिला योजना वर्ष 2012-13 में जनपदवार स्वीकृति एवं व्यय विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	जनपद	विकास खण्ड संख्या	2012-13 परिव्यय	2012-13 स्वीकृति	2012-13 व्यय	परिव्यय के सापेक्ष स्वीकृति का प्रतिशत	स्वीकृति के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत
			31 मार्च, 2013 तक				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उत्तरकाशी	6	5742.00	3247.79	2992.14	56.56	92.13
2.	चमोली	9	5571.00	3086.86	2604.82	55.41	84.39
3.	टिहरी	9	7141.00	4075.80	3263.58	57.07	80.08
4.	देहरादून	6	7461.00	4557.26	3675.12	61.08	80.64
5.	पौड़ी	15	9000.00	5138.85	4722.31	57.10	91.89
6.	रूद्रप्रयाग	3	4362.00	2294.47	2165.81	52.60	94.40
7.	हरिद्वार	6	5052.00	3028.03	2955.26	59.94	97.60
8.	अल्मोड़ा	11	5607.00	3247.16	2839.52	57.91	87.45
9.	बागेश्वर	3	4473.00	2532.81	2024.80	56.62	79.94
10.	नैनीताल	8	5265.00	3412.87	2757.48	64.82	80.79
11.	ऊधमसिंहनगर	7	5565.00	3583.08	3003.47	64.39	83.82
12.	पिथौरागढ़	8	5384.00	3239.86	2886.83	60.18	89.09
13.	चम्पावत	4	4377.00	2261.83	1987.05	51.67	87.86
	योग	95	75000.00	43706.06	37878.19	58.28	86.66

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्र0सं0–16 का उत्तर पृ0सं0–19 पर)

संलग्नक (प्रश्न संख्या 16) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत सेवादाता संस्था के माध्यम से तैनात किये गये कार्मिकों की जनपदवार स्थिति

जनपद का नाम	सेवादाता एजेन्सी का नाम	कर्मचारियों की संख्या						
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अल्मोड़ा	मै0 रोक एनेश्यार एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज प्रा0 लि0 नई दिल्ली	–	–	76	76	76	76	
बागेश्वर	मै0 ट्रिपल ए मैनेजमेन्ट सर्विसेज हल्द्वानी।	–	–	20	20 (30.11.2009 तक)			
चमोली	मै0 उत्तरांचल ग्राम्य विकास समिति, देहरादून।	–	199	199	199	199 30.11.2010 तक)		
चम्पावत	मै0 उत्तराखण्ड इंजीनियर्स को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, देहरादून	–	–	102	–	49	49	49
	मै0 ट्रिपल ए मैनेजमेन्ट लोहाघाट	–	–	–	87	–	–	–
देहरादून	मै0 पछुवादून श्रम संविदा	–	06	–	–	–	–	–
	मै0 हितैषी श्रम संविदा	–	06	–	–	–	–	–
हरिद्वार	मै0 देवभूमि सहकारी श्रम संविदा समिति लि0, सालावाला, देहरादून।	–	29	50	25 (31.12.2009 तक)	–	–	–
नैनीताल	मै0 ट्रिपल ए मैनेजमेन्ट, हल्द्वानी	–	–	33	26	24	–	–
पौड़ी	मै0 देवऋषि एजुकेशन सोसाइटी, देहरादून।	–	–	134	170	169	157	–
पिथौरागढ़	मै0 क्रिएटिव सर्विसेज, पिथौरागढ़	–	–	56	84	120	120	120 (31.12.12 तक)

रुद्रप्रयाग	मै0 उत्थान ग्राम समिति, देहरादून।	—	—	45	45	45	45	
टिहरी	मै0 देवभूमि एजुकेशनल सोसाइटी, देहरादून	—	320	320	320	320	320	320 (30.06.2012 तक)
ऊधमसिंह नगर	मै0 रिपल ए मैनेजमेंट, हल्द्वानी	—	—	45 (3.1.2009 से)	45 (29.1.2010 तक)	—	—	—
	मै0 जैड सिक्योरिटी सर्विसेज, देहरादून।	—	—	12 (5.11.2008 से)	12 (4.11.2009 तक)	—	—	—
उत्तरकाशी	मै0 जैड सिक्योरिटी सर्विसेज प्रकाश विहार, नाईंवाला रोड, अजबपुर, देहरादून।	—	—	27 (माह जुलाई 2008 से)	93	85	83 (माह अगस्त 2011 तक)	
कुल योग (उत्तराखण्ड)			500	1119	1202	1087	850	489
					5307			

वित्तीय वर्ष 2007 से अब तक पी0एम0जी0एस0वाई0 में रखे गये श्रमिकों/कर्मचारियों का विवरण

कार्यालय का नाम	जिला	श्रमिकों/कर्मचारियों की सं0	कम्पनी/ठेकेदार
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, पोखरी	चमोली	02	श्री रमाशंकर रावत
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, कर्णप्रयाग	चमोली	03	युवा कल्याण प्रान्तीय रक्षा दल
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा (ज्योलीकोट वृत्त)	अल्मोड़ा	01	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम
मुख्य अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 कार्यालय	देहरादून	11	मै0 इन्फोटैक कन्सलटेन्ट

वित्तीय वर्ष 2007 से अब तक ग्राम्य विकास विभाग द्वारा रखे गये श्रमिकों/कर्मचारियों का विवरण

विभाग का नाम	जनपद का नाम	पदों की संख्या	कम्पनी/ठेकेदार
ग्राम्य विकास विभाग	उत्तरकाशी	03 वाहन चालक	उपसूल
	चम्पावत	02 (वाहन चालक)	–तदैव–
	चमोली	02 (वाहन चालक)	–तदैव–
	टिहरी	01 (वाहन चालक)	–तदैव–
	देहरादून	01 (चौकीदार)	–तदैव–
	हरिद्वार	02 (चौकीदार)	–तदैव–
	बागेश्वर	01 (चौकीदार)	–तदैव–
	पौड़ी	01 (वाहन चालक)	–तदैव–

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0–37 का उत्तर पृष्ठ सं0–31 पर)

मोटर मार्गों की सूची

क्र0 सं0	मोटर मार्ग का नाम	लम्बाई	अभियुक्ति
1.	कपकोट–शामा–तेजम मोटर मार्ग के किमी0 53 से 58 तक	5.00	पक्के स्तर–(स्टेज–II) तक का कार्य पूर्ण
2.	कपकोट–शामा–तेजम मोटर मार्ग के किमी0 59 से 62	4.00	पक्के स्तर–(स्टेज–II) तक का कार्य पूर्ण
3.	कपकोट–पिण्डारी–ग्लेशियर मोटर मार्ग के किमी0 12.75 से 14.75	2.00	पक्के स्तर–(स्टेज–II) तक का कार्य पूर्ण
4.	बागेश्वर–दोफाड़–धरमघर–कैदारनाथ मोटर मार्ग किमी0 32 से 39	8.00	पक्के स्तर–(स्टेज–II) तक का कार्य पूर्ण
5.	खरलेख–मनार मोटर मार्ग किमी0 0 से 08	8.00	पक्के स्तर–(स्टेज–II) तक का कार्य पूर्ण
6.	गीरागाड़–गोगिंग मोटर मार्ग किमी0 0 से 07	7.00	पक्के स्तर–(स्टेज–II) तक का कार्य पूर्ण
7.	खरलेख–मनार मोटर मार्ग किमी0 8से 15	6.71	पक्के स्तर–(स्टेज–II) तक का कार्य पूर्ण
8.	कपकोट–कर्मी मोटर मार्ग किमी0	5.00	पक्के स्तर–(स्टेज–II) तक का कार्य पूर्ण
9.	एरसिला से नानकन्यालीगांव मो0मा0 का निर्माण	10.00	पक्के स्तर–(स्टेज–II) का कार्य प्रगति पर
10	बागेश्वर कपकोट तेजम मार्ग किमी0 29 से फरसाली पाल्ली मोटर मार्ग	5.78	पक्के स्तर–(स्टेज–II) का कार्य प्रगति पर।
11.	नालीगाड़–पन्द्रपाली से पुरकोट मोटर मार्ग।	5.50	पक्के स्तर–(स्टेज–II) का कार्य प्रगति पर।
12	मुनार बैण्ड (गड़तुगा) से सूपी मोटर मार्ग	7.40	पक्के स्तर–(स्टेज–II) के कार्य हेतु निविदा आमन्त्रित।
13	रिखाड़ी –बाछम मोटर मार्ग पार्ट–1	15.35	पक्के स्तर–(स्टेज–II) हेतु निविदा आमन्त्रित।
14.	रिखाड़ी –बाछम मोटर मार्ग पार्ट–2	14.85	पक्के स्तर–(स्टेज–II) हेतु निविदा आमन्त्रित।
15	रिखाड़ी –बाछम मोटर मार्ग पार्ट–3	13.55	पक्के स्तर–(स्टेज–II) हेतु निविदा आमन्त्रित।
16	रिखाड़ी –बाछम मोटर मार्ग पार्ट–4	10.77	पक्के स्तर–(स्टेज–II) हेतु निविदा आमन्त्रित।
17.	पन्द्रपाली से एरनाड़ मोटर मार्ग।	7.67	पक्के स्तर–(स्टेज–II) हेतु निविदा आमन्त्रित।
18	एरसिला से पुरकुनी मोटर मार्ग	19.19	पक्के स्तर–(स्टेज–II) हेतु डी0पी0आर0 गठित
19	शामा लीती गोगिना मार्ग गोगिना तक का विस्तार	14.82	पक्के स्तर–(स्टेज–II) डी0पी0आर0 गठित।
20	कन्यालीकोट से जगनाथ मोटर मार्ग	9.88	पक्के स्तर–(स्टेज–II) हेतु डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।

21	शामा नौकुड़ी मोटर मार्ग	16.27	पक्के स्तर–(स्टेज–II) हेतु डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।
22	धरमघर माजखेत मोटर मार्ग का निर्माण	15.80	पक्के स्तर–(स्टेज–II) हेतु डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
23	बागेश्वर–कपकोट–मोटर मार्ग किमी0 18 से लीती तक का मोटर मार्ग	11.97	पक्के स्तर–(स्टेज–II) हेतु डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
24	रीमा–पद्योला–जारती मोटर मार्ग	16.14	(स्टेज–1) का कार्य निर्माणाधीन।
25	गनार–जाखी–नाकोटितालगढ़ मोटर मार्ग	7.19	(स्टेज–1) का कार्य निर्माणाधीन।
26	कालीमाटी–दौफाड़ मोटर मार्ग से भौरा–गौरु मोटर मार्ग।	7.35	(स्टेज–1) का कार्य निर्माणाधीन।
27	कपकोट–कर्मी मार्ग किमी0–12 से तोली मोटर मार्ग	8.18	(स्टेज–1) के कार्य हेतु निविदा आमंत्रित।
28	कपकोट–कर्मी मार्ग किमी0 12 से तोली मार्ग के किमी0 2 से नगाड़ मोटर मार्ग	9.35	
29	फरसाली–गाल्ली से खर्क–कानातोली मोटर मार्ग	11.61	
30	बागेश्वर–दोफाड़–कोटमन्या किमी0 70 से माहरूड़ी (लमजींगरा) मोटर मार्ग	5.30	
31	बदियाकोट से सोराग मोटर मार्ग	15.00	आगामी फेजों हेतु प्रस्तावित मोटर मार्ग
32	कपकोट पिंडारी–ग्लेशियर मोटर मार्ग किमी0 4 से नरेथ मोटर रोड।	5.00	
33	कपकोट पिंडारी–ग्लेशियर मोटर मार्ग किमी0 7 से लाहुर मोटर रोड।	28.92	
34	बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग किमी0 52 से मारी पनगाली मोटर मार्ग	8.00	
35	बाछम से ख्याती	6.00	
36	लाहुर से झूनी	4.00	

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0–60 का उत्तर पृष्ठ सं0–40 पर)

मोटर मार्गों की सूची

क्र0 सं0	मोटर मार्ग का नाम	लम्बाई	अभियुक्ति
1.	कफलीगैर–खोलसीर मोटर मार्ग	7.82	डामरीकरण हो चुका है।
2.	आरातोली–मजूला मोटर मार्ग	3.00	डामरीकरण हो चुका है।
3.	कठपुड़ियाछीना से असों मोटर मार्ग	2.00	डामरीकरण हो चुका है।
4.	कन्धार–सौलियाना मोटर मार्ग	7.00	डामरीकरण हो चुका है।
5.	कफलीगैर–खोलसीर मोटर मार्ग का नौगांव तक विस्तार	6.66	डामरीकरण (स्टेज–2) में स्वीकृत।
6.	मण्डरी–पालती से लखनी मोटर मार्ग	14.00	डामरीकरण (स्टेज–2) में स्वीकृत।
7.	कौसानी–मनोलिया मोटर मार्ग	13.66	डामरीकरण (स्टेज–2) में स्वीकृत।
8.	रिमार–गरुवारी मोटर मार्ग	4.62	डामरीकरण (स्टेज–2) में स्वीकृत।
9.	कन्धार–सौलियाना मोटर मार्ग का नलकोट तक विस्तार	7.79	डामरीकरण (स्टेज–2) में स्वीकृत।
10	आरातोली–मजूला से परसों मोटर मार्ग	1.86	डामरीकरण (स्टेज–2) में स्वीकृत।
11	बखेड़ा–सानकमल से लमगूना मोटर मार्ग	6.82	डामरीकरण (स्टेज–2) में स्वीकृत।
12	बागेश्वर–गिरेछीना से जौलकाण्डे मोटर मार्ग	7.19	डामरीकरण (स्टेज–2) में स्वीकृत।
13	रागोली–सैलानी मोटर मार्ग के किमी0 19 से गनीगांव मोटर मार्ग	5.22	डामरीकरण (स्टेज–2) में स्वीकृत।
14.	अल्मोड़ा–ग्वालदम मोटर मार्ग के किमी0 82 से एठीज गुजखान मोटर मार्ग	5.64	डामरीकरण (स्टेज–2) में स्वीकृत।
15	कन्धार–सौलियाना मोटर मार्ग के किमी0 1 रिमखेत मोटर मार्ग	3.31	डामरीकरण (स्टेज–2) में स्वीकृत।
16	कन्धार–सौलियाना मोटर मार्ग के किमी0 6 ल्वांगियास्टेट मोटर मार्ग	4.62	डामरीकरण (स्टेज–2) में का कार्य प्रस्तावित है।
17.	बैजनाथ–बागेश्वर से तिलसारी मोटर मार्ग।	10.33	कच्चे स्तर का कार्य प्रगति पर। कच्चे स्तर का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त दो वर्षाकाल के पश्चात् डामरीकरण का कार्य किया जायेगा।
18	तिजौना–पगना मोटर मार्ग	6.63	
19	पिण्डारीझाल से ओखलसों मोटर मार्ग	8.305	स्टेज–1 के कार्य हेतु फेज–11 बैच–2 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित।
20	सौलियाना से लोहागढ़ी मोटर मार्ग	10.6	वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त स्टेज–1 के कार्य हेतु डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही गतिमान।
21	रिमगढ़ी से किमगढ़ी तक विस्तार	2.256	स्टेज–1 के कार्य हेतु फेज–11 बैच–2 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित।
22	रिमखेत से भैगनी स्टेट मोटर मार्ग	7.00	वन भूमि का प्रस्ताव नोडल अधिकारी को प्रेषित, स्टेज–1 के कार्य हेतु डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही गतिमान।

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0–77 का उत्तर पृष्ठ सं0–48 पर)

विगत 3 वर्षों मे मनरेगा अन्तर्गत ग्राम पंचायतो को अवमुक्त की गई धनराशि विवरण—जनपद बागेश्वर

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	2010–11 में अवमुक्त धनराशि	2011–12 में अवमुक्त धनराशि	2012–13 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	बागेश्वर	बौरा	2.776	0.650	0.500
2.	बागेश्वर	स्योलिया गाँव	3.550	4.250	6.990
3.	बागेश्वर	छातीखेत	2.640	1.750	3.200
4.	बागेश्वर	पलागन	3.200	4.200	8.100
5.	बागेश्वर	नौगांव	3.470	3.690	5.500
6.	बागेश्वर	कुन्दिल	3.360	1.800	5.290
7.	बागेश्वर	जुनायल	1.305	1.600	0600
8.	बागेश्वर	गढेरा	1.350	0.250	0.900
9.	बागेश्वर	उन्तोला	3.398	2.300	5.180
10	बागेश्वर	पल्सी	3.700	3.690	5.580
11.	बागेश्वर	गर्पों	4.555	5.195	6.080
12	बागेश्वर	डाबाकोट	3.120	3.100	4.890
13	बागेश्वर	भीलाडेयार	2.850	3.895	4.890
14.	बागेश्वर	पलाई	4.330	5.200	7.010
15	बागेश्वर	नाचनगाड़	0.400	1.000	0.990
16	बागेश्वर	भैंसूर्याबगड़	1.768	2.550	0.990
17.	बागेश्वर	ग्वाड़गीलकोट	1.550	4.140	3.000
18	बागेश्वर	नुमानुना	3.460	3.345	2.650
19	बागेश्वर	बिलखातातिवारी	0.300	0.200	1.600
20	बागेश्वर	सोपा	3.746	7.304	11.700
21	बागेश्वर	गौठाना	6.560	0.300	2.500
22	बागेश्वर	सुनौली	1.200	2.350	0.990
23	बागेश्वर	मलौरा	1.030	1.100	0.990
24	बागेश्वर	भारी I	6.155	3.500	6.100
25	बागेश्वर	जिनौली	3.082	0.900	1.600
26	बागेश्वर	नदैराली	0.650	1.500	0.500
27	बागेश्वर	गामी	1.100	0.730	1.600
28	बागेश्वर	साता	1.250	1.400	0.600

1	2	3	4	5	6
29	नागेश्वर	उमसरकोट	1.030	2.870	1.350
30	नागेश्वर	गूनाकांट	1.030	0.800	0650
31	नागेश्वर	नैल	5.510	3.780	3.890
32	नागेश्वर	जौलकाण्डे	1.050	1.240	1.600
33	नागेश्वर	क्यालठोपा	1.900	2.020	2.600
34	नागेश्वर	सिमतोली 1	0.250	0.800	1.550
35	नागेश्वर	काण्डे	1.300	1.550	3.000
36	नागेश्वर	तुनेड़ा	1.825	4.000	2.400
37	नागेश्वर	माजला	1.100	1.850	4.170
38	नागेश्वर	छाती	4.630	2.200	2.710
39	नागेश्वर	नागल	1.250	0.800	1.300
40	नागेश्वर	नौगांव II	1.750	1.800	2.500
41.	नागेश्वर	मेहनरडूंगा	1.380	1.400	1.900
42	नागेश्वर	डूंगा	2.320	2.750	3.000
43	नागेश्वर	मनकोट	2.080	3.800	6.700
44.	नागेश्वर	रतमोली	4.320	3.550	2.000
45	नागेश्वर	किमोली	1.000	1.610	1.374
46	नागेश्वर	नंगपुरी	2.350	1.700	1.650
47.	नागेश्वर	मटियोली	0.270	0.650	1.200
48	नागेश्वर	कुनारंगभौसा	1.375	1.645	2.000
49	नागेश्वर	गुरना	2.800	0.000	1.000
50	नागेश्वर	जोठाई	0.500	0.400	3.150
51	नागेश्वर	सिमलगांव	0.300	1.900	2.800
52	नागेश्वर	ताकनी	1.000	4.100	4.200
53	नागेश्वर	फल्दोनिया	0.600	1.000	1.750
54	नागेश्वर	मण्डल सेरा	4.200	1.800	2.300
55	नागेश्वर	गलना	1.000	1.950	1.650
56	नागेश्वर	गन्धनौशाली	2.782	1.680	2.700
57	नागेश्वर	गोगिनापानी	1.430	0.340	1.400
58	नागेश्वर	मिरोली	3.082	0.900	0.000
59	नागेश्वर	गैराड़	3.010	1.300	1.400
60	नागेश्वर	स्यौनतीर	3.770	3.700	1.600
61	नागेश्वर	ओखलीसिरौद	3.770	3.700	1.600
62	नागेश्वर	सौज	3.340	1.000	3.200

1	2	3	4	5	6
63	नागेश्वर	पारन्देज	0.800	3.890	2.400
64	नागेश्वर	कनारामाफी	3.400	5.150	4.900
65	नागेश्वर	जौंटा	0.700	1.300	2.250
66	नागेश्वर	नेदीनगर	2.620	0.800	3.200
67	नागेश्वर	गोजनानागर	1.650	1.450	0.800
68	नागेश्वर	मिलौना	5.525	4.280	1.000
69	नागेश्वर	नेहरगांव	1.470	1.800	3.280
70	नागेश्वर	जौन	1.750	0.700	2.890
71.	नागेश्वर	नागलमाफी	3.015	0.900	3.650
72	नागेश्वर	जसेरखानी	1.050	1.200	2.000
73	नागेश्वर	छानी	1.890	1.100	0.990
74.	नागेश्वर	गलखोला	0.880	0.550	1.000
75	नागेश्वर	मनारतोली	0.800	1.000	1.600
76	नागेश्वर	निनसार	7.245	4.900	4.520
77.	नागेश्वर	स्यांकर	4.750	1.800	4.580
78	नागेश्वर	सिमक्यारी	1.845	0.900	2.680
79	नागेश्वर	ग्रिस्तोली	1.800	1.800	0.500
80	नागेश्वर	कनौरा	3.250	1.000	3.490
81	नागेश्वर	पगना	5.475	3.600	5.730
82	नागेश्वर	गौगांवजीना	0.800	1.790	2.000
83	नागेश्वर	कनालापालसी	0.650	4.680	4.400
84	नागेश्वर	मिलौरी	1.800	0.800	2.000
85	नागेश्वर	बोरगांव	1.000	0.000	0.900
86	नागेश्वर	पाल्ली	2.100	3.500	3.540
87	नागेश्वर	आगर	3.100	6.900	5.500
88	नागेश्वर	शीशाखानी	3.550	4.500	3.000
89	नागेश्वर	नारसीसूंगा	0.800	1.000	2.800
90	नागेश्वर	सनोलीपालसी	3.225	4.300	4.200
91	नागेश्वर	जोशीपालसी	1.200	0.800	1.550
92	नागेश्वर	छौंना	1.300	1.600	3.600
93	नागेश्वर	स्यकंदल्ला	0.650	0.000	0.800
94	नागेश्वर	मटेला	0.800	0.900	1.000
95	नागेश्वर	पालसी नगर	0.420	0.900	1.200
96	नागेश्वर	लंटी	18.014	15.280	15.8500

1	2	3	4	5	6
97	नागेश्वर	गडुंवारीरमोली	1 800	3 540	1 200
98	नागेश्वर	रिखाड़ी	1 750	1 600	2 150
99	नागेश्वर	बारसांली	1 150	2 450	3 000
100	नागेश्वर	छपी	1 650	1 600	0 800
101.	नागेश्वर	बजीना	1 050	1 200	1 600
102	नागेश्वर	पालीपग्याली	0 800	1 300	1 650
103	नागेश्वर	नाग्यरमाजिला	0 650	0 500	0 800
104	नागेश्वर	बांशझिरौली	2 300	3 050	2 850
105	नागेश्वर	शाला	2 050	2 500	2 500
106	नागेश्वर	स्यानिलारेगार	1 760	0 750	1 100
107	नागेश्वर	नेसावलसा	1 400	1 460	1 790
108	नागेश्वर	चपोलासेरा	2 270	3 175	4 425
109	नागेश्वर	गदौरा	1 017	1 100	1 600
110	नागेश्वर	पोखरी	0 900	1 000	1 500
111.	नागेश्वर	स्यनोली	2 000	2 577	2 000
112	नागेश्वर	शिमकुना	2 000	1 550	1 950
113	नागेश्वर	गपोली	0 400	0 370	0 800
114.	नागेश्वर	पंगचौरा	1 000	1 750	0 400
115	नागेश्वर	नारायणगूंठ	0 950	1 200	1 600
116	नागेश्वर	सानोजा	0 650	0 800	1 600
117.	नागेश्वर	मनोली	1 360	0 400	0 400
118	नागेश्वर	गागरी कन्याल	0 700	0 950	1 900
119	नागेश्वर	कुनैरा	1 300	1 400	0 800
120	नागेश्वर	मुसगोली	1 500	1 300	0 900
121	नागेश्वर	मतरौला	1 906	2 597	6 000
122	नागेश्वर	ग्वाड़	3 586	5 764	5 640
123	नागेश्वर	स्योली	8 100	13 710	17 940
124	नागेश्वर	रुगुनी	0 700	0 600	1 990
125	नागेश्वर	मोलिगासोत	5 250	1 990	9 920
126	नागेश्वर	मिजारौपाल	11 150	15 950	12 630
127	नागेश्वर	स्यनाड़ाली	1 890	19 600	0 990
128	नागेश्वर	जउलगांव	6 875	2 892	3 500
129	नागेश्वर	बजूली	2 900	0 700	1 000
130	नागेश्वर	फलपाली	4 700	2 900	2 000

1	2	3	4	5	6
131	नागेश्वर	उम्कौसा	6.000	4.505	7.240
132	नागेश्वर	एठ्यार	0.400	4.950	4.970
133	नागेश्वर	पन्द्रपाली	8.500	2.690	6.450
134	नागेश्वर	घागर	15.889	13.046	10.300
135	नागेश्वर	देवलधौरा	6.125	9.940	14.740
136	नागेश्वर	कलायतपारा	8.220	12.890	16.801
137	नागेश्वर	उन्तरा	9.970	12.490	11.670
138	नागेश्वर	पुरकोट	5.000	5.445	3.000
139	नागेश्वर	आरे	8.370	6.000	12.130
140	नागेश्वर	मागादिगोली	1.150	1.100	0.600
141.	नागेश्वर	देवलनिवास	0.650	0.300	0.650
142	नागेश्वर	गेठा	1.400	1.100	1.300
143	नागेश्वर	नन्हेगांव	1.050	0.650	0.300
144.	नागेश्वर	मड्काली	0.600	0.800	0.800
145	नागेश्वर	गुर्णौली	1.400	1.080	0.800
146	नागेश्वर	देवतोली	0.300	0.550	0.600
147	नागेश्वर	गैठाण	2.320	2.680	1.800
148	नागेश्वर	मजसूला	2.150	2.060	1.600
149	नागेश्वर	टकनार	2.000	1.990	1.800
150	नागेश्वर	कपूरी	1.350	3.225	3.340
151	नागेश्वर	गम्भारीगांव	1.840	0.300	1.600
152	नागेश्वर	तुराड़ेसा	0.850	1.600	1.600
153	नागेश्वर	नरगोली	1.200	1.600	0.300
154	नागेश्वर	मन्तोला	1.250	2.300	1.800
155	नागेश्वर	रावतसेरा	1.600	2.400	3.100
156	नागेश्वर	न्यारी II	2.850	3.750	5.140
157	नागेश्वर	भिताली	0.370	0.650	0.900
158	नागेश्वर	सुगारी	3.363	4.090	3.330
159	नागेश्वर	नासली	0.250	0.820	0.900
160	नागेश्वर	गाजली	0.600	0.630	1.600
161	नागेश्वर	सिरंग	1.400	1.430	1.800
162	नागेश्वर	तुपेड़	0.800	0.800	0.900
163	नागेश्वर	मालनीकोट	2.900	0.800	0.800

1	2	3	4	5	6
164	बागेश्वर	खुल्दोरी	3.630	3.900	2.750
165	बागेश्वर	तरमोली	2.100	3.000	3.450
166	बागेश्वर	सिमतोली–2	2.200	3.150	3.077
167	बागेश्वर	असों	1.050	1.050	2.340
168	बागेश्वर	सिगा	0.400	0.650	0.000
169	बागेश्वर	पाना	2.560	0.400	2.450
170	बागेश्वर	नौगाड़ा	2.400	1.950	6.451
171.	बागेश्वर	गढ़गाड़	2.110	5.350	8.290
172	बागेश्वर	नागसा	0.400	1.550	2.590
173	बागेश्वर	रैखोली	0.650	1.450	3.200
174	बागेश्वर	बौसी	1.800	1.800	3.500
175	बागेश्वर	ऐराड़ी	1.250	1.600	1.000
176	बागेश्वर	बमराड़ी	2.500	1.940	2.400
177	बागेश्वर	भयूलगाड़	1.500	2.600	2.000
178	बागेश्वर	मगरूपाएरी	2.700	2.300	0.900
179	बागेश्वर	सौप्ता	2.500	1.800	0.800
180	बागेश्वर	मालूढाम	1.400	2.500	0.900
181	बागेश्वर	औखल्लाँ	3.250	3.550	1.500
182	कपकोट	ऐठाण	11.23	7.00	6.01
183	कपकोट	असों	8.10	8.55	7.51
184	कपकोट	बाछम	14.52	9.39	6.01
185	कपकोट	नरेता	16.11	15.64	10.01
186	कपकोट	बड़ी पन्याली	4.86	3.50	1.01
187	कपकोट	नन्दिगावतोल	8.9	7.22	5.91
188	कपकोट	नगर	7.91	8.91	7.01
189	कपकोट	बैकुडीगांव	0.10	0.20	1.01
190	कपकोट	बैड़ा नचौरा	9.29	7.33	6.41
191	कपकोट	गैडुडीकुडीर	2.23	2.40	4.51
192	कपकोट	नमसेरा	8.28	3.50	3.51
193	कपकोट	नरागुना	5.97	9.38	4.01
194	कपकोट	गसू	4.55	4.08	2.31
195	कपकोट	गनार	10.19	11.14	4.71
196	कपकोट	गण्डारी गांव	7.63	5.68	4.71
197	कपकोट	गन्तोला	1.71	0.80	3.01

1	2	3	4	5	6
198	कपकोट	बांसाणक झालगांव	3.23	3.39	1.51
199	कपकोट	भमई	3.21	4.00	0.81
200	कपकोट	गलगाना	3.53	0.44	0.51
201	कपकोट	गौलाना	2.16	1.25	1.01
202	कपकोट	गौरा	0.99	0.80	0.81
203	कपकोट	भौरायगढ़	4.89	3.46	2.01
204	कपकोट	गुगेर	0.88	0.43	1.01
205	कपकोट	दारसिंग	1.63	1.00	1.01
206	कपकोट	दिगालीकिरौली	0.99	1.76	1.01
207	कपकोट	दोबाड़	3.90	3.37	3.51
208	कपकोट	ढोकली गांव	2.07	1.42	1.81
209	कपकोट	दुलम	2.97	3.88	5.01
210	कपकोट	फरसाली पल्ली	9.39	6.15	4.99
211	कपकोट	फरसाली मल्ली	1.56	3.19	2.81
212	कपकोट	गढ़ेरा	8.84	4.00	2.61
213	कपकोट	गैनाड़	0.70	0.70	1.01
214	कपकोट	गैरखेत	0.89	0.11	0.81
215	कपकोट	गांधी	1.14	0.60	1.01
216	कपकोट	गोगिना	10.73	10.00	11.8
217	कपकोट	गोलना	8.18	11.61	7.01
218	कपकोट	गुलमपरगढ़	4.57	4.00	3.51
219	कपकोट	गुलेर	3.48	1.66	2.01
220	कपकोट	एम्पलीकापरी	2.28	1.71	1.76
221	कपकोट	एस्कोट	1.01	0.80	1.01
222	कपकोट	एरसीला	2.87	4.97	1.01
223	कपकोट	हिम्पोसी	1.93	30.00	1.34
224	कपकोट	होराली	1.09	1.77	1.46
225	कपकोट	जगथाना	4.47	0.12	0.81
226	कपकोट	जाखनी	3.57	0.32	1.54
227	कपकोट	जालेख	3.22	2.30	2.51
228	कपकोट	जलमानी	2.13	0.48	0.01
229	कपकोट	जारती	3.77	3.94	5.01
230	कपकोट	झालना	1.33	0.99	2.09

1	2	3	4	5	6
231	कपकोट	झांपसा	0.63	0.85	1.01
232	कपकोट	डूनी	3.68	0.43	3.01
233	कपकोट	कापड़ीखनेता	2.16	0.80	2.01
234	कपकोट	गलानापैर कापड़ी	5.07	2.37	1.61
235	कपकोट	कपकोट	6.00	4.54	4.51
236	कपकोट	कर्मी	15.95	18.65	12.01
237	कपकोट	खलझूनी	1.96	0.74	1.01
238	कपकोट	खकंकनालोली	3.50	2.00	2.01
239	कपकोट	खाती	4.75	3.14	3.01
240	कपकोट	खिरडू	1.07	1.34	0.01
241	कपकोट	गिलापारा	5.76	3.07	2.68
242	कपकोट	गौनू	1.88	1.42	1.39
243	कपकोट	गिरसनिला	1.92	0.64	1.81
244	कपकोट	गुगांरी	3.60	2.36	2.01
245	कपकोट	जाहूर	2.09	0.79	1.01
246	कपकोट	जमलिगरा	3.03	2.84	1.38
247	कपकोट	जाखी	2.45	2.01	3.01
248	कपकोट	लीली	0.96	0.00	1.01
249	कपकोट	लोंपी	11.74	8.52	4.3598
250	कपकोट	महोली	1.96	1.73	1.41
251	कपकोट	मजागांव	1.33	1.05	1.76
252	कपकोट	महोरा	1.39	0.00	2.01
253	कपकोट	माजखेत	5.27	1.99	3.01
254	कपकोट	मानरखडुगरमा	3.82	3.36	2.01
255	कपकोट	मान्नादेश	1.61	4.05	2.6
256	कपकोट	मोहली	6.84	3.48	4.35
257	कपकोट	मिरिखानाखानपतला	3.79	2.00	1.01
258	कपकोट	नामतीगेतापगार	2.78	4.40	3.01
259	कपकोट	नानाकन्यालीकोट	3.34	1.15	0.81
260	कपकोट	नगगरा	2.76	2.20	2.11
261	कपकोट	नौकोरी	10.40	10.95	6.21
262	कपकोट	गगार	1.18	0.00	0.81
263	कपकोट	गांवक	6.21	5.17	4.01

1	2	3	4	5	6
264	कपकोट	पपांली	2.99	1.46	1.66
265	कपकोट	गढ़खगूरा	0.82	0.64	0.01
266	कपकोट	गैढी	2.47	2.36	1.01
267	कपकोट	गोगिंग	0.58	0.00	2.01
268	कपकोट	गोठागांपिनासी	2.85	2.80	2.51
269	कपकोट	पोथिंग	18.07	14.99	9.26
270	कपकोट	पुकस्पुनी	8.48	3.40	0.81
271	कपकोट	रैथल	5.94	8.54	6.01
272	कपकोट	रमाड़ी	2.80	2.68	2.01
273	कपकोट	रातिरकेटी	2.90	2.34	2.01
274	कपकोट	रीमाकनौली	0.16	0.87	1.01
275	कपकोट	रीखाड़ी	4.10	4.58	1.01
276	कपकोट	सलकन्यूड़ा	0.98	0.30	0.01
277	कपकोट	सौलिंग	2.14	0.66	1.01
278	कपकोट	शामा	8.66	5.94	2.01
279	कपकोट	सुनगाड़	1.93	0.00	2.31
280	कपकोट	संरी	2.23	0.42	1.66
281	कपकोट	सिमगड़ी	3.64	0.46	2.41
282	कपकोट	सौरी	4.44	4.60	3.21
283	कपकोट	सोराग	10.13	8.00	5.61
284	कपकोट	सुरिंग	2.16	1.82	1.01
285	कपकोट	सुडमौनाकनौली	4.50	2.84	1.51
286	कपकोट	सुमटी पैशानी	6.09	3.27	3.72
287	कपकोट	सुमगढ़	3.78	2.10	3.31
288	कपकोट	सूपी	5.65	1.59	1.01
289	कपकोट	सुरकाली	0.05	0.80	1.01
290	कपकोट	तरसाल पतियासार	3.56	2.49	1.01
291	कपकोट	तीख	3.78	3.39	3.81
292	कपकोट	तोली	8.31	7.03	5.26
293	कपकोट	जारीगांव	1.85	0.79	5.26
294	कपकोट	जखेड़ा	0.00	0.95	1.01
295	कपकोट	वड़यूड़ा	2.36	1.48	1.71
296	कपकोट	बास्ती	2.02	2.49	1.01

1	2	3	4	5	6
297	गरूड़	आगरमणतोली	2.02	1.70	2.01
298	गरूड़	अमोली	1.81	1.00	1.01
299	गरूड़	अमस्यारी	1.71	2.51	3.01
300	गरूड़	उण्णां	4.26	2.01	3.01
301	गरूड़	अयारतोली	3.71	2.15	4.01
302	गरूड़	नगर	1.71	1.31	1.51
303	गरूड़	मगरतोला	3.45	4.11	2.41
304	गरूड़	मकुनखोला	1.85	1.80	1.01
305	गरूड़	रतौसा	0.96	1.40	3.51
306	गरूड़	मतोलिया	1.01	1.01	2.71
307	गरूड़	गेला कुटोलिया	0.81	0.00	0.00
308	गरूड़	गिलकोट	2.91	1.99	2.01
309	गरूड़	बिमौला	3.64	5.01	4.99
310	गरूड़	बिनखोली	3.51	6.49	7.01
311	गरूड़	तुंगा	4.39	4.34	2.01
312	गरूड़	छानीसेरा	5.39	1.60	1.01
313	गरूड़	जगोली	0.41	0.01	1.51
314	गरूड़	छलिगा	2.40	1.50	3.01
315	गरूड़	छत्यानी	2.41	0.40	2.01
316	गरूड़	जौरासौं	3.01	2.50	2.51
317	गरूड़	दशौनी	0.98	1.01	0.98
318	गरूड़	देवनाई	3.61	5.01	2.76
319	गरूड़	टौना	3.26	1.00	2.76
320	गरूड़	ढोलगांव	8.96	5.26	6.01
321	गरूड़	दुगिला	3.61	3.86	2.81
322	गरूड़	डुमलोट	1.46	2.12	2.41
323	गरूड़	पन्याली	0.51	0.51	0.00
324	गरूड़	फुलवारीगूंठ	4.51	2.69	2.01
325	गरूड़	गैरलेख	1.01	2.01	2.01
326	गरूड़	गढ़ई	4.01	2.01	2.01
327	गरूड़	गनीगांव	8.31	4.31	2.51
328	गरूड़	गढ़खेत	3.21	3.62	4.91
329	गरूड़	गढ़सेर	4.01	0.90	2.01

1	2	3	4	5	6
330	गरूड़	गोली	3.39	1.20	3.01
331	गरूड़	पिंगलोली	1.01	1.01	5.41
332	गरूड़	ग्वारपलोरा	2.26	3.01	3.01
333	गरूड़	एरीनगरी	5.81	4.99	2.31
334	गरूड़	जॅसार	4.21	2.41	3.01
335	गरूड़	ताया	1.81	0.01	1.01
336	गरूड़	तल्बंरा	6.41	6.24	3.61
337	गरूड़	ग्वालाकोट	0.51	1.01	3.01
338	गरूड़	खिजोली	3.77	2.81	4.01
339	गरूड़	खिनखोला	3.39	2.45	2.01
340	गरूड़	तापलदुगा	4.29	5.60	4.81
341	गरूड़	कन्गूली	2.02	3.00	3.41
342	गरूड़	कनरखारी	5.69	2.98	3.01
343	गरूड़	कलारमल	1.01	0.30	0.61
344	गरूड़	कनौलाग	1.21	2.31	4.01
345	गरूड़	कौसानी	2.11	0.11	2.01
346	गरूड़	कोठाँ	4.11	2.30	2.01
347	गरूड़	कोटफुलारी	2.26	3.81	3.01
348	गरूड़	कोटुली	0.24	1.00	2.01
349	गरूड़	गुलाफ	6.81	8.17	5.51
350	गरूड़	जरसनी	9.67	6.36	4.51
351	गरूड़	जमगूला	9.41	10.92	6.01
352	गरूड़	जौनान्त	2.85	2.52	3.01
353	गरूड़	जोलगरी	1.36	0.41	1.01
354	गरूड़	मैगडीस्टेट	2.01	3.01	4.01
355	गरूड़	मटकांट	1.01	2.60	3.01
356	गरूड़	मालदे	1.01	4.00	3.01
357	गरूड़	मल्ला सोमा	2.41	0.70	2.31
358	गरूड़	मनारवेत	4.01	3.01	3.01
359	गरूड़	मन्यूड़ा	2.01	0.01	1.21
360	गरूड़	मटेना	2.88	1.64	1.01
361	गरूड़	मथुरौं	3.01	1.00	0.61
362	गरूड़	मगई	1.58	1.01	1.68

1	2	3	4	5	6
363	गरूड़	मेलाडुंगरी	7.92	9.30	7.01
364	गरूड़	नैकानासुमटिया	7.21	4.43	5.01
365	गरूड़	नरग्वाली	5.01	1.01	2.01
366	गरूड़	नौगांव	1.31	3.41	2.01
367	गरूड़	नौगार	4.02	2.91	1.01
368	गरूड़	नौघर स्टेट	4.99	4.80	5.80
369	गरूड़	पजना	7.72	6.01	6.01
370	गरूड़	परेना	2.01	2.01	2.01
371	गरूड़	परमटोली	0.51	1.01	3.01
372	गरूड़	पाल्ली	1.59	1.01	2.01
373	गरूड़	पागे	1.01	2.01	2.01
374	गरूड़	गंगा तल्ला	4.11	5.79	3.61
375	गरूड़	पिंगालों	3.01	2.46	2.01
376	गरूड़	पोखरी	3.50	2.38	3.81
377	गरूड़	पुरड़ा	1.51	2.51	3.01
378	गरूड़	पूर्वीअगारतोली	3.51	0.61	0.51
379	गरूड़	रणकुडी	4.79	4.71	6.01
380	गरूड़	रतमटिया	2.01	1.32	2.01
381	गरूड़	रिंगूनीलखमार	4.98	4.71	3.71
382	गरूड़	रौल्याना	2.01	2.01	0.00
383	गरूड़	वालखन्यारी	3.81	3.23	2.81
384	गरूड़	सिल्ली	1.01	0.00	1.01
385	गरूड़	सिमगड़ी	4.01	4.43	2.01
386	गरूड़	सिमखेत	2.51	1.01	2.01
387	गरूड़	सिरकोट	5.01	0.01	3.01
388	गरूड़	रुगाली स्टेट	1.97	1.50	2.01
389	गरूड़	सुराग	8.01	8.80	6.01
390	गरूड़	तैलीहाट	1.87	0.00	2.01
391	गरूड़	भकूना	4.06	2.03	3.51
392	गरूड़	भानाडंगोली	2.41	1.80	3.01
393	गरूड़	भयाल गवालदम	1.66	0.31	1.01
394	गरूड़	गिलखारी	3.01	1.01	2.01
395	गरूड़	लखसुली	3.78	2.80	3.01
396	गरूड़	गन्गूला	4.31	2.90	1.61
397	गरूड़	एनीलसुलखान	3.61	1.01	1.01

नत्थी "च"

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0–86 का उत्तर पृष्ठ सं0–52 पर)

विकासखण्ड नारसन में वर्ष 2012–13 में ग्रामवार उपलब्ध कराई गयी धनराशि का विवरण

क्र0सं0	ग्राम पंचायत का नाम	धनराशि
1	2	3
1	लखनौता	1703000
2	बुड्पुर नूरपुर	132600
3	नारसन खुर्द	1577000
4	हरजौली जट	831000
5	थिथकी कबाडपुर	200000
6	मखदूमपुर	463000
7	ढंढा पनेडा	647000
8	कुरडी	298000
9	हरचन्दपुर	236000
10	नसीरपुर	352000
11	मुण्डेट	310000
12	मन्नाखेडी	1224000
13	मीरपुर जट	200000
14	सकौती	164000
15	नकीबपुर धोबीपुरा	945000
16	पंडलहेडी	382000
17	मंगरजुडडा	330000
18	नगलासलारू	253000
19	कुमराडी	1189000
20	बरावाखेडी	161000
21	मोहनपुरा पीरपुर	64000
22	लिब्बरहेडी	200000
23	सधौली	226500
24	खटका	64000
25	पल्हेडा	122000
26	जौरासी जबरदस्तपुर	200000
27	दाहेडा	173000

1	2	3
28	लाठरदेवाहूण	903000
29	अकबरपुर ढाढेकी	127000
30	मुक्कनपुर	873000
31	बिझौली	855000
32	शिकारपुर हल्लारपुर	70000
33	माण्डावली	278000
34	नूरपुर जट	179000
35	दाहियाकी	67000
36	खेड़ाजट	165000
37	पीरपुरा	240000
38	टिकौला कला	947000
39	भगतोवाली	808000
40	झबरेड़ीकला	533000
41	दसौका	470000
42	मुण्डियाकी	639000
43	निजामपुर	232000
44	सुराडी खुर्द	71000
45	नगलाचीना	395000
46	महमपुरजट	90000
47	थिथौला	250000
48	नगलाइमरती	41000
49	मगारौना	83000
50	मुण्डलाना	84000
51	झबीरनजट	15000
52	भगवानपुर चन्दनपुर	100000
53	लहबोली	48000
54	कोटवालआलमपुर	12000
55	सिकन्दरपुर मवाल	300000
56	आसफनगर	40000
57	जैनपुर झंझेड़ी	21000
58	शेरपुरखेलमउ	130000
59	नारसन कला	25500

नत्थी "छ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0–98 का उत्तर पृष्ठ सं0–57 पर)

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत (लाख रु0 में)	व्यय (लाख रु0 में)	अभ्युक्ति
1	ग्वालकुण्ड मगरौं कोटी मोटर मार्ग, फेज–सप्तम, स्टेज–द्वितीय, यू0के0 11–19	3.80	88.26	86.49	स्टेज–2 तक का कार्य पूर्ण।
2	मूलगढ़ श्यानी मोटर मार्ग, फेज–सप्तम, स्टेज द्वितीय, यू0के0 11–16	8.65	181.73	181.85	स्टेज–2 तक का कार्य पूर्ण।
3	ग्वालकुण्ड मगरौं कोटी मोटर मार्ग, फेज–सप्तम, स्टेज–द्वितीय, यू0के0 11–19	3.80	88.26	86.49	स्टेज–2 तक का कार्य पूर्ण।
4	कालकण्डा गोना मोटर मार्ग फेज–सप्तम, स्टेज–द्वितीय, यू0के0 11–17	3.00	61.94	57.98	स्टेज–2 तक का कार्य पूर्ण।
5	श्यानी गंगतल तोली मोटर मार्ग, फेज–षष्टम, यू0के0 11–102	5.85	143.66	140.26	स्टेज–प्रथम का कार्य पूर्ण।
6	चमातोली भांजी मोटर मार्ग, फेज–षष्टम यू0के0 11–03	4.93	119.17	97.14	स्टेज–प्रथम का कार्य पूर्ण।
7	पाख तोणी पल्ली मोटर मार्ग, फेज–षष्टम यू0के0 11–06	3.37	106.78	82.61	स्टेज–प्रथम का कार्य पूर्ण।
8	कालशगांव पनगर खोला मोटर मार्ग, फेज–षष्टम, यू0के0 11–04	9.75	339.60	336.12	स्टेज–प्रथम का कार्य पूर्ण।
9	गांदी जाख कश्यालगांव मोटर मार्ग, फेज–षष्टम, यू0के0 11–02	4.00	103.98	74.44	स्टेज–प्रथम का कार्य पूर्ण।
10	कोन्दुल कोल्ली पनगांव किंजर मोटर मार्ग,फेज–दशम, यू0के0 11–20	15.00	565.00	—	स्टेज–द्वितीय का कार्य निर्माणाधीन।
11	नुवाकेदार रणस्या म मोटर मार्ग, फेज–दशम, यू0के0 11–21	15.00	543.89	13.65	स्टेज–द्वितीय का कार्य निर्माणाधीन।
12	पिलखी गोठिगाणा मनसुरी मोटर मार्ग, फेज–दशम, यू0के0 11–19	10.50	511.34	57.90	स्टेज–द्वितीय का कार्य निर्माणाधीन।
13	गोना से कोट मोटर मार्ग, फेज–सप्तम, यू0के0 11–04	4.30	139.12	11.82	स्टेज–प्रथम का कार्य निर्माणाधीन।
14	देवलंग से गालगांव मोटर मार्ग, फेज–सप्तम, यू0के0 11–07	5.48	187.34	100.78	स्टेज–प्रथम का कार्य निर्माणाधीन।
15	विनायकधार कुण्डी मोटर मार्ग, फेज–दशम, यू0के0 11–08	3.78	183.47	—	स्टेज–प्रथम का कार्य निर्माणाधीन।

नत्थी "ज"

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0–100 का उत्तर पृष्ठ सं0–59 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2013 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–100 का संलग्नक–

क्र0 सं0	विभाग/कार्य का नाम	वित्तीय स्थिति		निविदा
		आवंटन	व्यय	
1	2	3	4	5
	पर्यटन विभाग			
1.	विकास खण्ड भिलंगना के ग्राम पाविलाणा के अन्तर्गत नागबुद्ध भैरव देवता मन्दिर का सौ0।	2.00	1.90	आमंत्रित निविदा पत्रांक 100 दिनांक 26–02–2013
2.	विकास खण्ड भिलंगना के ग्राम मल्यखोली अनु0जाति बस्ती में शिवालय मन्दिर सौ0 एवं धर्मशाला निर्माण।	5.00	0.00	आमंत्रित निविदा पत्रांक 63 दिनांक 29–08–2013
	दैवी आपदा			
3.	प्रा0वि0 मार्गों का पुनर्निर्माण (घनसाली)।	5.70	5.46	आमंत्रित निविदा पत्रांक 02 दिनांक 14–12–2010
4.	प्रा0वि0 भवन खोली मेड़ की क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार मरम्मत कार्य।	2.88	0.00	आमंत्रित निविदा पत्रांक 100 दिनांक 26–02–2013
5.	रा0प्रा0वि0 सिलुली कोटगा में क्षतिग्रस्त आंगन मरम्मत कार्य।	5.67	3.58	आमंत्रित निविदा पत्रांक 108 दिनांक 06–03–2013
6.	रा0प्रा0वि0 पौखरी आगर में भवन दीवार मरम्मत कार्य।	6.67	0.00	आमंत्रित निविदा पत्रांक 108 दिनांक 06–03–2013
7.	रा0प्रा0वि0 कोमरिया सौंड की क्षतिग्रस्त दीवार मरम्मत कार्य।	9.27	6.47	आमंत्रित निविदा पत्रांक 124 दिनांक 15–03–2013
8.	रा0प्रा0वि0 कोटियाड़ा कमर क्षतिग्रस्त दीवार मरम्मत कार्य।	3.37	2.58	आमंत्रित निविदा पत्रांक 108 दिनांक 06–03–2013
9.	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कोपड़धार में दीवार मरम्मत कार्य।	15.50	6.11	आमंत्रित निविदा पत्रांक 525 दिनांक 20–11–2012
10	कोपड़धार में एक अनावासीय कक्ष का निर्माण कार्य।	4.00	3.32	आमंत्रित निविदा पत्रांक 525 दिनांक 20–11–2012
11.	कोपड़धार में एक कक्ष का निर्माण कार्य।	4.50	3.53	आमंत्रित निविदा पत्रांक 525 दिनांक 20–11–2012
	चिकित्सा विभाग होम्योपैथिक			
12	टाईप डी के 2 नग का निर्माण कार्य, कुल्ना शीला (घनसाली)।	14.00	0.00	आमंत्रित निविदा पत्रांक 623 दिनांक 19–02–2013

1	2	3	4	5
	समाज कल्याण			
13	आंगनबाड़ी केन्द्र पूर्वाल गांव भिलंगना।	4.00	0.00	आमंत्रित निविदा पत्रांक 100 दिनांक 26–02–2013
	आई०ई०डी०एस०एस० योजनान्तर्गत			
14.	रसायन कक्ष निर्माण रा०इ०का० घुमेटीधार।	2.00	0.00	आमंत्रित निविदा पत्रांक 21 दिनांक 28–05–2012
15	रा०उ०मा०वि० बडीती में कक्षा–कक्ष निर्माण, वि०ख० भिलंगना।	10.00	3.90	आमंत्रित निविदा पत्रांक 129 दिनांक 23–11–2011
16	रा०उ०मा०वि० कोमर खितेथ में कक्षा–कक्ष निर्माण, वि०ख० भिलंगना।	10.00	4.45	आमंत्रित निविदा पत्रांक 53 दिनांक 24–11–2011
17.	रा०उ०मा०वि० घनसाली में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष निर्माण।	10.00	0.00	आमंत्रित निविदा पत्रांक 53 दिनांक 24–11–2011
18	रा०उ०मा०वि० पिपोलगांव में प्रयोगशाला नि० वि०ख० भिलंगना।	8.50	3.03	आमंत्रित निविदा पत्रांक 53 दिनांक 24–11–2011
19	रा०इ०का० विनकखाल में मुख्य भवन का निर्माण वि०ख० भिलंगना।	85.04	12.24	आमंत्रित निविदा पत्रांक 275 दिनांक 04–07–2012
20	रा०इ०का० कोट विशन प्रयोगशाला का निर्माण वि०ख० भिलंगना।	11.28	0.00	आमंत्रित निविदा पत्रांक 212 दिनांक 19–07–2013
21	रा०इ०का० कठूड़ हिन्दाव में दो कक्षा–कक्ष मय बरामदा सहित वि०ख० भिलंगना।	13.11	0.00	आमंत्रित निविदा पत्रांक 212 दिनांक 19–07–2013
22	रा०इ०का० पडागली में दो कक्षा –कक्ष मय बरामदा सहित वि०ख० भिलंगना।	13.11	0.00	आमंत्रित निविदा पत्रांक 54 दिनांक 03–05–2013
	रा०मा०शिक्षा अभियान			
23	रा०हा०स्कू० रौंसाल में मुख्य भवन का निर्माण	33.22	30.22	आमंत्रित निविदा पत्रांक 209 दिनांक 13–07–2011
24	रा०उ०मा०वि० केपार्स वि०ख० भिलंगना में कक्षा–कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर कक्ष, आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, पुस्तकालय कक्ष एवं शौचालय ब्लाक।	31.38	26.77	आमंत्रित निविदा पत्रांक 481 दिनांक 04–10–2011
25	रा०उ०मा०वि० कांगड़ा वि०ख० भिलंगना।	59.33	0.00	आमंत्रित निविदा पत्रांक 98 दिनांक 07–05–2013
26	रा०उ०मा०वि० कोटियाड़ा वि०ख० भिलंगना।	56.63	0.00	आमंत्रित निविदा पत्रांक 98 दिनांक 07–05–2013
27	रा०उ०मा०वि० टोल्डा भिलंगना।	65.37	0.00	आमंत्रित निविदा पत्रांक 348 दिनांक 03–08–2013
	योग	491.03	141.01	

पी०एस०यू० (आर०ई०) 05 विधान सभा/249–18–10–2014–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।